खण्ड-343, अंक-9
गुरूवार, 18 माघ, शक संवत् 1901
(7 फरवरी, 1980 ई0)

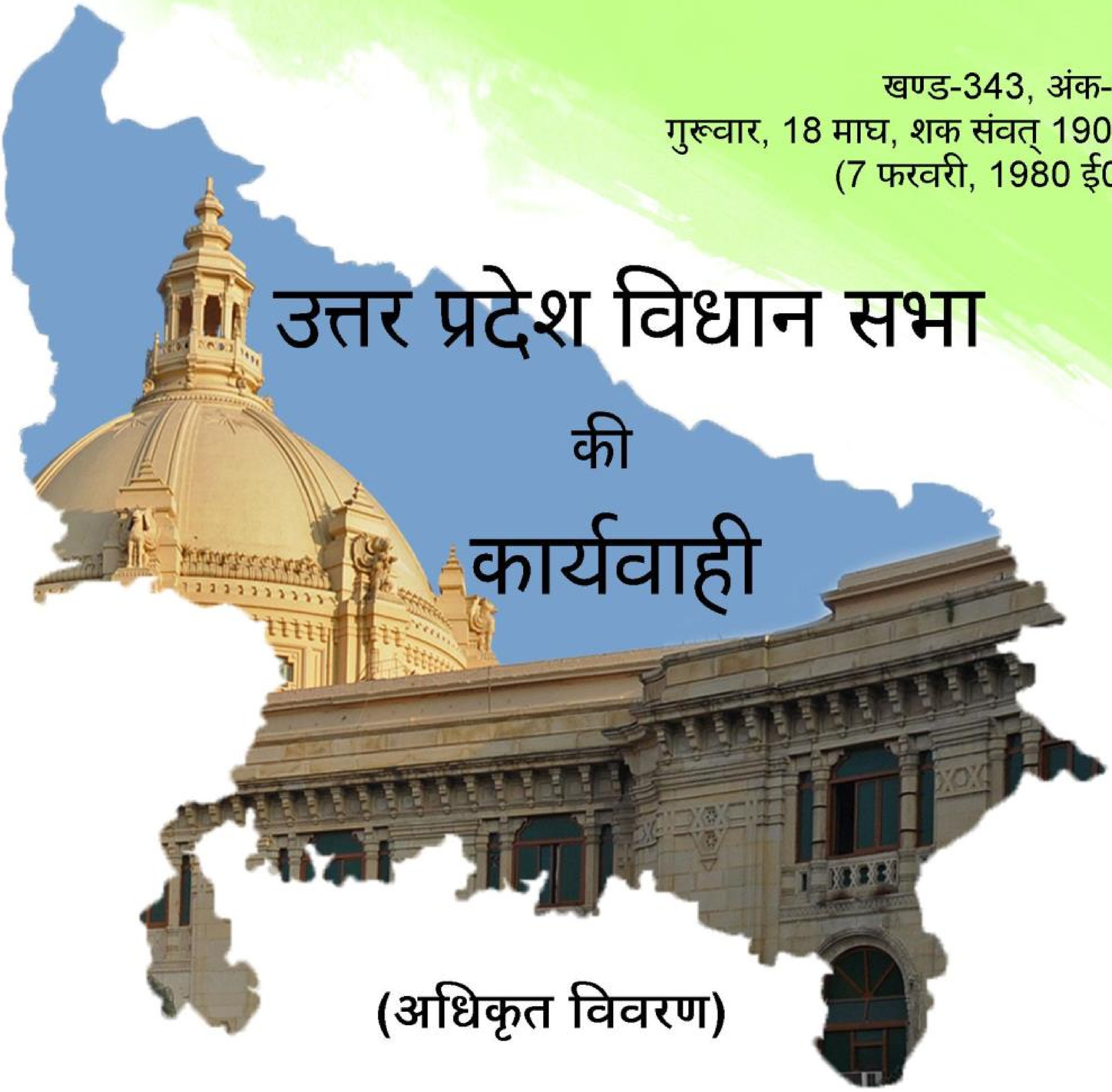

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 343 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	887–891
प्रश्नोत्तर	891–942
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	942
विधान सभा अध्यक्ष के निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	942–943
ललितपुर जनपद के जिला कृषि अधिकारी द्वारा की जा रही बेईमानी, अन्याय एवं पक्षपातपूर्ण रवैये से कर्मचारियों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	944
बस्ती जिले के गौर क्षेत्र के बी0डी0ओ0 द्वारा घपले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	944
मुहल्ला दीपा सराय, सम्भल, मुरादाबाद में कांग्रेस (आई0) के जुलूस के कुछ व्यक्तियों द्वारा फायरिंग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	945
नियम 301 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	945–947
बाबू स्टेडियम में शुरू होने वाली हाकी कोचिंग कैम्प में टीम में प्रतिभावान खिलाड़ियों को शामिल न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	947
ग्राम बहियारी, जनपद देवरिया के भूतपूर्व जमीन्दारों द्वारा हरिजनों के साथ अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	947–948
जनपद बांदा के नरैनी तहसील के संग्रह अमीनों और चपरासियों को वेतन न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	948
मिर्जापुर जनपद की विद्युत् परियोजना अनपरा तथा कनहर बांध परियोजना के अन्तर्गत कृषकों की पड़ने वाली भूमि की फसल उजाड़े जाने से किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	948–949
कानपुर की जनरलगंज नौघड़ा बाजार में फैली गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	949
जनपद वाराणसी के चन्दौली विधान सभाई क्षेत्र को अकाल पीड़ित घोषित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	950
कतिपय सदस्यों द्वारा औचित्य के प्रश्न उठाए जाने का प्रयास ..	950–952
उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1979–80) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	952
सचिव, विधान परिषद् द्वारा भेजे गए श्री गुरुदत्त सोलंकी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	953–955
संसद सदस्य श्री संजय गांधी के विरुद्ध उठाए गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	955–956
सदन की कार्यवाही गलत ढंग से छापे जाने के सम्बन्ध में 'स्वतन्त्र भारत' समाचार-पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाए जाने का प्रयास	956–960
कतिपय सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की सूचना	960–962

उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 962
विभिन्न दलों की मान्यता के सम्बन्ध मे आपत्ति 962–964
विधान सभा अध्यक्ष के चुनाव को स्थगित किए जाने पर आपत्ति .. 964–967
कौड़िया बाजार, जिला गोण्डा निवासी श्री मोहम्मद हुसैन की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य 967
राजस्व संहिता विधेयक, 1977 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) 968–970
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 970–971
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1980 (विचार करने का प्रस्ताव वापस) 971–981
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 (स्वीकृत) 981–996
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अननुमोदन के संकल्प को वापस लेने का प्रस्ताव (सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ) 996
पांच कांग्रेसियों की तथाकथित हत्या के सम्बन्ध में सूचना देने का प्रयास .. 997–998
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980 (पारित किया गया) 998–1017
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (संशोधन) विधेयक, 1980 (पारित किया गया) 1018–1020
उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों को संशोधित किए जाने तक चुनाव स्थगित रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति .. 1020–1027
उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों को संशोधित किए जाने तक चुनाव स्थगित रखे जाने की चुनाव आयोग को संस्तुति के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) 1027–1036
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 1036
विधान सभा अध्यक्ष के निर्वाचन तिथि को श्री राज्यपाल द्वारा निरस्त किए जाने की सूचना 1036
जनपद मुरादाबाद में अमरोहा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अकबरपुर पटटी में मतदान के समय हुए गोली काण्ड के सम्बन्ध में नियम 51के अन्तर्गत अग्रेतर वक्तव्य 1036–1039
फैजाबाद जिले में सोहज कस्बे के निकट नाव डूब जाने से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 1039–1041
वाराणसी डिपो में बसों की नीलामी में अनियमितता के सम्बन्ध में 28 जनवरी, 1980 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 3 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन .. . 1041
नत्थियां 1042–1047

मध्यप्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 7 फरवरी, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–340

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अंठई राम, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अबदुल हलीम खाँ, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नरायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमा कान्त बाजपई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओंम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओंम प्रकांश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खाँ, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
चौधरी नौनिहाल सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
डी0 पी0 बोरा, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देव राम, श्री
धरम राम, श्री
धमवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हे लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह भाटी, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रभुनारायण अहेरवार, श्री
प्रेमवती, श्रीमती
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरबिन्द," श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री

बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बृज वल्लभ सिंह, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खाँ, श्री (उर्फ शन्नू खाँ)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली , श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खाँ, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उस्मान, श्री
मोहम्मद मसूद खाँ, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणबीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अवार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री

राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दव दुब, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देबी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खाँ, श्री
रियासत हुसन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विश्वनाथ पाण्डय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसन, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरुप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री

हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खाँ, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 7 फरवरी, 1980

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सी०पी०एम०टी० परीक्षा में पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के आरक्षण का विस्तार

*1—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को उत्तराखण्ड क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को सी0 पी0 एम0 टी0 में आरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता तथा उक्त क्षेत्रों से कई विधायकों का कोई संयुक्त पत्र विधान मण्डल जनता पार्टी के कार्यालय के माध्यम से 11 अक्टूबर, 1979 को इस आशय का मिला है कि उत्तराखण्ड/पर्वतीय क्षेत्र के लोग इस समय उक्त क्षेत्रों के बाहर कार्यरत हैं और उनके बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को भी उक्त आरक्षण दिया जाय? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या मंत्री उक्त आदेश को इस वर्ष सी0 पी0 एम0 टी0 परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व संशोधित करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

जी हां, इस तरह का पत्र प्राप्त हुआ था जो मूल रूप में दिनांक 30 अक्टूबर, 1979 को स्वास्थ्य सेवा निदेशक को भेजा गया। निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार यह पत्र उनके यहां उपलब्ध नहीं हो रहा है।

जहां तक उत्तराखण्ड एवं पहाड़ी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिये एम0 बी0 बी0 एस0 कोर्स में आरक्षित सीटों का लाभ उक्त क्षेत्रों के ऐसे लोगों के बच्चों को, जो उक्त क्षेत्रों के बाहर कार्यरत हैं और इनके बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं, दिये जाने का सम्बन्ध है इस मामले पर विधिवत् विचार किया जा चुका है और इस सम्बन्ध में वर्तमान शर्तों में कोई संशोधन करना सम्भव नहीं पाया गया क्योंकि इन शर्तों को शिथिल करने से उक्त आरक्षण ही असंवैधानिक हो जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, वर्तमान शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड वा पहाड़ी क्षेत्र में पैदा होना तथा वहां रहना आवश्यक है। अगर वह वहां नहीं रहता है, तो उसके माता-पिता का वहां रहना अनिवार्य है, तो क्या सरकार को यह मालूम है कि पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में कितने ऐसे कालेज हैं, जिनमें साइंस नहीं पढ़ाई जाती और उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वे अपने बच्चों को शहरों में रखकर पढ़ा सकें, कुछ ऐसे भी हैं जिनके बीबी-बच्चे पहाड़ में रहते हैं और वह स्वयं शहर में या अन्यत्र रहकर सेर्विस आदि करते हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जिसमें लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह ही नहीं सकते हैं—जैसे जो लोग

आर्मी या पुलिस सेवा में कार्यरत हैं, तो ऐसे तमाम प्रकार के लोगों को आरक्षण देने में कौन सी असंवैधानिकता आ जाती है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

पहले तो मैं आजकल के प्राविधान के बारे में बताना चाहूंगा। शर्त नं0 1—अभ्यर्थी पहाड़ी क्षेत्र/उत्तराखण्ड में पैदा हुआ हो, वहीं उनका स्थायी घर है। वे वहां रह रहे हैं या शर्त नं0 2—अभ्यर्थी पहाड़ी क्षेत्र/उत्तराखण्ड क्षेत्र में पैदा हुआ हो और उनके माता-पिता या अभिभावक, यदि माता-पिता का देहान्त हो गया है अभी भी वहीं रह रहे हैं और अपनी आजीविका मुख्य रूप से वहीं कमा रहे हैं या यदि कोई अभ्यर्थी अपनी माता के स्थायी घर से थोड़े समय के लिए अन्य स्थान पर जाने के कारण अन्य स्थान पर पैदा हुआ हो, तो उपरोक्त के लिए वह अपने स्थायी निवास के स्थान पर पैदा हुआ माना जायेगा।

मान्यवर, जहां तक इस शर्त का सम्बन्ध है ये अपने में बहुत स्पष्ट है और जैसा माननीय सदस्य जानते होंगे सन् 1974 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हमारी आरक्षण की नीति थी, उसको समाप्त कर दिया था और जब उस पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई तो वहां से ग्रामीण क्षेत्र के आरक्षण को असंवैधानिक मानकर समाप्त कर दिया, किन्तु पहाड़ी क्षेत्र के आरक्षण को, सिर्फ इसलिए कि वहां पर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन है, संवैधानिक माना और सुनिश्चित किया कि आरक्षण इस प्रकार से हो सकता है। इस तरह से यदि लोग अनेक वर्षों से उस घर को छोड़ चुके हैं और वहां उनका घर नहीं है, तो उनको आर्थिक और सामाजिक कारणों से आरक्षण दिया गया, तो उसमें उस भावना का मूल रूप ही समाप्त हो जाएगा और वह असंवैधानिक हो जाएगा।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। डी0 एम0 जो सार्टिफिकेट देता है उसको मैं पढ़े दे रहा हूं।

I have examined the necessary documentary evidence and / or personal knowledge of the fact that the candidate name..... .....was born in hill areas / and has his permanent home at village . . . . . tahsil . . . . . district . . . . . in the Uttar Pradesh and is residing there or his parents or guardian (if parents are dead) are still living there and deriving livelihood primarily from there. The entries made by the applicant are, to the best of my knowledge, correct. I have nothing against his / her charactor which, ought to debard him/ her from the examination.

तो मान्यवर, अगर कोई आदमी फौज में है, डी0 जी0 बी0 आर0 में है। कोई व्यक्ति जिसके माता-पिता अथवा गारजियन, यदि माता-पिता मर गये हैं, तो वह वहीं पर रह रहा हो। मान्यवर, लोग पहाड़ों के स्थायी रूप से निवासी हैं परन्तु रोजी रोटी कमाने के लिए मैदानी भाग में आते हैं। अगर लखनऊ में वह रहता है, तो उसको पहाड़ों का स्थायी निवासी नहीं माना जाता है। वहां पर न साइन्स है न एग्रीकल्चर और न टेक्नालौजी इसका नतीजा क्या हो रहा है, हमारी सभी सीटें खाली पड़ी हुई है। वह भर नहीं रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें। विस्तार में न जायें।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

मान्यवर, एक तो उस प्रमाण पत्र से यह लाइन हटा दी जाये। माननीय मंत्री जी इस को मान लें। अगर कोई 50–60 साल तक बाहर रहता है, तो उसको वहां का निवासी न माना जाये लेकिन जो रोजगार के लिये आते हैं, उनको जरूर माना जाये।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्र का कोटा पूरा नहीं होता है। इसलिए इस पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह का पत्र 30 अक्तूबर को निदेशक स्वास्थ्य को भेजा गया और वहां से यह सूचना आई है कि पत्र वहां पर नहीं प्राप्त हुआ है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह पता लगायेंगे कि पत्र खो जाने की जिम्मेदारी किस पर आती है? हमारे पास अनेक सूचनायें हैं कि पत्र भेजा जाता है और खो जाता है।

श्री रमा शंकर कौशिक—

इसको जरूर पता लगाऊंगा।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मैं जानना चाहूंगा कि डाक्टर जितने भी पर्वतीय क्षेत्र में भेजे जाते हैं वह यह बराबर कोशिश करते हैं कि उन्हें मदानी क्षेत्र में बुला लिया जाये। इसलि पहाड़ी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित हो रही हैं। इसलिए जो वहां के निवासी है उनको आरक्षण देने में माननीय मंत्री जी को क्या दिक्कत हैं?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जो डाक्टर पर्वतीय क्षेत्र के होते हैं वह भी मैदानी भाग में आने का प्रयास करते हैं। वहां पर नहीं रहना चाहते हैं। यह एक अलग समस्या है।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

माननीय मंत्री जी को स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए अगर इस सम्बन्ध में आपसे अलग से निवेदन करना चाहूं तो उस पर विचार करेंगे।

श्री रमा शंकर कौशिक—

हर क्षण स्वागत है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मेरठ के नौचन्दी मेले में स्थायी 'पटेल मण्डप के निर्माण की मांग

*1—श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मेला नौचन्दी, मेरठ में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने हेतु हर साल "पटेल मण्डप" का निर्माण किया जाता है जिस पर हजारों रुपयों का व्यय होता है? क्या सरकार इस स्थान पर स्थायी मण्डप बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री हरी किशन श्रीवास्तव)---

मेला नौचन्दी मेरठ का प्रबन्ध बारी-बारी से प्रतिवर्ष जिला परिषद्, मेरठ तथा नगरपालिका, मेरठ, द्वारा किया जाता है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने हेतु प्रतिवर्ष अपनी बारी के अनुसार जिला परिषद् अथवा नगरपालिका द्वारा लगभग 10 हजार रुपये की लागत से "पटेल मण्डप" का निर्माण कराया जाता है। चूंकि उक्त मेले का प्रबन्ध शासन द्वारा नहीं किया जाता है अतः शासन द्वारा स्थायी मण्डप के निर्माण कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*2---श्री भगवान दीन कुशवाहा---

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विद्युत् विभाग, हरदोई के कर्मचारी एवं उनका स्थानान्तरण

*3---श्री प्रताप सिंह पुष्पवान---

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले के विद्युत् विभाग में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो उसी जनपद के निवासी हैं और उन्हें कार्य करते तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं? उनको स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है? उन्हें कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायगा?

विद्युत् मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)---

हरदोई जनपद में विद्युत् वितरण खण्ड के अन्तर्गत 160 कर्मचारी ऐसे हैं जो उसी जनपद के निवासी हैं एवं उन्हें वहाँ कार्य करते हुये 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। शासन की नीति के अनुरूप परिषद् की भी यह नीति है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जहाँ तक सम्भव हो, उनके निवास के जिलों एवं कमिश्नरियों में ही तैनात किया जाय।

इन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके जिले के बाहर तभी स्थानान्तरित किया जाता है जब ऐसा करना प्रशासनिक हित में आवश्यक हो जाय।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान---

इस प्रकार के कई मसले अपके पास तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के आये हैं, जो जिलों क बाहर रहना चाहते हैं, तो क्या इन सबको तुरन्त निपटाने का प्रयास करें गे?

श्री रेवती रमण सिंह---

लगभग 52 ओपरेटिंग स्टाफ के कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है और विद्युत् परिषद् न यह नीति अपनायी है कि धीरे-धीरे लोगों को अपन जिले के निकट स्थानान्तरण कर दिया जाय, तो इस प्रकार से 20-25 प्रतिशत हर साल करके निकट के जिलों में या उसी कमिश्नरी में स्थानान्तरण कर दिया जायगा।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

शासन के अन्दर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना यह है कि हर विभाग के कर्मचारी अधिकतर उसी स्थान या जिले के लोग हैं, तो क्या शासन इस बात पर विचार करगा कि पड़ोसी जिलों या कुछ ही दूर के जिलों में छोटे कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने में कोई कठिनाई न हो। यह माना कि विद्युत परिषद् एक स्वतंत्र बाडी है उसके किसी कार्य में दखल नहीं दिया जा सकता, लेकिन जनता के पैसे का दुरुपयोग न करके कोई ऐसी व्यवस्था लागू कर जिससे उनका अन्य जिलों में भी तबादला किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आक्षेप है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

बस्ती जनपद के चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण का प्रश्न

*4—श्री भीषम (जिला बस्ती), श्री राम आसरे (जिला बस्ती), श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती), श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती) तथा श्री विश्वनाथ पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जनपद के चिकित्सा विभाग के उन सभी डाक्टरों, कम्पाउन्डरों, फार्मेसिस्टों, जो 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक ही चिकित्सालय में कार्यरत हैं, के स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से कार्यरत व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ, वार्षिक स्थानान्तरण के समय विचार किया जायगा।

बस्ती जनपद के चिकित्सा विभाग के चिकित्सालयों में पाँच वर्ष या इससे अधिक समय से एक ही चिकित्सालय में कार्यरत डाक्टरों एवं फार्मेसिस्टों के सम्बन्ध में सूचना सदन की पटल पर रख दी गई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1042 पर)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

इनमें से बहुत से डाक्टरों और कम्पाउन्डरों का 5 वर्ष की अवधि के बाद स्थानान्तरण कर दिया गया था लेकिन फिर रोक दिया गया, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जहाँ तक डाक्टरों के स्थानान्तरण का प्रश्न है उस सम्बन्ध में समय-समय पर माननीय सदस्यों की भी राय यह आती रही है कि जिन डाक्टरों में चिकित्सा सेवा-भाव हो और जो अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, उनको 5 वर्ष वाली बात से मुक्त रखा जाय। फार्मेसिस्ट तो उसी जिले के रहने वाले होते हैं और छोटे कर्मचारी भी होते हैं लेकिन अगर किसी के विरुद्ध कोई शिकायत आती है तो 5 साल क्या उससे पहले भी सम्बन्धित व्यक्ति का स्थानान्तरण कर दिया जाता है। अगर माननीय यूसुफ साहब किसी विशेष डाक्टर के बारे में जानना चाहें तो बता दें, मैं बता दूंगा। हो सकता है कि उन्हीं के कहने के अनुसार उनका स्थानान्तरण रोका गया हो। (हंसी)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

बस्ती जिले में एक डाक्टर गिरी हैं, जो स्मगलिंग में पकड़े गये थे। उनके विरुद्ध जाँच भी हुई थी और गम्भीर आरोप भी लगे थे, तो उनको किस परिस्थिति में रोका गया ? क्या माननीय मंत्री जी उनका तत्काल स्थानान्तरण करने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने तो एक डाक्टर विशेष के बारे में पूछा है, मंत्री जी के पास सूचना हो, तो बता दें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

स्मगलिंग का जहाँ तक सवाल है, यह बस्ती वाले अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस प्रश्न की सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय—

मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला।

श्री विश्वनाथ पांडेय—

जो सूची दी गयी है इसमें, मेरी स्वयं की जानकारी यह है कि अनेकों ऐसे कम्पाउन्डर्स के नाम इसमें नहीं दिये गये हैं जो जिला चिकित्सालय, बस्ती में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, तो क्या मंत्री जी मेरी सूचना के आधार पर इसकी जाँच करायेंगे तथा ऐसे लोगों को जो 5 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर करेंगे ? यह इसलिये जरूरी है, क्योंकि उनके घर चिकित्सालय से बिलकुल लगे हुये हैं और वे अपने घरों पर बैठ कर निजी प्रक्टिस करते हैं और अस्पताल नहीं जाते ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

कोई शिकायत आने पर किसी को भी 5 वर्ष क्या इससे कम समय में भी हटाया जा सकता है या उसके लिये और कोई दंड भी दिया जा सकता है। फारमेसिस्टों को 5 वर्ष के बाद भी यूं नहीं हटाते, क्योंकि यह छोटे कर्मचारी होते हैं और लोकल रहने वाले होते हैं, किन्तु अगर किसी के खिलाफ शिकायत है, तो उसे हटाया जाता है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

वर्तमान समय में डाक्टरों के तबादले के संबंध में क्या कोई शासकीय पत्र भी जारी हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या उसका उल्लंघन करके डाक्टर बस्ती में रह रहे हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

पांच वर्ष वाला नियम तो साधारणतया सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये है, केवल डाक्टरों के लिये ही नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों की राय जब यह होती है कि अमुक डाक्टर ठीक काम कर रहा है तो 5 वर्ष के बाद भी उसे वहीं रहने दिया जाता है।

श्री विश्वनाथ पाँडेय—

मैंने प्रश्न किया था कि यह जो सूची दी गयी है इसमें बहुत नाम नहीं है। इस सूची के अलावा भी कई लोग हैं जो 5 वर्ष से अधिक समय से वहीं कार्य कर रहे हैं। मैंने सवाल यह पूछा था कि ऐसे कितने लोग हैं जो 5 वर्ष से अधिक समय से कम कर रहे हैं, तो किस अधिकारी ने यह गलत सूचना भेजी है ? क्या मंत्री जी गलत सूचना भेजने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह शिकायत आप लिख कर उनके पास भेज दीजिए कि सूचना गलत है।

श्री विश्वनाथ पाँडेय—

मान्यवर, 5 साल से अधिक समय से जो कम्पाउन्डर हैं उनके बारे में ही मेरा प्रश्न है। मान्यवर, इसका जवाब दिलवा दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजिए शिकायत के बारे में, वह जाँच करा लेंगे।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, जो पाण्डेय जी ने शिकायत किया कि डाक्टर के खिलाफ शिकायत है कि वह स्मगलिंग में पकड़ा गया, उनके बारे में मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी जाँच कराकर कार्यवाही करेंगे और जो कम्पाउन्डर्स 5 साल से अधिक समय से हैं, उनके बारे में भी जाँच करा कर उनको हटाने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, यदि कोई शिकायत आयेगी, तो तुरन्त जाँच कराने की कार्यवाही की जायगी।

श्री सुखपाल पांडेय—

मान्यवर, जिनके विरुद्ध वहाँ पर शिकायतें हैं, और उन शिकायतों की जाँच होकर आपके निदेशालय में आ चुकी है, जिसको कि हमारा ख्याल है कि आप अवलोकन भी कर चुके होंगे। मेरा माननीय मंत्री जी से स्पष्ट प्रश्न है कि जो जाँच से शिकायत प्रमाणित हो गयी है, उस पर माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जी हाँ।

(व्यवधान)

सक्षम अधिकारी के आदेशों के विपरीत मेजर जनरल हबीबउल्लाह की हजरतगंज (लखनऊ) स्थित भूमि का विक्रय

*5—आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली) (अनुपस्थित) —

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ, हजरतगंज में स्थित मेजर जनरल हबीबुल्ला की भूमि 30/31-5-79 को बेच दी गयी जिसकी अनुज्ञा सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ द्वारा 27 मार्च, 1979 को निरस्त कर दी गयी थी ? यदि हाँ, तो सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि किस प्राविधान के अन्तर्गत बेची गयी ? क्या सरकार दोषी व्यक्ति को सजा दिलायेगी ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

जी हाँ, यह सही है कि समक्ष प्राधिकारी लखनऊ द्वारा 27 मार्च, 1979 को विक्रय अनुमति निरस्त किये जाने के बावजूद सम्पत्ति बेची गयी। उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने समादेश याचिका संख्या-2343/79 में पारित आदेश दिनाँक 30 नवम्बर, 1979 में उपनिबन्धक को रिट आफ मेन्डमस जारी करते हुए आदेश दिया कि सम्पत्ति के विक्रय विलेख का निबन्धन अविलम्ब किया जाय। तदनुसार दिनाँक 9 जनवरी, 1980 को विक्रय विलेख का निबन्धन किया गया।

जिला अस्पताल, बस्ती में नर्स मिडवाइव्ज के प्रशिक्षण हेतु चुने गये अभ्यर्थियों में मीसा-डिसिर पीड़ितों का प्रतिशत

*6—श्री अशफाक अहमद खां (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला अस्पताल बस्ती में जो नर्स मिडवाइफ की ट्रेनिंग हेतु माह जून में चयन किया गया है उसमें कितनी प्रतिशत आपातकाल में मीसा, डी० आई० आर० डिसिर में पीड़ित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन नियुक्तियों को निरस्त करके पुनः चयन करेगी और आपातकाल में पीड़ित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को नियुक्ति की जायगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रूस्तम अली, निवासी देवरिया की विद्युत् स्पर्श से मृत्यु पर मुआवजे की मांग

7—श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 फरवरी, 1979 को प्रश्नकर्त्ता ने मुख्य मंत्री के नाम तथा श्री उसमान गनी ने 6-2-76, 14-11-77, 30-8-78 को पत्र देकर, श्री रुस्तम अली सन आफ श्री उसमान गनी, गाँव पिपरा, सुजान, थाना तुर्क पट्टी,

देवरिया के 29 जनवरी, 1976 को विद्युत् स्पर्श से हुई मृत्यु के लिए उचित मुआवजा दिलाने की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित किया था ? यदि हाँ, तो अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया और अगर नहीं, तो वह कब तक और कितना दे दिया जायगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

श्री रुस्तम अली की 29 जनवरी, 1976 को बिजली के स्पर्श से हुई मृत्यु के लिए मुआवजा दिलाने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का मुख्य मंत्री जी के नाम पत्र दिनाँक 1 फरवरी, 1979 को प्राप्त नहीं हुआ। श्री उस्मान अली गनी के पत्र दिनाँक 6–2–76, 14–11–77 तथा 30–8–78 भी प्राप्त नहीं हुए। परन्तु श्री गनी का पत्र दिनाँक 6–2–76 मुख्य विद्युत निरीक्षक को तथा श्री गनी के ही पत्र दिनाँक 15–10–76, 11–11–77 तथा 30–9–78 राज्य विद्युत परिषद् में प्राप्त हुए जिन पर उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई।

जहाँ तक श्री रुस्तम अली की बिजली के स्पर्शाघात से हुई दुर्घटना के फलस्वरुप हुई मृत्यु के लिये मुआवजा देने का प्रश्न है, श्री रुस्तम अली की घातक दुर्घटना उपभोक्ता द्वारा कटे हुए कनेक्शन को अनधिकृत रुप से जोड़ लिये जाने के फलस्वरुप कन्डक्टर के सजीव हो जाने के कारण हुई। जब श्री रुस्तम अली उक्त सजीव के कन्डक्टर के सम्पर्क में आये तो वे घातक रुप से दुर्घटनाग्रस्त हो गये। क्योंकि यह दुर्घटना अनाधिकृत रुप से लिये गये कनेक्शन के परिणाम स्वरुप हुई, अतः राज्य विद्युत परिषद द्वारा क्षतिपूर्ति देय नहीं है।

श्री राम नरेश पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जबाव दिया है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन सुन लिया जाय। दिनाँक 29 जनवरी, 1976 को उसमान गनी के पुत्र रुस्तम अली की मृत्यु होती है, दिनाँक 6–2–76, 14–11–77 तथा 30–8–78 को श्री उसमान गनी के कई पत्र माननीय मुख्य मंत्री को मिले। मैं माननीय मत्री जी से जानना चाहता हू कि इतनी लम्बी अवधि के भीतर आपकी विद्युत् परिषद् की तरफ से कौन-कौन से जबाव दिये गये और उन जबावों के क्या कन्टेंट्स थे और जो शिकायत भेजा था, उस शिकायती पत्र को सदन के पटल पर क्या माननीय मंत्री जी रखने की कृपा करेंगे ? उसमें क्या-क्या आरोप थे इसका भी मान्यवर, जबाव दिलवा दें।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, उस शिकायती पत्र में यही लिखा था कि चूंकि कन्डक्टर द्वारा उनकी मृत्यु हो गई है इसलिये मुआवजा मिलना चाहिये। 6–2–78 को चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ने मौके की जाँच की और जाँच के पश्चात् यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि चूंकि वह अनधिकृत रूप से कनेक्शन ले लिया गया था, वह कनेक्शन पहले से कटा हुआ था और श्री रुस्तम अली की मृत्यु उससे हो गई इसलिये राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा यह धनराशि देय नहीं है।

श्री राम नरेश पाण्डेय—

माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि यह इललीगल कनेक्शन दिया गया था, यह उन्हीं के माध्यम से दिया गया था, वह स्वतः उसके लिये जिम्मेदार होते हैं, मान्यवर राज्य विद्युत् परिषद् के जो कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा यह कनेक्शन दिया गया था, उनके खिलाफ, कार्यवाही करनी चाहिये और दण्डित करना चाहिये। वह आदमी बड़ा गरीब है, उसके परिवार में कोई है नहीं और जब उसकी मृत्यु परिषद् के कर्मचारियों की लापरवाही से हुई, तो आपको उनको मुआवजा देने में क्या आपत्ति है, और क्या यह सही है कि आपके डिपार्टमेन्ट से एक हजार रुपया उसको मुआवजा भेजा गया था और उस मुआवजे को लेने से इंकार किया ? क्या इसकी इंक्वायरी कराकर मंत्री जी उसको मुआवजा देने के सम्बन्ध में निर्णय करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मुझे जानकारी नहीं है कि एक हजार रुपया मुआवजा का भेजा गया था; इसको मैंने फिर से चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पक्टर से जाँच करवाई, उनकी रिपोर्ट जो दूसरी आई है, उसमें इन्होंने इस बात का उद्धरण किया है कि इसका मेन्टीनेन्स राज्य विद्युत परिषद को ठीक से करना चाहिये था, चूंकि राज्य विद्युत परिषद् ने ठीक से नहीं किया जैसा माननीय श्री राम नरेश पाण्डेय जी कह रहे हैं, मैं आदेश दूंगा राज्य विद्युत परिषद को कि 5 हजार रुपया मुआवजा उस आदमी को शीघ्र वितरित करे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी हैं कि राज्य विद्युत् परिषद द्वारा यह मुआवजा देने की धनराशि अधिकतम 10 हजार रुपया है ? और है, तो उसकी गरीबी को देख कर, उसकी स्थिति को देख कर क्या उस धनराशि को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, 5 हजार रुपया है यह धनराशि 5 हजार अधिकतम देने की व्यवस्था की जायगी।

मेडिकल कालेज, आगरा के पानी की टंकी का चालू न होना

*8—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि मेडिकल कालेज, आगरा में आठ लाख की लागत से बनने वाली पानी की टंकी को बने हुये दो वर्ष हो गये हैं ? क्या कारण है कि यह चालू नहीं हो पा रही हैं ? क्या उपरोक्त टंकी को चालू कराने की कार्यवाही की जायगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ, यह सत्य है कि मेडिकल कालेज, आगरा में पानी की टंकी को बने 2 वर्ष हो गये हैं। मोटर पम्प की खराबी के कारण टंकी अभी चालू नहीं की जा सकी है। मोटर पम्प की मरम्मत कराकर टंकी को शीघ्र चालू करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री हुक्म सिंह परिवार—

मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर बात है कि 8 लाख की लागत से आगरा मेडिकल कालेज में सरकार ने 2 वर्ष पहले टंकी बनवा दी और वह टंकी पानी के लिये चालू नहीं हो सकी क्योंकि मोटर पम्प खराब पड़े हैं। सभी जानते हैं कि मोटर पम्प खराब होते हैं, तो तुरन्त दुरुस्त होते हैं, पानी की टंकी 2 साल तक मोटर पम्प खराब होने के कारण चालू नहीं हो सकी यह माननीय मंत्री जी का जबाव आया है। यह घोर लापरवाही का प्रमाण है। क्या मंत्री जी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये आदेश देंगे, जिन्होंने 2 साल तक टंकी को चालू नहीं होने दिया, जिससे मरीजों, छात्रों और कर्मचारियों को पानी का बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहाँ तक माननीय सदस्य का कथन है वह सही है कि इसमें बड़ी देरी हुई। मान्यवर, इस कार्य को उत्तर प्रदेश जल निगम आगरा के पंचम शाखा द्वारा कराया जा रहा है और मुझे जानकारी मिली है कि टेक्निकल खराबी के कारण आगरा की पंचम शाखा जल निगम उसको फौरन चालू नहीं कर पाई। उसमें जो खराबी है उसको तुरन्त ठीक करने के लिये लिखा गया है, और अब अन्तिम रूप से उन्होंने कुछ और रुपये की आवश्यकता बताई जो रुपया भेज दिया गया है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही यह टंकी चालू हो जायेगी।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

श्रीमन, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी ने जो जबाव दिया है, वह कोई जबाव नहीं है। आपने तो केवल इतना बता दिया कि टंकी शीघ्र चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु मान्यवर, पानी के कारण वहाँ का जनजीवन त्रस्त है। पूरे अस्पताल के मरीजों को पानी के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा है। उसमें श्रीमन्, जो मंत्री जी ने जबाव दिया है वह कोई उचित जबाव नहीं है कि दो साल तक टंकी के लिए लिखा पढ़ी होती रही और दो साल तक उसकी तकनीकी खराबी को ही दूर किया जा रहा है। मैं पूरे सदन को बता देना चाहता हूं कि यह जो जबाव दिया गया है, वह सहीं नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कोई प्रश्न करें।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

श्रीमन्, मैं प्रश्न करने जा रहा हूं। उन अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने लापरवाही की है और जिनकी वजह से यह लम्बी तकनीकी गड़बड़ी आयी है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के क्या मंत्री जी आदेश देंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दो साल में टंकी बनने के बाद, जब यह पाया गया कि मोटर पम्प की खराबी के कारण टंकी चालू नहीं की जा सकेगी, तो उसको ठीक कराने के लिए इतने लम्बे अंतराल तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जैसे ही मोटर पम्प की खराबी की जानकारी मिली, उसकी मरम्मत कराने हेतु तुरन्त व्यवस्था कर दी गयी, परन्तु कुछ तकनीकी परेशानियों के कारण वह पम्पिंग सेट अभी ठीक समय स ठीक नहीं हो पाया। और जैसा कि मैंने उन अधिकारियों के लापरवाही के बारे में निवेदन किया कि जल निगम के अधिकारियों द्वारा उन अधिकारियों को, जो इससे संबंधित हैं हमारे विभाग की तरफ से लिखा जायगा।

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

मैं मान्यवर, ठीक उत्तर चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि उन जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जबाव वह दे चुके हैं कि वह जल निगम के अधिकारियों को लिखेंगे।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मान्यवर, मेरा सवाल यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा अब तक इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप इन्हें विस्तृत सूचना दे दें कि कब-कब क्या क्या कार्यवाही की गयी।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मैं पूरी विस्तृत सूचना दिये देता हूं।

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में नवनिर्मित ओवर हेड टैंक का निर्माण उत्तर प्रदेश जल निगम, आगरा के पंचम शाखा द्वारा किया गया था, इस विद्यालय को दिनांक 30 जून, 1978 को उनके द्वारा इस आश्वासन के साथ हस्तान्तरित किया गया कि वे टैंक का रख-रखाव उसके हस्तान्तरित होने के दो सप्ताह बाद तक करते रहेंगे । ऐसा इसलिए किया गया कि एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के पास कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं था, जो इस बीच टैंक में हुई कमियों को ठीक कर सके। अतः उक्त आश्वासन पर पानी की लाईन, ओवर हेड टैंक व अण्डरग्राउण्ड टैंक में जो कमियाँ पायी गयीं, उन्हें कम्पलीशन सर्टिफिकेट पर लिख दिया गया था। उत्तर प्रदेश जल निगम के पंचम शाखा आगरा ने इस बीच जो कमियाँ टैंक में थी, उस ठीक कराया तथा अपन पत्र संख्या 1978/चिकित्सालय-62, दिनांक 23 जुलाई, 1976 में यह सूचित किया कि कमियाँ पूरी कर दी गयीं।

उक्त ओवर हेड टैंक में पम्पिग प्लान्ट का कार्य अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम के विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, आगरा द्वारा किया गया था। पम्पिग प्लान्ट मे अनेक खराबियाँ व कमियाँ होने के कारण सूची पर हस्ताक्षर कराकर के लौटाई नहीं गयी तथा मोटर पम्प की खराबियों को दूर करने के लिये अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय अस्थायी विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम आगरा को अनेक पत्र लिखे गये, उन्होंने अपने पत्र संख्या 4169/कार्य—78,दिनांक 15-11-76 को सूचित किया था कि मेसर्स राडला कम्पनी, लखनऊ जिन्होंने पम्पिग सेट प्लान्ट लगाया है, से खराबियों को दूर करने के लिए अनुरोध किया जा चुका है। परन्तु न तो अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक आगरा ने और न ही तो राडला कम्पनी ने मरम्मत करान का कार्य किया। अनेक पत्र व्यवहार करने पर उक्त फर्म ने यह सूचित किया है कि पम्प में जो खराबियाँ हैं, उनको दूर करने में काफी धन लगेगा तथा अधिक समय लगेगा। पम्पिग सेट एवं यांत्रिक खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम, आगरा से इस सम्बन्ध में टेक्निकल राय माँगी गयी थी। उन्होंन यह सुझाव दिया कि पम्पों की खराबियों को अपने स्तर से ही ठीक कर लें। मोटर की बालबियरिंग जो खराब हो गयी थी, बदलवाया गया, परन्तु पम्पिग प्लान्ट में कोई टेक्निकल खराबी होने के कारण मोटर टैंक में पानी भरते समय बीच-बीच में पानी छोड़ देती थी। दिनांक 10 सितम्बर को अधीक्षण अभियन्ता-द्वितीय अस्थायी निर्माण मण्डल, विद्युत एवं यांत्रिक अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम व सहायक अभियन्ता द्वितीय निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, आगरा ने पम्पिग प्लान्ट का संयुक्त निरीक्षण किया। इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता ने सहायक अभियन्ता को अपनी आख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये। परन्तु अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, जिसके लिए स्मृति पत्र भेजे गये हैं।

दिनांक 13 सितम्बर, 1979 को हास्पिटल एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के कमेटी रूम में आयुक्त, आगरा मण्डल की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें उक्त ओवर हेड की टंकी की कमियों को दूर करान के लिए विचार किया गया था। श्री पी0 के0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, सिविल निर्माण विभाग, आगरा ने यह आश्वासन दिया था कि उक्त टैंक की कमियों को वे अविलम्ब दूर कराने का प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अभी काफी है, माननीय मन्त्री जी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ, थोड़ा ही है।

उक्त ओवर हेडटैंक में लगी मोटर से जब टैंक को भरा जाता है, तो मोटर बीच में ही पानी छोड़ देता है। परन्तु सीधी पाइप लाइन से पानी दिया जाता है, तो कार्य करती है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि पम्पिग प्लान्ट में कोई तकनीकी दोष है। स्टाफ के अभाव में अपने अधीनस्थ नान-टेक्नीकल स्टाफ के द्वारा इस चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सालय में पानी की आपूर्ति बगैर ओवर हेड टैंक को भरे सीधे पाइप लाइन के माध्यम से किया जा रहा है। क्योंकि पम्पिग प्लान्ट के दोषों को शीघ्र दूर कर लिया जायगा, इसके लिए अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी विद्युत् एवं यांत्रिक खण्ड उत्तर प्रदेश जल निगम को रु0 6605.59 मरम्मत कराने के लिए भेज दिया गया है तथा जल निगम विभाग आगरा से सम्पर्क स्थापित कर टंकी को शीघ्र चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री हुक्म सिंह परिहार को पुकारे जाने पर)

आप भाषण देने के बजाय अपना प्रश्न कर लीजिए। मैं आखिरी अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत देता हूं।

श्री हुक्म सिंह परिहार--

मान्यवर, दो साल तक टंकी की खराबी को दूर नहीं किया गया, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री जी, आप स्पष्ट जवाब दे दीजिए।

श्री रमा शंकर कौशिक--

जाँच करा लूंगा मान्यवर, और जो दोषी पाया जायगा, मान्यवर, इसमें जल निगम के भी अधिकारी शामिल हैं। अगर हमारे विभाग की किसी कमी की वजह से या उपेक्षा की वजह से देर हुई है, तो उसमें सजा दी जायेगी। दूसरे विभाग के बारे में हम क्या कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब जवाब आ गया।

श्री हुक्म सिंह परिहार--

यह टंकी कब तक शुरु हो जायगी इसका जवाब तो दें ?

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है। मन्त्रि परिषद संयुक्त उत्तरदायित्व पर चलता है। इसमें संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करते हैं। क्या माननीय मन्त्री जी का यह जवाब उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

श्री श्याम दत्त पालीवाल--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित ही जानना चाहूंगा कि 2 वर्ष पहले नई टंकी बनी, नया मोटर लगा। मन्त्री जी कह रहे हैं कि अनेक खराबियों के कारण मोटर की मरम्मत हो रही है। इसकी जिम्मेदारी उसकी है, जिसने सप्लाई की है। मन्त्री जी नई मोटर में खराबी होने के सम्बन्ध में कौन-सी कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जल निगम ही इसको कर रहा है। जो कमियाँ वह बताता है, उन्हें देखते हैं। वह पैसा माँगता है, तो पैसा देते हैं। माननीय सदस्य का कहना है कि हमारी मोटरों में खराबी आ गयी है। यह चीजें तो देखनी पड़ेंगी कि किस वजह से दोष आये और गलत सप्लाई हुआ। जैसा कि श्री ओझा जी न कहा कि मन्त्रि परिषद् का संयुक्त उत्तर-दायित्व है, यह जरूर है लेकिन निगम तो स्वायत्त शासी संस्था है।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

टंकी कब तक चालू हो जायगी ? यह जो जवाब दिया गया, इससे हल नहीं निकला। टंकी कब तक चालू हो जायगी, इसका जवाब आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

जवाब उन्होंने दे दिया है।

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

संवैधानिक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

संवैधानिक प्रश्न नहीं है।

श्री परमेश्वरी दयाल, निवासी शाहजहांपुर की विद्युत् स्पर्श से मृत्यु

*9—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर) (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर थाना जैतीपुर के ग्राम गढ़ियारंगी में बिजली के खम्भों की ढीली व गलत फिटिंग के कारण परमेश्वरी दयाल आत्मज गिरवर की छू जान के कारण तुरन्त मौत माह अगस्त, सन् 1977 में हो गयी थी ? यदि हाँ, तो उसके परिवार वालों को शासन द्वारा क्या क्षतिपूर्ति की गयी? यदि नहीं, तो क्या शासन इस दुखी परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर तत्काल क्षति पूर्ति करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम गढ़िया रंगी में दिनाँक 6-8-77 को जब श्री परमेश्वरी दयाल पुत्र श्री गिरवर सिंह श्री ओम प्रकाश के मकान के छज्ज पर चढ़कर कच्चे मकान की दीवाल पर से घास काट रहे थे तो दीवाल के 2 फीट की क्षेतिज दूरी पर स्थित 440 वोल्ट की बिजली की ओवर हेड लाइन के जीवन्त तार के सम्पर्क में आने के कारण बिजली का झटका लगने से उनकी मृत्यु हुई। क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की संस्तुतियों के आधार पर राज्य विद्युत् परिषद् ने 5,000 रुपए की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

बस्ती जिले में प्रस्तावित चिकित्सालय के प्रारम्भ होने में विलम्ब

*10—श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि बजट वर्ष 1979-80 में बस्ती जिलान्तर्गत बाँसी विकास खण्ड में गोल्हौरा स्थान पर तथा भिठवल विकास खण्ड के सकारपारा स्थान पर ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोलने के लिए मुख्य चिकित्सा-धिकारी, बस्ती से रिपोर्ट प्राप्त कर ली है ? यदि हां, तो इन स्थानों पर अस्पतालों को खोलने की घोषणा करने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां। इन स्थानों पर चिकित्सालयों के स्थापनार्थ उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण वहां पर चिकित्सालय स्थापित करना सम्भव नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र--

मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि यह दोनों स्थान बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्रों में हैं, जहां से 10 किलो मीटर चारों तरफ कोई चिकित्सालय नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह भवन के सम्बन्ध में जो निर्धारित शर्तें हैं, उनमें कुछ शिथिलता करने की कृपा करेंगे, जिससे कि उपरोक्त स्थानों में भवन की व्यवस्था कराने में सहायता हो सके?

श्री रमाशंकर कौशिक--

पिछले वर्ष जो चिकित्सालय आयुर्वेदिक हों या एलोपैथिक खोले जाने की व्यवस्था की गयी है, उसमें शासन की नीति रही है कि फिलहाल कोई भवन न बनाए जायें। जहां जनता के जरिये से भवन उपलब्ध करा दिए जाते हैं, वहां चिकित्सालय खोले गए हैं। उपेक्षित और पिछड़े अंचलों में गांव अवश्य हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अगर वह भवन उपलब्ध करा दें, तो अवश्य विचार कर लेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र--

मैं भवन दिलवाने के सम्बन्ध में प्रयत्न करूंगा। साथ ही मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे उपेक्षित क्षेत्र में कितने दिन के अन्दर हो जायगा यदि भवन दिलवाने की व्यवस्था करा दी जाये?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, इसी बजट में इसका प्राविधान कर दिया जायगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में ठेकेदारी की शर्तें

*11--श्री रामजी (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वरिष्ठ अधिकारियों के निकट के रिश्तेदारों को विद्युत परिषद् में ठेके का काम करने के लिए विद्युत परिषद् की ओर से कोई प्रतिबन्ध है? यदि हां, तो उसका पालन हो रहा है?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी नहीं। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद में विशिष्ट चिकित्सा व्यवस्था की मांग

*श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद में ग्रामीण अंचल में हंडिया तहसील स्थित है परन्तु चिकित्सालय में विशिष्ट चिकित्सा उपलब्ध न होने के कारण 80 प्रतिशत जनता गांवों की, अपने मरीज को लेकर शहर में जाती है जिससे समय व धन अधिक खर्च करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार हंडिया में निःशुल्क विशिष्ट चिकित्सा की व्यवस्था तहसील स्तर हंडिया में करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब से?

श्री रमा शंकर कौशिक--

तहसील मुख्यालय हंडिया, जिला इलाहाबाद में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक महिला चिकित्सालय कार्यरत है जहां पर सामान्य रोगों का उपचार किया जाता है। आवश्यक भवन के अभाव में सभी प्रकार की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

श्री अठई राम--

क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हंडिया तहसील मुख्यालय पर 9 लाख की लागत का दो मंजिला अस्पताल बना है जिसका उदघाटन जून में आपने ही किया था? क्या उस भवन में अस्पताल खोलने की व्यवस्था करेंगे क्योंकि जवाब दिया है कि भवन होना चाहिए? मेरी सूचना सही मानकर क्या उक्त भवन में अस्पताल खुलवायेंगे?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, वैसे जो इस समय सरकार की नीति है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन अपने ढंग से बनाए जाते हैं और उसमें प्रति वर्ष कुछ न कुछ प्राविधान रहता है। इस वर्ष भी कुछ प्राविधान है। उसके साथ ही साथ कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण किया जाता है, जिनमें 30 शैय्यायें उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन सबका एक साथ नम्बर नहीं आ सकता है। जहां तक हंडिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चलाने का प्रश्न है, वह जिला परिषद् के भवन में चल रहा है। लेकिन बहुत शीघ्र ही जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नार्म्स हैं, उसके मुताबिक भवन का निर्माण करायेंगे।

श्री अठई राम--

मान्यवर, वहां 2 मंजिला भवन है, आपने उदघाटन किया है, तो अस्पताल खोलने में क्या देर है?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, दिखलवा लेंगे अगर वह इस योग्य होगा तो करा देंगे।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, क्या मन्त्री महोदय ने उद्घाटन के समय नहीं देखा कि अस्पताल में क्या-क्या कमियां हैं? इतने दिनों में काम पूरा करने में क्या बांधा थी?

श्री रमा शंकर कौशिक--

कौन से चिकित्सालय के भवन के उदघाटन की बात कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने तो ऐसे किसी अस्पताल का उदघाटन नहीं किया है।

श्री गुरु प्रसाद--

जो कमियां रह गयीं हैं उनको दूर करने में क्या बांधा थी?

श्री उपाध्यक्ष--

अठई राम जी के जवाब में मन्त्री जी आश्वासन दे चुके हैं।

ग्राम बिल्सड़, जिला एटा में विद्युतीकरण के न होने पर भी कथित विद्युत बिलों का जारी होना

*13—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या विद्युत् मन्त्री को जानकारी है कि एटा जनपद के अलीगंज तहसील के ग्राम बिल्सड़ में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो गत 10 माह में अनेक ग्रामवासियों के नाम बिना विद्युत् के किस आधार पर बिल बनाए और भेजे गये ? इसके लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां, एटा जनपद में अलीगंज तहसील के ग्राम बिल्सड़ का विद्युतीकरण नहीं हुआ । और न तो गत 10 माह से वहां के ग्रामवासियों के नाम विद्युत् उपयोग का कोइ बिल ही भेजा गया है इस ग्राम के 12 व्यक्तियों को उनके द्वारा नवम्बर दिसम्बर, 1973 में नलकूप कनक्शन हेतु परिषद की 'कामर्शियल योजना के अन्तर्गत अनुबन्ध करने के कारण केवल प्राथमिकता शुल्क किस्तें जमा करने के लिए फरवरी, 1978 में लिखा गया था, परन्तु यह ज्ञात होने पर कि इन ग्राम वासियों के नलकूपों की फिटिंग आदि न पूरी होने के कारण कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है, उक्त प्राथमिकता शुल्क की मांग वापस ले ली गई है और प्राथमिकता शुल्क के बीजक रद्द कर दिए गये हैं ।

चूंकि विद्युत उपभोग का कोई बिल किसी उपभोक्ता को नहीं भेजा गया था अत. इसके लिए किसी को उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं है ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 73 में एग्रीमेंट हुआ था पांच साल बाद सन् 78 में वहां डिमान्ड नोटिस गयी, उस समय तक कनेक्शन नहीं हुआ था, तो इतने विलम्ब के बाद बिना देखे कि वहां पर फिटिंग हुई है या नहीं नोटिस क्यों दी गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह —

मान्यवर, चूंकि जहां कनेक्शन देने की बात होती है, पहले बीजक भेजा जाता है, जिसमें उसमें डिमांड की जाती है कि इतना पैसा जमा करें तब कनेक्शन दिया जायगा । चूंकि उन लोगों ने पैसा जमा किया था और उन्हें कनेक्शन बाद में नहीं दिया जा सका इसलिए बाद में आदेश कर दिया गया है कि इसको समायोजित करके जिनका कनेक्शन नहीं मिले हैं, उनको तत्काल कनेक्शन दे दिए जायं ।

बस्ती जिले के बिस्कोहर में चिकित्सालय की स्थापना की मांग

*14—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह जानकारी है कि बस्ती जिले के अन्तर्गत बिस्कोहर नामक स्थान में एक चिकित्सालय खोलने की योजना पिछले दो वर्षों से विचाराधीन है ? क्योंकि उसके आस-पास 10 कि0मी0 में कोई चिकित्सालय नहीं है ? यदि हाँ, तो अब तक औषधालय न खोलने का क्या कारण है ? क्या सरकार निकट भविष्य में वहाँ चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हाँ। इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने तथा भवन की प्राप्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है जिसके सम्पूर्ण होने पर चिकित्सालय स्थापित करने या न करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय--

मान्यवर, बिस्कोहर के आस-पास 10 किलोमीटर में कोई अस्पताल नहीं है और कुछ दिन पहले वहां के मुख्य चिकित्साधिकारी जाँच में वहाँ गये थे, तो उनको भवन अस्पताल हेतु उपलब्ध कराया गया, लेकिन फिर भी वहाँ अस्पताल नहीं खुला। यदि हम वहाँ भवन दिला दें, तो मन्त्री जी क्या तुरन्त अस्पताल खोलने का आश्वासन देंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, जहाँ तक मुख्य चिकित्साधिकारी की रिपोर्ट का प्रश्न है उसमें निवेदन है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पंचायत भवन उपलब्ध हो सकता है, लेकिन वह किन शर्तों पर उपलब्ध होगा, इसकी सूचना मंगाई गयी है। जैसा माननीय सदस्य का कहना है यदि वह भवन उपलब्ध करा सकते हैं, तो आगामी सत्र में इस पर विचार हो जायगा।

सी०एम०ओ०, श्री सुधीर गुप्ता, सहारनपुर के विरुद्ध श्रीमती बचनदेई का शिकायती पत्र

*15--श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (अनुपस्थित)

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनाँक 4 जुलाई, 1977 को वर्तमान सी0एम0ओ0, सहारनपुर द्वारा किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत पर तत्कालीन ए0डी0एम0 ने जाँच कर कोई रिपोर्ट शासन को दी ? यदि हाँ, तो महिला द्वारा की गयी शिकायत तथा ए0डी0एम0 द्वारा की गयी जाँच सम्बन्धी रिपोर्ट क्या है ? क्या सी0एम0ओ0 का उक्त शिकायत के आधार पर सहारनपुर से स्थानान्तरण के आदेश कई बार सरकार ने किए हैं, किन्तु उन आदेशों का पालन नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? अब सरकार कब तक उनका स्थानान्तरण करने जा रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

प्रश्नगत शिकायत पर तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी ने शासन को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। उन्होंने जाँच प्रारम्भ की थी परन्तु वह उनके द्वारा स्थगित कर दी गयी और कोई जाँच रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी।

श्रीमती बचन देई का शिकायती पत्र सलंग्न है।

उपरोक्त शिकायत के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी के स्थानान्तरण के कोई आदेश शासन द्वारा नहीं किए गये। जुलाई, 1979 के वार्षिक श्रंखला में किया गया उनका स्थानान्तरण आदेश पुनर्विचार के उपरान्त निरस्त किया गया। इनके स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1043 पर)

[दिनाँक 7 फरवरी, 1980 के लिए निर्धारित ताराँकित प्रश्न]

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

[2रे मंगलवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रयोग शाला प्राविधिज्ञ संघ, सीतापुर की मांग

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ संघ, सीतापुर द्वारा कोई मांग-पत्र जुलाई, 79 के प्रथम सप्ताह में उन्हें मिला ? यदि हाँ, तो प्रमुख मांगें क्या हैं तथा इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ ।

मांगों तथा उन पर कृत कार्यवाही का विवरण सलंग्न हैं ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1044 पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, विवरण में जो क्रम सं० 1 है, उसमें मन्त्री जी ने बताया कि मांग वेतन आयोग के सामने विचारार्थ हैं। लेकिन क्रम सं० 2 और 3 के सम्बन्ध में, मैं जानना चाहूंगा क्रम सं० 2 में निशुल्क आवास या आवासीय भत्ता दिया जाना है और 3 में अप्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को सवेतन प्रशिक्षण दिया जाना ह, दोनों के सम्बन्ध में मन्त्री जी ने कहा है कि क्रमशः 4 जुलाई, 1979 और 15-10-79 को आदेश जारी किए गये हैं। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि वह क्या आदेश जारी किए गये हैं, जिससे हम सही जानकारी प्राप्त कर सकें ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहाँ तक मांग न० 2 का सम्बन्ध है जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है और 4 जुलाई को आदेश जारी किये गये हैं कि जिला हेडक्वार्टर पर निःशुल्क आवास या आवासीय भत्ता के सम्बन्ध में जो नियम कर्मचारियों पर लागू होते हैं, उन्हीं आधार पर और उसी अनुपात में उन्हें आवास या आवासीय भत्ता दिये जाने का निर्णय कर लिया गया है। मांग नं० 3 के सम्बन्ध में यह आदेश किये गये हैं कि अप्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को सवेतन प्रशिक्षण दिया जाय अर्थात् उनकी यह भी मांग स्वीकर कर ली गयी हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसी तरह मांग नं० 4 है कि 3 वर्ष से अधिक कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों का स्थायीकरण किया जाय। उत्तर दिया है कि निदेशक को इस विषय में यथाशीघ्र कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि 3 वर्ष से अधिक कार्यरत प्राविधिज्ञों की अनुमानित संख्या क्या है और यथाशीघ्र कार्यवाही का क्या तात्पर्य है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, इस मांग को भी स्वीकार कर लिया गया है । लेकिन जो स्थायीकरण के नियम है उसमें जो दूसरी औपचारिकताएं होती हैं जैसे चरित्र पंजिका और सेवावृत्त ठीक है कि नहीं जो दूसरे कर्मचारियों पर लागू होती हैं, उनको पूरा करना होता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह मांग स्वीकार करने का सवाल नहीं है। यह तो शासन का स्वयं निर्णय है कि 3 वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जायेगा, तो यह औपचारिकता निभाने का क्या तात्पर्य है ? उनको अभी तक स्थायी क्यों नहीं किया गया ?

इसी तरह माँग नं० 8 में उत्तर दिया है कि सेवा नियमावली का आलेख तैयार कर लिया गया है और शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जायेगा। मान्यवर, यह आश्वासन दो वर्ष पहले भी दिया गया था। इसलिये यथाशीघ्र इसमें कोई अवधि निर्धारित करने की मंत्री जी क्या कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

माननीय सदस्य विश्वास रखें कि शीघ्र का मतलब शीघ्र ही होगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कायमगंज, फर्रुखाबाद के भवन निर्माण की मांग

*3--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी०एच०सी०) पर रोगियों के कक्ष अत्यन्त जीर्ण दशा को पहुंच गये हैं और अब उनमें रोगी ठहराय नहीं जा सकते हैं ? यदि हाँ, तो उक्त कक्ष के पुनः निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक प्रारम्भ हो सकेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हाँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के भवन निर्माण हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है। भूमि उपलब्ध हो जाने के पश्चात् भवन निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

बिन्दकी नगर, जिला फतेहपुर के महिला अस्पताल में महिला डाक्टर की नियुक्ति

*4--श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद के बिन्दकी नगर के राजकीय महिला चिकित्सालय में कितन समय से महिला डाक्टर नहीं है ? क्या सरकार इस राजकीय चिकित्सालय में महिला डाक्टर की नियुक्ति करने की कृपा करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

इस अस्पताल में दिनाँक 20-9-79 से महिला डाक्टर का पद रिक्त था। दिनाँक 28-11-79 के आदेश द्वारा उक्त पद पर महिला डाक्टर की तैनाती कर दी गई है जिन्होंने वहाँ दिनाँक 14-12-79 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

श्री जगन्नाथ सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहाँ पर उस अस्पताल में कितनी शैय्याए हैं तथा वहाँ पर जच्चा-बच्चों का क्या प्रबन्ध है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, यह तो प्रश्न से संबंधित नहीं है और मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप दूसरा प्रश्न करें।

श्री जगन्नाथ सिंह--

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस महिला चिकित्सालय में कितनी शैय्याएं हैं तथा जच्चा-बच्चा का वहाँ पर क्या प्रबन्ध है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपने अस्पताल का जो प्रश्न किया है उसमें केवल महिला डाक्टर के बारे में पूछा है, इसलिए यह आप का प्रश्न स्वीकार नहीं किया गया है।

जल निगम, ललितपुर के ड्राफ्ट्समैन की सेवा समाप्ति

*5--श्री सुन्दर लाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अस्थायी प्रकल्प शाखा उत्तर प्रदेश जल निगम, ललितपुर के एक ड्राफ्ट्समैन की सेवाएं वर्ष 1979 में वहीं क अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गयी थीं ? और जल निगम मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उसे पुनः सेवा म वहीं ललितपुर में अपने उसी पद पर पुनः नियुक्त कर दिया गया? यदि हाँ, तो क्यों? क्या वहाँ के संबंधित अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग इस सम्बन्ध में किया था ? यदि हाँ, तो क्या इस अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की गयी ? यदि हाँ, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

यह सही है कि एक डाफ्ट्समैन की तदर्थ नियुक्ति अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई प्रकल्प शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, ललितपुर द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, झांसी) की स्वीकृति की प्रत्याशी में की गई थी। परन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तदर्थ नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान न किये जाने के कारण उक्त ड्राफ्टसमैन की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं। बाद में जल निगम मुख्यालय ने यह निर्णय लिया कि तदर्थ रूप स नियुक्त कर्मचारियों की सेवायें तब तक समाप्त न की जाय जब तक उनके सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय न ले लिया जाय। अतः उक्त ड्राफ्ट्समैन को पुनः उसके पूर्व पद पर नियुक्त कर दिया गया। इससे उसकी सेवाओं में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पहुंचा है। इसमें किसी अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किये जान का प्रश्न नहीं उठता।

*6--श्री राम सिंह--

(2रे मगलवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

*7--श्री नारायण सिंह भैंसोरा--

(3रे बुधवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में डा० जे० एन० मिश्र की लेक्चरर, शरीर रचना के पद पर नियुक्ति

*8--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित), श्री बृजबल्लभ सिंह (जिला बदायूं) (अनुपस्थित) तथा श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लेक्चरर, एनाटामी के जिस पद के लिये नवम्बर, 1978 में चुनाव किया गया था उससे भिन्न लेक्चरर, शरीर रचना के पद पर डा0 जे0एन0 मिश्र की नियमित नियुक्ति राजकीय आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ में इस शर्त के अधीन की गयी कि उनका स्वास्थ्य और चरित्र एवं पूर्ववृत संतोषजनक पाया जाय ? यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार की शर्तयुक्त नियमित नियुक्ति के आदेश जारी करने का आधार क्या था और क्या उपरोक्त शर्त के अनुसार डा0मिश्र के चरित्र एवं पूर्ववत के सत्यापन संबंधी कार्यवाही पूरी करा ली गयी है ? यदि हाँ, तो क्या उनका पूर्ववृत संतोषजनक पाया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार डा0 मिश्र की नियुक्ति तत्काल समाप्त करन के आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में लेक्चरर, शरीर रचना (एनाटामी) के एक पद हतु संस्तुत अभ्यर्थी डा0 ज0 एन0 मिश्र की नियुक्ति राजकीय आयुर्वेदिक कालज, लखनऊ में लेक्चरर, शरीर रचना (एनाटामी) के पद पर ही की गयी थी। डा0 जे0 एन0 मिश्र लेक्चरर, के पद पर नियुक्ति क पूर्व राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में डिमाँस्ट्रटर के पद पर नियुक्त थे। अतः इनकी शर्तयुक्त नियमित नियुक्ति के आदेश जारी किये गये। डा0 मिश्र के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन संबंधी कार्यवाही पूरी करा ली गयी है तथा उनका पूर्व वृत्त संतोषजनक पाया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय, बरेली में मारपीट की घटना एवं डाक्टरों का स्थानान्तरण

*9—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि जिला चिकित्सालय, बरेली में 31 मार्च, 1979 को प्रश्नकर्त्ता के साथ हुये पिटाई काँड को लेकर कुछ चिकित्सकों तथा कर्मचारियों के (जैसे डा0 मुखर्जी, डा0 तिवारी, डा0 पुनहानी, डा0 वास, क्लर्क टी0 एन0 धवन) आदि के स्थानान्तरण किये थे, और अब रोक दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो स्थानान्तरण आदेश रोके जानें का कारण क्या हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी का यह उत्तर सही नहीं हैं। मेरी इस सूचना को सही मान कर कि सितम्बर के पहले हफ्ते में वहाँ के डा0 चड्ढा और डा0 तिवारी और क्लर्क टी0 एन0 धवन तीनों का स्थानान्तरण किया था और वे फिर उसी अस्पताल में आ गये हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुये कि कहीं उस अस्पताल में काँग्रेस कार्यकर्त्ता और डाक्टरों के बीच कुछ झगड़ा न हो जाय उनका पुनः स्थानान्तरण वहाँ से करने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जो प्रश्न का उत्तर है वह सही है। बरेली जनपद से डा0 मुखर्जी और टी0 एन0 धवन का ट्रांसफर हुआ था। डा0 मुखर्जी ने ज्वाइन नहीं किया और बरेली में प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगे। इस आरोप और इस आदेश के कारण उनकी 3-11-79 के आदेश के मुताबिक सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। जहाँ तक टी0 एन0 धवन का प्रश्न हैं, उन्होंने सहारनपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मेरी इस जानकारी के अनुसार डा0 तिवारी, डा0 चड्ढा जिनका ट्रांसफर किया गया था वे वहाँ पुनः आ गये हैं। इस जानकारी को सही मानते हुये क्या पुनः आदेश करेंगे कि चड्ढा और तिवारी वहाँ से पुनः चले जायें ? इस सम्बन्ध में उनका ट्रांसफर नहीं किया गया था, तो किस सम्बन्ध में किया गया था ?

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री रमा शंकर कौशिक—

डा0 चड्डा का कोई ट्रांसफर नहीं किया गया था लेकिन एक डा0 तिवारी का स्थानान्तरण वहाँ से किया गया था लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से कुछ आदेश के मुताबिक उसको निरस्त कर दिया गया था।

जनपद रायबरेली के स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की वेतन वृद्धि

*10—श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं में से कौन-कौन सी ऐसी है जो इस समय 285 रु0 मूल वेतन पा रही हैं और 285 मूल वेतन उन्हें कब से मिल रहा है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त में से कुछ को दो या दो से अधिक वेतन वृद्धि लभ्य हो गई है किन्तु उन्हें उनकी वेतनवृद्धि नहीं मिल रही है ? यदि हाँ, तो उन्हें उनकी वेतनवृद्धि न देने का क्या कारण है और कब तक दे दी जायगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

रायबरेली जनपद में कार्यरत निम्नलिखित आठ स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से रु0 285 मूल वेतन मिल रहा है—

	दिनाँक
1—श्रीमती विजया एम0 सी0	1-2-79
2—श्रीमती चन्द्रिका एस0	24-1-79
3—कु0 विजय लक्ष्मी	1-2-79
4—कु0 शकुन्तला अरोरा	22-12-76
5—कु0 सनथम्मा चौधरी	11-7-77
6—कु0 ए0 जोजफ	5-6-79
7—श्रीमती अम्मा कुट्टी	1-1-74
8—कु0 वर्सला	15-12-74

उपरोक्त में से क्रमाँक (4), (5), (7) तथा (8) पर उल्लिखित स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं को दो या दो से अधिक वेतन वृद्धियाँ लभ्य हो गयी ह, किन्तु उन्हें वे नहीं मिल रही है इसके निम्नलिखित कारण हैं:—

(1) स्थानान्तरित जनपदों से उनकी सेवा पुस्तिका, चरित्रपंजिका तथा अन्य अभिलेखों का समय से प्रेषण न करना।

(2) विलम्ब से प्राप्त सेवा अभिलेखों का अपूर्ण अवस्था में होने के कारण उन्हें ठीक करने के लिये वापस करना तथा उनका उक्त स्थानों से पुन: प्राप्त न होना।

(3) चरित्र पंजिका का उपलब्ध न होना।

इन कारणों से रुपया 285 के स्तर पर दक्षता रोक पार करने की अनुमति प्रदान कर लभ्य वेतन वृद्धियाँ नहीं दी जा सकीं हैं। संबंधित अधिकारियों से पत्र-व्यवहार चल रहा है और सम्पूर्ण अभिलेखों की पूर्ति होने पर तथा अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति होने पर ही दक्षतारोक पार करने की स्वीकृति आदेश पारित किए जायेंगे।

*11—श्री राम दत्त जोशी—

(3रे बुधवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, जिला बस्ती के स्पेशल आडिट की मांग

*12---श्री सुखपाल पाँडेय ---

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विद्युत् वितरण खंड, प्रथम बस्ती में 1 नवम्बर, 1975 से जून तथा सितम्बर, 1977 में जो स्पेशल आडिट हुआ है ? उसमें केवल रेवेन्यू सेक्शन का हुआ फील्ड एवं मस्टररोल का आडिट नहीं किया गया ? और प्रथम विद्युत् वितरण खंड बस्ती का स्पेशल आडिट करने के लिये प्रश्नकर्त्ता का जुलाई 1977 से 31 मार्च, 1979 तक कितना पत्र प्राप्त हुआ ? सभी प्रार्थनापत्रों में स्पेशल आडिट कराये जाने की माँग थी परन्तु अब तक कार्यवाही न करने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उसके विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही करने के लिये सोच रही है और आडिट का काम कब तक चालू होगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह---

विद्युत वितरण खंड, प्रथम, बस्ती में नवम्बर, 1975 से जून तथा सितम्बर, 1977 में जो विशेष अंकेक्षण हुए वे वर्क आडिट एवं पेपर आडिट तथा राजस्व अनुभाग में हुई अनियमितताओं से सम्बन्धित थे। उपरोक्त अवधि में फील्ड एवं मस्टर रोल का विशेष अंकेक्षण नहीं हुआ।

विद्युत् वितरण खंड प्रथम, बस्ती का विशेष अंकेक्षण करवाने के संबंधित प्रश्नकर्त्ता का जुलाई, 1977 से मार्च, 1979 तक कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ। केवल एक पत्र दिनाँक 3-4-79 को प्राप्त हुआ जिस पर विशेष अंकेक्षण करवाने के आदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा पारित कर दिये गये हैं किन्तु अवेंक्षण दल की कमी के कारण यह कार्य अभी तक नहीं शुरू हो पाया। विशेष अंकेक्षण का कार्य शीघ्र ही चालू कर दिया जायेगा।

मोहल्ला कबड़िया पुरवा, जिला लखनऊ में गन्दगी

*13---श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को इस बात की जानकारी है कि मोहल्ला कबडियापुरवा क्षेत्र डालीगंज, जिला लखनऊ में गंदगी के फलस्वरूप मलेरिया तथा कालरा जैसे भयंकर रोग फैलने के खतरे को रोकने के लिये सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

प्राप्त सूचना के अनुसार मोहल्ला कबडिया पुरवा, क्षेत्र डालीगंज, लखनऊ में सफाई की व्यवस्था ठीक है। कालरा फैलाने की कोई सम्भावना नहीं है।

पतौरागंज, श्मशान, निरालानगर, लखनऊ पर लगाई गयी रोक

*14---श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दुओं के प्राचीन श्मशान, पतौरागंज निरालानगर, लखनऊ में स्वास्थ्य अधिकारी, नगरमहापालिका द्वारा लाशों को गाड़ने पर रोक लगाने के विरुद्ध दिनाँक 29-5-79 व 31-5-79 व 2-6-79 को कोई शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शहर की आबादी के बीच में स्थित विभिन्न वर्गों के अन्य श्मशानों में कितने ऐसे हैं जिन पर इसी प्रकार की रोक लगाई गई है ? यदि नहीं, तो उक्त पर ही रोक क्यों लगाई गई है ? क्या मंत्री जी इसमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगें ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

शासन को केवल श्री छोटे लाल, मंत्री भारतीय शोषित कल्याण संघ, उ0 प्र0 लखनऊ का पत्र दिनाँक 31-5-79 प्राप्त हुआ था। जाँच के उपरान्त ज्ञात हुआ कि पतौरागंज श्मशान के निरालानगर कालोनी की आबादी के बीच में आने के कारण उसे बन्द करना आवश्यक था। उक्त श्मशान के लिये एक वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था कर दी गई है।

चूंकि नगर के अन्य श्मशानों के संबंध में कोई ऐसी समस्या नहीं थी, अतः उन्हें हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

नगरपालिका, अयोध्या के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

*15--श्री जय शंकर पाँडेय (जिला फैजाबाद)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1977-78 से अयोध्या नगरपालिका, फैजाबाद घाटे में चल रही है और कई मास से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है? यदि हाँ, तो क्यों तथा नगरपालिका, फैजाबाद के घाटे को पूरी करने के लिये सरकार क्या-क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर महापालिका आगरा, परिवार कल्याण केन्द्रों के कर्मचारियों के स्थायीकरण की माँग

*16--श्री श्यामदत्त पालीवाल--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको श्यामदत्त पालीवाल, सदस्य, विधान सभा, का दिनाँक 16 जून, 1979 का पंजीयत पत्र इस अनुरोध के साथ कि आगरा नगर महापालिका के परिवार कल्याण केन्द्रों एवं ब्यूरो में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायीकरण एवं पेंशन आदि की वे सभी सुविधायें दी जायें जो नगरपालिका, कानपुर के परिवार कल्याण केन्द्रों एवं ब्यूरो में कार्यरत कर्मचारियों को श्री प्रभुनाथ मिश्र, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 4286 ए/11/न0पा0-4-1976, दिनाँक 1 जुलाई, 1976 के अनुसार प्राप्त है? यदि हाँ, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*17--श्री राघव राम मिश्र--

[3रे मंगलवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फिरोजाबाद चूड़ी प्रतिष्ठान के मजदूरों की मांग

*18--श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के उद्योग नगर, फिरोजाबाद के चूड़ी प्रतिष्ठान क्या गत 5 माह से बन्द हैं और क्या श्रमिक तथा सेवायोजकों के मध्य उठे विवाद से एक लाख मजदूर बेकार हो गये हैं? यदि हाँ, तो मजदूरों की माँगें क्या हैं? क्या उनकी माँगों पर कोई कार्यवाही हुई?. यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार की लापरवाही के कारण चूड़ी के प्रतिष्ठान आज भी बंद हैं?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

जी नहीं।

*19--श्री जगन्नाथ सिंह--

[3र गुरुवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री हीरा सिंह, सहायक ट्रेनिंग लाइनमैन, कस्बा राठ, जिला हमीरपुर की बिजली स्पर्शाघात से मृत्यु

*20—श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री हरी सिंह, अप्रेंटिस, कस्बा राठ, जिला हमीरपुर की ड्यूटी पर करेंट लगन से दिनाँक 23 जून, 1978 को मृत्यु हो गयी थी ? और क्या इस संबंध में प्रश्नकर्त्ता की ओर से दिनाँक 10 जुलाई, 1978 तथा 31-8-78 के कोई प्रतिवेदन मृतक के परिवार को मुआवजा दने के संबंध में मंत्री जी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही हुयी है ? अब तक मृतक के परिवार की सहायता न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

हाँ, दिनाँक 23-6-78 को कस्बा राठ, जिला हमीरपुर में श्री हीरा सिंह, सहायक ट्रेनिंग लाइन मैन (न कि श्री हरी सिंह) की बिजली की दुर्घटना से मृत्यु हुई थी। यह दुर्घटना उस समय हुई जब श्री हीरा सिंह अपन निवास गृह के लिये अनाधिकृत रूप से खीची गई एक सर्विस लाइन के टूटे तार को हटाने के लिय अनधिकृत रूप से बिना कोई सुरक्षा उपकरण लिये बिजली की चालू लाइन के पोल पर चढ़कर कार्य करने लगे। मृतक के परिवार को मुआवजा देने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता की ओर से दिनाँक 10 जुलाई, 1978 तथा 31 अगस्त, 78 को प्रतिवेदन दिय जाने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

चूंकि उक्त दुर्घटना के लिए हीरा सिंह स्वयं उत्तरदायी थे इसलिए उनके परिवार को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं है।

नेत्र विभाग, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*21—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 14-4-78 को शून्य प्रहर में नियम 301 की सूचना से संबंधित के0 जी0 मेडिकल कालेज के नत्र विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार, अनियमिततायें तथा उत्पीड़न से संबंधित मामले की जाँच करवाई गई है ? यदि हाँ, तो यह जाँच कब और किस से करवाई गई है और अभी तक उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रमा शकर कौशिक—

जी हाँ, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस मामले की छानबीन के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के ले खाधिकारी द्वारा कराई है। जाँच रिपोर्ट रजिस्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त हो गई है, जिसका परीक्षण शासन स्तर पर किया जा रहा है।

नगरपालिका, नवाबगंज, जिला गोण्डा के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*22—श्री राजेद्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका नवाबगंज, जिला गोंडा के कर्मचारियों को 4 माह से अधिक अवधि का वेतन नहीं दिया गया है जिससे कि कर्मचारियों के परिवारों को भीषण कष्ट है ? यदि हाँ, तो वेतन न दने का कारण क्या है तथा वेतन कब तक अदा कर दिया जायगा ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

नगरपालिका नवाबगंज, जिला गोण्डा की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कर्मचारियों का वेतन अवशेष हो गया है। उक्त नगरपालिका के आर्थिक साधनों को सुदृढ़ करने हेतु चुंगी की दरों को संशोधित करके और गृहकर, जलकर आदि के बकाये की वसूली करके हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। वेतन का भुगतान शीघ्र करने के आदेश दिये जा रहे हैं।

सेवायोजन कार्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के नाम भेजने की प्रथा

*23—श्री राम सिह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सेवायोजन कार्यालयों द्वारा चयन के लिये अभ्यर्थियों के नाम भेजने की प्रथा समाप्त कर दी गई है ? यदि हाँ, तो क्यों ? यदि कोई संशोधन किया गया है तो वह क्या है ?

श्री बनारसी दास—

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा चयन के लिये अभ्यर्थियों के नाम भेजने की प्रथा समाप्त नहीं की गयी बल्कि वास्तविकता यह है कि राज्य के शासन अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979 द्वारा नियम 15 तथा चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 द्वारा नियम 19 को इस प्रकार संशोधित किया गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से, जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराया हो, आवेदन पत्र सीधे भी आमंत्रित कर सकता है। यह व्यवस्था केवल उन्हीं रिक्तियों के लिये की गयी है जो उपर्युक्त नियमावलियों की परिसीमा में आते हैं। अन्य पदों/सेवाओं की रिक्तियों को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से भरना अनिवार्य है।

गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, में श्री रमेश चन्द्र गुप्ता नामक छात्र का प्रवेश

*24—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, होम्योपैथिक जुलाई, 77 में तार द्वारा विभिन्न होम्योपैथी कालेजों में प्रवेश रोकने सम्बन्धी निदेश भेज थे ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि गाजीपुर होम्योपैथिक मडिकल कालेज एवं अस्पताल को उक्त तार 22 जुलाई, 1977 को मिल जाने के बाद भी श्री रमेशचन्द्र गुप्ता नामक छात्र को साक्षात्कार हेतु 25 जुलाई, 1977 के पत्र द्वारा 29 जुलाई, 1977 को बुलाया गया था तथा उसका प्रवेश 15 जलाई, 1977 को दिखाया गया ? यदि हाँ, तो इसे क्या शासन अनियतितता बरतने वाले उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही पर विचार करेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ। उप निदेशक (होम्योपैथी) द्वारा निर्देश भेजे गये थे।

श्री रमेश चन्द्र गुप्ता नामक छात्र को दिनाँक 29-7-1977 को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था किन्तु उनका प्राविजनल प्रवेश दिनाँक 15-7-77 को हुआ था तथा उनसे उनकी फीस इसी तिथि को ले ली गयी थी।

गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर के प्रधानाचार्य को चेतावनी देने हेतु जिलाधिकारी, गाजीपुर (प्रशासक) को लिखा गया है।

जिला चिकित्सालय, बरेली के चिकित्सकों की हड़ताल

*25—श्री चेतराम गंगवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, बरेली में 16 अगस्त, 1979 से 21 अगस्त, 1979 तक वहाँ के चिकित्सकों द्वारा बिना किसी नोटिस के पूर्ण हड़ताल की गई जिसके कारण कई मरीजों को परेशानी हुई तथा दो मरीज दवा के अभाव में मर गये ? यदि हाँ, तो सरकार ने अनियमित हड़ताल करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

दिनाँक 16-8-79 को लगभग 10-30 बजे जिला चिकित्सालय, बरेली के भूतपूर्व चिकित्साधिकारी, डा0 एस0 के0 मुकर्जी के ऊपर कातिलाना हमला किये जाने के परिणाम-

स्वरूप, उनके सहानुभूति में दिनांक 17-8-79 को स्थानीय प्रान्तीय चिकित्सा संघ के सचिव द्वारा टोकेन स्ट्राइक की नोटिस दिये जाने के बाद जिला चिकित्सालय, बरेली का रोटीन कार्य 20-8-79 तक स्थगित रहा लेकिन बाह्य विभाग में इमरजन्सी एवं पोस्ट-मार्टम के कार्य यथावत् होते रहे तथा भर्ती हुये रोगियों की देख रेख सावधानी एवं निष्ठा-पूर्वक होती रही। दिनांक 21-8-79 को चिकित्सालय का बाह्य विभाग पूर्ण रूप से कार्य-रत हो गया।

चिकित्सालय में भर्ती रोगियों की विभिन्न रोगों से दिनांक 16-8-79 से 21-8-79 तक जो मृत्यु हुई उसका कारण डाक्टरों द्वारा की गई टोकेन स्ट्राइक नहीं कही जा सकती है।

राज्य रक्षालस संस्थान, पटवा डांगर, नैनीताल के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

*26—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय वेक्सीन डिपो पटवाडांगर (नैनीताल) के कर्मचारियों के लिये अभी तक कोई सेवा नियमावली नहीं बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों और क्या उपरोक्त संस्थान के कर्मचारियों की परिषद् और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मध्य स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में हुई किसी मीटिंग में कर्मचारियों की माँगों के संबंध में कोई समझौता वर्ष 1978 में हुआ था? यदि हाँ, तो उस समझौते के पालन में विलम्ब का क्या कारण है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

राज्य रक्षालय संस्थान, पटवाडाँगर (नैनीताल) के कर्मचारियों के बारे में अभी कोई सेवा नियमावली नहीं बनी है। हाल ही में सेवा नियमावली का एक आलेख्य शासन को स्वास्थ्य सेवा निदशक से प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त संस्थान के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल 25 अप्रैल, 1978 को स्वास्थ्य सचिव से मिला था और अपनी विभिन्न माँगें प्रस्तुत की थीं। इनमें से कई माँगे स्वीकार करत हुये शासन द्वारा आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

राज्य विद्युत् परिषद् कार्यालय, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया कोटेशन

*27—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद्, लखनऊ मुख्यालय भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ में एक पन्द्रह मंजिला भवन निर्माण करान हेतु दिनांक 6-3-79 को नींव निर्माण के लिये निविदा आमंत्रित की गयी थी जिसका न्यूनतम कोटेशन 2966163.00 रुपये था? किन्तु अनुभव पाइलिंग का न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया? क्या यह सही है कि जो द्वितीय कोटेशन 48,00,000.00 का मेसर्स एम0 एस0 जैन कन्स्ट्रक्शन का था, को भी स्वीकार न करके मेसर्स एशिया फाउन्डेशन कन्स्ट्रक्शन, बम्बई का 22,00,000.00 रुपया अधिक का कोटेशन स्वीकार करके निर्माण कार्य दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हाँ।

जी नहीं। न्यूनतम कोटेशन मेसर्स नरेश चन्द्र (इंजीनियर्स एण्ड कन्स्ट्रक्टर्स), लखनऊ का रु0 28,00,050.00 था।

उक्त न्यूनतम कोटेशन स्वीकार न करने का कारण मुख्य रूप से तकनीकी है जो कार्य स्थल की मिट्टी के गुण, दोष पानी की सतह की स्थिति के लिए विभिन्न प्रकार के बाइल के

निर्माण विधि की विश्वसनीयता और पाइल की भार वहन क्षमता से सम्बन्धित है। न्यूनतम कोटेशन में दी गयी डिजाइन के पाइल उक्त तकनीकी कारणों से इस कार्य हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये।

द्वितीय न्यूनतम कोटेशन मेसर्स एम० एस० जे० कन्सलटेंटस, लखनऊ का, रु० 34,61,514.99 का था तथा यह भी उपरोक्त तकनीकी कारणों से इस कार्य हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। तृतीय न्यूनतम कोटेशन मसर्स एफकास, बम्बई का रु० 46,45,734.60 का था तथा इसके अन्तर्गत प्रस्तावित लारज डाया कास्ट-इन सिट बोर्ड पाइल्स अधिक विश्वसनीय तथा अधिकभार वहन क्षमता के आधार पर उपयुक्त ठहराये जाने पर इस कोटेशन को स्वीकार किया गया। स्पष्टतया मेंसर्स एफकास बम्बई का कोटेशन तकनीकी दृष्टि से निरीक्षण के पश्चात उचित पाये गये डिजाइन वाले कोटशन में प्रथम न्यूनतम था।

प्रश्न नहीं उठता।

परीक्षा थरमल पावर प्रोजेक्ट इस्पेसिफिकेशन के पायल फाउन्डेशन के निर्माण हेतु स्वीकृत निविदा

*28—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या विद्युत् मंत्री बतायेंगे कि परीक्षा थरमल पावर प्रोजेक्ट इस्पेसिफिकेशन नं० 2302 के पायल फाउन्डशन के निर्माण हेतु दिनाँक 12-3-76 को निविदा ली गई थी जिसका न्यूनतम कोटेशन 4467600.00 रुपया था उसे न स्वीकार करके विभाग ने 54,00,000.00 का अधिक कोटेशन मसर्स सिमप्लक्स कान्करी पाइल्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई को 8869200.00 रु० की अधिक की निविदा स्वीकार करके निर्माण कार्य कराने का आदेश दिया गया? यदि हाँ, तो क्या इससे परिषद को 54,00,000.00 रु० की क्षति पहुंची है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच करायगी?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं। यह निविदा दिनाँक 12-3-1979 को ली गई थी।

जी नहीं।

न्यूनतम कोटेशन मेसर्स सिम्पलैक्स कान्करीट पाइल्स इंडिया लिमिटेड, देहली का रु० 63,15,600 का था तथा इसको ही स्वीकार किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जिले के सुहावल पावर हाउस द्वारा विद्युत उत्पादन

*29—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित सोहावलपावर हाउस, सोहावल की विद्युत् उत्पादन क्षमता कुल कितने मेगावाट प्रतिमास है और वर्ष 1979 के माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर में कुल कितने मेगावाट बिजली क्रमशः तैयार हुई हैं? सोहावल पावर हाउस द्वारा क्षमता भर विद्युत उत्पादन न होने के क्या-क्या कारण हैं और सरकार उसे (कारणों) समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री रेवती रमण सिंह—

जनपद फैजाबाद स्थित सोहावल पावर हाउस सोहावल की पूर्व निर्धारित क्षमता 15 मेगावाट थी जो 31-3-74 से घटाकर 12 मेगावाट निर्धारित की गयी है। इस पावर हाउस का प्रतिमास औसत उत्पादन क्षमता 53,56,000 यूनिट है।

वर्ष 1979 के माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर में निम्नलिखित उत्पादन हुआ—

माह	उत्पादन (यूनिट में)	अधिकतम भार (मेगावाट में)
जुलाई	22,40,212	6.5
अगस्त	23,94,889	7.0
सितम्बर	31,63,090	9.9
अक्टूबर	31,51,526	9.2

सोहावल पावर हाउस द्वारा क्षमता भार विद्युत् उत्पादन न होने के निम्नांकित कारण हैं:—

(1) जुलाई, 1979 से अक्टूबर, 1979 तक ब्वायलर नं0 2 व 3 ओवर हालिंग में रहें।

(2) खराब कोयला मिलने के कारण उत्पादन प्रभावित रहा। खराब कोयले के ठीक से न जलने के कारण कोल गेट खराब होने की एवं लो प्रेशर की समस्या रही।

(3) कोयले की कमी के कारण बीच-बीच में उत्पादन प्रभावित होता रहा है और कोल रैक दूसरे पावर हाउस को भी डाइवर्ट कर रेलवे भेज दिया करती है। विभिन्न पावर हाउसों में भिन्न-भिन्न प्रयोग होता है जिससे एक पावर हाउस का कोयला प्रकार एवं साइज का कोयला दूसरे पावर हौउस में जाने पर उत्पादन प्रभावित करता है।

(4) ब्वायलर हेडर कैप लीकेज की समस्या होने के कारण उत्पादन प्रभावित रहा। सोहावल पावर हाउस को चलते हुए 22 वर्ष से अधिक हो रहा हैं जिसके फलस्वरुप पाइप लाइन एवं अन्य संयंत्रों के लगातार प्रयोग से ब्रेक डाउन होता है एवं उक्त दोष को ठीक करने तथा सम्बन्धित संयंत्रों को बदलन हेतु मशीन व ब्वायलर को बन्द करने क कारण उत्पादन प्रभावित होता है।

(3) प्रदेश में सूखा के कारण उत्पादन में कमी आयी है जिससे प्रदेश का ग्रिड असन्तुलित/अस्थायी चल रहा है। फलस्वरुप सोहावल पावर हाउस समय-समय पर ग्रिड से अलग हो जाता है। उस अवधि में भी पावर हाउस का उत्पादन प्रभावित होता है।

जहाँ तक समस्याओं के समाधान का प्रश्न है परिषदीय स्तर पर सेलेक्टेड ग्रेड एवं ग्रेड ए कोल की व्यवस्था के लिए कोल इंडिया से वार्ता चल रही है।

परिषदीय स्तर पर कोल रेक डाइवर्जन न करने के लिए भी रेलवे से वार्ता चल रही है।

कुछ ब्वायलरों में हेडर कैप लीकेज की समस्या दूर करने एवं उनके ओवरहालिंग कराने की व्यवस्था की जा रही है।

पावर हाउस वाराणसी, द्वारा विद्युत उत्पादन

*30—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी पावर हाउस (भेलूपुर) में 5 मशीने थर्मल की लगी हैं और उसमें से सिर्फ एक को ही वर्षों से चलाया जा रहा है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों और क्या यह भी सही है कि सिर्फ तीन मेगावाट ही बिजली पैदा की जा रही है?

श्री रेवती रमण सिंह—

वाराणसी पावर हाउस (मेलूपुर) में 3 थर्मल मशीनें 4 मेगावाट तथा 2 थर्मल मशीनें एक-एक मेगावाट की लगी हैं। अतः पावर के जेनरेटरों की कुल क्षमता 14 मेगावाट है, परन्तु ब्वायलरों की कुल डीरेटेड क्षमता 8 मेगावाट है। मशीनें और ब्वायलर बहुत ही पुराने एवं खराब हालत में हैं। अतः कभी एक कभी दो मशीनें चलती हैं। विद्युत् उत्पादन कभी 3.0 मेगावाट से अधिक कभी कम होता है जो मशीनों को उपलब्धि पर निर्भर करता है।

*31—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मंत्री को जानकारी है कि यदि वाराणसी पावर हाउस, मेलूपुर की सभी मशीनों को चला दिया जाय तो 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और उससे वाराणसी जिले को कम से कम 12 घंटे नियमित बिजली दी जा सकती है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

वाराणसी पावर हाउस (मेलूपूर) की मशीनों की कुल स्थापित क्षमता 14 मेगावाट है तथा ब्वायलरों की डीरेटेडट क्षमता केवल 8 मेगावाट है अतः सभी मशीनों एवं ब्वायलरों के ठीक होने पर भी 8 मेगावाट से अधिक उत्पादन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वाराणसी जिले का कुल विद्युत् भार 110 मेगावाट है। अतः सभी मशीनें ठीक होने पर भी वाराणसी जिले में 8 प्रतिशत से अधिक की आपूर्ति नहीं हो सकती।

फतेहपुर बिन्दकी के अस्पताल भवन का जीर्णोधार

*32—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र के पहिले गुरुवार 1979 को निर्धारित, द्वारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर की पूर्ण रिपोर्ट बाबत बिन्दकी अस्पताल के जीर्णोद्धार आदि के सम्बन्ध में क्या अब तक प्राप्त हो गई है ? यदि हाँ, तो वह क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ, मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर ने अपनी रिपोर्ट में संयुक्त चिकित्सालय, बिन्दकी के भवन को जीर्ण अवस्था में होना बतलाया है तथा नये भवन निर्माण कराये जाने की संस्तुति की है।

धनाभाव के कारण यह निश्चिय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर नया चिकित्सालय कब तक बनवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

आगरा, नगर महापालिका के गन्दे पानी से जमुना नदी में जल प्रदूषण

*33—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतावेंगे कि जनपद आगरा महापालिका के गंदे पानी के नाले भैरों बाजार, नाला पीपल मंडी, नाला दोली खार आदि जमुना नदी में गिरते हैं जिससे जल प्रदुषण होता है और आगरा के ताजमहल के निकट इन नालों के गन्दे पानी से दुर्गन्ध पैदा होती है जो कि ताज के सौन्दर्य पर बुरा असर डालती है तथा जमुना किनारे के पूर्वी तरफ के ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिये जमुना जल हानिकारक है ? यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

यह सच है कि इन नालों का पानी यमुना नदी में गिरता है परन्तु इनकी दुर्गन्ध से ताज महल के सौन्दर्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा है।

आगरा जलकल द्वारा यमुना नदी में से जिस स्थान से पानी लिया जाता है ये नाले उसके बाद यमुना नदी में मिलते हैं। इस पानी को भी अच्छी तरह शुद्ध करने के पश्चात् ही नागरिकों को वितरित किया जाता है। नालों को यमुना नदी में गिरने से रोकने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

नेत्र चिकित्सालय, उरई, जिला जालौन के प्रान्तीयकरण की मांग

*34—श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि क्या धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय, उरई, जनपद जालौन के प्रान्तीय करण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? क्या इस संबंध में शासन को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालौन का पत्रांक ई-24/3422 दि0 31-3-79 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालौन ने इस प्रकार का प्रस्ताव किया था, किन्तु शासन ने निर्णय लिया है कि निजी संस्थाओं द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण न किया जाय।

हिन्डालको, मिर्जापुर को विद्युत् की आपूर्ति

*35—श्री चन्द्रसेन सिंह (जिला जौनपर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भीषण सूखे के दौरान माह सितम्बर तथा अक्टूबर, 1979 के प्रथम सप्ताह में प्रतिदिन कितनी मेगावाट विद्युत् की आपूर्ति हिन्डालको को की गई है ? इस मात्रा में हिन्डालको को विद्युत् आपूर्ति का कारण क्या है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

माह सितम्बर तथा अक्टूबर, 1979 के प्रथम सप्ताह में हिन्डालको की औसत मेगावाट विद्युत् आपूर्ति संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1045 पर)

नगरपालिका बलरामपुर के चुंगी भवन की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

*36—श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोण्डा की नगरपालिका, बलरामपुर के कार्यालय को तोड़कर परगना-अधिकारी, बलरामपुर ने अपना निवास स्थान बना लिया है जो कि नगरपालिका के प्रशासक भी हैं ? यदि हाँ, तो क्यों और इस पर कितना धन नगरपालिका का खर्च हुआ है ? क्या सरकार ने नगरपालिका के धन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

नगरपालिका, बलरामपुर के कार्यालय को तोड़कर परगनाधिकारी, बलरामपुर द्वारा अपना निवास स्थान नहीं बनाया गया है वरन भगवती गंज स्थित चुंगी कार्यालय भवन को, जो जीर्ण अवस्था में था और जहाँ चुंगी कार्यालय था वहाँ से मुख्य पालिका कार्यालय में स्थानान्तरित हो जाने के कारण रिक्त हो गया था, जिसकी आवश्यक मरम्मत आदि कराकर पालिका द्वारा प्रभारी अधिकारी को किराये पर दिया गया है। भवन की मरम्मत आदि

पर पालिका का रु0 14,192.83 पैसे मात्र व्यय हुआ है। यह धन का दुरुपयोग नहीं है बल्कि भवन को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए मरम्मत की गई थी। पालिका द्वारा उक्त व्यय पालिका के हित में किये जाने के कारण धन के दुरुपयोग एवं किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

कर्नलगंज, जिला गोण्डा में महिला अस्पताल के निर्माण की मांग

*37—श्री त्रिवेनी सिंह (जिला गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78 में 78–79 में कर्नलगंज जिला गोंडा में महिला अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई प्रार्थना पत्र स्वास्थ्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ। कर्नलगंज, जिला गोंडा में एक महिला अस्पताल की स्थापना हेतु उपयुक्त भवन तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास गृह उपलब्ध न होने के कारण वहाँ पर महिला अस्पताल स्थापित करना सम्भव नहीं है।

कमला नेहरू मेमोरियल चिकित्सालय, इलाहाबाद के परिवार कल्याण विभाग के विरुद्ध जांच

*38—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि कमला नेहरू मेमोरियल चिकित्सालय, इलाहाबाद में परिवार कल्याण कार्यक्रम (प्रोत्साहन की धनराशि) के मद में लगभग डेढ़ लाख रुपये का गबन हेरा-फेरी है तथा बन्ध्याकरण के मरीजों को प्रोत्साहन धनराशि समय से नहीं दी जाती है और मरीजों से भुगतान का हस्ताक्षर करा लिया जाता है ? यदि हाँ, तो जाँच कराकर कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

इस सबंध में जाँच कराई जा रही है। जाँच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

नगरपालिका, शाहजहांपुर के कर संग्रहकर्ताओं के स्थायीकरण की मांग

*39—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर नगरपालिका में कर संग्रह कर्त्ताओं का स्थायीकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो स्थायीकरण अभी तक क्यों नहीं किया गया है ? क्या सरकार इनका स्थायीकरण शीघ्र कराने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*40–41—श्री राजपति मिश्र—

(3रे गुरूवार में तारांकित प्रश्न सख्या 40–41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

अतारांकित प्रश्न

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा रेलवे को दिया गया डेमरेज एवं वारफेज

1—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1975–76, 1976–77 तथा 1977–78 में राज्य विद्युत् परिषद् ने रेलवे स्टेशनों पर पड़े अपने सामान के लिए कितने रुपए प्रतिवर्ष रेलवे को डेमरेज तथा वारफेज के रुप में दिया है और प्रतिवर्ष का कितना रुपया इन मदों में देना शेष है ? रेलवे को डेमरेज तथा वारफेज के रूप में इतनी बड़ी धनराशि देने का कारण क्या है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

रेलवे स्टेशनों पर पड़े सामान पर दिये गये डेमरेज तथा वारफेज का ब्योरा नीचे दिया गया है ।

वर्ष	डेमरेज की रकम
1975–76	27.38 लाख
1976–77 . .	13.19 लाख
1977–78	21.22 लाख

डेमरेज देने के लिये अनेकों कारण है:—

1—सामान का स्टेशन पर शनिवार या किसी अन्य छुट्टी के दिन आ जाना जबकि बैंक द्वारा आयी बिल्टी को छुड़ाना सम्भव नहीं होता है ।

2—किसी भारी सामान को उतारने के लिये क्रेन इत्यादि का समुचित प्रबन्ध का न होना ।

3—बैंक में बैलन्स का न होना तथा बैंक में मुख्य कार्यालय से रकम का समय पर न मिल पाना ।

परिषद् प्रतिवर्ष 150 से 200 करोड़ रुपये का माल खरीदता है, उस पर डेमरज की रकम कुल .001 प्रतिशत से भी कम होती है । जो डेमरेज माल के विक्रेता की गलती से लगता है उसका भुगतान उससे वसूल कर लिया जाता है ।

1977–78 के अन्त में ओबरा तथा हरदुआगंज में रेलवे का कोयले पर लगाया गया 54 लाख तथा 26 लाख रुपया क्रमशः डेमरेज का बकाया था जो कि पिछले तमाम वर्षों का है। कोयले पर डेमरेज लगाने की प्रक्रिया को परिषद् ने अस्वीकार कर दिया है इसके कारण इसका भुगतान नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में रेलवे से पत्राचार हो रहा है तथा यह माफ कर दिये जाने की पूरी सम्भावना है । अन्य स्थानों पर डेमेरेज की कोई रकम देना बाकी नहीं है ।

राज्य विद्युत् परिषद् में घाटा

2—श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 31 मार्च, 1979 तक विद्युत् परिषद् को कुल कितने धनराशि का घाटा हुआ और इस घाटे को पूरा करने के लिय कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

वर्ष 1978–79 के लेखे अभी अंकेक्षणाधीन है और लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। अन्तिम लेखों के अनुसार वर्ष 1978–79 तक रु0 16019.01 लाख का घाटा है ।

घाटे को पूरा करने के लिए निम्न कार्यवाही की गई है—

1—परिषद् ने शासन की सहमति से इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट बंगलौर को परिषद् की कार्य-पद्धति तथा घाटे का विश्लेषण करने एवं समुचित उपाय बताने के लिए नियुक्त किया है। वहाँ की टीम न अपना कार्य तेजी से शुरू कर दिया है और आशा की जाती है कि टीम अपना ठोस प्रस्ताव शीघ्र ही दे देगी जिसपर सम्यक् विचारोपरान्त उचित कार्यवाही की जावेगी।

2—नये पदों के सृजन तथा नियुक्ति पर यथासम्भव रोक लगा दी गयी है तथा अनुत्पादक कार्यों पर लगे हुए मजदूरों को हटा दिया गया है।

3—ओवर टाइम पर पाबन्दी लगा दी गयी है।

4—अन्य प्रशासनिक व्ययों को भी कम करने की चेष्टा की जा रही है।

5—कोयले की उत्पादकता बढ़ाने के लिये सिंगरौली में कोयल की शुद्धि के लिये Benefication प्लांट लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है।

प्रदेश में बिजली का उत्पादन एवं आपूर्ति

3—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश में दिनाँक 1-4-78 से 31-3-79 तक कितने मेगावाट बिजली की आवश्यकता थी और पूर्ति कितनी की गयी? क्या प्रदेश में माँग के अनुसार बिजली उत्पादित की जाती है? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी?

श्री रेवती रमण सिंह—

प्रदेश में दिनाँक 1-4-78 से 31-3-79 तक लगभग 13244 मि0यू0 बिजली की आवश्यकता थी तथा कुल उपलब्धि लगभग 11423 मि0यू0 रही। प्रदेश की पूरी माँग के अनुसार बिजली नहीं उत्पादित की जाती है। निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं है।

स्टीम पावर हाउस, सोहावल, जिला फैजाबाद में बिजली का उत्पादन

4—श्री जय शंकर पाँडेय—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टीम पावर हाउस, सोहावल, फैजाबाद में वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में कुल कितने मेगावाट बिजली तैयार की गयी और वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में स्टीमपावर हाउस, सोहावल के ऊपर क्रमशः विद्युत् परिषद् द्वारा कुल कितना रुपया व्यय किया गया तथा क्रमशः वर्षों में कुल कितने रुपए की आमदनी हुई?

श्री रेवती रमण सिंह—

स्टीम पावर हाउस, सोहावल, फैजाबाद में विद्युत् उत्पादन एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण वर्षवार निम्नवत् है—

	वर्ष 1976-77	1977-78
विद्युत् उत्पादन	58.42 मिलियन यूनिट	50.00 मिलियन यूनिट
व्यय की गई धनराशि	124.11 लाख रु0	101.06 लाख रु0

जहाँ तक आमदनी का प्रश्न है, आय की धनराशि इस स्तर पर निकालना संभव नहीं है क्योंकि उत्पादित इकाइयों को सामान्य ग्रिड में हस्तान्तरित कर दिया जाता है। इनमें से इकाइयाँ ट्रांसमिशन, ट्रांसफार्मेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में चली जाती है।

श्री महमूद अली द्वारा श्री रामानन्दन कृष्णा फ्लोर मिल, कश्मीरी मुहल्ला, लखनऊ के विद्युत् बिल का भुगतान

5—श्री रामपति (जिला गोंडा)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिजली उपभोक्ता श्री महमूद अली द्वारा श्री रामानन्दन कृष्णा फ्लोर मिल, तुलसीदास मार्ग, चौक, लखनऊ का बिजली मीटर नं 045077

कश्मीरी मुहल्ला, लखनऊ से संबंधित विद्युत् बिल का अनियमित भुगतान कराये जाने के विषय पर कोई पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 1975 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की संस्तुति के साथ दिनांक 26 सितम्बर, 1975 को प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

उपभोक्ता श्री महमूद अली का मुख्य सचिव को संबोधित दिनांक 24–9–75 का पत्र प्राप्त हुआ था।

उपभोक्ता से 1,270.87 रुपये बकाया जिलाधीश, लखनऊ द्वारा भू-राजस्व के रूप में दिनांक 2–4–70 को वसूल कर लिया गया जो परिषद् के 1–7–68 से लागू टैरिफ के अनुसार था।

तत्पश्चात् परिषद् ने 4–11–70 से (उपभोक्ता से देय धन वसूल करने के बाद) मिनिमम चार्जेज लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर शहरों में 10 रु0 से घटाकर 6 रु0 प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह कर दिया। जो 1–7–68 से प्रभावी था।

इन परिस्थितियों में उपभोक्ता से 2–4–70 को वसूल किया गया धन विद्युत् देयक से अधिक हो गया।

उपभोक्ता से वसूल किया हुआ रु0 1270.87 जिलाधीश, लखनऊ द्वारा लखनऊ विद्युत् प्रदेय उपक्रम के बजाय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खण्ड, लखनऊ के खाते में जमा करा दिया गया था जिस कारण अधिक वसूल किया हुआ धन उपभोक्ता को वापस नहीं किया जा सका।

यह धन अधिशासी अभियन्ता विद्युत् वितरण खण्ड, लखनऊ से तुरन्त हस्तान्तरित करने के लिए कहा गया है तथा हस्तान्तरण के तुरन्त बाद ही उपभोक्ता को वापस कर दिया जायेगा।

स्वास्थ्य निदेशालय के राजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारियों का बकाया वेतन, ग्रेच्युटी, प्राविडेंट फंड

6—श्री सुखपाल पाँडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ में 30 जून, 1975 से 30 जून, 1979 तक कितने राजपत्रित अधिकारी एवं अराजपत्रित कर्मचारियों का पेंशन, ग्रेच्युटी बकाया वेतन, प्राविडेण्ट फण्ड, अवकाश एवं दक्षता अवरोध का मामला निदेशालय के अन्तर्गत निर्णय हेतु प्राप्त हुआ है ? उसमें कितने का निर्णय करके संबंधित व्यक्तियों को भुगतान मिल गया, कितने का एक साल से अधिक समय से विचाराधीन है ? उपरोक्त मामले का निर्णय न होने का कारण क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ में 30 जून, 1975 से 30 जून, 1979 तक राजपत्रित अधिकारी एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के पेन्शन के 617, ग्रेच्युटी के 611, बकाया वेतन के 309, प्राविडेन्ट फण्ड के 677, अवकाश के 2709 एवं दक्षता अवरोध के 3213 मामले निर्णय हेतु प्राप्त हुए।

उपरोक्त में से पेन्शन के 528, ग्रेच्युटी के 527, बकाया वेतन के 285, प्रावीडेन्ट फण्ड के 314, अवकाश के 2501 तथा दक्षता अवरोध के 2867 मामलों का निस्तारण निदेशालय द्वारा किया गया है। भुगतान मिलने की सूचना पूरे प्रदेश से एकत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त प्राप्त कुल मामलों में से पेन्शन के 71, ग्रेच्युटी के 70, बकाया वेतन के 20, प्रावीडेन्ट फण्ड के 44, अवकाश के 193 एवं दक्षता अवरोध के 334 मामले एक साल से अधिक समय से इसलिए निस्तारित नहीं किये जा सके हैं कि इन मामलों में वांछित सूचना एवं कागजात प्रदेश के विभिन्न जनपद तथा महालेखाकार से पूर्ण प्रयास के बावजूद, अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं।

बस्ती जिले के कस्बा बढ़नी में विद्युत् आपूर्ति

7—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बढ़नी कस्बे में ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण करीब एक माह से बिजली नहीं जल रही है ? यदि हाँ, तो क्या मन्त्री तत्काल ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उक्त कस्बे के निवासियों की परेशानी जो बिजली के बगैर हो रही है, दूर हो जाय ?

श्री रेवती रमण सिंह—

इटवा उपकेन्द्र का पावर ट्रांसफार्मर दिनाँक 15-6-79 को खराब हो जाने के कारण बस्ती जनपद के बढ़नी कस्बे की विद्युत् आपूर्ति सामान्य नहीं थी। इटवा उपकेन्द्र पर दूसरा ट्रांसफार्मर दिनाँक 31-7-79 को लगा दिया गया है और अब बढ़नी कस्बे की विद्युत् आपूर्ति सामान्य हो गयी है।

दर्शननगर, जिला फैजाबाद की विद्युत् लाइन में कथित खराबी

8—श्री जयशंकर पाँडेय—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में दर्शननगर से 11 के0 वी0 लाइन जो कि फैजाबाद वाटर वर्क्स को आती है विगत चार महीने से खराब पड़ी है ? यदि हाँ, तो उक्त लाइन क्यों नहीं ठीक की गयी तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी और क्या यह भी सही है कि उक्त लाइन को ठीक कराने के लिए अधीक्षण अभियन्ता तथा अधीक्षक अभियन्ता ने कार्यवाही नहीं की ? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले की सरैया शुगर फैक्टरी एवं सरैया डिस्टेलरी के गन्दे पानी की निकासी

9—श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तहसील सदर के सरैया शुगर फैक्टरी व डिस्टलरी सरदार नगर के गन्दे पानी को फरेन नाले में गिराने से रोकने का प्रबन्ध करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

सरैया शुगर फैक्टरी का गन्दा पानी कारखाने की ही निचली भूमि पर गिरता है जो कारखाने के फार्म की सिंचाई के काम आता है। कारखाने की यह योजना एफलूएण्ट बोर्ड द्वारा स्वीकृत है और जाँचोपरान्त इस फैक्टरी का उत्प्रवाह भी निर्धारित स्तर का पाया गया है। फैक्टरी का उत्प्रवाह बह कर फरेन नाले में न पहुंच जाय इसके लिये फैक्टरी को परामर्श दिया गया है कि एक तालाब और खोद लें। उक्त प्रवाह की उचित रोकथाम के लिये फैक्टरी को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस भी दिया गया है।

सरैया डिस्टलरी, सरदार नगर का उत्प्रवाह डिस्टेलरी से निकलकर एक बहुत छोटे तालाब से होता हुआ फ ेन नाले में गिरता है इसकी व्यवस्था संतोषजनक न होने के कारण फैक्ट्री का पुनः चालान किया गया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

थाना नेबुआ नौरंगिया, जिला देवरिया के भवनों के विद्युतीकरण की मांग

10—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के थाना नेबुआ नौरंगिया के भवन के विद्युतीकरण हतु विद्युत् विभाग गोरखपुर में एक हजार रूपय नकद जमा है ? यदि हाँ, तो अब तक विद्युतीकरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री रेवती रमण सिंह—

थाना नेबुआ नौरंगिया के भवनों के विद्युतीकरण हेतु सम्बन्धित विद्युत् वितरण खण्ड (द्वितीय), दवरिया में कोई धनराशि जमा नहीं की गयी है।

थाना नेबुआ नौरंगिया के भवनों के विद्युतीकरण हेतु प्रार्थना पत्र विद्युत् वितरण खण्ड (द्वितीय) देवरिया को अप्रैल, 1979 में प्राप्त हुआ था तथा प्राक्कलन की धनराशि रु0 6728 सम्बन्धित सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय, गोरखपुर को मई, 1979 मे सूचित कर दी गयी थी। इस धनराशि के अभी तक जमा न किये जाने की स्थिति में उक्त भवन का विद्युतीकरण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले के ग्राम खड्डा में पेय जल योजना का निर्माण

11—श्री श्रीनारायण—

दिनांक 28-12-78 नत्थी (ड) अ0 प्र0 सं0 56 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में खड्डा ग्राम समूह पेयजल योजना के अब तक पूर्ण न होने के क्या कारण हैं और यह योजना कब पूरी होगी ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

प्रश्नगत योजना पर अगस्त, 1978 में जल निगम द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के बाद जलकल हेतु भूमि अध्याप्ति करने हतु प्रयास किया गया परन्तु भूमि उपलब्ध न हो सकी। अतः भूमि खरीदने हेतु अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई जिसमें काफी कठिनाई हुई एवं समय भी लगा और मार्च, 1979 में ही भूमि का रजिस्ट्रेशन हो पाया। तत्पश्चात अब तक दो नलकूपों का छिद्रण किया जा चुका है तथा दस किलो मीटर पाइप लाइन डाली जा चुकी है। रेलवे लाइन क्रास करने की अनुमति रेलवे अधिकारियों से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है अभी तक अनुमति मिल नहीं सकी है।

इस योजना को मार्च, 1981 तक पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

हरदुआगंज तापीय परियोजना अलीगढ़, के रसायनज्ञों की सेवा समाप्ति सम्बन्धी मुकदमा

12—श्री श्रीनारायण—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें विधान सभा सदस्यो, सर्व श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी एवं विष्णु प्रताप सिंह की संस्तुति युक्त राज्य विद्युत् रसायन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष (श्री सत्य मोहन कपूर) का पत्र संख्या ए-142/आर0 के0 एस/78-79, दिनाँक 22-4-79 को हरदुआ गंज ताप विद्युत् परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारियों (रसायनज्ञ श्रेणी द्वितीय) की विद्युत् परिषद् आदेशों के विरुद्ध छंटनी आदेशों को रद्द करने तथा उनकी सेवायें नियमित करने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हाँ। श्री सत्य मोहन कपूर, अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् रसायन कर्मचारी संघ का पत्रांक-ए-142/आर0 के0 एस/78-79, दिनाँक 22-4-79 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को प्राप्त हुआ था।

हरदुआगंज तापीय परियोजना के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये रसायनज्ञों ने अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है। इस सम्बन्ध

में अग्रिम कार्यवाही उस समय तक करना सम्भव न होगा जब तक उच्च न्यायालय अपना निर्णय नहीं दे देता ।

गोरखपुर जिले के ग्राम महावनखोर, नेबुइया, मेदनीपुर आदि का विद्युतीकरण

13—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के विकास क्षेत्र परतावल के गाँव महावन और उर्फ बड़हरा धमौली, नबुइया एवं घुघली विकास क्षेत्र के गाँव मेदनीपुर, बतवा तिवारी चामुखा, प्यास हरखी, बारीगाँव-भखलिया एवं पकड़ी विशुनपुर के विद्युतीकरण के सम्बंध में प्रश्नकर्त्ता ने गत वर्ष विभाग का ध्यान आकृष्ट किया था ? यदि हाँ, तो अब तक उक्त गाँवों के विद्युतीकरण न होने के क्या कारण है ? और कब तक विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

विकास क्षेत्र घुघली के गाँव मेदनीपुर का विद्युतीकरण दिनांक 29-7-79 को किया जा चुका है तथा विकास क्षेत्र परतावल के गाँव धमौली के विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है तथा आशा है कि यह गाँव मार्च, 1980 के अन्त तक विद्युतीकृत कर दिया जायगा । इसके अतिरिक्त विकास क्षेत्र घुघली के गाँव चौमुखा के विद्युतीकरण का कार्य भी शुरू होने जा रहा है ।

विकास क्षेत्र परतावल के गाँव महावनखोर उर्फ बड़हरा, बरौता उर्फ नेबुइया तथा विकास क्षेत्र घुघली के गाँव बेतवा तिवारी, प्यास हरखी, बारीगाँव, भखलिया एवं पकड़ी विशुनपुर का विद्युतीकरण सामान्य योजना के अन्तर्गत ही संभव है जिसके लिये, परिषद् की निर्धारित नीति के अनुसार विद्युतीकरण पर अनुमानित व्यय पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ की प्राप्ति हेतु समुचित संख्या में कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जानी संभव होगी । वर्तमान स्थिति में इन गाँवों में कनेक्शन हेतु कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

चेचक उन्मूलन के कर्मचारियों का स्थायीकरण

14—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन के कर्मचारियों के स्थायीकरण हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों से उनकी चरित्र पंजिकायें एवं सेवा विवरण को अगस्त, 1978 तक निदेशक (स्वास्थ्य) के कार्यालय में पहुंचान के निर्देश दिये गये थे ? यदि हाँ, तो अभी तक किन-किन जिलों से उक्त विवरण नहीं प्राप्त हुआ तथा विवरण प्राप्त न होने के क्या कारण है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ । सेवा विवरण सभी जिलों से प्राप्त हो गये हैं परन्तु चरित्र पंजिका निम्नलिखित जिलों से प्राप्त नहीं हुये हैं:—

1—रायबरेली, 2—सीतापुर, 3—गाजियाबाद 4—फतेहपुर, 5—फर्रुखाबाद, 6—जालौन, 7—पिथौरागढ़, 8—नैनीताल, 9—गोरखपुर, 10—बस्ती, 11—सुल्तानपुर ।

उक्त जिलों से चरित्र पंजिका मंगाने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है ।

15—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि हरदोई जनपद के कर्मचारियों की चरित्र पंजिकायें एवं सेवा विवरण निदेशक के कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है ? यदि नहीं, तो इस कार्य के लिये कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी उत्तरदायी हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

उर्सला हार्समैन मेमोरियल चिकित्सालय, कानपुर के क्वार्टरों का आवंटन

16—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उर्सला हार्समैन मेमोरियल चिकित्सालय, कानपुर में कितने क्वार्टर्स ऐसे हैं जो तृतीय श्रेणी स्टाफ (फार्मेसिस्ट) आदि क निमित्त बने हुये हैं परन्तु उन अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को उपलब्ध न कराके चिकित्सकों को दिये गये हैं और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी बाहर रहते हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां।

उर्सला हार्समैन मेमोरियल चिकित्सालय कानपुर के प्रांगण में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के निमित्त 32 क्वार्टर्स हैं जिनमें से 22 क्वार्टर्स तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को आवंटित हैं और 10 क्वार्टर्स जनहित तथा रोगियों के हित में चिकित्सकों को आवंटित किये गय हैं ताकि इमरजेन्सी में किसी भी समय चिकित्सकों को अस्पताल आने में विलम्ब न हो और रोगी को तत्काल आवश्यक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

फतेहगढ़ नगर के विद्युत् उपभोक्ता श्री सतीश चन्द्र के विद्युत् बिल का भुगतान

17—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या विद्युत् मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि फतेहगढ़ नगर के कानपुर रोड पर कनेक्शन नं0 290 एम0 केबिल के भुगतान का नोटिस दिनांक 10-7-79 को इस आशय का दिया गया कि यदि तुरन्त भुगतान न हुआ तो कुर्की वारन्ट जारी किया जायेगा? यदि हां, तो क्या यह भी जानकारी है कि संबंधित व्यक्ति ने बिलों का भुगतान समय से कर दिया था और उनकी रसीदें उनके पास मौजूद थीं फिर भी विभाग ने दिनांक 13-7-79 को रसीद नं0 018065 से अपने अनियमित नोटिस जारी करने के खर्च के रूप में कनेक्शन के मालिक से रु0 49.79 पैसे वसूल कर लिये हैं? क्या इस मामले की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो किसके द्वारा कराई गई और कनेक्शन मालिक को धन वापस किया गया? उक्त अवैधानिक नोटिस देने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रेवती रमण सिंह—

अधिशासी अभियन्ता विद्युत् वाणिज्य खंड, फर्रुखाबाद द्वारा फतेहगढ़ नगर के कानपुर रोड पर कनेक्शन नं0 290 एम0 के0 उपभोक्ता श्री सतीश चन्द्र को रु0 447.63 के भुगतान हेतु उ0 प्र0 ड्यूज रिकवरी ऐक्ट 1958 की धारा 3 के अन्तर्गत डिमाण्ड नोटिस दिनांक 20-11-78 को भेजा गया था। यह नोटिस दिनांक 10-7-79 को नहीं भेजा गया था, जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है। इसके पश्चात् दिनांक 5-1-79 को धारा 5 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को भेज दिया गया था।

यह सत्य है कि उपभोक्ता ने बिलों की धनराशि दिनांक 18-10-78 को जमा कर दी थी, लेकिन अदायगी की राशि लेजर में अंकित न होने के कारण अधिशाशी अभियन्ता, विद्युत् वाणिज्य खण्ड फर्रुखाबाद ने रिकवरी ऐक्ट की धारा 3 व 5 के अन्तर्गत नोटिस भज दिये थे।

उपभोक्ता ने रिकवरी नोटिस के अन्तर्गत 10 प्रतिशत वसूली चार्ज की धनराशि रु0 49.76 दिनांक 13-7-79 को जमा कर दी थी।

इस सम्पूर्ण मामले की जांच स्वयं उक्त अधिशासी अभियन्ता, (वाणिज्य) ने की, और उक्त रु0 49.76 की धनराशि अधिक जमा होने के कारण उपभोक्ता को वापस कर दी

गई है, और संबंधित लिपिक को हिसाब ठीक न रखने के कारण कठोर चेतावनी दे दी गई है तथा रु0 49.76 की धनराशि भी उससे वसूल कर ली गई है।

नगरपालिका सीतापुर के कर्मचारियों की हड़ताल

18—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल (मई, 79 में) के समय सीतापुर नगरपालिका में जिन वैकल्पिक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी उनकी नियुक्ति हेतु क्या सेवायोजन कार्यालय से नाम माँगे गये थे ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

नगरपालिका कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल (मई, 1979) के समय सीतापुर नगरपालिका में 42 वैकल्पिक नियुक्तियाँ की गईं थीं जिनमें से 19 नियुक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगा कर की गयी थी तथा चुंगी विभाग की 23 नियुक्तियाँ जनहित में तथा उस समय की विशेष परिस्थितियों में पालिका को आर्थिक क्षति से बचाने हेतु, सीधे की गयी थीं।

नगरपालिका, सीतापुर के प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध कथित मैजिस्टीरियल जांच

19—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगरपालिका के वर्तमान प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा मैजिस्ट्रेट महोदय से तथा विभाग द्वारा कोई जाँच कराई गई ? यदि हाँ, तो मुख्य आरोप क्या थे ? जाँच के परिणामस्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा जनवरी, 79 में कार्यरत प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

नगरपालिका सीतापुर के वर्तमान प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा मैजिस्ट्रेट महोदय से कोई जाँच नहीं कराई गई। अतः मुख्य आरोपों तथा कृत कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सुजानगंज, जिला जौनपुर के स्वास्थ्य सहायक, श्री एनुल हक अन्सारी, परिवार कल्याण विभाग की सेवा समाप्ति

20—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री एनुल हक अन्सारी, परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुजानगंज, जौनपुर जो इस विभाग में पिछले 10 वर्ष से कार्यरत थ, की सेवायें दिनाँक 23-4-71 को जिला अधिकारी बलिया ने दिनाँक 19-8-79 को बिना एक मास की नोटिस दिय ही समाप्त कर दी थी ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या उनको सेवा में लिय जाने क प्रश्न पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ।

श्री अन्सारी की अस्थाई सेवायें नियमानुसार समाप्त की गयीं थीं। श्री अन्सारी ने पुनः सेवा में लिये जान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की थी जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में श्री अन्सारी को पुनः सेवा में लिया जाना संभव नहीं है।

जल निगम के मानचित्रकों के स्थायीकरण सम्बन्धी प्रार्थना पत्र

21—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश जल निगम विभाग में 6 मानचित्रकों, जिनका उल्लेख प्रबन्ध निदशक के पत्र संख्या टी 991/अ–2 (7)–मानचित्रक, दिनांक 17 मार्च, 1977 में किया गया है, का स्थायीकरण अभी तक अधीक्षण अभियन्ताओं से गोपनीय चरित्र पंजिकायें मुख्यालय पर प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

एसा नहीं है। प्रश्नगत पत्र दिनांक 17 मार्च, 1977 में उल्लिखित 6 मानचित्रकों का स्थायीकरण दिनांक 1 अप्रैल, 1976 से किया जा चुका है।

22—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मानचित्रकों के स्थायी करण के मामले में श्री तेजभान सिंह, विधायक का कोई प्रार्थनापत्र जून, 1978 में शासन स्तर पर प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा यह स्थायीकरण का मामला कब तक हल हो जायगा ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

जून, 1978 का नहीं, बल्कि दिनांक 16 जून, 1979 का पत्र दिनांक 18 जून, 1979 को प्राप्त हुआ है। इस पर जल निगम से आख्या प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि पत्र में उल्लिखित 6 मानचित्रकों का स्थायी करण किया जा चुका है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तृतीय वर्ग के पदों पर पदोन्नति का आधार

23—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय मुख्यालय पर विभिन्न तृतीय वर्ग के पदों पर पदोन्नति के लिए वर्तमान तैनाती के पदों पर 5 वर्षों का अनुभव एवं स्थायीकरण आवश्यक है ? यदि हाँ, तो किस शासनादेश के अनुसार ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में प्रोन्नति के सीमित अवसर होने के कारण विभागीय चयन समिति ने समूह 'ग' के पदों पर पदोन्नति के लिए 5 वर्ष का अनुभव एवं वतमान पद पर स्थायीकरण की पात्रता शासनादेश संख्या 2137/2–बी–467–1964, दिनांक 30 सितम्बर, 1966 के परिप्रेक्ष्य में आरक्षित तथा गैर आरक्षित पदों के संबंध में समान रूप से निर्धारित की है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों पर पदोन्नति

24—श्री दयाराम भास्कर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (मुख्यालय) पर 8 मार्च, 1973 से 15 अगस्त, 1979 तक अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों पर दूसरे वर्ग के कितने सदस्यों को किस-किस पद पर तदर्थ आधार पर अस्थायी प्रोन्नत किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या शा0सं0 6512–69–रा0एकी0, दिनांक 8 मार्च, 73 के पैरा 5 का पालन कर इसकी सूचना शासन को कब-कब भजी गई है ? और इस संबंध में अस्थायी पदोन्नति को स्थायी करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

स्वास्थ्य निदेशालय में 15 अगस्त, 1979 तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विभिन्न पदों पर पात्रता क्षेत्र में उक्त जाति के कर्मचारी उपलब्ध न होने क कारण सरकारी कार्य के हित में अन्य वर्ग के सदस्यों की तद्‌र्थ आधार पर प्रोन्नति शासनादेश

सं0 62/2/69—रा0 एकी0, दिनांक 8 मार्च, 1973 के प्रस्तर–2 के अनुसार की गयी। प्रोन्नतियों का विवरण निम्नानुसार है:—

पद	सामान्य वर्ग	पिछड़ा वर्ग	योग
मुख्य सहायक	2	1	3
मुख्य लिपिक	4	..	4
आलेखक-प्रालेखक	4	3	7
संदर्भ लिपिक	4	2	6
आशुलिपिक (सेलेक्शन ग्रेड)	1	..	1
ज्येष्ठ आशुलिपिक	2	..	2

उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर–5 में अतिक्रमण के प्रकरणों की सूचना शासन को भजी जानी अपेक्षित है। उक्त पदोन्नतियों में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ अतः उसकी सूचना शासन को देने का प्रश्न नहीं उठता। अस्थायी प्रोन्नति को स्थायी करने के लिए उक्त संदर्भ में 8 मार्च, 1973 के शासनादेश के प्रस्तर–2 के प्रकाश में रिक्तियों को अग्रनीत करके अनुवर्ती अवसर पर पात्रता के आधार पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में पदोन्नतियों पर विचार किया जाता है।

नगरपालिका शाहजहांपुर के कर्मचारियों के विरुद्ध दरख्वास्त

25—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या यह सही है कि पंडित ओंकार नाथ मिश्रा, शाहजहाँपुर ने स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को नगरपालिका, शाहजहाँपुर के एक कर्मचारी विशेष के विरुद्ध कोई दरख्वास्त दिनाँक 11–7–79 को दी थी जिस पर मंत्री जी ने 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट माँगी थी? यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही अब तक की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

पंडित ओंकार नाथ मिश्रा, शाहजहाँपुर ने नगरपालिका शाहजहाँपुर के एक कर्मचारी विशेष के विरुद्ध एक दरख्वास्त दिनाँक 11–7–79 को दी थी जिसे जिला मैजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था। प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका शाहजहाँपुर ने उक्त दरख्वास्त पर जाँच की जिसमें शिकायत निराधार पाई गई।

जन स्वास्थ्य रक्षक योजना

26—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत जो दवाइयों की गोलियाँ जन-स्वास्थ्य रक्षकों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बाँटने की योजना चालू की गयी है, वह अनुपयोगी है और उसमें खुली लूट व सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है? क्या सरकार इस योजना को समाप्त करेगी?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है, जिसका शत-प्रति-शत व्यय वर्ष 1978–79 तक भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था। चालू वित्तीय वर्ष (1979–80) से इस योजना का 50 प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जायगा। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस योजना का मूल्यांकन कराया गया जिसके अनुसार यह योजना उपयोगी पायी गयी है। अतः इस योजना को वर्तमान में समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

फतेहपुर जिले में अस्पताल निर्माण की मांग

27—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री फतेहपुर जनपद के हर दो हजार आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक व एलोपैथिक सरकारी डिस्पेन्सरी व अस्पताल खोलने की योजना पर विचार कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं ।

सेवायोजन कार्यालय, फतेहपुर में पंजीकृत अभ्यर्थी

28—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद में कितने लोगों को सन् 1977–78 व 1978–79 तथा 1979–80 में सेवा योजन कार्यालय द्वारा पंजीकृत किया जा चुका है ? उनमें कितने लोगों को नौकरियों में लगाया जा चुका है ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

सेवायोजन कार्यालय, फतेहपुर द्वारा वर्ष 1977–78 में 9,568 अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया तथा उनमें से 372 अभ्यर्थियों को नौकरी पर लगाया गया। वर्ष 1978-79 में 7,724 अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया और उनमें से 310 अभ्यर्थियों को नौकरी पर लगाया गया। वर्ष 1979–80 में अप्रैल, 1979 से नवम्बर, 1979 तक 5,441 अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया तथा उनमें से 76 अभ्यर्थियों को नौकरी पर लगाया गया

नगरपालिका बिन्दकी जिला, फतेहपुर को मार्ग निर्माण हेतु दिया गया अनुदान

29—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जनपद की बिन्दकी नगरपालिका को वर्ष 1978–79 व 1979–80 में कितनी धनराशि मार्ग व नाली निर्माण हेतु अनुदान में दी गयी है ? यदि अनुदान सड़क निर्माण हेतु नहीं दिए गये तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

नगरपालिका बिन्दकी को वर्ष 1978–79 में रुपए 27,900 तथा वर्ष 1979–80 में रुपए 55,800 की धनराशि का अनुदान मार्ग तथा मार्ग के किनारे की नालियों के निर्माण एवं सुधार हेतु स्वीकृत किया गया है ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से मांगी गयी सूचना पद रिक्त रिक्त पद

30—श्री दयाराम भास्कर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि शासन के चिकित्सा अनुभाग–5 के अर्द्ध-शासकीय पत्र सं0 4879/पाँच–5–जी–52/79, दिनाँक 24–8–79 द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से कुछ सूचनाएं माँगी गयी हैं ? यदि हाँ, तो क्या यह सूचना उनके द्वारा उपलब्ध करा दी गयीं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ, किन्तु सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में स्थायीकरण हेतु सम्प्रेक्षक के रिक्त पद

31—श्री दया राम भास्कर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (मुख्यालय) में कितने सम्प्रेक्षक के पद स्थायी होने के लिए रिक्त पड़े हैं तथा उन पर स्थायीकरण कब करेंगे ? क्या इन पदों पर शासनादेश संख्या 15/25/73–रा0एकी0, दिनाँक 10–5–76 के पैरा 4 के अनुसार स्थायीकरण में अनुसूचित जाति को आरक्षण प्रदान किया जायगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

सम्प्रेक्षक के 5 पद स्थायीकरण हेतु सम्प्रति रिक्त हैं। सम्प्रेक्षक का पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आता है। इन पदों पर नियमानुसार नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के अनुमोदित हो जाने के उपरान्त स्थायीकरण तथा प्रश्नगत शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति को स्थायीकरण में आरक्षण प्रदान करने पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का आरक्षण कोटा

32—श्री दयाराम भास्कर—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय (मुख्यालय) में सभी अराजपत्रित पदों पर अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो किन-किन पदों पर आरक्षित कोटा नहीं पूरा है इसे कब तक पूरा किया जायगा?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं।

वरिष्ठ लिपिक/लेखा निरीक्षक/स्टाक वेरीफायर, कनिष्ठ लिपिक, सर्वेयर, आशुलिपिक व चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के पदों पर आरक्षण कोटा पूरा नहीं है। सम्बन्धित सम्वर्गों में रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर व अभ्यर्थी मिलनेपर निर्धारित कोटा पूरा किया जाना सम्भव हो सकेगा।

33—श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

(5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

पिथौरागढ़ जिले के सुरिन माइक्रो हाइडिल योजना के निर्माण की योजना

34—श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ)—

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगें कि जनपद पिथौरागढ़ की मुन्सियारी तहसील के अन्तर्गत सुरिन (शम्मु नदी) माइक्रो हाइडिल योजना निर्माण किए जाने हेतु अब तक विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? क्या यह सही है कि इस योजना के निर्माण किए जाने हेतु गत वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति होने के बाद निर्माण हेतु टेंडर आमंत्रित किए गये थे और कुछ समय बाद समस्त कार्यवाही स्थगित कर ली गयी थी? यदि हाँ, तो ऐसा करने के क्या कारण थे? क्या सीमान्त जनपद के सीमान्त क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की इस योजना को अविलम्ब निर्माण किया जायगा? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री रेवती रमण सिंह—

जनपद पिथौरागढ़ की मुन्सियारी तहसील के अन्तर्गत सुरिन माइक्रो हाइडिल योजना के निर्माण के लिए योजना बनाकर योजना आयोग से स्वीकृति ले ली गयी है। चूंकि योजना के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय सहायता का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है इसलिए निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

जी नहीं। शासन द्वारा अनुदान स्वीकृत न होने के सबब से कोई टेंडर आमन्त्रित नहीं किये गये और न कोई कार्य ही शुरू किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनहित में प्रश्नगत योजना का निर्माण कार्य वित्तीय सहायता उपलब्ध होने पर शीघ्र आरम्भ किया जायेगा।

हरदोई जिले के विकास खण्ड मल्लावां एवं माधोगंज के ग्रामों का विद्युतीकरण

35—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जिले के विकास खण्ड मल्लावाँ एवं माधोगंज के कई गाँवों में विद्युतीकरण की कोई व्यापक योजना गत वर्ष स्वीकृत हुई थी? यदि हाँ, तो वह योजना क्या है और अब तक क्रियान्वित न किये जाने के कारण क्या हैं?

श्री रेवती रमण सिंह—
जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।

36—श्री दया राम भास्कर—
[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोरखपुर जिले के निचलौल कस्बे में बिजली के तार से मकानों को क्षति

37—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—
क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में निचलौल टाउन फीडर में लगे पोलों पर तार की अधिक जोरों के कारण 3-4-79 को बिजली तार टूटने से दर्जनों घर जल कर राख हो गये जिसमें 60,000 रुपए की क्षति ग्रामवासियों की हुई है? क्या इसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दूरभाष 4-4-79 द्वारा क्षति पूर्ति दिलाने एवं विभागीय लापरवाही से हुई हानि की जाँच कराने की माँग की गयी थी ? यदि हाँ, तो कार्य न होने का क्या कारण है ?

श्री रेवती रमण सिंह—
दिनाँक 3-4-79 की स्थिति में जनपद गोरखपुर में निचलौल कस्बे की एल0टी0 लाइन के तार का तनाव (Sag) तथा तारों के बीच की आपसी दूरी नियमतः सही थी तथा इस एल0टी0 लाइन में कन्डक्टर के जोड़ भी अधिक नहीं थे। इस तिथि को अत्यधिक तीव्र धूल भरी हवा चल रही थी। इस बात की सम्भावना हो सकती है कि तेज हवा के कारण तारों में चिंगारी निकली हो जिससे लाइन के नीचे अनधिकृत रूप से, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 की धारा 82 का उल्लंघन करते हुए, बनायी गयी झोपड़ियों में आग पकड़ गयी हो। माननीय सदस्य द्वारा दिनाँक 4-4-79 को दूरभाष से की गयी बातचीत के सम्बन्ध में शासन को जानकारी नहीं है ।

गोरखपुर जिले के सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़हलगंज की कर्मचारी श्रीमती कल्याणी देवी का निलंबन

38—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—
क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डेरवा, उपकेन्द्र बड़हलगंज के अल्प वेतन भोगी कर्मचारी, कल्याणी देवी को 32 माहों से निलम्बित रखा गया है और अभी तक स्पष्टीकरण देने हेतु आरोप पत्र नहीं दिए गये हैं ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—
जी हाँ। एक नाबालिग किशोर की नसबन्दी सम्बन्धी गम्भीर शिकायत की जाँच के फलस्वरूप प्रेरक श्रीमती कल्याणी देवी तथा शल्यक डा0 पी0एस0 अग्रवाल को दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के उद्देश्य से श्रीमती कल्याणी देवी को दिनांक 30-10-76 से सक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया था ।

चूंकि उपरोक्त शल्यक तथा श्रीमती कल्याणी देवी का मामला एक दूसरे से सम्बद्ध है, इस कारण उन दोनों के विरुद्ध आरोपों की जाँच एक ही अधिकारी द्वारा एक साथ कराया जाना उपयुक्त होगा। सम्बन्धित शल्यक के विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार करने हेतु विभिन्न सूत्रों से सुसंगत अभिलेखों एवं आवश्यक विस्तृत सूचनाएं प्राप्त करने के प्रयास अनेक बार किए गये। लम्बे पत्र व्यवहार के बाद अब पूरी सामग्री शासन स्तर पर प्राप्त हो गयी है और शल्यक के

विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार होते ही श्रीमती कल्याणी देवी का आरोप-पत्र तदनुसार तैयार करवाकर, दोनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करना सम्भव हो जायगा ।

उपरोक्त परिस्थिति में श्रीमती कल्याणी देवी को आरोप-पत्र देने में हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व स्थापित करके किसी के भी विरुद्ध कार्यवाही करन का प्रश्न नहीं उठता है ।

स्वास्थ्य विभाग, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया में खाद्य पदार्थों के नमूनों की नीलामी

39—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार नियोजन, लखनऊ के पत्र संख्या 28-एफ-282/75-2752, दिनाँक 5 सितम्बर, 1955 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया था कि घोषित विशुद्ध नमूनों से प्राप्त सामानों को नीलाम करके नीलाम से प्राप्त धनराशि राजकीय कोषागार में जमा किया जाय, प्रश्नकर्ता की जानकारी में वर्ष 1975 से लेकर 1978-79 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया द्वारा प्राप्त नमूनों को नीलाम न करके सीध अवैध तरीकों से वितरित करके सरकारी धन की क्षति की गयी है ? क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ, स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा कथित आदेश, दिनाँक 5-9-75 को दिये गये थे ।

जनपद गोरखपुर, बस्ती तथा देवरिया में वर्ष 1975 से 1978-79 तक खाद्य पदार्थ के विशुद्ध घोषित किये गय नमूनों में से उन नमूनों को, जो खाने योग्य नहीं रह गये थे, नष्ट कर दिया गया । खान योग्य नमूनों में से कुछ को नीलाम करके प्राप्त धनराशि सरकारी कोष में जमा की गयी और शष नमूनों को नीलाम करने की कार्यवाही चल रही है । इस प्रकार मामले में जाँच कराने अथवा किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर की विशेष आडिट रिपोर्ट

40—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंग कि वर्ष 1977-78 के बजट धनराशि से मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा माह जनवरी-फरवरी, 1978 में भारी मात्रा में दवाओं का अनियमित ढंग से क्रय करने की सूचना पाकर अक्तूबर, 1978 में राज्य सरकार ने विशेष आडिट कराने का आदेश दिया था ? यदि हाँ, तो आडिट रिपोर्ट क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सम्परीक्षा दल द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के वर्ष 1977-78 के बजट की धनराशि से किये गये क्रय की विशेष सम्परीक्षा कराई गयी । सम्परीक्षा रिपोर्ट वृहद है, अतः उक्त रिपोर्ट की संक्षिप्त संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1046 पर)

गोरखपुर जिले में अनुसूचित जति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्ग की दाइयों की नियुक्ति

41—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत मिडवाइफों की कमी के कारण प्रशिक्षण प्राप्त स्थानीय दाइयों की नियुक्ति, इस कमी को दूर करन के लिए, करने का निदेश 1978-79 में दिया है ? क्या उस निदेश के तहत जनपद गोरखपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी न मार्च, 1979 में दाइयों की नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जातियों का ध्यान एवं स्थानीय प्रशिक्षण प्राप्त दाइयों का ध्यान न देकर नियुक्तियाँ की हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अवैध नियुक्तियों को निरस्त करन पर विचार करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं, वित्तीय वर्ष 1978–79 में कोई निदेश जारी नहीं किये गये।

वर्ष 1979 में जनपद गोरखपुर में 50 प्रशिक्षित दाइयों को अंशकालीन सेविका के पद पर नियुक्त किया गया इनमें से 46 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति व पिछड़ी जाति की, 2 अल्प संख्यक तथा 2 सवर्ण वर्ग की थीं। स्थानीय प्रशिक्षण प्राप्त दाइयों को उनके प्रशिक्षण स्थल, निवास स्थान अथवा उनके द्वारा इच्छित स्थानों पर, स्थान रिक्त होने की स्थिति में, नियुक्ति की गयी।

उपरोक्त स्थिति में नियुक्तियों को निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

महिला अस्पताल, लखनऊ के स्वास्थ्य निरीक्षका के वेतन का निर्धारण

42—श्री राजपति मिश्र—

तृतीय सत्र 1978 के प्रथम गुरुवार के नत्थी (ग) के ता0 प्रश्न सं0 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि सम्बन्धित स्वास्थ्य निरीक्षिका के वेतन निर्धारण अवशेष जो रु0 1099.70 पैसे है, का भुगतान अभी तक (19 सितम्बर, 1979) नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो अभी तक भुगतान न करने का क्या कारण है तथा भुगतान के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रयास किया गया और कब तक भुगतान कर दिया जायगा?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ। अवशेष बिल महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को पूर्व सम्परीक्षण हेतु भेजा गया है जिसके लिए उन्हें अनुस्मारक भी भेजा गया है। पूर्व सम्प्रक्षण के उपरान्त अवशेष बिल प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

गोरखपुर जिले के ग्राम रुदलापुर और करमही, गौरी किशुन व बसडिला हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की मांग

43—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास, सिसवा बाजार, गोरखपुर के ग्राम सभा रुदलापुर और करमही की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1973-74 में जो खम्भे गिराये गये थे उन खम्भों को बिना हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण किये ही उठवा लिया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के हरिजन बस्ती का पुनः खम्भा गिरवाकर विद्युतीकरण करेगी?

श्री रेवती रमण सिंह—

खण्ड विकास सिसवा बाजार, गोरखपुर के ग्राम सभा रुदलापुर और करमही की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1973–74 या तत्पश्चात् इन ग्रामों में खम्भे गिराये नहीं गये हैं, अतः उनको उठवा लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा रुदलापुर और करमही की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण पर अनुमानित लागत क्रमशः रु0 6,500 एवं रु0 5,500 है, जबकि परिषद् द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार एक हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण पर रु0 3,000 (अधिकतम) तक ही व्यय किया जा सकता है। अतः वर्तमान स्थिति में इन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है।

44—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या विद्युत मन्त्री बतायेंगे कि खण्ड विकास सिसवा बाजार तथा मिठोरा ब्लाक के ग्राम सभा गौरी किशुन बसडिला, कोडलापुर, मिठौरा सेमरा शाह, सोनवरसा के हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण करते समय शासनादेश की अवहेलना करके हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं किया गया? क्या सरकार उन हरिजन बस्तियों में प्रकाश देने हेतु विद्युतीकरण करायेगी?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं ।

विकास खण्ड सिसवा बाजार तथा मिठौरा के ग्राम सभा गौरी किशुन, बसडिला कोडलापुर, सेमरा शाह तथा सोनबरसा की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण मूल ग्रामों के विद्युतीकरण के साथ-साथ ही किया जा चुका है ।

ग्राम मिठौरा की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण मूल ग्राम के विद्युतीकरण के साथ लकड़ी के खम्भों के अभाव के कारण नहीं किया जा सका है तथा इस हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु लकड़ी के खम्भ प्राप्त करन के लिए सतत् प्रयत्न किए जा रहें हैं तथा इनके उपलब्ध होते ही इस हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण भी कर दिया जायेगा ।

मेडिकल कालेजों, स्नातकोत्तर डिग्री कालेजों में अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग

45—श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेडिकल कालेजों में विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति को आरक्षण प्रदान करने पर शासन विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय लेकर अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान कर दिये जाने की संभावना है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं ।

ग्राम सभा शिवाजोत, जिला बहराइच में जन स्वास्थ्य रक्षक के चयन के विरुद्ध शिकायत

46—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

विधान सभा के तृतीय सत्र की कार्यसूची दिनाँक 30 अगस्त, 1979 के नत्थी (ख) के अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ग्राम सभा शिवा जोत, ब्लाक इकौना जनपद बहराइच में सी0 एच0 डब्लू0 क चयन में श्री राम सुन्दर प्रधान व अन्य व्यक्तियों की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं और जिलाधीश बहराइच द्वारा शिकायतों की जाँच न कराने का क्या कारण है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

ग्राम सभा शिवाजोत ब्लॉक इकौना जनपद बहराइच में सी0 एच0 डब्लू0 के चयन में श्री राम सुन्दर प्रधान व अन्य कई व्यक्तियों की मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्न थीं:—

(1) ग्राम सभा शिवाजोत के निवासी का जनस्वास्थ्य रक्षक हतु चयन न किया जाना ।

(2) प्रभारी चिकित्साधिकारी, इकौना, बहराइच द्वारा उक्त चयन हेतु प्रार्थीगणों की परीक्षा लेने एवं प्रश्नगत ग्राम सभा में स्थान रिक्त रखे जान की गलत सूचना देना ।

(3) प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा अपने ही व्यक्तियों या उन प्रार्थीगणों से परीक्षा लेना जो अचानक किसी कार्यवश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपस्थित थे ।

(4) अधिक योग्यता के व्यक्तियों का कम संख्या में चयन करना ।

उपरोक्त शिकायतों की जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा जाँच कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

विद्युत सब स्टेशन, पिण्डरा, अनेई चोलापुर वाराणसी को विद्युत आपूर्ति और नलकूपों को दिये गये विद्युत कनेक्शन

47—श्री ऊदल—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत सब स्टेशन पिंडरा, अनेई तथा चोलापुर जिला वाराणसी में 22 जून, 1979 से लेकर ता0 10 जुलाई, 1979 तक चौबीस घंटे

बिजली की सप्लाई नहीं हुई है ? क्या यह सही है कि पिंडरा सब विद्युत् स्टेशन को पहले जौनपुर से भी रेगुलर सप्लाई हेतु बिजली मिलती रही है ? यदि हाँ, तो जून से लेकर 10 जुलाई, 1979 तक जौनपुर से बिजली सप्लाई न करने का कारण क्या है ? इस संबंध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् विभाग, मडुआडीह, वाराणसी को जुलाई के प्रथम सप्ताह में भेजा है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हाँ। 22 जून, 1979 से 10 जुलाई, 1979 तक की अवधि में पिन्डरा को पौने 16 घंटे, अनेई को सवा 20 घंटे तथा चोलापुर को 17 घंटे बिजली दी गयी।

जी नहीं। पिन्डरा के लिये जौनपुर से वैकल्पिक व्यवस्था है परन्तु यह यांत्रिक दृष्टि से न्याय संगत नहीं है।

जी हाँ। माननीय विधायक के पत्र का उत्तर 9 अगस्त, 1979 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दे दिया गया था।

48--श्री ऊदल--

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब विद्युत् स्टेशन पिंडरा, अनेई, चोलापुर वाराणसी से पंपिंग सेट हेतु कनेक्शन प्राप्त करने के लिये 100 व्यक्तियों ने सन 78 में ही एग्रीमेन्ट करके रुपया जमा कर दिया है और कनेक्शन उन किसानों को आज तक नहीं प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में 15 राजकीय नलकूपों को भी अब तक कनेक्शन नहीं दिया जाता है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी नहीं। विद्युत् सब स्टेशन पिंडरा, अनेई तथा चोलापुर, वाराणसी से निजी नलकूप के कनेक्शन हेतु वर्ष 1978-79 में 182 व्यक्ति ने (न कि 100 ने) रुपया जमा करके एग्रीमेंट किया था।

इन 182 व्यक्तियों में से 177 व्यक्तियों को कनेक्शन दिया जा चुका है। चार व्यक्तियों के कलस्टर में से एक व्यक्ति द्वारा कनेक्शन लेने से इन्कार कर दिये जाने की स्थिति में बचे तीन व्यक्तियों का कलस्टर पुनः बनाकर दिनाँक 15 दिसम्बर, 1979 को पैसा जमा करा के एग्रीमेंट करा लिया गया है तथा कनेक्शन दिय जाने की कार्यवाही की जा रही है। एक मामले में न्यायालय से स्टे आर्डर ले लिया गया है। तथा न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

जी नहीं। वर्ष 1978-79 में जिन 15 राजकीय नलकूपों को बी० एण्ड एल० फार्म उपलब्ध हुये थे उन सभी को सितम्बर, 1979 के अन्त तक कनेक्शन दिया जा चुका है।

प्रभारी महिला चिकित्साधिकारी विहीन राजकीय महिला चिकित्सालय

49--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन राजकीय महिला चिकित्सालयों में महिला प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (एम० ओ० इंचार्ज) नहीं है ? यदि नहीं है, तो कब तक पूर्ति कर दी जायगी और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रा० स्वा० केन्द्रों पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नहीं है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

इस समय प्रदेश में संलग्न सूची में उल्लिखित राजकीय महिला चिकित्सालयों में प्रभारी महिला चिकित्साधिकारी नहीं है। इन चिकित्सालयों में महिला डाक्टरों की नियुक्ति हतु प्रयास किये जा रहे हैं और आशा है कि निकट भविष्य में इन स्थानों पर महिला डाक्टरों की तैनाती कर दी जायेगी।

इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में केवल दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों–कठकुईयाँ (देवरिया) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पटेहरा (मिर्जापुर) में प्रभारी चिकित्साधिकारी नहीं है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1047 पर)

50––श्री हुकम चन्द्र तिवारी––

(3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

51––श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री राम आसरे वर्मा––

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में अनुसूचित जाति के लेखा निरीक्षक

52––श्री बिहारी लाल हंस––

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय (मुख्यालय) में लेखा निरीक्षकों के पदों पर अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्या रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की आरक्षित कोटा पूरा करन हेतु भरती की जायेगी ?

श्री बनारसी दास––

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय (मुख्यालय) में लेखा निरीक्षकों के केवल 2 पद स्वीकृत हैं और सम्प्रति इन पर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं है। इन पद्रों का अन्य समकक्ष पदों क साथ समूहीकरण करके नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था किय जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधिष्ठान अनुभाग के कर्मचारी श्री हरीश कुमार का स्थानान्तरण और उनके द्वारा मकान का निर्माण

53––श्री मन्जूर अली खां (जिला रामपुर)––

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक "द्वितीय" श्री हरीश कुमार द्वारा गत वर्ष स्वास्थ्य निरीक्षकों के स्थानान्तरणों में की गई अनियमितताओं के आधार पर शासन ने निदेशक को यह आदेश दिये थ कि इनको भविष्य में अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य करने को न दिया जाय ?

श्री रमा शंकर कौशिक––

प्रशासनिक दृष्टि से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में कई वर्षों से अधिष्ठान अथवा अनुदान से संबंधित कार्य करन वाले कर्मचारियों को अन्य अनुभागों में जहाँ उक्त कार्य न होता हो; में स्थानान्तरित करने के निदश दिये गये थे जिसके आधार पर श्री हरीश कुमार जब से मुख्य सहायक के पद पर कार्यरत थे अधिष्ठान कार्य से संबंधित अनुभाग से अन्य अनुभाग में स्थानान्तरित किये गये।

54––श्री मन्जूर अली खाँ––

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतायेंगे कि उक्त शासनादेश में स्पष्ट आदेश होने पर भी ये निदेशालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य-कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर ? क्या श्री हरीश कुमार ने मोहन मेकिन्स, डालीगंज के सामने दो लाख रुपये का मकान बनाया है ? यदि हां, तो यह दो लाख रुपये की धनराशि इनके पास कहां से प्राप्त हुई ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक––

वैयक्तिक सहायक (द्वितीय) के पद पर प्रोन्नति के उपरान्त उक्त पद के कर्त्तव्य एवं दायित्व के अनुसार अन्य कार्य के अतिरिक्त श्री हरीश कुमार निदेशक/अतिरिक्त (प्रशासन) के परिवेक्षण में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का अधिष्ठान करते रहे और उस पद से 31–12–79 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं। श्री हरीश कुमार ने

लखनऊ में मकान बनवाया है किन्तु उसकी लागत के संबंध में कोई सूचना सम्प्रति उपलब्ध नहीं ह ।

श्री सी०पी० यादव, अवर अभियन्ता, विद्युत् वितरण खण्ड, सीतापुर के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

55—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या बिजली मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् वितरण खंड, सीतापुर (क्षेत्र हरगांव) के एक अवर अभियन्ता (श्री सी0 पी0 यादव) के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के बारे में कोई जांच अधी0 अभियन्ता, सीतापुर के आदेश पर जून अथवा जुलाई, 1979 में कराई गई ? यदि हां, तो आरोप क्या थे, जांच किसने की, क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां। अवीक्षण अभियन्ता, सीतापुर द्वारा जून, 1979 में जांच के आदेश दिये गये थे। श्री सी0 पी0 यादव, अवर अभियन्ता विद्युत् वितरण खंड, सीतापुर (क्षेत्र हरगांव) के विरुद्ध अधीनस्थ कर्मचारियों का स्थानीय समस्याओं के प्रति उदासीनता तथा अनधिकृत रुप स कतिपय विद्युत् कनेक्शन चालू रखाने से संबंधित शिकायतें थीं। इन शिकायतों की जांच उप-खंड अधिकारी, विद्युत् वितरण उपखंड, प्रथम, सीतापुर द्वारा की जा रही ह, जो अभी पूरी नहीं हुई है ।

गोरखपुर जिले के ग्राम गोपालपुर एवं रुस्तमपुर को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

56—श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगरपालिका की सीमा के विस्तार किये जाने हेतु गोपालपुर, रुस्तमपुर आदि ग्रामों को नगरपालिका क्षत्र में सम्मिलित किये जाने हतु नगरपालिका, गोरखपुर के प्रशासन के कई पत्र विगत 2–3 वर्ष के अन्दर शासन को प्राप्त हुय ह ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

जी हां ।

नगरपालिका गोरखपुर के सीमा विस्तार के प्रस्ताव का परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि जिन ग्रामों को पालिका में शामिल करने का प्रस्ताव ह, उनकी ग्राम सभाओं ने इस हेतु सहमति का प्रस्ताव पारित नहीं किया ह। जिला मैजिस्ट्रेट गोरखपुर को उक्त ग्राम सभाओं से वांछित प्रस्ताव पारित कराकर, शासन को प्रेषित करने हतु लिखा गया ह । इसके अतिरिक्त जनगणना के कार्यक्रम को दृष्टिगत रख कर, भारत सरकार के निर्देशानुसार, स्थानीय निकायों के सीमा विस्तार के प्रस्ताव 30 जून, 1981 तक के लिए स्थगित कर दिये गये हैं ।

गोरखपुर नगरपालिका की दोषपूर्ण सीवर लाइन के विरुद्ध जांच समिति का गठन

57—श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की गोरखपुर नगरपालिका के प्रशासक का कोई पत्र स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा सीवरेज की लाइन को दोषपूर्ण ढंग स बिछाये जाने और उसकी उच्चस्तरीय जांच सम्बन्धी कोई पत्र 1977–78 में शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

जी हां, प्रशासक गोरखपुर का पत्र दिनांक 1-6-78 प्राप्त हुआ।

गोरखपुर जलोत्सारण योजना में सीवर लाइन को दोषपूर्ण ढंग से बिछाये जाने की जांच कराये जाने हतु शासन द्वारा आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन 27 दिसम्बर, 1979 को किया गया है।

58--श्री श्रीनारायण--

(3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

59--श्री श्रीनारायण--

(5 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

देवरिया जिले के लक्ष्मी गंज व राजा बाजार खड्डा को टाउन एरिया बनाए जाने की मांग

60--श्री श्रीनारायण--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के लक्ष्मीगंज और राजाबाजार खड्डा को टाउन एरिया घोषित करने में सरकार के सामन कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं और इनके निवारण हतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही ह ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

लक्ष्मीगंज, जिला दवरिया तथा राजाबाजार खड्डा, जिला देवरिया को टाउन एरिया घोषित करना इसलिए सम्भव नहीं हो रहा हैं कि निर्धारित मापदण्ड के हिसाब से उनकी आबादी तथा आय बहुत कम है। लक्ष्मीगंज तथा खड्डा ग्राम सभाओं ने टाउन एरिया सृजित करने का प्रस्ताव का विरोध किया ह। इसके अतिरिक्त 1981 की जन गणना के कार्य क्रम के परिपेक्ष में भारत सरकार ने यह आदेश दिये हैं कि जनगणना समाप्त होने के पश्चात ही नगरों के सृजन तथा नगर सीमाओं के परिवर्तन पर कार्यवाही की जाय।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मैं आपका ध्यान प्रश्नों के सम्बन्ध में नियम 49 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस आदरणीय सदन में एक बहुत गंभीर मामला प्रश्न के रूप में उठा था। अलीगढ़ जिले में एक महिला तथा उसके दोनों बच्चों की हत्या कर दी गयी। आदरणीय सदन के बहुत से सदस्यों ने प्रश्न किये थे। मेरी नियम 49 के अन्तर्गत सूचना को इसलिये खारिज कर दिया गया था कि मामला सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द है। सी0 आई0 डी0 में कोई मामला सबजूडिस तो नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह फैसला मैंने किया है। आपको मेरे संज्ञान में इसे लाना था। आप मेरे कक्ष में आ जाते और वहां बातचीत कर लेते।

विधान सभा अध्यक्ष के निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव

श्री काली चरण (जिला गाजीपुर)--

मरा एक सुझाव ह, मान्यवर। पूर्व निश्चय के अनुसार आज विधान सभा के अध्यक्ष का नाम निर्देशन था और कल उसका चुनाव होने वाला था। क्योंकि इस पद की गरिमा और सदन की परम्परा के अनुसार वह निर्णय सर्वसम्मति से ही होना चाहिये इस प्रयास में चूंकि अभी तक हमारे दल के लोगों को सफलता नहीं मिली है इसलिये मेरा सुझाव है कि यह निर्वाचन स्थगित कर दिया जाय।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त खेद है कि अध्यक्ष का चुनाव किन्हीं कारणों से टलता जा रहा है। आज इस मकसद के लिये सदन के सभी नेताओं की बैठक बुलाई गयी और उसमें कोई मतैक्य नहीं हो पाया। कुछ नेता चाहते थे कि उनको समय नहीं मिला खास तौर से जनता पार्टी ने, तो सबने यह निश्चय किया कि आज इसको स्थगित कर दिया जाय। इसलिये मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले तो राज्यपाल का आदेश होना चाहिये कि यह तारीख निरस्त की जाती है उसके बाद यह प्रस्ताव आता तो ज्यादा मुनासिब था।

श्री बनारसी दास—

प्रस्ताव पास करने के लिये नियमावली के नियम 8 के अनुसार राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल की अनुमति बाद में मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आप अपना प्रस्ताव रख दें।

श्री बनारसी दास—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 8 फरवरी, 1980 को पारित प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उप नियम (1) के परन्तुक के खंड (ख) के उपबन्धों को पुनः निलम्बित करते हुए एतद्द्वारा यह निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन आगामी सत्र के आरम्भ से 15 दिनों के भीतर, ऐसी तिथि, को जो श्री राज्यपाल इस सम्बन्ध में नियत करें, किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि यह सदन दिनांक 8 फरवरी, 1980 को पारित प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उप नियम (1) के परन्तुक के खंड (ख) के उपबन्धों को पुनः निलम्बित करते हुए एतद्द्वारा यह निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन आगामी सत्र के आरम्भ से 15 दिनों के भीतर, ऐसी तिथि को जो श्री राज्यपाल इस सम्बन्ध में नियत करें, किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष जी, मैं इसमें संशोधन पेश करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपको उस समय पेश करना चाहिए था जब मुख्य मंत्री जी ने इसको पेश किया था। तब ही आप आपत्ति उठा सकते थे।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, यह हर बार टाला जाता है। आपकी वजह से यह फिर टाल दिया गया। मालूम पड़ता है ये आपको नहीं बनाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह क्या मालूम कि हमको ही बनाना चाहते हैं। आप बैठिये। जिसको सदन बनाना चाहेगा, वह बनेगा। मेरा या दूसरे का सवाल नहीं है।

ललितपुर जनपद के जिला कृषि अधिकारी द्वारा की जा रही बेईमानी, अन्याय एवं पक्षपातपूर्ण रवैये से कर्मचारियों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, ललितपुर जनपद के जिला कृषि अधिकारी के द्वारा की जा रही घोर बेईमानी, अन्याय एवं पक्षपात पूर्ण रवैये से वहाँ के सभी बीज भंडार के कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है क्योंकि लगभग 25 हजार रुपय की जबरन अवैधानिक वसूली भंडार के इंचार्जों से वसूल कर चुके हैं और निकट में उन्होंने 10,500 रु0 की रिवाल्वर, 7,000 का स्कूटर, एवं 2,000 रु0 की भैंस दो माह के अन्दर खरीदी है। यह नियुक्तयों, स्थानान्तरण आदि के माध्यम से ब्लैक मल करते हैं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निलम्बन, विभिन्न प्रकार की सजायें आदि की धमकियाँ देते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर बारे लाल का प्रार्थना पत्र, कृषि फार्म का डीजल निकट में घर भिजवाया है जिससे फार्म की हानि हुई है तथा सरकार से मिली खाद पर छूट में भी जबरदस्ती कमीशन लते हैं इसलिय किसानों में असन्तोष व्याप्त है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण कर गैर विभागीय अधिकारी से जाँच कराकर कार्यवाही करने के आदश कृषि मंत्री को दें जिससे राजकीय पद का दुरुपयोग न हो सके और कोई भी अनहोनी घटना न घटित हो सके क्योंकि अभी-अभी निकट में बहराइच से भी 18,000 रुपय की रिकवरी हो चुकी है।

बस्ती जिले के गौर क्षेत्र के बी०डी०ओ० द्वारा घपले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

मान्यवर, बस्ती जिलान्तर्गत विकास क्षेत्र गौर के बी0 डी0 ओ0 ने अन्त्योदय, खाद्यान्न स्थानीय विकास योजनाओं में बीसों लाख रुपये का घपला कर रखा है। सम्पर्क मार्गों के नाम आवंटित खाद्यान्न की खुली लूट हो रही है। सम्पर्क मार्ग का कहीं पता नहीं है। दस-दस गज मिट्टी डलवाकर फर्जी भुगतान दिखा कर सैकड़ों ट्रक गल्ला अपने घर भेज चुक हैं। तालाबों को गहरा करने के नाम पर एक-एक तालाब में दस पाँच घन फुट मिट्टी निकलवाकर पचास-पचास हजार रुपये का भुगतान दिखाकर लूट हो रही है। अन्त्योदय योजना के नाम पर खुली लूट हो रही है। गरीबों के लाभान्वित होने की जगह ब्लाक कर्मचारी तथा बी0 डी0 ओ0 ही लाभान्वित हो रहें हैं। स्थानीय विकास योजना के नाम पर चालीस-चालीस हजार का भुगतान बिना भूमि अनुबंधित कराये ही दस प्रतिशत कमीशन लेकर हो रहा हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी को सप्रमाण दिनाँक 21-1-1980 को बी0 डी0 ओ0, गौर के लूट के विरुद्ध लिखकर दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बी0 डी0 ओ0 का स्थानान्तरण करके सतर्कता विभाग से जाँच करनें का भी आदेश कर दिया है फिर भी अब तक उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पचासों ट्रक गल्ला बी0 डी0 ओ0 अपने घर भेज रहा है और बीसों लाख का घोटाला है। पूरे बस्ती जनपद में गौर के बी0 डी0 ओ0 की लूट की चर्चा है।

अतः शासन द्वारा तत्काल कार्यवाही के लिये माननीय सदन द्वारा सूचना दे रहा हूं जिससे तत्काल लूट बन्द हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुहल्ला दीपा सराय, सम्भल, मुरादाबाद में कांग्रेस (आई) के जुलूस के कुछ व्यक्तियों द्वारा फायरिंग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सदन का तथा शासन को ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं—

दिनाँक 1-1-80 को दिन के लगभग 10 बजे काँग्रेस (आई) का एक जुलूस मुहल्ला दीपासराय, सम्भल, मुरादाबाद से निकला जिसमें श्री बिजाहत हुसैन, श्री मोहम्मद राशिद पुत्र श्री हमीम हुसैन और मशकूर हुसैन पुत्र श्री मंजूर हुसैन आदि बंदूकें लिए बराबर फायरिंग करते हुए जुलूस में चल रहे थे। जब कि शहर म धारा 144 लगी हुई थी। जब यह जुलूस लोक दल के चुनाव कार्यालय, मोहल्ला दीपा सराय के सामन पहुंचा जहाँ पर लोक दल के सैकड़ों कार्यकर्त्ता मौजूद थे उस जगह जुलूस को रोक कर उपरोक्त व्यक्तियों ने कई फायरिंग किये और यह कहा कि हम गोली की नोंक पर वोट लेंगे और श्रीमती शान्ति देवी जो सम्भल चुनाव क्षेत्र से लोकदल की उम्मीदवार थीं, के खिलाफ गन्दे-गन्दे नारे लगाये।

उपरोक्त वाकये से वहाँ के लोगों में भय का वातावरण पैदा हो गया है। इस सम्बन्ध में श्री महमूद पुत्र श्री हाजी खलीलुर्रहमान, निवासी दीपा सराय ने कोतवाली सम्भल में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक बंदूक भी मौके पर पकड़ी जो श्री वजाहत हुसैन की थी तथा इसके अलावा अन्य बन्दूकों को कब्जे में अभी तक नहीं लिया गया है और स्थानीय पुलिस अभी तक इस सम्बन्ध में काँग्रेस (आई) के दबाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं कर रही है जिससे काफी असंतोष फैल रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय को मैं सदन के संज्ञान में लाकर अपेक्षा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस हुई घटना की जाँच करायेंगे तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करन की कृपा करेंग।

नियम 301 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 301 में जो सूचना पढ़वाते हैं उनके लिए तय हुआ था, शुरू में जब यह प्रथा चली थी यह तय हुआ था कि चूंकि यह बहुत बड़ा प्रदेश है कई गंभीर प्रश्न आते हैं उन सब को नियम 51 में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न जो हों उनको 301 में सदन के समक्ष आ जाना चाहियें। इसका मतलब यह होता है कि जो नयें-नये गंभीर मामले हों और अविलम्बनीय लोक महत्व के हों जिनको नियम 51 में नहीं लिया जा सका वे लिये जायं। जो पुराने मामले हैं जिनको एक महीना गुजर गया उनको इसमें लिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका ध्यान रखा जाता है। माननीय रियासत साहब ने जो सुझाव दिया है इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जायेगा।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मेरा भी इसी में एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कार्य मंत्रणा समिति में आते हैं। इसके बारे में निश्चय हो जायेगा। बारी साहब को पढ़ लेने दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम धर मिश्र—

नियम 301 के बारे में है। रियासत साहब ने बहुत सही प्रश्न उठाया है। लेकिन मैं उससे अलग प्रश्न उठा रहा हूं। श्रीमन्, आप जानते हैं कि नियम 301 के संबंध में हम लोग यहाँ बराबर प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर भी आ रहे हैं, कुछ धीर और देर में आते हैं। लेकिन इधर कुछ माह से यह परिपाटी हो गई है, आपकी आज्ञा से आपकी अध्यक्षता में निर्णय हुआ था कि नियम 301 में जो बातें रखी जायेंगी वह केवल कुछ वाकयात के बारे में पूछने के लिये रखी जायेंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपकी आज्ञा से कुछ माँगें पेश की जा रही हैं, प्रस्ताव पेश किये जा रहे हैं जिसकी स्वीकृति आप दे रहे हैं। आज-कल परसों आप देख लीजिये कि बराबर इस तरह की माँगें सरकार से की जा रही हैं। इसका उद्देश्य यह नहीं था कि माँगें रखी जायं बल्कि उद्देश्य यह था कि सरकार से सूचना माँगी जाय। इस विषय में जो इसकी मंशा थी उसके विपरीत हो रहा है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 56 में काम रोको प्रस्ताव पेश होता है। उसमें अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना हो, नियम 51 में अविलम्भनीय लोक महत्व की घटना का जिक्र है, नियम 52 में किसी पर चर्चा 2 घंटे की हो सकती है। लेकिन 301 में मैं देखता हूं नाम लेकर लोगों पर आक्षेप किया जाता है। और वह घटना जो हाल की घटना न हो, वहाँ पुल नहीं बना, वहाँ पर पुल गिर गया, वहाँ पर सड़क बननी थी नहीं बनी, यह नियम 301 का दुरुपयोग है। मेरा आपसे निवेदन है कि नियम 301 में जो ऐसी घटनायें हैं जिनको आप समझते हैं, 51 में लेना चाहिए था लेकिन 51 में इस प्रतिबन्ध की वजह से, कि एक दिन में एक से ज्यादा कोई प्रश्न नहीं लिया जा सकता इसलिए यह व्यवस्था उस वक्त की थी, अगर 4, 5 इस तरह के प्रश्न नियम 51 में समान रूप के हैं उनमें जो अधिक महत्व का हो उसको नियम 51 में ले लें बाकी 301 में अनुमति दे दें। जिसमें आपसे अनुरोध है कोई आक्षेप न हो, कोई सुझाव हो, कोई प्रस्ताव न हो, जो हाल में घटित हो, कहीं डकैती पड़ गयी, कहीं पर हत्या हुई, कहीं पर बाँध टूट गया, इस तरह की चीजें हों, जैसा अभी आपका ध्यान श्री श्यामधर जी और अन्य सदस्यों ने आकर्षित किया, है यह अत्यन्त आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मुनासिब है। कल ही मैंने एक परिपत्र माननीय सदस्यों के पास भेजने के लिए कहा है जिसमें निर्देश है कि नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं देते समय इन बातों पर ध्यान रखें। तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा और पहले से भी उनके पास इस संबंध में इस कार्यालय से निर्देश जा चुके हैं, उनको देखते हुए अपनी सूचनाएं भेजा करें जिससे अध्यक्ष पीठ पर जो व्यक्ति पीठासीन हुए हो उनको निर्णय करने में आसानी हो।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। दिनांक 25-1-80 को इसी विधान सभा में इसी प्रकार का जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने कहा, और आपने अपनी व्यवस्था दी है, जो तत्कालीन महत्व की, अविलम्बनीय लोक महत्व की बात हो उसे 301 में स्वीकार किया जाना चाहिए, मैंने 25-1-80 को बहराइच जिले में सूखे से सम्बंधित जिसमें 15 व्यक्ति भुखमरी के शिकार हो चुके हैं, उसके सम्बन्ध में उठाया था। आपने एक व्यवस्था दी थी कि जो इस प्रकार के अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न नियम 301 में उठाये जायं उनका अन्तरिम उत्तर 10 दिन, एक सप्ताह में मिल जायेगा। आज तक बहराइच में कोई कार्यवाही नहीं हुई, वहाँ भुखमरी बढ़ती जा रही है, उसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्तरिम उत्तर आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था करें कि आपने जो व्यवस्थायें दी हैं कि एक हफ्ते या 10 दिन के अन्दर उत्तर मिल जाना चाहिए वह हमको मिले।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने 25-1-80 को नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचना दी है उसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही करायें।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

यह आपने कई बार व्यवस्था दी है। इसके बावजूद उनका परिपालन नहीं हुआ। कड़ाई से परिपालन करायें।

बाबू स्टेडियम में शुरू होने वाली हाकी कोचिंग कैम्प में टीम में प्रतिभावान खिलाड़ियों को शामिल न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यू0 पी0 हाकी टीम के कोचिंग कैम्प की बाबू स्टेडियम में शुरू होने की सूचना समाचार पत्रों में खिलाड़ियों की सूची के साथ प्रकाशित हुई है। मैं खेल कूद मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यू0 पी0 जो हाकी के मैदान में पूरे भारत में अपने अच्छे खेल के कारण जाना जाता था, जिसने भूतकाल में हाकी जगत में कई दुनियां के माने जाने खिलाड़ी दिये हैं। पिछले कई सालों से नेशनल चैम्पियन शिप में कोई स्थान नहीं प्राप्त कर सका। इसकी वजह सिर्फ यह है कि खिलाड़ियों के सिलेक्शन में ईमानदारी नहीं बरती जा रही है। अभी हाल में कराची के चैम्पियन शिप मैच में भारत को जिस शर्मनाक शिकस्त का मुंह देखना पड़ा उसकी वजह भी यही है कि हमारे यहां सिलेक्शन में जानिबदारी बरती जाती है। यू0 पी0 की जो टीम कोचिंग कैम्प के लिये चुनी गयी है, मेरी निश्चित जानकारी के अनुसार कई अच्छे खिलाड़ियों को केवल इस लिये नहीं बुलाया गया कि उनको कोई बैकिंग नहीं हासिल है।

अतः मेरा खेल मंत्री से अनुरोध है कि तुरन्त यू0 पी0 स्पोर्टर्स कौंसिल की मीटिंग बुलाकर इस धांधली की जाँच करायें।

ग्राम बहियारी, जनपद देवरिया के भूतपूर्व जमीन्दारों द्वारा हरिजनों के साथ अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं ग्राम बहियारी बघेल, जिला देवरिया के एक हजार हरिजनों एवं खेतिहर मजदूरों को भूतपूर्व जमींदारों के आतंक से बचाने के सम्बन्ध में आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। देवरिया जनपद के ग्राम बहियारी बघेल, थाना बनकटा के भूतपूर्व जमींदारों द्वारा बेगारी कराने तथा उत्पीड़ित करने की कार्यवाही तेजी पर है। इसका प्रतिरोध करने पर आये दिन हरिजनों एवं खेतिहर मजदूरों को अपमानित किया जा रहा है। मारना पीटना, गालियां देना आम बात हो गई है। गत 13 जनवरी, 1980 को उपरोक्त गांव के ही श्री रामू, हरिजन के नेतृत्व में खेतिहर मजदूरों ने बेगार करने से इनकार कर दिया जिसके फलस्वरूप भू0 पू0 जमींदारों ने क्रोधित होकर उसी गाँव के निवासी एक कांग्रेस (आई) के भू0 पू0 विधायक एवं युवक कांग्रेस (आई) के संरक्षण में श्री रामू खेतिहर के परिवार पर गोलबंद होकर हमला कर दिया। श्री रामू हरिजन, उसकी पत्नी तथा उसके 21 वर्षीय पुत्र चोकट को लाठी डंडे एवं गुप्ती से पीट कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरि केवल प्रसाद]

बुरी तरह घायल कर दिया और उसके छप्पर के घर में आग लगा दिया, ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद में आग बुझ गई। यह कुकृत्य सरेआम दिन में हुआ। इस घटना की नामजद रिपोर्ट स्थानीय थाने में की गई लेकिन पुलिस ने उपरोक्त भू0 पू0 विधायक से साँठ-गाँठ कर अथवा दबाव में आकर न तो अब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी ही की और न कोई कार्यवाही की।

मैंने स्वयं 3 फरवरी, 80 को घटना स्थल का निरीक्षण किया। पूंछतांछ के दौरान श्री राम हरिजन एवं अन्य ग्रामीणों ने मुझे बताया कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण उपरोक्त आतताइयों का दमनचक्र तेज होता जा रहा है और किसी भी समय पुनः हरिजनों एवं खेतिहर मजदूरों पर कातिलाना हमले हो सकते हैं। 20 हरिजन परिवारों सहित एक हजार से अधिक खेतिहर मजदूरों का जीवन असुरक्षित हो गया है जिससे उनके अन्दर भय एवं आतंक व्याप्त है।

अतः आज मैं इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपकी आज्ञा से माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए श्री रामू हरिजन सहित एक हजार खेतिहर मजदूरों, हरिजनों के जान-माल की रक्षा करने तथा अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री से माँग करता हूं।

जनपद बांदा के नरैनी तहसील के संग्रह अमीनों और चपरासियों को वेतन न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जनपद बाँदा के तहसील नरैनी के सीजनल संग्रह अमीनों तथा चपरासियों को उनक कार्यकाल का वेतन न मिलने से सूखे की इस भयंकर स्थिति में परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो रहा है और परिवार के अस्त-व्यस्त होने की सम्भावना है। विभागीय अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने के बावजूद भी कोई आश्वासन नहीं मिला, जिससे उनके अन्दर आक्रोश की भावना जाग उठी है और आन्दोलन का रास्ता ढूंढने लगे हैं, किसी भी समय आन्दोलन का रास्ता ले सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर मैं माननीय उपाध्यक्ष जी आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और फरवरी एवं मार्च, 1979 का वेतन दिलाने की माँग करता हूं।

मिर्जापुर जनपद की विद्युत् परियोजना अनपरा तथा कनहर बांध परियोजना के अन्तर्गत कृषकों की पड़ने वाली भूमि की फसल उजाड़े जाने से किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं अपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद मिर्जापर विद्युत् परियोजना अनपरा जो कि 3 हजार मेगावाट का पावर हाउस बनने जा रहा है उससे प्रभावित डिबुलगंज, अनपुर, ओड़ी, परासी, औरा डाँड ग्राम के लगभग 20 हजार किसान बन्धु जो कि अधिकाँश बनवासी अनुसूचित जाति के हैं, बिना प्रतिकर दिये उनकी खड़ी फसल बर्बाद की जा रही है। उनके मकानों को बुलडोजरों से गिराया जा रहा है जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है जिससे किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिर्जापुर जनपद की विद्युत परियोजना अनपरा तथा कनहर बांध परियोजना के अन्तर्गत 949 कृषकों की पड़ने वाली भूमि की फसल उजाड़े जाने से किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

अभी हाल में अनपरा के 13 किसान बन्धुओं को फर्जी मुकदमा में फंसाकर, उनको गिरफ्तार किया गया है। जिससे किसानों में काफी आक्रोश एवं असन्तोष का वातावरण व्याप्त है। इसी प्रकार अनहर बांध परियोजना दुद्धी अगवार के अन्तर्गत लगभग 12 या 13 ग्राम सभा प्रभावित ह जोकि किसानों की खड़ी फसल बरबाद की जा रही है और उनके मकानों को गिराया जा रहा है। उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है। कनहर के अधिकारियों ने हजारों पेड़ महुआ का कटवा दिया ह। इस क्षेत्र के वनवासियों का मुख्य भोजन महुआ का फल ही है। जिसकी वजह से किसानों में असन्तोष का वातावरण व्याप्त है। अगर किसानों के हित को ध्यान में रखकर तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अस्तु मैं सरकार से मांग करता हूं कि अनपरा विद्युत परियोजना व कनहर बांध परियोजना से प्रभावित किसानों को उनकी जमीन का प्रतिकर लगभग साढ़े सात हजार रुपया प्रति एकड़ दिया जाय। उनको बसने के लिए 7 1/2 एकड़ जमीन प्रति परिवार को दिया जाय। नौकरी में प्रति परिवार को योग्यता के अनुसार गारन्टी दी जाय। दुकान व व्यापार में 60 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया जाय। ठेकेदारी में प्राथमिकता के आधार पर उनको काम दिया जाय। 13 किसानों पर जो फर्जी मुकदमा चलाया गया है उसको वापस किया जाय बगैर प्रतिकर दिए किसानों को हटाया न जाय। ताकि किसानों में व्याप्त असन्तोष को दूर किया जा सके।

मान्यवर, माननीय विद्युत् मन्त्री जी और सिचाई मन्त्री जी यहां पर बैठे हैं उनको आदेश देन की कृपा करें कि किसानों को उजाड़ा न जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

वह जांच करा लेंगे। आप समय न लें।

कानपुर की जनरलगंज नौघड़ा बाजार में फैली गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार का ध्यान कानपुर नगर के अन्तर्गत जनरलगंज (नौघड़ा) बाजार में गन्दे पानी के जमा होने के कारण उत्पन्न भीषण गन्दगी की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके कारण इस मुहल्ले के नागरिकों का जीवन नारकीय हो गया हऔर भीषण रोग (हैजे की बीमारी) फलने की पूर्ण सम्भावना हो गयी है। वह गन्दी नहर जो अंग्रेजी के समय की बनी हुई है वह पुरानी एवं बेमरम्मत होने के कारण फट चुकी है जिसके कारण नौघड़े के सीवर के गन्दे पानी का बहाव एकदम अवरुद्ध हो गया है। अतएव सारा पानी बाजार की मुख्य सड़क, गलियों एवं दरवाजों पर फैला हुआ ह बाजार मेंआना-जाना मुश्किल हो गया है इस सम्बन्ध में कपड़ा कमेटी, कानपुर ने सर्वसम्मत से गन्दगी को दूर करने की ओर सरकार से मांग किया है गन्दगी के कारण कानपुर की यह प्रसिद्ध बाजार बन्द होने की स्थिति में आ गयी है। अतः मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरन्त इस ओर आवश्यक पग उठाकर गन्दगी को दूर करने की कृपा करें जिसके लिए एक दिन का भी विलम्ब जनहित में उचित नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद वाराणसी के चन्दौसी विधान सभा क्षेत्र के अकाल पीड़ित घोषित किए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्यारे (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आपके माध्यम से निम्नलिखित विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं तथा सरकार का ध्यान इसकी तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षत्र चन्दौसी, जनपद वाराणसी में इस वर्ष खरीफ तथा रबी की दोनों फसलें भयंकर सूखे की चपट में आकर सूख गयी हैं। धान की फसल तो बिलकुल ही सूख गयी थी और रबी की फसल की बोआई की भी कोई उम्मीद नहीं थी किन्तु नवम्बर के महीन में कुछ वर्षा हो जान से किसानों न रबी की काफी बोआई कर डाली किन्तु नवम्बर के बाद आज तक मेरे क्षत्र में पुनः वर्षा न होन के कारण तथा जमीन में नमी के अभाव के कारण रबी की यह फसल भी सूख गयी ह जिसके कारण किसानों की तथा उनके पशुओं की हालत दिन प्रति दिन अत्यन्त दयनीय होती जा रही है। कुछ ही दिनों में न तो लोगों को खाने को अन्न रह जायगा न पशुओं को चारा। आमदनी के अभाव में लोगों में क्रय शक्ति भी नहीं रह जायगी जिसके कारण लोगों को वस्त्र तथा अन्य जीवनोपयोगी चीजों का घोर संकट उठाना पड़ेगा। चूंकि मेरा क्षेत्र कृषि पर ही आधारित ह और सरकार के सहयोग के अतिरिक्त मेरे क्षेत्र को दूसरा कोई भी सहायक नहीं ह। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपन क्षत्र के इस महान संकट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं तथा सरकार से अनुरोध कता हूं किवह मेरे क्षेत्र को तत्काल अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित करे तथा मेरे क्षेत्र के हर एक गांव में राहती कार्य चालू कर लोगों की जीवन रक्षा करें एवं स्कूलों कालेजों के छात्रों की पूरी माफ करें और सभी सरकारी वसूली तत्काल बन्द कर दें तथा सिंचाई व विद्युत रेट तथा लगान को पूरी तरह से माफ कर दें ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके।

कतिपय सदस्यों द्वारा औचित्य के प्रश्न उठाए जाने का प्रयास

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

(श्री सुखपाल पाण्डय के बोलते रहने पर।)

यह लिखा नहीं जायगा। यह आपका तरीका अत्यन्त ही अनुचित है। आप कृपया बैठें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

(श्री सुखपाल पाण्डेय के बराबर बोलते रहने पर।)

नोट— × × × यह अंश उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय पाण्डेय जी, मैं आपको मना करता हूं, लेकिन आप बराबर पढ़ते जाते हैं। यह कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा। अगर आपके कान खराब ह तो उनका इलाज करा लें। यह तरीका गैर मुनासिब है। मैं आपको भविष्य के लिए चेतावनी देता हूं।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने कोई औचित्य का प्रश्न लिखकर नहीं दिया है श्री तोमर. . . . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आपके संज्ञान में मैं एक औचित्य का प्रश्न लाना चाहता हूं। माननीय तोमर के बाद मुझे सुनने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय तोमर जी, आपने जो औचित्य का प्रश्न भेजा है वह कार्य-सूची की मद 18 के ऊपर है। अतः जब मैं मद 18 लूंगा तभी मैं आपको भी सुन लूंगा और तभी निर्णय भी दूंगा।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

श्रीमन्, आप मुझे तो सुन लें। भले ही आप मुझे सदन से निकाल दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप सदन के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो मैं ऐसा नहीं करने दूंगा।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

श्रीमन्, इसको इसी समय ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

एक विषय, जिस पर आप औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते हैं वह कार्य-सूची में आ चुका है। अतः जब मैं उसको लूंगा तब आपको भी मौका दूंगा। इसके अतिरिक्त और किसी सदस्य का औचित्य का प्रश्न लिखकर नहीं आया है। श्री शम्भूनाथ जी का भी प्रश्न इसी विषय पर है। तो जब मैं मद 18 लूंगा तो आपको भी सुन लूंगा। इस समय मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का जो नियम 300 है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसमें स्पष्ट लिखा हुआ ह कि "औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छदों के, जिनसे सदन का कार्य नियमित होता ह, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।" तो आपके संज्ञान में औचित्य का प्रश्न लाना जरूरी है चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो।

श्री उपाध्यक्ष—

इसे आप फिर पढ़िए। इसमें लिखा है कि "निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें एसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।" तो उसको आप मेरे संज्ञान में नहीं लाए।

श्री शतरुद्र प्रकाश--
मैंने इसे आपके संज्ञान में ला दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--
बिना लिखित सूचना के मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--
विधान सभा के रक्षक के जरिये मैंने आपके पास लिख कर भेजा है, आपकी मेज पर होगा, वह ।

श्री उपाध्यक्ष--
मेरे पास नहीं आया है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--
(व्यवधान के बीच)
एक मामला मैं आपके संज्ञान में लाया आपने जो कहा, मैंने सुना नहीं था। क्या ब्राह्मणों के साथ अगर . . . .
(व्यवधान)
अत्याचार हो तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे ?
(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--
मेरे लिए सभी जातियाँ बराबर हैं।
(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1979-80) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री श्यामवर मिश्र (जिला वाराणसी)--
उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1979-80) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1974-75 (सिविल) एवं 1976-77 में उल्लिखित व्ययाधिक्य से सम्बन्धित क्रमशः प्रस्ताव संख्या 21, 2·2 तथा 2·2 पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--
मेरा औचित्य का प्रश्न है, मैंने लिख कर भी आपके संज्ञान में प्रस्तुत किया है . . (व्यवधान) यह हमारा अधिकार है. . . . . .

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--
वह सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है आप देख लें श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष--
मैंने उसे देखा नहीं है, देख लूंगा तब आपको मौका दे दूंगा । मैं आपके अधिकार का हनन नहीं कर रहा हूं, मुझे उसे देख लेने दीजिये ।

श्री श्यामधर मिश्र-
†वह केवल चार लाइन का है, आप उसे देख लीजिए ।

---

†छापा नहीं गया ।

सचिव, विधान परिषद द्वारा भेजे गए श्री गुरुदत्त सोलंकी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ने 13 सितम्बर, 1979 को मुझे सूचित किया था कि दिनाँक 3 सितम्बर, 1979 को सर्वश्री ब्रह्म दत्त, ओम प्रकाश शर्मा, रमेश सिन्हा तथा जगन्नाथ शास्त्री ने विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 223 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भण्डारागार निगम की जाँच के लिए गठित विधान परिषद् की समिति के सम्बन्ध में 2-3 पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें पहले दो पत्रों में भण्डारागार निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा समिति के एक सदस्य के विरुद्ध कुछ शिकायतें की गयी हैं और उनकी नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय न होने तक वे समिति की किसी भी कार्यवाही मे सहयोग नहीं देंगे। उक्त पत्र में सचिव, विधान परिषद् ने यह भी सूचित किया कि भण्डारागार निगम के तत्कालीन अध्यक्ष श्री गुरुदत्त सोलंकी ने दिनाँक 18 जुलाई, 1979 को एक पत्र द्वारा माननीय सभापति जी को सूचित किया था कि श्री राजकुमार सामा को वेयर हाउसिंग की संचालन एवं वर्किंग समिति में मनोनीत किये जाने से उन्हें घोर आपत्ति थी। उन्होंने उस पत्र में श्री सामा के विरुद्ध कुछ बातों का उल्लेख किया था। सचिव, विधान परिषद् के उक्त पत्र में यह भी कहा गया था कि श्री सोलंकी का इस प्रकार का पत्र लिखना प्रत्यक्षतः विशेषाधिकार की अवहेलना माना गया है। मुख्यतः जब इस पत्र की एक प्रतिलिपि श्री सोलंकी ने अन्य व्यक्तियों को भी पृष्ठांकित की जिनमें माननीय नेता सदन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मुख्य मन्त्री तथा माननीय सहकारिता मन्त्री भी सम्मिलित हैं। माननीय सभापति के निर्णय के अनुसार श्री गुरुदत्त सोलंकी, जो विधान सभा के सदस्य हैं, के विरुद्ध प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 79 के अनुसार इस मामले में उसी प्रकार की कार्यवाही की जानी है, जैसे कि यह विधान सभा के विशेषाधिकर की अवहेलना का मामला हो। विधान सभा की उक्त नियमावली के नियम 66 के अन्तर्गत यदि अध्यक्ष के मत में विशेषाधिकार भंग अथवा अपमान की सूचना सम्मति योग्य तथा ग्राह्य हो तो वे उस मामले को विशेषाधिकार समिति की जाँच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के निमित्त निर्दिष्ट कर सकेंगे और उसकी सूचना सदन को देंगे। यदि अध्यक्ष के मत में सूचना अग्राह्य हो तो वे अस्वीकृति की सूचना सदन को देंगे। अतः इस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने से पूर्व मुझे यह देखना आवश्यक है कि यह मामला प्राग्दर्शन में विशेषाकिार की अवहेलना का है अथवा नहीं।

सचिव, विधान परिषद् के उक्त पत्र के साथ विधान परिषद् की 4 सितम्बर, 1979 की कार्यवाही का जो उद्धरण प्राप्त हुआ है उसके पृष्ठ 2 पर यह कहा गया है कि जो व्यक्ति इसमें मुख्य मुजरिम समझा गया, वह प्रधान मन्त्री के दामाद हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इस कमेटी में अमुक व्यक्ति को नहीं हटाया जायगा, तब तक इसमें कोई निर्णय नहीं देंगे। लेकिन, निर्णय, शब्द शायद गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन उनका आशय स्पष्ट है कि जब तक उस व्यक्ति विशेष को उस कमेटी से आप नहीं निकालेंगे हम उसमें कोई गवाही नहीं देंगे। सचिव, विधान परिषद् के उपर्युक्त पत्र के साथ ही श्री गुरुदत्त सोलंकी के 2 पत्र संलग्न थे। उनमें यह नहीं कहा गया है कि जब तक इस कमेटी में अमुक व्यक्ति को नहीं हटाया जायगा तब तक इसमें कोई निर्णय नहीं देंगे, बल्कि इस पत्र में यह लिखा है, "जब तक श्री राजकुमार सामा के बारे में की हुई मेरी आपत्ति सम्बन्धी निर्णय नहीं हो जाता तब तक मैं उक्त समिति की किसी भी कार्यवाही में सहयोग देने को तैयार नहीं हूं।"

[श्री उपाध्यक्ष]--

सचिव, विधान परिषद् के उपर्युक्त पत्र के साथ श्री गुरुदत्त सोलंकी के जो 2 पत्र प्राप्त हुए थे, उनमें से 18 जुलाई, 1979 के पत्र की प्रतिलिपि 8 अधिकारियों को भेजी गयी थी किन्तु उन दोनों पत्रों में से किसी भी पत्र पर किसी मंत्री की सिफारिश नहीं थी, अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिषद् की 4 सितम्बर, 1979 की कार्यवाही में श्री गुरुदत्त सोलंकी के जिन पत्रों का उल्लेख है, उनकी प्रतियाँ, जो विधान परिषद् से प्राप्त हुईं, उनमें कोई बात छूटी तो नहीं है, सचिव, विधान परिषद से यह अनुरोध किया गया कि वे माननीय श्री गुरुदत्त सोलंकी द्वारा भेजे गये 18 जलाई, 1979 और 1 अगस्त, 1979 के पत्रों की मूल प्रतियाँ मुझे अवलोकनार्थ भेजें। तदनुसार दिनाँक 29 अक्तूबर, 1979 को श्री गुरुदत्त सोलंकी के उक्त पत्रों की मूल प्रतियाँ मेरे पास भेजी गयी। उनमें से किसी भी पत्र पर किसी मन्त्री की सिफारिश अंकित नहीं थी। उक्त पत्रों की मूल प्रतियाँ प्राप्त हो जाने पर मैंने इस पर श्री गुरुदत्त सोलंकी से वस्तुस्थिति की जानकारी देने को कहा। माननीय श्री गुरुदत्त सोलकी ने 25 जनवरी, 1980 को विलम्ब के कारणों सहित अपना उत्तर भेजा। उन्होंने कहा है कि उनके पत्र सख्या एस0डब्लूसी0/4248/समिति एल0सी0 79-80, दिनाँक 18-7-79 में, जिसमें उन्होंने श्री राजकुमार सामा, सदस्य, विधान परिषद् की जाँच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति के सम्बन्ध में अपना अधिकार सुरक्षित किया था, वह शुद्ध रूपेण श्री राज कुमार सामा के पक्के और पुराने उनके प्रति राजनीतिक, सैद्धान्तिक तथा व्यक्तिगत विरोध होने के तथ्य के कारण था और ऐसा व्यक्त करने में उन्होंने सामान्य वरिष्ठ सदन अथवा उसके सभापति के प्रति कैसी भी निरादर अथवा अशिष्टता की भावना न कभी अभिप्रेत की, न ही सोची भी अथवा चाही भी। उन्होंने यह भी कहा है कि वे समस्त भावेन सदन, उसके विद्वान सभापति अथवा उसके किसी भी सदस्य के प्रति निरादर की कल्पना नहीं कर सकते, तो भी, उनके पूर्व कथित अभिव्यक्ति से कोई ठेस लगी है अथवा उनके द्वारा कही गयी उक्त बात विशेषाधिकार की अवहेलना की परिधि में आती है तो वे इसके लिए अप्रतिबन्ध रूपेण अपना हार्दिक खेद व्यक्त करते हैं। विधान परिषद सचिवालय से प्राप्त अभिलेखों जिसमें माननीय सभापति, विधान परिषद् का इस सम्बन्ध में विधान परिषद में दिए गये निर्णय भी है, तथा माननीय सदस्य श्री सोलंकी द्वारा दी गयी जानकारी के अध्ययन से इस प्रश्न के दो पहलू प्रतीत होते हैं।

पहला यह है कि क्या एक सदन या उसकी समिति दूसरे सदन के सदस्य को अपने समक्ष साक्ष्य हेतु बुला सकती है। इस सम्बन्ध में कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली और व्यवहार" के अंग्रेजी के तृतीय सस्करण के पृष्ठ 248-49 तथा हिन्दी सस्करण के पृष्ठ 274-75 पर दूसरी लोक सभा की विशेषाधिकार समिति की छठी रिपोर्ट, जो 12 दिसम्बर, 1958 को लोक सभा में प्रस्तुत की गयी थी तथा जिसे लोक सभा ने 17 दिसम्बर, 1958 को स्वीकार किया था, में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे सदन के किसी सदस्य को अपने सामने बुलाए, उसे आने के लिए विवश करना तो दूर की बात है। यदि किसी सदन या उसकी किसी समिति के सामने दूसरे सदन के किसी सदस्य की उपस्थिति वाँछनीय हो तो न केवल उसे सदन की अनुमति आवश्यक है, जिसका सदस्य वह है बल्कि उस सदस्य की सम्मति भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, एक सभा का सदस्य दूसरे सदन या उसकी समिति के सामने साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होने को बाध्य नहीं है और यदि वह साक्ष्य देने को राजी हो तो भी वह अपनी सभा की अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकता। यह सिद्धान्त संसद् के किसी सदन और किसी राज्य के विधान मण्डल के सदन के बीच और राज्य विधान मण्डल के सदनों तथा उनके सदस्यों के बीच उसी प्रकार लागू होता है, जैसा कि ससद के दोनों सदनों तथा उनके सदस्यों के सम्बन्ध में।

उक्त प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 105 के खण्ड (3) तथा अनुच्छेद 194 के खण्ड (3) के उपबन्धों के अनुसार, "मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" के पृष्ठ 686–87 पर तथा जान हटशैल के, "प्रेसीडेन्ट्स आफ प्रोसीडिंग्स इन दि हाउस आफ कामन्स विद आबजर्वेशन" के खण्ड 3 के पृष्ठ 19 और 20–21 पर उल्लिखित दृष्टान्तों तथा अभ्युक्तियों के आधार पर है। इस प्रकार जहाँ तक माननीय सदस्य श्री सोलंकी द्वारा विधान परिषद की समिति से सहयोग न देने की बात है, उससे उपर्युक्त निश्चयों को देखते हुए कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता और माननीय सदस्य उन्हें प्रदत्त अपने विशेषाधिकारों के अन्तर्गत थे जब उन्होंने विधान परिषद् की समिति में साक्ष्य देने में सहयोग देने से इनकार किया।

प्रश्न का दूसरा पहलू यह है कि जहाँ माननीय सदस्य ने विधान परिषद् की समिति में साक्ष्य के रूप में सहयोग देने से इनकार किया, वहीं उन्होंने उसके गठन मे एक सदस्य की नियुक्ति पर घोर आपत्ति की और उन्होंने उक्त सदस्य की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय होने तक समिति से सहयोग नहीं देने की बात कही। माननीय सभापति, विधान परिषद् ने इसी आपत्ति को प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार के प्रश्न की अवहेलना मानते हुए उसे नियमानुसार इस सदन की कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया है।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य, श्री सोलंकी ने विधान परिषद् की उक्त समिति के गठन के सम्बन्ध में जो भाषा प्रयोग की है और जो आपत्ति की है, वह उचित नहीं कही जा सकती, यद्यपि वे उक्त समिति से साक्षी के रूप में सहयोग देने से इनकार कर सकते थे। माननीय सदस्य श्री सोलंकी ने, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, समस्त भावेन सदन अर्थात विधान परिषद, उसके विद्वान सभापति अथवा उसके किसी भी सदस्य के प्रति निरादर की कल्पना नहीं करने की बात कहते हुए, यह भी कहा है कि यदि उनकी पूर्व कथित अभिव्यक्ति से कोई ठेस लगी हो अथवा उनके द्वारा कही गयी उक्त बात विशेषाधिकार की अवहेलना की परिधि में आती हो, तो वे उसके लिए अप्रतिबन्ध रूपेण अपना हार्दिक खेद व्यक्त करते हैं। इस प्रकार, उनके द्वारा बिना शर्त हार्दिक खेद व्यक्त किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए मैं समझता हूं कि इस मामले पर अब अग्रेतर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है और सदन यदि सहमत हो, तो इसे समाप्त किया जाय।

क्या सदन सहमत है ?

(सदन की सहमति प्राप्त हुई।)

संसद सदस्य, श्री संजय गांधी के विरुद्ध उठाए गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री शत द्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी विशेषाधिकार की एक दूसरी सूचना और है, अभी आप बैठें।

श्री शतरुद्र प्रकाश एवं श्री श्यामधर मिश्र ने लोक सभा के सदस्य श्री संजय गाँधी के वि द्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्यों ने उक्त सूचना में कहा है कि श्री गाँधी ने 31 जनवरी, 1980 को लखनऊ स्थित अमौसी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से यह कहा कि जनपद देवरिया के नारायणपुर काण्ड के सिलसिले में देवरिया के जज ारा जो जाँच कराने की घोषणा की गयी है, वह बेमतलब है और जनता को इसमें विश्वास नहीं है और अगर न्यायिक जाँच करानी है तो उत्तर प्रदेश के बाहर के जज द्वारा जाँच कराई जाय। माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस सम्बन्ध में सदन की 28 फरवरी, 1980 की बैठक में माननीय सदस्यों की माँग पर नेता सदन श्री बनारसी दास ने न्यायिक जाँच को

[श्री उपाध्यक्ष]

स्वीकार कर उसकी घोषणा सदन में कर दी और श्री संजय गाँधी को यह ज्ञात था। अतः श्री संजय गाँधी ने सदन के निर्णय की सार्वजनिक तौर पर आलोचना करके सदन का अपमान किया है। माननीय श्री शतरुद्र प्रकाश एव माननीय श्री श्यामधर मिश्र ने अपनी सूचना के साथ नार्दन इंडिया पत्रिका के सिटी एडीशन दिनाँक 1 फरवरी, 1980 की प्रतिलिपि संलग्न की है।]

श्री सोहनवीर सिंह तोमर ने भी इसी प्रसंग में श्री संजय गाँधी द्वारा लखनऊ में सम्वाददाताओं को दिए गये वक्तव्य का हवाला देते हुए विशेषाधिकार के प्रश्न की एक सूचना दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब किसी न्यायाधीश को सदन द्वारा किसी तथ्य या विनिश्चय या निस्तारण के लिए निश्चित किया जाय तो उसकी आलोचना सदन की स्पष्ट अवमानना है, और श्री सजय गाँधी ने यह कहकर कि केन्द्र इस मामले पर चुप नहीं रहेंगा इस सदन का अवमन किया है। इस सम्बन्ध में श्री तोमर ने 1 फरवरी, 1980 के 'पायनियर' की एक प्रति भी सलग्न करके भेजी है।

उक्त समाचार-पत्रों में छपें समाचार को देखने से यह प्रतीत नहीं होता कि श्री संजय गांधी ने किसी प्रकार सदन के किसी निर्णय की आलोचना की है अपितु उन्होंने अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट किये हैं। उन्हें भारत के नागरिक होने की हसियत से अपने विचार व्यक्त करने का संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के अन्तर्गत मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यह सूचनाएं समाचार-पत्र पर आधारित है और उत्तर प्रदेश, विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन (1952 से 1967 तक) के पृष्ठ 484 पर निर्णय संख्या 13 के अनुसार समाचार-पत्र पर आधारित किसी सूचना के ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इन दोनों सूचनाओं में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अस्तग्रस्त नहीं है, अतः मैं इन्हें अग्राह्य करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, यह जो विशेषाधिकार की सूचना थी क्या इस सूचना के सिलसिले में संसद सदस्य, श्री संजय गांधी से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया था या यों हीं विश्वास कर लिया गया कि एक नागरिक की हैसियत से कहा और संसद सदस्य की हैसियत से नहीं कहा?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, इस पर निर्णय हो चुका है।

सदन की कार्यवाही गलत ढंग से छापे जाने के सम्बन्ध में 'स्वतन्त्र भारत' समाचार पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाए जाने का प्रयास

*शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है, उसे प्रस्तुत करना चाहता हूं। सदन के अन्दर जो भी विचार-विमर्श होता है, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं। मान्यवर, आप भी इस पक्ष में होंगे और मैं भी इस पक्ष में हूं कि सदन में जो कार्यवाही हो उसे ठीक ठीक छापकर जनता तक पहुंचाई जाय। परन्तु मान्यवर, यहां जो होता है, उसकी हू-बहू सूचना न छापकर उल्टी सीधी खबरें जनता तक पहुंचाई जाती है। हम लोग तो स्वयं प्रेस की स्वतंत्रता के लिए हमेशा से लड़ते आये हैं। लेकिन इसके माने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह नहीं है कि हमारे विचारों को अपने ढंग से तोड़मरोड़ कर जनता के सामने रखें, जिससे समाज में मान्यवर, गलत हवा फैलती है। मान्यवर, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं विशेषाधिकार भी लिया जा सकता है लेकिन प्रेस की आजादी के लिए हम लड़ते रहे हैं और उसके हिमायती हैं इसलिए एक औचित्य का प्रश्न रखना चाहता हूं। जैसा आज के स्वतंत्र भारत में छपा है हंगामें के बीच विधान सभा भंग न होने का प्रस्ताव पास। तो जो प्रस्ताव पारित हुआ उस समय कोई हंगामा नहीं हुआ था बल्कि ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हुआ। यह सही है कि कुछ लोगों ने कांग्रेस के लोगों न बहिर्गमन किया लेकिन जिस समय प्रश्न उपस्थित हुआ उस समय किसी भी प्रकार का हंगामा, शोर-शराबा नहीं था। जिस समय प्रश्न उपस्थित किया गया उस समय किसी सदस्य ने विरोध नहीं किया बल्कि कहा जाय सर्वसम्मति से पास हुआ। तो एक औचित्य के प्रश्न के रुप में जबकि प्रेस की आजादी के लिए हम लड़ते हैं, उसके पक्षधर हैं और रहेंगे तो कम से कम आप समाचार पत्रों के सम्पादकों से बात, चीत करक इसको स्वयं दुरुस्त कराना चाहिए।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

आप देख ही रहे हैं, आज का स्वतंत्र भारत हमारे सामने है और मुझे कोट करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं यहां उपस्थित थे, हम लोग उपस्थित थे, कोई हंगामा नहीं हुआ था बल्कि बहिर्गमन अगर होता तो भी ठीक था क्योंकि कांग्रेस (आई) के लोगों ने सदन त्याग किया था लेकिन जब आप मत ले रहे थे उस समय हंगामा तो हुआ नहीं बल्कि ऐसा मौन था कि सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था। तो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने रखना मैं समझता हूं कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए।

*श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)--

जो कुछ शतरुद्र जी एवं मिश्रा जी ने कहा वह तो सही है ही। इसमें औचित्य की बात तो ही केवल नहीं बल्कि साथ ही साथ ब्रीच आफ प्रिविलेज भी है। यह आपके सामने हुआ है, आपके समक्ष हुआ है, इसमें आपको स्वयं नोटिस लेना चाहिए। इसमें कोई दीदो-नास्ता, एक गलतफहमी दूसरी जगह फैलाने के लिये जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि यह भंग हो जाये, इस प्रकार के समाचार छापे जाते हैं। इसलिए श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा और स्पष्ट दूसरा कोई उदाहरण नहीं होगा जिसमें सदन की अवमानना हुई हो यह माननीय उपध्यक्ष के समक्ष हुआ है और इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि आप स्वयं इसकी नोटिस लें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

इस समय बड़ा गम्भीर प्रश्न सदन के सामने है। इस माननीय सदन ने हमेशा प्रेस को आजादी और इज्जत दी है। बड़े खेद की बात है कि जो प्रेस के विचार हों उसके लिए हर अखबार में एडीटोरियल का एक कालम होता है, लेकिन जो समाचार छपने हैं उनमें यह उम्मीद की जाती है कि सही सही समाचार उसमें छापे जायेंगे। आप जानते हैं कि मैं सोशलिस्ट हूं, छोटी-छोटी बातों का नोटिस मैंने कभी नहीं लिया लेकिन यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें पूरे माननीय सदन की मर्यादा का संबंध है और तमाम अखबार जहां भी गये होंगे, दिल्ली भी गये होंगे, वहां लोगों ने अलग अलग अन्दाजा लगाया होगा कि हंगामा किस तरह का हुआ। इस मामले में चाहे औचित्य की बात हो या कन्टेम्प्ट की बात हो, जैसा कि उदित नारायण जी ने कहा, मैं भी मानता हूं कि कन्टेम्प्ट की बात सही है। आप स्वयं इसमें निर्णय लें हाउस की जो कार्यवाही है हमेशा तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं की जानी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि हम प्रेस की आजादी के लिये लड़ते रहे और औचित्य का प्रश्न उठाया। माननीय रियासत जी ने और उदित नारायण शर्मा जी ने ब्रीच आफ प्रिविलेज की बात कही। मैं समझता हूं वही बनता है। यह हमारे माननीय सदन का अवमान है। मैं कहना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत जैसा दकियानूसी अखबार, इसमें, यह आज की बात नहीं है, हमेशा हो....

श्री उपाध्यक्ष---

जो विषय विचाराधीन है इसके बारे में कहें। जेनरलाइज न करें।

श्री ऊदल---

हमेशा ही तोड़ मरोड़ कर माननीय सदन की बातों को छापता रहा है। हम लोग स्वाइड करते रहे हैं। माननीय सदन भी स्वाइड करता रहा है। म कहना चाहता हूं कि ब्रीच आफ प्रीविलेज की बात आती ह। समाचार पत्र जो होता ह वह जनतंत्र में प्रहरी के रूप में काम करता है। जो सही तथ्यों को जनता तक पहुंचाता है और जनता की बात सरकार तक, माननीय सदन तक पहुंचाता है। यह कार्य प्रेस का होना चाहिये। मैं समझता हूं आप इनको तम्बीह करेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

मान्यवर, पत्रकारिता की एक स्वस्थ परम्परा होती है। किसी भी पत्र में दो तरह के स्तम्भ होते हैं। एक स्तम्भ के माध्यम से पत्र का सम्पादक अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त करता है, उसके विचार कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मान्यवर, दूसरा स्तम्भ जो होता है वह संवादों का होता है। जिस तरह के साक्ष्य, जिस तरह की घटनायें होती है, उसकी सच्चाई को ध्यान में रखते हुये दूसरे हिस्से में वह खबरें आती हैं। यहां पर कई पत्र देखे गये ...

श्री उपाध्यक्ष---

इसकी बात करिये।

श्री राम आसरे वर्मा---

लेकिन 'स्वतंत्र भारत' के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि आज कई दिनों से इस सदन के अन्दर माननीय सदस्यों की भावनाओं के विपरीत एक वातावरण बनाने की सुनियोजित साजिश की जाती रही है। मैं उपाध्यक्ष जी स कहूंगा.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप अपनी बात कह चुके। अब मैंने श्री कृष्णवीर सिंह कौशल को इजाजत दे दिया है।

(व्यवधान)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)---

बड़े खेद का विषय है अपने आपको प्रेस की आजादी के हिमायती कहने वाले सही खबर सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर आप कार्यवाही को देखें.....

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा---

क्या यह सही है कि यहां पर हंगामा हुआ? आप लोग तो छोड़ कर भाग गये थे।

(श्री राम आसरे जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

राम आसरे जी, कृपया आप बैठिये।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

उपाध्यक्ष जी, मैं भी कल उपस्थित था और अगर आप कल की कार्यवाही को देखें तो इधर के और उधर के सभी सदस्यों ने प्रदेश के अन्दर जो कानून की अव्यवस्था है, महंगाई है, हरिजनों पर अत्याचार है, उसका जिक्र जनता पार्टी के, लोकदल के, कम्युनिस्ट के सभी सदस्यों ने किया। सब लोगों ने आलोचना की कि प्रदेश में शासन की कोई चीज नहीं रह गयी है और आप हिमायती बनते हैं प्रेस की आजादी के। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। विगत कुछ वर्षों में जो बजट पास हुये हैं। यहां पर जो मंत्रियों और विभागों की आलोचना की गयी और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये, शाम को टेलीफोन करके उन खबरों को अखबारों में छपने से रोका गया। इससे बड़ी घिनौनी बात और क्या हो सकती है?

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुयी है

(शोर)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले भी ऐसे प्रकरण माननीय सदन में आ चुके हैं। हम अखबारों की स्वतंत्रता के हामी हैं। हमसे सर के खिलाफ लड़ते रहे हैं। इमरजेंसी की वह काली रात जब यहां बैठे अखबारनवीसों की कलम नहीं चलती थी इस संबंध में, इस चेयर से कई बार रूलिंग हो चुकी है कि अखबारों में जो छपता है वह विशेषाधिकार या मर्यादा भंग का विषय नहीं बन सकता है। इस लिये इस अनावश्यक विवाद से कोई फायदा नहीं है। हम तो इस बात में विश्वास रखते हैं कि अखबारों को अपनी बात छापने की पूरी आजादी होनी चाहिये। 'स्वतंत्र भारत' में क्या छपा है, क्या नहीं छपा है इससे हमसे कुछ नहीं लेना है। विधान सभा की कार्यवाही हमारी दर्पण है; वह सबको स्वयं जायगी, सब पढ़ेंगे।

(शोर)

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब मैं खड़ा हूं तो माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिये।

(व्यवधान)

आप लोग कृपया बैठ जाइयें।

श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)--

व्यवस्था देने से पहले लोगों को सुन लें।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं। नियमों का आप ध्यान रखा करें। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष खड़े हों तो दूसरे माननीय सदस्यों को नहीं खड़ा होना चाहिये।

(श्री राम आसरे वर्मा के पुनः खड़े होने पर)

आप, वर्मा जी, बैठ जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]

इसके ऊपर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। नियम 300 के अन्तर्गत माननीय शतरुद्र प्रकाश, माननीय श्यामधर मिश्र ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया जिसमें 'स्वतंत्रभारत' में क्या छपा है उसके बारे में बताया। उसके ऊपर पंडित जी ने (उदित नारायण शर्मा जी ने) और कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। तो वैसे सभी जो प्रेस वाले यहां मौजूद हैं, पहले से निर्देश हैं और मैं पुनः उनसे अनुरोध करता हूं निर्देश देता हूं कि जो चीज जैसी विधान सभा में घटित हो उसको वैसे ही छापना चाहिये।

(शोर)

(वसे ही छपी है की आवाजें)

यह औचित्य का प्रश्न तो नहीं बनता। लेकिन जो विशेषाधिकार का मामला उठाया गया है। वह मुझे देखना पड़ेगा। यह कोई माननीय सदस्य मेरे पास लिख कर भेज दें। मैं देख लूंगा कि पहले जब ऐसी घटनायें घटी हैं तो उनके बारे में क्या निर्णय हुआ है। उसके बाद मैं निर्णय दूंगा। यदि कोई भी माननीय सदस्य इसके बारे में लिखकर भेजें तो विचार करूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

भेज दूंगा।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

आपका निर्णय शिरोधार्य है लेकिन मेरी बात सुन लें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

अब जो कुछ आप लोग बोलेंगे लिखा नहीं जायगा।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। आप लोग शांत रहें।

कतिपय सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ माननीय सदस्यों ने दल परिवर्तन किये हैं, मैं उसकी सूचना सदन को देना चाहता हूं, जो निम्नलिखित है:--

क्रम सं0	सदस्य का नाम एवं जिला	दल जिसके सदस्य थे	दल जिसमें शामिल हुये
1	श्री मंसूर अली (शाहजहांपुर)	जनता (बनारसीदास)	निर्दलीय
2	श्री सुखपाल पांडेय (बस्ती)	,,	,,
3	श्री राम सिंह (सहारनपुर)	जनता (राजमंगल)	कांग्रेस (आई)
4	श्री शिव प्रसाद (आजमगढ़)	,,	,,
5	श्री चन्द्रपाल सिंह (उन्नाव)	,,	जनता (ब)
6	श्री मुश्ताक अहमद (वाराणसी)	निर्दलीय	,,
7	श्री मोहम्मद मसूद खां (आजमगढ़)	,,	,,
8	श्री आबिद अली (सीतापुर)	जनता (ब)	कांग्रेस (आई)

क्रम सं0	सदस्य का नाम एवं जिला	दल जिसके सदस्य थे	दल जिसमें शामिल हुये
9	श्री हरपाल शास्त्री (बिजनौर)	जनता (ब)	कांग्रेस (आई)
10	श्री कन्हैयालाल सोनकर (इलाहाबाद)	,,	,,
11	श्री शम्भूनाथ (जौनपुर)	,,	,,
12	श्री कृष्णकान्त मिश्रो (लखनऊ)	,,	,,
13	श्री भगवती चरण निर्मोही (पौड़ी गढ़वाल)	,,	,,
14	श्री दीप नारायन (गोण्डा)	,,	,,
15	श्री भारत सिंह (गढ़वाल)	,,	,,
16	श्री ख्यालीराम शास्त्री (मुरादाबाद)	,,	,,
17	श्री अब्दुल हलीम खां (मेरठ)	,,	,,
18	श्री नारायणसिंह (मुजफ्फरनगर)	,,	,,
19	श्री बाबू बदरे (कानपुर)	,,	,,
20	श्री बशीर अहमद (मुजफ्फरनगर)	,,	,,
21	श्री रवती शरण मौर्य (मेरठ)	,,	,,
22	श्री रणजीत सिंह (देहरादून)	,,	,,
23	श्री मुफ्तीजलील अहमद (बिजनौर)	,,	,,
24	श्री प्यारे लाल (अलीगढ़)	,,	,,
25	श्री हाजी शमशाद अहमद (सहारनपुर)	,,	,,
26	श्री जागेश्वर (फतेहपुर)	,,	,,
27	श्री खान गुफरान जाहिदी (फतेहपुर)	,,	,,
28	श्री देवराम (गाजीपुर)	,,	,,
29	श्री बरफिया लाल जुवांठा 'अरविन्द' (उत्तरकाशी)	,,	,,
30	श्री शिवानन्द नौटियाल (गढ़वाल)	,,	,,
31	श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर)	कांग्रेस	जनता (ब)
32	श्री गुरुदत्त सोलंकी (आगरा)	निर्दलीय	,,
33	श्री राम देव दुबे (प्रतापगढ़)	जनता (ब)	कांग्रेस (आई)
34	श्री जवाहर लाल (इलाहाबाद)	,,	,,
35	श्री गुरुप्रसाद (इलाहाबाद)	,,	,,
36	श्री पुरुषोत्तम कौशिक (देवरिया)	,,	,,
37	श्री कौशल किशोर (जालौन)	जनता (राजमंगल)	,,
38	श्री मोती राम (कानपुर)	,,	,,
39	श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (कानपुर)	,,	,,
40	श्री छोटे लाल "निर्भय" (जौनपुर)	निर्दलीय	जनता (ब)
41	श्री हरदेव सिंह (मुरादाबाद)	जनता (राजमंगल)	जनता (ब)
42	श्री भोमा प्रसाद (आजमगढ़)	कांग्रेस	जनता (ब)
43	श्री श्रीराम द्विवेदी (फैजाबाद)	जनता (ब)	जनता (राजमंगल)

[श्री उपाध्यक्ष–]

इस प्रकार विधान सभा में विभिन्न दलों के सदस्यों की स्थिति निम्न प्रकार हो गई :

जनता (बनारसी दास)	164
जनता (राज मंगल)	153
कांग्रेस (आई)	75
कम्युनिस्ट पार्टी	9
कांग्रेस	5
कम्युनिस्ट मार्क्स	1
सोशलिस्ट पार्टी	1
निर्दलीय	9
नाम निदशित	1
रिक्त स्थान	8
कुल योग ..	426

उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)––

एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष––

एक सूचना और देनी है।

सचिव, विधान सभा––

माननीय उपाध्यक्ष (व्यवधान) मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 1980 को पारित किया गया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 5 फरवरी, 1980 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 7 फरवरी, 1980 को वापस प्राप्त हो गया है।

विभिन्न दलों की मान्यता के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)––

आपने अभी मान्यवर, दल बदलने वालों की सूची पढ़ी। इसमें सी0 एफ0 डी0 के भी सदस्य शामिल हैं। सी0 एफ0 डी0 के माने हैं कोआपरेटिव फेडरेशन आफ डिफेक्टर्स।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)––

मान्यवर, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। जो नाम अभी माननीय सदस्यों के आपने पढ़े उनमें जनता (बनारसीदास) और जनता (राजमंगल पांडेय) दल के सदस्य हैं। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि आप संविधान के ज्ञाता हैं माननीय सदन में उन्हीं दलों को मान्यता प्राप्त होती है जिनका सदन के बाहर संगठन हो, उनके कुछ सिद्धान्त हो मेनिफेस्टो हो। पिछला जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसमें कौन सा दल जनता पार्टी (बनारसी दास) था सदन के बाहर? माननीय सदन के बाहर जनता (बनारसी दास) नाम का कोई दल हो आपकी जानकारी में तो....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह निर्णय बहुत पहले सदन के संचालन के संबंध में यह नाम दिया गया था--यह नामकरण तो सदन के संचालन की सुविधा के लिए किया गया था। यदि कुछ बदल जाने की बात थी तो दल वाले लिख कर भेजते तभी हम विचार करते।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

राम आसरे वर्मा जी ने ग्रुप बनाया है, ग्रुप के लीडर की सुविधा लेते रहे हैं। यह आदरणीय सदन का अपमान है। अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था। चुनाव कमिश्नर ने स्पष्ट रूप से यह नोटिफाई किया कि उत्तर प्रदेश में कितने मान्यता प्राप्त दल हैं, कितने रजिस्टर्ड दल हैं। तो क्या जनता (बनारसी दास) कोई मान्यता प्राप्त दल है, कोई रजिस्टर्ड दल है? इसलिए मेरा निवेदन यह है . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप पहले दल की तरफ से लिख कर भेजें. . . .

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

आपने जिस समय यह व्यवस्था दी उस समय कनफ्यूजन की स्थिति थी, अब तो माननीय मुख्य मंत्री जी मानते हैं कि यह जनता सेकूलर या लोकदल के हैं और इधर वाले जनता पार्टी के हैं। जनता (राज मंगल) नाम की कोई पार्टी नहीं है। न वह रिकगनाइज्ड हैं और न इस नाम से चुनाव लड़ गये। इस तरह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जनता पार्टी के मेनिफेस्टो पर हम लोग चुनाव लड़ कर आये। उस समय आपके सामने विषम परिस्थिति थी और सदन आपको चलाना था इसलिय आपने एक अस्थायी व्यवस्था दे दी थी। मेरा अनुरोध है कि पुरानी अस्थायी व्यवस्था पर आप पुनर्विचार करें ताकि कंफ्यूजन की स्थिति समाप्त हो। जनता (राज मंगल) पार्टी जनता पार्टी के नाम से होना चाहिये और जनता बनारसी दास पार्टी जनता सेकुलर या लोक दल के नाम से होना चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

अच्छा होगा कि जो जनता (बनारसीदास) है उसे लोक दल की संज्ञा दी जाय और उधर वालों को जनता पार्टी की संज्ञा दी जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

राज मंगल जनता पार्टी के नाम से जो इधर बैठे हैं उनको जनता पार्टी कर दिया जाय।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मुझे एक निवेदन करना है कि नियमावली में कोई स्वतंत्र दल नहीं है जिसके नेता राम आसरे वर्मा हैं। लेकिन उनको मान्यता प्राप्त दल की तरह हर सुविधा दी जा रही है। सदन के बाहर कोई इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं है, न उसका कोई मेनिफेस्टो ही है। श्री राम आसरे वर्मा को जो सुविधायें दी जा रही हैं वे किस नियम के अनुसार दी जा रही हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

यह सुविधा मैंने नहीं दी है। मेरे स्थान पर जो पुराने अध्यक्ष थे, उन्होंने दी थी। वह मान्यता प्राप्त दल तो नहीं है, लेकिन कई दफा कहा जा चुका है कि एक ग्रुप के रूप में निर्दलीय सदस्य सदन के कार्य के लिये बैठते हैं। कई दलों को मिला कर एक कमरा उनको दिया हुआ है। वह शायद आवश्यक भी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

किसी भी दल को रिकगनाइज करने के लिये न्यूनतम सदस्य संख्या होती है। अगर ग्रुप को रिकगनाइज करते हैं तो उसके लिये भी न्यूनतम सदस्य संख्या होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

ग्रुप के रूप में संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन वैसे दल का नेतृत्व करने के लिये संख्या 25 होना चाहिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

राम आसरे वर्मा किस दल का नेतृत्व करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

वह ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। प्रगतिशील विधायक दल के नाम से उनको मान्यता नहीं दी गयी है। केवल विधान सभा के कार्य के संचालन हेतु बैठने के लिये एक जगह उनको दी गयी है जिसमें कई दलों के सदस्य हैं, जैसे मार्क्सवादी तथा सोशलिस्ट पार्टी का एक-एक सदस्य। सबको मिला कर एक कमरा दे दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्री भगवती प्रसाद सिंह तथा श्री रियासत हुसैन रिकगनाइज्ड पार्टी के प्रतिनिधि हैं श्री राम आसरे वर्मा किस दल के नेता हैं अथवा किस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिसका नेतृत्व करने की आपने उनको अनुमति दे दी है। फिर यदि उनकी संख्या 25 नहीं है तो क्या एक ग्रुप के नेता के रूप में मान्यता देना उचित है ?

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं एक व्यवस्था चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--

निर्दलीय, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इन सब के नाम से एक कमरा पहले से ही दिया हुआ है.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस सदन में दल के नेता की हैसियत का सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष--

यदि किसी ने अपना एक गुट बना लिया है....

(व्यवधान)

अब मैं इजाजत नहीं देता । अब मैं आगे चलता हूं ।

विधान सभा अध्यक्ष के चुनाव को स्थगित किये जाने पर आपत्ति

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। श्रीमन्, मुझे अभी-अभी पता चला है कि स्पीकर का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि स्पीकर के चुनाव की इस तिथि को सब दलों से पूछ कर घोषित किया गया था। लेकिन आज हमको यह पता भी नहीं है कि किस कारण से चुनाव की इस तिथि को स्थगित कर दिया गया है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह लग रहा है और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमको यह भरोसा था कि इस तिथि को चुनाव अवश्य हो जायगा, इसे अनिश्चितकाल तक टालने के लिये हमसे पूछा तक नहीं गया। श्रीमन्, हम समझते हैं कि जनता पार्टी और लोक दल जिनका कि अभी नामकरण संस्कार हुआ है, इन दोनों की नीयत किसी हरिजन को स्पीकर बनाने की नहीं है। [* * *] ये किसी हरिजन को स्पीकर नहीं बनाना चाहते हैं। इन्होंने जानबूझ कर स्थगित करवाया है.....

नोट--[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

गुलाब सेहरा जी, आप उस समय नहीं थे। इस पर पूरे सदन का निर्णय हो चुका है कि इसे स्थगित कर दिया जाय। अब यह अगले सत्र के 15 दिन के अन्दर सदन में आयेगा। आप उस समय नहीं रहे होंगे, इसलिये आपकी यह आपत्ति उचित नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा--

जब तिथि निश्चित हो गयी थी और सबकी राय थी....

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष--

यह नहीं लिखा जायेगा, कई माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा--

चूंकि हमें नहीं बताया गया कि स्पीकर का चुनाव क्यों स्थगित किया जा रहा है, इसलिये मेरा पूरा दल सदन से वाक आउट करता है।

(व्यवधान)

[श्री गुलाब सेहरा काँग्रेस (आई) के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने मुख्य मंत्री को बुला लिया है.....

(व्यवधान)

क्या आपको उनके बुलाये जाने पर आपत्ति है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जी हाँ, जब माननीय सेहरा जी बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ आक्षेपात्मक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जनता पार्टी के लोग और लोक दल के लोग आपस में मिलकर हरिजनों को पीट सकते हैं। मान्यवर, यह आक्षेप है। मान्यवर, आप नियमावली को देखें उसमें लिखा है कि जो बात कही जाय वह तथ्यों के आधार पर कही जाय और इस तरह से जानबूझ कर किसी दल की प्रतिभा को बिगाड़ने की कोशिश की गयी है। इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप इसे कार्यवाही से निकालने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर कोई ऐसी बात कही गई होगी जो असंसदीय होगी तो उसको मैं देख लूंगा।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने पर)

क्या आप चाहते हैं कि मैं सदन को स्थगित कर दूं? यह जो व्यवधान हो रहा है, यह गैर मुनासिब बात है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

आप स्थगित कर दीजिये, लेकिन आपको हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। आपने श्री गुलाब सेहरा को क्यों बोलन की इजाजत दी? उसी तरह से हम को भी सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कह दिया है कि उन्होंने जो कुछ कहा वह मुनासिब नहीं है। जब सदन ने एक प्रस्ताव पास कर दिया .....

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब सदन ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में .....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इस पर इजाजत नहीं देता (व्यवधान) कोई भी व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत मैं नहीं देता।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, माननीय गुलाब सेहरा ने जो सदन का बहिर्गमन किया है वह आपकी व्यवस्था के विरुद्ध किया है। सदन में फैसला हो गया कि अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया जायेगा और यह फैसला आपने किया और कार्यमंत्रणा समिति ने किया और वह सदन का निर्णय हो गया तो उसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करना सदन का अवमान है.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह उनकी मर्जी की बात है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

यह उन्होंने सदन का अवमान किया है (व्यवधान) मैं सदन के अवमान की सूचना देता हूं। लोकतन्त्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री नेमसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, हमारी बात सुन लें.....

श्री श्यामधर मिश्र--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपके लिए हम किससे कहें कि श्री श्यामधर जी को बैठा लें। (व्यवधान) जो श्यामधर मिश्र जी बोलेंगे उसको नहीं लिखा जायेगा।

श्री श्यामधर मिश्र--

आप किस कानून के अनुसार मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझ रहा हूं कि जो व्यवस्था के प्रश्न उठाये जा रहे हैं वह सदन की कार्यवाही को रोकने के लिए है। इसलिये मैं इसकी इजाजत किसी को नहीं देता।

श्री नेम सिंह चौहान--

मान्यवर, पहले मैं खड़ा हुआ, फिर पंडित जी खड़े हुए। मैं क्या कहना चाहता हूं इसको आपने सुना नहीं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गुलाब सेहरा को किस नियम के अनुसार इजाजत दी, वह क्यों बोले और वह कार्यवाही का अंग कैसे बन गया। वह बिना आपकी इजाजत के बोल गये.....

श्री श्यामधर मिश्र--

आपने कैसे अनुमति दे दी ? बिलकुल यही मेरा कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर कोई बात असंसदीय होगी तो उस पर मैं विचार कर लूंगा।

श्री नेम सिंह चौहान--

आप इस सदन के संरक्षक हैं। माननीय गुलाब सेहरा ने किस हैसियत से यह बात रखी, किस नियम से यह बात रखी ...

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

(× × ×)

(व्यवधान)

नोट--(×××) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं। वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री श्यामधर मिश्र--

आप मुझे आज्ञा दें। मेरी जानकारी है कि हो सकता है गलत हो तो उसमें सुधार कर दें। क्या यह बात सही नहीं है कि आपकी स्वयं की यह व्यवस्था है। जिस प्रकार की बात श्री गुलाब सेहरा ने उठाई है, इससे पहले चार दिन पहले बारी साहब तथा और लोगों ने एक बात उठायी उनको आपने इजाजत नहीं दी, वह संज्ञान में नहीं लाये। क्या यह बात सही नहीं है कि केवल दो व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त है नेता सदन और नेता विरोधी दल को। श्री गुलाब सेहरा नेता विरोधी दल का स्थान नहीं ले सकते। उनको यह अधिकार कैसे दे रहे हैं ? यह व्यवस्था मैं चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

माननीय उपाध्यक्ष, एक प्रस्ताव जब पारित हो गया, नियमावली के नियम 8 के अनुसार स्पीकर का चुनाव स्थगित कर दिया तो यह विवाद समाप्त हो गया। फिर दूसरा नियम यह भी है कि कोई भाषण आक्षेपात्मक नहीं होना चाहिये, तो श्री सेहरा ने किस नियम के अनुसार प्रश्न उठाया ? जब यह नियम है कि जहाँ एक विनिश्चय हो जाय, सदन के अन्दर उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आपने स्वयं इस बात की घोषणा कर दी और प्रस्ताव पारित हो गया, उस पर आपत्ति करना, उस पर आक्षेप करना यह अत्यन्त अनुचित है। जो कुछ भी श्री सेहरा ने कहा है, यह कार्यवाही का भाग नहीं होना चाहिये और साथ ही साथ जिस प्रकार से उन्होंने शब्द कहे उसकी आपको भर्त्सना करनी चाहिये। इस प्रकार सदन के अन्दर किसी नियम का पालन नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, देख लेंगे।

कौड़िया बाजार, जिला गोण्डा निवासी श्री मोहम्मद हुसैन की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

प्राविधिक शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)--

श्री रब्बानी हुसैन पुत्र अब्दुल गनी, निवासी कौड़िया बाजार, थाना कौड़िया, जिला गोंडा ने थाना जी0 आर0 पी0, गोंडा पर दिनाँक 23-1-80 को इस आशय की सूचना दी कि वह अपने भाई श्री मोहम्मद हुसैन के साथ ट्रेन नं0 171 अप के द्वितीय श्रेणी डिब्बे में गोंडा से वनगाई जाने के लिये सवार हुआ था। गाड़ी के चलते ही अभियुक्तगण पुजारी पुत्र धोकई शुक्ल, वीरेन्द्र पुत्र धोकई शुक्ल व चन्द्रपाल पुत्र मुकुट सिंह तथा एक अज्ञात व्यक्ति उसी डिब्बे में चढ़ गये। अभियुक्त पुजारी ने मोहम्मद हुसेन को गाली देते हुए बदला लेने की धमकी दी। मोहम्मद हुसैन ने इसके लिये मना किया जिस पर पकड़ा-धकड़ी के दौरान पुजारी ने मोहम्मद हुसैन पर फायर कर दिया जिसके फलस्वरूप मोहम्मद हुसैन की मृत्यु हो गई। गंगाधाम हाल्ट स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही सभी मुल्जिमान कूद कर भाग गये।

उपर्युक्त सूचना के आधार पर अपराध संख्या 17/80 अंतर्गत धारा 302, भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गयी। अभी तक की विवेचना के दौरान अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र धोकई शुक्ल उर्फ चुन्नू निवासी लैबुड़वा, थाना कौड़िया, जिला गोंडा को गिरफ्तार किया गया व शेष दो नामजद अभियुक्त-पुजारी एवं चन्द्रपाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोंडा की अदालत में दिनाँक 30-1-80 को आत्म समर्पण कर जेल जा चुके हैं। मृतक श्री मोहम्मद हुसैन, कौड़िया बाजार के अध्यक्ष थे और उनके प्रति शोक व्यक्त करने हेतु कौड़िया बाजार बन्द रहा। इस अभियोग की विधिवत् विवेचना की जा रही है। किसी निपराध व्यक्ति को परेशान करने की कोई सूचना नहीं है।

राजस्व संहिता विधेयक, 1977 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

*सहायता एवं पुर्नवासन मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

मान्यवर, चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 सदन के 17 अप्रैल, 1978 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे, परन्तु समिति द्वारा उक्त विधेयक पर विचार कर अपना प्रतिवेदन उक्त अवधि में प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा के दिनांक 21 अगस्त, 1978, दिनांक 7 दिसम्बर, 1978, दिनांक 22 मई, 1979 और पुनः 30 अगस्त, 1979 के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अब 29 फरवरी, 1980 तक है;

और चूंकि समिति उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकेगी,

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 30 जून, 1980 तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन, यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है जो इस माननीय सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है और प्रवर समिति में गया था। चार बार तारीख बढ़ा ली गयी। इससे पहले पब्लिक ओपीनियन के लिए भी सरकूलेट किया गया था। कुछ समझ में नहीं आता कि बार-बार इसमें वक्त लिया जाता है। इतना महत्वपूर्ण है। इससे प्रदेश की जनता को, कम से कम मुझे यह शंका हो चली है कि जानबूझ करके किसी न किसी सूरत से विधेयक पास न हो, प्रवर समिति से रेवेन्यू कोड बिल पास न हो सके, क्योंकि इसमें बहुत-सी रेवोल्यूशनरी चीजें हैं, 18--19 ऐक्टों को मिला कर एक ऐक्ट बनाने की बात कही गयी है, और बहुत सी तबदीलियां हैं, प्रदेश की जनता और मुझे शंका हो रही है, इसमें बहुत से बाजार हाट, जो लोगों के कई जगह लगते हैं, उन सब को गवर्नमेंट अक्वायर कर ले, गवर्नमेंट के कब्जे में चले जायं, उसका भी इसके अन्दर समावेश है। जब वित्त मन्त्री ने पिछला बजट प्रस्तुत किया था उसमें इस बात की घोषणा भी कर दी थी कि बाजार-हाट की आमदनी जो दो-तीन करोड़ की थी, वह आमदनी बजट में शामिल कर ली थी।

श्री उपाध्यक्ष--

टाइम जो मांगा है इस पर बोलें। गुणों पर क्यों चले गये ?

श्री रियासत हुसैन--

मैं चाहता हूं कि जो टाईम बार-बार मांगा जाता है बिला वजह, तमाम प्रदेश को शंका हो रही है, बाजार हाटों की पहली अप्रैल को नीलामी हो जायगा, ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ कर डिले करने के लिए यह चीज की जा रही है और समय मांगा जा रहा है, मन्त्री बतायें कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, बार-बार टाईम मांगने के बाद पांचवीं बार टाईम मांग रहे हैं ? कम से कम सदन को उन कारणों से यह अवगत तो करायें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो समिति के ऊपर आक्षेप है।

श्री रियासत हुसैन--

मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, कारण तो मालूम हो जायं सदन को, कि अब तक किन कारणों से यह नहीं बन सका है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बता दें, कहां तक पहुंचा है और कितना काम शेष है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जैसा रियासत साहब ने स्वयं स्वीकार किया है, इसमें 19 राजस्व बिल्स इंवाल्वड हैं। इसमें सब में समय लग रहा है। क्या यह चाहते हैं कि इसे जल्दी पेश कर दिया जाय और पूरी तरह से उसमें विचार न किया जाय ? मैं समझता हूं कि वह ऐसा नहीं चाहते होंगे। इससे इसमें समय लग रहा है।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री जी जब से आए हैं, यह प्रवर समिति बनी थी, यह तीसरे राजस्व मन्त्री हैं। मैं समझता हूं कि अब तो यह अन्तिम मन्त्री होंगे कि जिनके कार्यकाल में यह पास हो जायगा। इसमें दो साल से ऊपर हो चुके हैं। हम लोगों को टाइम देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनको निश्चयात्मक रूप से कहना चाहिए। भूतपूर्व मन्त्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगली बार हम निश्चित तौर से ले आयेंगे। यह यदि निश्चित रूप से आश्वासन देते हैं तो इनका यह कहना कि हम जल्दी ला देंगे ठीक नहीं है। दो वर्ष हो चुके हैं, प्रवर समिति बैठी हुई है, घूम चुकी है, ढाई वर्ष हो गये हैं। यह अगर इतना महत्वपूर्ण विषय है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि इसके लिए 5 वर्ष का समय इकट्ठा ले लिया जाय, लेकिन बार-बार नहीं, आप पांचवीं बार आये हैं। आप कृपा करके, इस विधान सभा पर मेहरबानी करके प्रदेश पर कृपा कीजिए कि अब आप छठी बार इसके लिए न आयें, ऐसा अब तो आप आश्वासन दीजिए। पिछली बार भी यह आश्वासन मिला था कि अबकी बार नहीं आयेंगे। मुख्य मन्त्री देखें, ढाई वर्ष से प्रवर समिति बैठी हुई है, कहां जा रही है, कहां देख रही है उसे क्यों समय नहीं मिल रहा है ? मैं समझता हूं कि अब इस अवधि में अवश्य हो जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि आप तो प्रवर समिति के सदस्य हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

यह शिकायत सही है, किन्तु श्यामधर जी जानते हैं कि केन्द्र के अन्दर ऐंटी डिफेक्शन बिल पहली बार सन् 1967 की लोक सभा में पेश हुआ, फिर वह कमेटी लेप्स हो गयी। 1971 के बाद फिर प्रवर समिति बनी, वह भी सन् 1977 का चुनाव हो जाने के कारण रहे गयी। तो इस तरह से 8 साल तक प्रवर समिति चलती रही, तो यह श्यामधर जी जानते हुए ऐसा कहते हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र--

यह तो कोई बात नहीं हुई . . . .

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मुख्य मन्त्री जी ने बड़ा अच्छा हमें उदाहरण दिया और इस दिशा में हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। जैसा रियासत हुसैन साहब ने कहा इसमें 17-18 अधिनियम हैं, उनका कोडिफिकेशन करना है और श्यामधर जी ने भी स्वतः इस पर स्पष्ट कर दिया है कि इसमें विलम्ब का कारण बार-बार राजस्व मन्त्रियों का तबादला होना है। मेरा विचार है कि अबकी जो आप समय दे रहे हैं, उसमें मन्त्री जी अपने स्थान पर बने रहें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसको अन्तिम रूप देने में हम सफल होंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 सदन के 17 अप्रैल, 1978 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे, परन्तु समिति द्वारा उक्त विधेयक पर विचार कर अपना प्रतिवेदन उक्त अवधि में प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा के दिनांक 21 अगस्त, 1978, दिनांक 7 दिसम्बर, 1978, दिनांक 22 मई, 1979 औरपुन: 30 अगस्त, 1979 के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अब 29 फरवरी, 1980 तक है और चूंकि समिति उक्त बढ़ाई गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकेगी अतएव यह सदन निदेश देता है कि प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 30 जून, 1980 तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री शम्भूनाथ चौधरी की है। वर्ष 1979 में सब रजिस्ट्रार की परीक्षा में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के आरक्षण कोटे के अनुसार चयन न किया जाना। किसी न्यायालय की आज्ञा का उल्लंघन होने पर उक्त विषय के ऊपर विचार करने के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। लेकिन मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको दिखवा लें अगर कुछ कर सकते हैं तो करेंगे।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, यह न्यायालय से सम्बन्धित नहीं है। लोक सेवा आयोग का जो विज्ञापन हुआ उसमें पिछड़ी जातियों का कोटा था, जब परीक्षा हुई तो पिछड़ी जाति के लोगों को बुलाया गया और जब रिजल्ट निकला तब भी पिछड़ी जातियों के कोटे का रिजल्ट निकला लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही हैं। आरक्षण के बारे में अपील हुई और वह स्थगित हो गयी है। इसलिए सरकार का निर्णय पहले से कायम है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कह दिया है कि मुख्य मन्त्री जी इसको दिखवा लें, लेकिन यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है। इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं ।

दूसरी सूचना सर्वश्री शतरुद्र प्रकाश, श्री श्यामधर मिश्र, श्री राम आसरे वर्मा, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री विद्या शंकर और श्री राजपति मिश्र की है, जो प्रदेश में शीतलहरी से मृत्यु होने के सम्बन्ध में है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, निर्णय देने के पहले मेरी बात एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें शासन की ओर से वक्तव्य आ जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, भयंकर शीत लहरी चल रही है और उसके कारण मौतें हो रही हैं गरीब आदमी मर रहे हैं और 3 रोज पहले बलिया में 6 आदमी मरे और डेढ़ महीने में 150 आदमियों की मौतें हो गयी हैं इसलिए शासन का कर्तव्य है कि जिस प्रकार से बाढ़ और सूख

में सरकार सहायता करती है उसी प्रकार से इसमें भी सहायता करे। लोग अलाव लगाकर रात काट रहे हैं। शीत लहरी से बहुत से लोग बीमार पड़ गए हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी आश्वासन दें। जो पीड़ित हैं उनको चिकित्सा सुविधा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर शासन की ओर से एक वक्तव्य आ जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय मुख्य मन्त्री बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको मौन नहीं रहना चाहिए बल्कि सदन को आश्वासन देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं। आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, सदन में माननीय राजस्व मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी मौजूद हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया है कि शासन की ओर से वक्तव्य आ जायगा। अब आप बैठिए। श्री राजेन्द्र कुमार जी आप अपना प्रस्ताव पेश कीजिए।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, सदन में माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय राजस्व मन्त्री जी मौजूद हैं। ये खड़ होकर बता दें कि कब तक वक्तव्य दिया जायगा। यह प्रश्न गरीब आदमियों की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है। इस शीत लहरी से गत महीन से डेढ़ सौ से अधिक आदमी मर चुके हैं। सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है, इस पर उनकी ओर से सदन में आश्वासन मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय राजस्व मन्त्री जी को निर्देश दें कि वे इस प्रश्न पर मौन न रहें, उन्हें सदन को कोई न कोई आश्वासन अवश्य देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आदेश दे चुका हूं कि शासन की ओर से इस सम्बन्ध में वक्तव्य आ जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, कब तक आ जायेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1980†

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, राज्यपाल जी को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसके तहत इस सरकार ने सलाह दी है जिससे उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है। संविधान के अनुच्छेद 213 में यह अधिकार श्री राज्यपाल को दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि "यदि किसी समय राज्यपाल को समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्य-

---

†दिनांक 5 फरवरी, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]
वाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियाँ वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।"

अब हमें यह विचार करना होगा कि 30 नवम्बर, 1979 को जिस समय यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया क्या ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं। तथा जिस समय देश में लोक सभा के चुनाव होने जा रहे थे तो, उस समय इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए कौन से ऐसे अपरिहार्य कारण उपस्थित थे। स्पष्ट है पहले भी सत्र चला और आज भी दो महीन बाद फिर हो रहा है। इनमें यह विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता था। लेकिन इस सरकार ने श्री राज्यपाल को ऐसी सलाह दी जिससे यह अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किया गया जो संविधान की मान्यताओं के विपरीत था, उसकी उपेक्षा है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने का क्या कारण आ पड़ा था। इसके प्राविधानों को अगर देखा जाय तो यह बात स्वयं साफ हो जायगी कि प्रदेश में दल-बदल कराने के लिए या विधायकों को घूंस देने के लिए, उनके चरित्र को गिराने के लिए इसके द्वारा एक ऐसा प्रयास किया गया जिसके कारण इसे प्रख्यापित किया गया है। भारतीय संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गयी है कि कोई भी विधायक एसा कोई पद धारण नहीं करेगा जो लाभ का हो। अभी तक ऐसी व्यवस्था थी कि राज्य विधान मण्डल को वह अपवाद प्रस्तुत करता है। और वह प्रतिकर भत्ता प्राप्त कर सकता है लेकिन अब यह व्यवस्था कर दी गयी है जिसके अन्दर 500 रुपया सवारी भत्ता और 300 रुपया प्रतिमास देय हो।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेम सिंह चौहान पीठासीन हुए।)

यह 800 रुपए की इस प्रकार यह सुविधा देना तथा टेलीफोन आदि सुविधा देना उचित नहीं कहा जा सकता। यह व्यवस्था इसलिए की गयी है कि विधायकों को प्रलोभन दिया जाये ताकि वे अपने दल में बने रहें।

श्रीमन्, अपवादों की भी सूची बनी है, द्वितीय अनुसूची का पैरा 7 में "लोक महत्व के किसी विषय के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के लिए या किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जाँच करने या आँकड़े एकत्र करने के लिए अस्थायी रूप से बनाई गयी किसी समिति (चाहे उसमें एक या अधिक सदस्य हों) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य या सचिव का पद" इसके आगे पैरा 9 है—"किसी विशेष कर्तव्य का पालन करने के लिए कोई ऐसा पद जो पूर्णकालिक पद न हो।"

इसके अनुसार मान्यवर, जिस व्यक्ति को यह ओब्लाइज करना चाहेंगे उसे यह काम दे देंगे। इसके द्वारा किसी की भी नियुक्ति करके उसे आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सकेगा। हम विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात् जब शपथ लेते हैं तो उसमें यह साफ है कि हम कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था करके पूरे माहौल को गन्दा किया जा रहा है। इसलिये मैंने अपना अननुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अच्छा होगा माननीय मन्त्री जी स्वयं इस विधेयक को वापस ले लें, अन्यथा सरकार को माननीय सदस्यों की इन भावनाओं का सामना करना पड़ेगा कि इसको प्रलोभन देने की नीयत से किया गया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस विधेयक को वापस ले लेंगे।

*वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हू। एसा लगता है कि माननीय गुप्ता जी ने इसे उस भावना से नहीं पढ़ा जिस भावना से उन्हें इसे पढ़ना चाहिए था। माननीय सदस्यों की गरिमा और उनकी इज्जत रखने की दृष्टि से अपन अनुभव के आधार पर ही यह विधेयक रखा गया। मेरे मित्र, भूतपूर्व संस्थागत वित्त मन्त्री, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के सामने कई प्रश्न उपस्थित हुए थे और उन पर विचार करने के बाद उनके समय में ही यह निर्णय हुआ था कि इस बिल को प्रस्तुत किया जाये।

अभी पुरानी व्यवस्था क्या है ?

यह मान्यवर, पुरानी व्यवस्था है। इसमें राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में लिखा है कि इनके लिए अनर्हता नही मानी जायगी—

(1) उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन।
(2) उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन।
(3) उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन।
(4) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।

(प) निम्नलिखित अकानूनी निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष या सदस्य (चाहें वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद, अर्थात् :—

(1) उत्तर प्रदेश स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड।
(2) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड।
(3) उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड।
(4) उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड।
(5) उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड।
(6) उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड।
(7) उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिजेज कारपोरेशन लिमिटेड।
(8) उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन।
(9) हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड।
(10) प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड।
(11) इंडियन टरपेंटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड।
(12) उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कारपोरेशन।
(13) पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड।
(14) बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड।

(य) उत्तर प्रदेश में वक्फों के सुन्नी सेंट्रल बोर्ड या शिया सेंट्रल बोर्ड के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य या नियन्त्रक, यदि कोई हो, का पद।

मान्यवर, इसमें जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अन्दर कोई रोक नहीं, चाहे जितना भी दिया जा सकता है। यहाँ 1,000 रु0 मिलता है। एक हजार रुपया दिया जा सकता है और मकान किराया। इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। मैंने तो मान्यवर, यह किया है कि जहां कुछ लोगों को विशिष्ट जगह पर रखने की व्यवस्था की और उसमें कोई रोक नहीं थी। मान्यवर, माननीय विधायकों के ऊपर यह जो रोक थी कि यदि उनको कमीशन में नियुक्त करना चाहें, तो उनको प्लेस ऑफ प्राफिट होने के कारण हम उनको नियुक्त नहीं कर सकते थे। मान्यवर, इसमें माननीय श्याम सुन्दर गुप्ता जी भी प्रस्तावक हैं। वह बम्बई गये थे। माननीया शकुन्तला नय्यर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी।

[श्री मधुकर दिघे—]

मेरे समय में एक प्रश्न उपस्थित हुआ हवाई जहाज के लिए कि अधिकारी तो हवाई जहाज से जा सकते हैं, लेकिन माननीय विधायक के लिए सुविधा नहीं थी। माननीय विधायक जो दूसरी कमेटियों में जाते हैं और उनको जो 25 हजार किलो मीटर की सुविधा मिली है, तो उनको वह सुविधा मिलनी चाहिए और दूसरी तरफ यह आरोप है कि हमने इस काम को किया, क्योंकि हम किसी को सुविधा देना चाहते थे। जो सुविधा दी जा रही थी, जिस पर कोई रोक नहीं थी, उसमें सभी प्रकार की कमेटियों में अगर नियुक्ति विधायकों की करना चाहें, तो एक सम्यक दृष्टि से रोक लगी थी कि 300 रु0 से अधिक मकान भत्ता नहीं दिया जा सकता और 500 रु0 से अधिक मोटर किराया (टी0ए0 बिल) नहीं दिया जा सकता है। तो यह मैंने रोक लगायी और यह छूट दी कि जो अधिकारियों को सुविधा है, वही माननीय विधायकों को भी सुविधा होनी चाहिए। माननीय गुप्ता जी, जनता पार्टी की सरकार रही, तो हमारे साथ रहे, माननीय गुप्ता जी अपने ही जनता पार्टी के मन्त्री रहे, मुझे, फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से कई प्रस्ताव आते थे, तो रोक लगाना पड़ता था, तो मैंने सोचा कि यह जो रोक लगाना, किसी को परेशान करना, किसी को दुख पहुंचाना है, यह ठीक नहीं है। इसके बजाय कोई भी सरकार आये, कोई शासन आये, विधायकों की गरिमा के अनुरूप उनको सुविधा, अगर किसी काम में नियुक्ति होती है, कमेटी में नियुक्ति होती है, पब्लिक अन्डरटेकिंग में जाते हैं, तो दी जाय, चाहे किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। कुछ जगहों पर कोई सुविधा नहीं मिलती है और कहीं-कहीं बहुत मिलती है, तो मैंने तो मान्यवर, सभी जगहों पर सम्यक दृष्टि से विचार करके, केवल उन्हीं के लिए नहीं, नेता विरोधी दल, विधान सभा द्वारा नियुक्त कमेटियाँ है, उनके लिए कर दिया है बजाय उनके लिए मोटर गाड़ी खरीदते, मैंने बजट भाषण का उत्तर दिया था, तो आलोचना की माननीय नारायण दत्त तिवारी की जब वह मुख्य मन्त्री थे जाते जवाते उन्होंने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से कई गाड़ियाँ लेकर कई अध्यक्षों को दे दिया और उनका हजारों हजारों का बिल आया और वह बिल मुझे फाइनेन्स मिनिस्टर होने के नाते स्वीकार करना पड़ा, करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद मन में यह रहा कि इस प्रकार के काम, जो कार्यालयों से मोटरें ले ली जाती हैं और एक आरोप लोग जन प्रतिनिधियों पर लगाते हैं तो हमने तो सही नियम बनाया है।

उत्तर प्रदेश में प्लानिंग बोर्ड है, केन्द्रीय सरकार का नियम है कि अगर संसद का कोई सदस्य उसमें नियुक्त किया जाता है तो उसे सारी सुविधायें प्राप्त होंगी, विधायक को नहीं। बाहरी आदमी नियुक्त करें प्लानिंग बोर्ड में तो उसे 300 रुपया प्रति दिन दिया जायगा किन्तु विधायक को नियुक्त करें तो केवल 30 रुपया या 15 रुपया से अधिक नहीं मिल सकता है। सन् 1967 में मैं इसी माननीय सदन का सदस्य था, मुझे उत्तर प्रदेश से रेलवे बोर्ड की जो कन्ज्यूमर कमेटी थी, उसका मेम्बर बनाकर भेजा गया था। जब समिति में विधायक के सामने पैकेट आता था तो वह 30 रुपया का रहता था किन्तु जब दूसरे लोगों के सामने आता था तो 300 रुपए का आता था। मैं समझता था कि विधायक की हैसियत कम है बमुकाबले दूसरे अधिकारियों और दूसरे लोगों के। इसी अव्यवस्था को खत्म करने का निर्णय हमने माननीय मुख्य मन्त्री की सलाह से लिया है, मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था से सभी माननीय सदस्यों की इज्जत रहेगी। चाहे जिस कारपोरेशन में चाहे जहाँ विधायक जायेंगे उनको सारी सुविधा मिलेगी। यह नहीं की कहीं मिले और कहीं नहीं। माननीय गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप चाहे अपने मित्रों के साथ इस पर विचार करना तो मैं इसे स्थगित कर सकता हूं। पब्लिक अण्डर टेकिंग्स में और इन कमेटियों में विशेष किस्म के लोग सन् 47 से पहले भी जाते रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे अगर यह व्यवस्था रखनी है तो इस बिल का विरोध न करें और मैं तो निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों के हित में, विधायकों के सम्यक हित में इस प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, इस वक्त अध्यादेश के सम्बन्ध में माननीय गुप्ता जी ने बातें रखी, माननीय वित्त मन्त्री ने रखी। मैं श्रीमन्, अपने विचार में मैं यह समझता हूं कि एक ऐसा अध्यादेश जो बिल की शक्ल में रखे जाने की बात है जिसका सम्बन्ध इस माननीय सदन के सदस्यों से है। श्रीमन्, इसमें दो राय नहीं हैं जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा, मैं इससे इत्तफाक करता हूं। मान्यवर, माननीय सदस्यों में बहुत से लोग भिन्न-भिन्न चीजों के विशेषज्ञ हैं। जो व्यक्ति जिस चीज का विशेषज्ञ है, उसे उसी से सम्बन्धित कार्य सौंपा जायगा तो वह निपुणता से उसे करेगा और जो व्यक्ति जिस विषय का विशेषज्ञ नहीं है, उसे अगर उस विषय को सौंपा जायगा तो वह कुछ नहीं कर सकेगा। तो इसी प्रकार से माननीय सदस्यों को भिन्न-भिन्न जगहों पर अध्यक्ष या मेम्बर के रूप में मनोनीत किया जाता है। इसलिए कि पब्लिक इन्टरेस्ट में उस चीज की देखभाल अच्छी तरीके से हो सके। इस प्रकार के तमाम प्रस्ताव हर सरकार द्वारा लाए जाते हैं और इन्हीं प्रस्तावों के जरिए तमाम माननीय सदस्यों को कहीं किसी को कमीशन का चेयरमैन, किसी बोर्ड का चेयरमैन या सदस्य बनाए जाते हैं। इसी तहत अभी माननीय मन्त्री जी ने स्प्रिट अपने वक्तव्य में दिखाई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो माननीय सदस्य जिस विषय का ज्ञाता नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है, वह कार्य कैसे करेगा। इस सम्बन्ध में मेरा विचार था कि माननीय मन्त्री जी सदन के सामने जो भी मामलात आये हैं, इन सबको माननीय सदन में रखें जाने से पहले एक बार जिम्मेदार माननीय सदस्यों और हर दल के माननीय नेताओं से मशविरा कर वह सारी चीजों पर विचार-विमर्श करते, तब लागू किया जाता। परन्तु यहाँ पर तो और ही बात है ओवलाईज करने की, जैसे और सरकारों में होता आया है, हो सकता है उसी प्रकार से इन्हें भी ओवलाईज करने की आवश्यकता पड़ गई हो।

श्री अधिष्ठाता--

रियासत साहब, आप बैठें। श्री राम आसरे वर्मा जी, पहले आप अपना संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर लीजिए।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मैं तो मान्यवर, पहले ही उठा था, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ---

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढाने का भी अधिकार हो और जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

जिन दो बातों को माननीय मंत्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है जो माननीय सदस्यों के आर्थिक लाभों से संबंधित हैं। कोई भी माननीय सदस्य दूसरा आर्थिक लाभ नहीं ले सकता। केवल इसको यहां पर तोड़ मरोड़ कर बिल के रूप में परिभाषित करके सदन में लाया गया है। संवैधानिक मान्यताओं को तोड़-मरोडकर रखना लोगों को गुमराह करना है।

500 रुपया आप टी0 ए0 देंगे और 300 रुपये गृह-भत्ता। गृह-भत्ता चाहे कोई व्यक्ति अपने ही घर में रहे, लेकिन आप उसे देंगे। चाहे कोई माननीय सदस्य ने अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा]

कार्य को रिक्शे द्वारा ही सम्पन्न किया हो लेकिन आप उसके घर पर यात्रा भत्ता भिजवा देंगे। जैसा कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा, उससे मैं सहमत हूं कि कोई भी सरकार हो, चाहे यह हो या इससे पहले, जो भी शासन रहा हो। सबमें प्रलोभन माननीय सदस्यों को दिये जाते रहे हैं और अब दल-बदलुओं की परिस्थिति में इन बातों को ही आधार बनाया गया है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपनी बातों में विरोधाभाव जाहिर किया है। एक ओर माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि पहले पूरी छूट थी कि चाहे जितना पैसा समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ले सकता था और दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी कहते हैं उसको अब प्रतिबन्धित कर दिया गया है कि वह एक लिमिटेशन से आगे नहीं जा सकता है। तो आप जो कह रहे हैं इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेहतर होगा इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि जो विरोधाभास है उन सब पर विचार करके इस विधेयक को इस सदन में लाया जा सके।

श्री रियासत हुसैन--

जैसा मंत्री जी ने कहा है उनके बोर्ड, कमेटी, कमीशन, कारपोरेशन हैं, सब इतने जरूरी हो गये हैं लेकिन उनके अन्दर जो माननीय सदस्य विशेषज्ञ हैं, जो उसमें कुछ सेवा कर सकते हों, जो हालत आज है, ब्यूरोक्रेट्स कारपोरेशन्स पर हावी हो करके अपने तरीक से काम करते हैं। उनको कण्ट्रोल करके यह जरूरी है कि जो विशेषज्ञ हैं उनको उसके अन्दर शामिल किया जाय। जब काम लिया जायगा तो निश्चित है उनको भत्ता आदि के रूप में या किसी भी रूप में पैसा देना पड़ेगा। सारी डिफीकल्टीज को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी ने जो सामने रखा है, मैं यह समझता हूं कि बहुत जरूरी है चाहे इस मान में कि विशेषज्ञों की सेवायें लेने के लिए चाहे इस चीज के जरिये से कुछ लोगों को ओब्लाइज करने के लिए लेकिन मैं चाहूंगा कि इस माननीय सदन के जिम्मेदार लोगों का परामर्श कहां कहां लिया जाये, या क्या-क्या लिया जाये, इन सब चीजों पर विचार करने के लिए एक बार इसको बिदड्रा कर लें। इसमें कैसे लोग जायेंगे, किस किस तरह के जायेंगे इन सब पर विचार हो जाय। जब वे जायेंगे तो लाभान्वित भी होंगे। इन सब बातों पर विचार करने के लिए आपके द्वारा मंत्री जी से दरख्वास्त है कि इसको इस समय विदड्रा कर लें फिर बात-चीत करके सदन में इसे लायें। मैं यही समझता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे कारपोरेशन्स हैं जिनका अध्यक्ष इस सदन के अथवा विधान परिषद् के किन किन सदस्यों को कब से सरकार ने बनाया है जिसके कारण यह संशोधन सरकार को लाना पड़ा और अब तक इन सदस्यों ने उन अध्यक्षों को हसियत से कितनी धनराशि ली है? क्योंकि मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि जो एक असंगति थी कि इस सदन के, विधान परिषद् के जो सदस्य होते थे उनको वे सुविधायें नहीं दे पाते थे जो नौकरशाही के लोगों को उपलब्ध करा देते थे। इस असंगति को दूर करने के लिए इसे लाये थे। अगर यह सही भावना होती तो विधेयक पहले लाया गया होता. . . .

श्री मधुकर दिघे--

जितने कारपोरेशन्स हमने बनाये हैं. . . .
(व्यवधान)

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

20 नवम्बर, 1979 को माननीय राज्यपाल से इसे प्रख्यापित कराया गया, कौन सी ऐसी जल्दी थी ? अगर मंशा साफ थी सरकार की और जैसा माननीय सदस्यों ने आरोप लगाये डिबेट को इनीशियेट करते हुए असल में यह सारा काम उन परिस्थितियों में किया गया है जब सरकारी दल को दल बदलने को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। हम इस भावना के विरोधी हैं। जिस इन्टेन्शन से यह लिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 195 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि इसी सदन में हम यह तय कर सकते हैं कि सदस्यों को हम क्या-क्या सुविधायें देंगे अगर आपको सदस्यों की सुविधायें देने की चिन्ता है तो आप उन सुविधाओं को अन्य तरीकों से बढ़ा सकते हैं। यह जो परम्परा चल गयी है कारपोरेशन का चेयरमन बनाने की यह दूसरी तरह से भ्रष्टाचार की गंगोत्री में गोते लगाने को बढ़ावा देना है, कारपोरेशन्स में जितना भ्रष्टचार है, वह इस सरकार के जरिये इतना बढ़ाया गया है कि उसने पिछले सारे कीर्तिमान तोड़ दिये है। इस तरह की परिस्थितियों में जबकि समाज में चतुर्दिक गिरावट आई है, इस तरह का कोई बिल लाना, इस सदन के सदस्यों को भ्रष्टाचार की तरफ प्रोत्साहित करना है, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने का कदम होगा। मैं इसको वापस लेने की अपील नहीं करता, इसको प्रवर समिति को भेजने का समर्थन नहीं करता, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि यदि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है तो इस तरह के विधेयकों को हमेशा हमेशा, के लिये ड्राप करना पड़ेगा। इस तरह की भावनाओं को खत्म करना होगा। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस ढंग से विधेयक की वकालत की है, मैं समझता हूं कि वह बातों में इतने चतुर हैं कि हर बुरी से बुरी बात को अच्छी साबित कर सकते हैं। यह उनकी वाक चातुर्य कला है। माननीय दिघे जी बुरी से बुरी बात को अच्छी सिद्ध कर सकते हैं अपनी वाणी से। यह बात सही है, इसकी मैं तारीफ करता हूं। पैसे और गाड़ी से विधायकों की गरिमा नहीं हो सकती। मान लीजिये कोई आई0 ए0 एस0 आफीसर गाड़ी में चलता है, हम विधायक, किसी निगम के चेयरमैन, रिक्शे में चलते है, तो हमारी कोई गरिमा नहीं घटती है। हम तो जन सेवक हैं ही। पैसे से अगर गरिमा बढ़ेगी महात्मा गांधी, डाक्टर लोहिया और जय प्रकाश का नाम खतम हो जायगा। रुपये पैसे के मत्ते से, गाड़ी से विधायकों की गरिमा बढ़ेगी यह तर्क नहीं दिया जाना चाहिये।

आप जो राज्य चला रहे हैं 165-67 सदस्यों से तो इतने सदस्यों से सरकार नहीं चला करती। 212 हों तो तब आप वित्त मंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। ऊपर से कुछ इस तरह की परिस्थिति हो गयी नहीं तो एक मिटट भी हम आपको बैठने नहीं देते। 213 आपके साथ नहीं है, केवल 165 हैं। 30-35 तो मंत्रि-परिषद में आ गये। वह बैठते भी नहीं, दो चार बैठते हैं, पता नहीं कहां घूमते रहते हैं। बाकी जो बचे हैं 100 आदमी, 80-90 इधर निकल जायेंगे। बाकी लच्छू सिंह जैसे बच रहते है, उनको क्यों छोड़ दिया ? फिर तो 165 की भी व्यवस्था करें। तो इस तरह से तो कोई सरकार चलती नहीं है। आपने एक बात कही कि हर सरकार अपने विश्वसनीय लोगों को रखती है। विश्वसनीय लोग आपके 165 हैं।

श्री मधुकर दिघे--

आप भी अध्यक्ष रहे हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आपने दान नहीं दिया था। तो मैं कह रहा था कि 165 लोग आपके विश्वसनीय हैं। आप चेयरमैन बनायेंगे, 165 में से बनायेंगे। यह बहुत गड़बड़ बात है। इस तरह से सरकार नहीं चलती है वैसे भी यहां ज्यादा नहीं बठना है, 40–50 दिन की बात ह, ऊपर स नंगी तलवार लटकी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको बनाना है तो सारे लोगों में से बनायें। जो काबिल ह उनको रखिये लेकिन एक दलीय प्रणाली को न रखिये। इसके अलावा आप जो सीमित भत्ता की बात करते हैं, इसको रख रहे हैं, इससे भी कोई गरिमा बढ़ने वाली नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि किसी विधायक की गरिमा पैसे से नहीं बढ़ती है। तो इसमें मेरी अदब से प्रार्थना है कि इसको वापस कर लें, नहीं तो मुश्किल होगी। हम तो करायेंगे नहीं इसके लिये कटिबद्ध हैं। इसलिये वापस कर लें। 10–5 विरोधी दलों के नेताओं और उप नेताओं को बुलाकर बात कर लीजिये। वरना रात को हंसी होगी, सबेरे कहेंगे। कि अखबार वालों ने गलत छाप दिया है। इस लिये इस चर्चा का विषय न बनायें इन शब्दों के साथ अपनी बात खतम करता हूं।

श्री मोती लाल दहेलवी (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इसका बहुत कायल हूं, विधायकों को चरित्रवान, ईमानदार, कर्त्तव्यनिष्ठ होना चाहिये, यह अपने व्यक्तिगत चरित्र की बात है। कोई विधायक अच्छा कहा जाता है कि यहां पर वेतन न ले, भत्ता न ले, कूपन न ले, यह आदर्श की बात होगी, होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि जिसकी सामर्थ्य हो उसको करना भी चाहिये। मेरा जहां तक खयाल है इसमें कोई रुकावट भी नहीं है सरकार की तरफ से। कोई विधायक अगर चाहता है कि हम वेतन नहीं लेंगे या हमारा वेतन किसी अच्छे काम में लगा दिया जाय तो मेरा ख्याल है कि सरकार को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मान्यवर, अगर गुड़ खाया जाय और गुलगुलों से परहेज किया जाय तो वह मेरी समझ में नहीं आता। मान्यवर, इसी सदन में 15 रुपये से बढ़ाकर 50 रु0 किया गया। मेरा ख्याल है कि उस पर काफी विधायकों ने हस्ताक्षर किये थे, शायद किसी ने इन्कार नहीं किया था, एक माननीय सदस्य ने आपत्ति की थी। मेरा ख्याल है कि एक प्रकार से सर्व सम्मति से तय हुआ था।

मान्यवर, इसी सदन में टेलीफोन की सुविधा स्वीकार की गयी। तो कहने का मतलब यह है कि अपने को तो कुछ कह न सकें और इसी तरह के दूसरे मामले पर सिद्धान्त की बात करना उचित नहीं है। मान्यवर, जो कारपोरेशन हैं उनमें बड़ा भ्रष्टाचार रहता है। सरकारी और अन्य लोग जो उसमें होते हैं वह पैसे का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। जिस मंशा से निगम बनाये जाते हैं उसकी पूर्ति नहीं होती है। उसमें यदि कोई विधायक पद का धारण करते हैं तो उनकी व्यक्तिगत स्वभाव, चरित्र और ईमानदारी पर निर्भर करता है कि उस निगम को या बोर्ड को अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार उसको कितना लाभ दे रहे हैं और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश लगा रहे हैं। यह बहुत बड़ी चीज है। इसलिये किसी बोर्ड या निगम में जाना उतनी अनुचित नहीं है जितना कि वह सदस्य बोर्ड या निगम को लाभ पहुंचायें। इसी दृष्टिकोण से निगम में विधायकों को भेजा जाता है कि बोर्ड या निगम को लाभ पहुंचायें और यह सदस्य के व्यक्तिगत चरित्र, स्वभाव और ईमानदारी पर निर्भर है।

मान्यवर, अभी एक बात और कही गयी थी तो उसके सदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि लेदर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन का मुझे चेयरमैन बना दिया गया। उसका आफिस आगरे में है। मैं दो बार उसकी मीटिंग में गया तो मेरा निजी लगभग 150 रुपया खर्च हो गया और उसका एक भी पैसा आज तक मुझे नहीं मिला है। इसकी मैंने आज तक शिकायत भी नहीं किया है। इसलिये जितनी सेवा मैं कर सकता हूं कर रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि अपने स्वभाव के अनुसार उस पर मैंने अंकुश भी लगाया है। मैं कहना नहीं चाहता हूं कि इसमें कितनी गंदगी है। तो यह हमारा कर्त्तव्य और फर्ज है कि हम उसके पैसे

का दुरुपयोग न होने दें और उसका जितना लाभ जनता को मिल सके वह दें और तमाम, काम जनहित में करें। तो यह बात स्वभाव और ईमानदारी पर निर्भर है। मान्यवर, यह मैंने जानकारी के लिये कहा, ऐसे मुझे चेयरमैन बना दिया गया, इसके लिये मैं किसी से कहने नहीं गया था। इसलिये मान्यवर, यह जो विधेयक लाया गया है, मेरा ख्याल है कि जनहित विरोधी नहीं है, जनहित में है। जो कहा जाता है कि विधायकों को भ्रष्ट करने के लिये बोर्ड बनाये गये हैं, तो जो कहते हैं वह बिल्कुल नितान्त भ्रम में है, उनको अपने में विश्वास नहीं है। विधेयक की मंशा शुद्ध और साफ है, इसलिये इस विधेयक को जनहित में पारित किया जाना चाहिये।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो भाषण मैंने मंत्री जी का सुना उसको सुनने के बाद मुझे कष्ट हुआ। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस पर बहस क्यों चलाई जा रही है। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा है? गुप्ता जी ने जो प्रस्ताव रखा था उसको आपको स्वीकार कर लेना था। टेक्नीकल्टीज आपने जो रखी है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। आपने यह देखा कि कारपोरेशन का जन्म कैसे हुआ जिसके लिए अर्हतायें आप हटाना चाहते हैं? जनतंत्र के मान्य सिद्धान्त हैं कि वह कभी भी कारपोरेशन्स को इनकरेज नहीं करती। एक मंत्री मान्यवर, एक चपरासी का एप्पाइन्टमेंट नहीं कर सकता लेकिन एक कारपोरेशन का चेयरमन करोड़ों और हजारों रुपये वेतन पाने वाले आदमियों को रख सकता है और ये कारपोरेशन्स इस प्रकार इस प्रदेश में भ्रष्टाचार की जननी हैं। माफ करेंगे सी० बी० गुप्ता साहब ने शुरू किया और बनारसी दास जी ने इसे चरम सीमा तक पहुंचा दिया और इस तरह पहुंचा दिया कि अगर आप लिस्ट उठायें तो देखेंगे कि सब से अनभिज्ञ, उस विषय को कम जानने वाला, उस कारपोरेशन का चेयरमन बना दिया गया। जैसे हमारे माननीय सदस्य मुकीम जी हैं। इतने बड़े ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, शायद और दूसरा माननीय सदस्य ऐसा न हो। ऐसे ज्ञानी आदमी को इस सदन की आवश्यकता है ताकि हम लोग उनसे इन्सपिरेशन लेते रहें....

श्री अधिष्ठाता—

व्यक्तिगत आक्षेप न करें।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मैं यह कह रहा हूं कि जब हम लोगों को कठिनाई होती है तो हमें सलाह लेने की जरूरत होती है तो उस समय हमें मुकीम साहब जैसे लोगों की जरूरत होती है जिससे हम सलाह ले सकें। तो ऐसे महान, तेजस्वी व्यक्ति को, ज्ञाता को एक चेयरमैन बना दिया, बेचारे गाड़ी में बैठे-बैठे कार्टून की तरह घूमते रहते हैं.....

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे माननीय दोस्त को मालूम होना चाहिये कि मैं चेयरमैन नहीं हूं किसी कारपोरेशन का, न किसी कमेटी का चेयरमैन हूं।

श्री अधिष्ठाता—

स्पष्टीकरण नहीं मांगा था, आप ने व्यवस्था की बात कही थी

(व्यवधान)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

यह बात सही है कि मुकीम जी अध्यक्ष नहीं है, वह किसी नागरिक समिति के सेक्रेटरी हैं।

सा कारपोरेश जो बनते हैं उन कारपोरेशन में यू० पी० और बिहार, यू० पी० हरियाणा, में सबसे बड़ी कारपोरेशन्स हैं। मैं इस निश्चित राय का हूं कि हम लोग

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर—]

सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को ऐसे जगहों में भेजना चाहते हैं जहाँ उन के कपड़ों पर आँच लगे। कारपोरेशन का जन्म कैसे हुआ ? एक काउन्सिल बनती है एक्सपर्ट की, विज्ञान की उसमें वैज्ञानिक रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं। आइडिया यही था। शुगर कारपोरेशन बनते हैं उनमें एक्सपर्ट रहें। लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा। दुरुपयोग इस हद तक होने लगा कि चेयरमैन की प्राइज्ड पोस्ट बन गई। मुख्य मंत्री जी जिन्हें मंत्री न बनाने चाहें उनको वहाँ भेज देते हैं। मेरा निवेदन है दिघे जी से कि उन्हें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को इस पोजीशन से बचाना चाहिए। सार्वजनिक कार्यकर्त्ता जब मुसीबत में फंस जायेंगे तो अच्छे लोग नहीं रह जायेंगे। मिसाल देता हूं। हमारे पिता जी बेचारे पढे लिखे हैं। मेरा भाई कारपोरेशन का डाइरेक्टर नामिनेंट किया गया। वह आया और उसने कहा पापा मैं डारेक्टर हो गया हूं कारपोरेशन का। पिता जी ने कहा तुम को इस्तीफा दे देना चाहिये। उसने कहा क्यों ? उन्होंने कहा एक साल में लाखों का गबन पाया जायगा तो हमारा घर नीलाम हो जायगा। भाई ने कहा समाजवाद आयेगा, पिताजी ने कहा समाजवाद देर में आयेगा तुम इस वक्त इस्तीफा देकर आओ। यह समाज में कोढ़ है। इस तरह के कारपोरेशन्स में राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को भरने से राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। मोहन सिंह जी मिनिस्टर हैं तो ठीक है लेकिन कारपोरेशन के चेयरमैन हो गए तो चार का एप्वाइंटमेन्ट कर सकते हैं लेकिन मिनिस्टर की हैसियत से कुछ नहीं कर सकते। मेरा निश्चित मत है कि कारपोरेशन्स में राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को न रखा जाय। अगर यह विधेयक पारित किया गया तो मुख्य मंत्री उधर के बैठने वाले अपने चाटकारों को उनमें भरते रहेंगे। इसमें वोट का अवसर नहीं आना चाहिये। माननीय दिघे जी बड़े क्रान्तिकारी हैं वह इसे वापस ले लेंगे।

श्री मोती लाल देहलवी—

व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो शब्द माननीय सदस्य ने इस्तेमाल किये हैं कि मुख्य मंत्री अपने चाटुकारों को भर देंगे ये संसदीय नहीं हैं। इनको कार्यवाही से निकाल देना चाहिये।

श्री अधिठाता—

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मेरी तोमर साहब के साथ बड़ी सहानुभूति है और थोड़ी दया भी आती है। अपने सिवा सबको वह पढ़ा लिखा नहीं मानते। उनका समाजवाद शायद लंदन का समाजवाद है। वह यह प्रस्ताव ला सकते हैं कि वे पढ़े लिखे लोगों को वोट देने का अधिकार भी न हो जिस तरह से वह चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को कोआपरेटिव में न रखा जाय। मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसमें वैसे किसी तरह की खामी नहीं है लेकिन माननीय गुप्ता जी ने, रियासत साहब तथा राधेश्याम जी ने जिन भावनाओं को प्रदर्शित किया है उनको मद्देनजर रखते हुए मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने को तैयार हूं।

श्री कालीचरण (जिला गाजीपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। तोमर जी इस विषय पर बोल रहे थे। बीच में माननीय संसदीय मंत्री उठ खड़े हुए और उनका भाषण चालू हो गया तो किस नियम के तहत वह चालू हो गया ?

श्री अधिष्ठाता—

मैंने सिर्फ इसलिये उनको अनुमति दी थी कि मैंने यह समझा कि बीच में कोई सूचना वह देना चाहते हैं।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें टेक्निकल्टीज में आप न जायें। काफी सदस्यों को इस पर आपत्ति है। रियासत साहब जो जिम्मेदार सदस्य हैं उन्होंने भी अपने सुझाव दिये हैं। मेरा निवेदन है कि इसको वापस ले लिया जाय, इसमें कोई सम्मान का प्रश्न नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं उन सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने मूल्यवान विचार मेरे इस संकल्प पर प्रस्तुत किये, चाहे वे पक्ष में हों या विपक्ष में हों। मान्यवर, मैं बहस का विस्तार नहीं करना चाहता हूं लेकिन माननीय संस्थागत वित्त मंत्री ने जो विचार व्यक्त किये, वे ठीक ही हैं। जैसा माननीय तोमर जी ने कहा है, हमें उसकी टेक्निकल बातों पर नहीं जाना चाहिये, बल्कि उसका एक व्यापक पहलू रखना चाहिए। अगर किसी विधायक को आपने काम दे दिया तो ठीक है, वह काम करता है। माननीय देहलवी जी की पीड़ा को मैंने समझा और माननीय दिघे जी के विचार भी मैंने सुने। वे बड़े उच्च विचार और सादे जीवन के व्यक्ति हैं। कैसे संदेह किया जा सकता है? अगर किसी विधायक को इस तरह से 300 रुपया मिल तो हमको आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह हमारे विचारों को बढ़ायेगी। जहां तक हमारे विधायकों का सम्बन्ध है कि वह किसी लाभ के पद को धारण न करें। उसके पीछे यह धारणा थी कि उनका आचरण जनता के सामने एक साफ और धवल चादर की तरह रहे। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य किसी जगह पर काम करता है और जो हमारे इमालमेंट्स हैं वह पाता है, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन एक आशंका पैदा होती है। इसलिये माननीय संस्थागत वित्त मंत्री ने जो विधेयक रखा है और उसके पीछे जो उनकी भावना है, उसको देखते हुए मैं चाहता हूं कि वे इसे वापस ले लें।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार करने के प्रस्ताव को वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मडल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार करने के प्रस्ताव को वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

[सदन की अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार करने का प्रस्ताव वापस हुआ फलस्वरूप विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का श्री राम आसरे वर्मा का प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो गया।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980†

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अशोक बाजपेयी) —

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जो संशोधन आज प्रस्तुत किया जा रहा है उस पर राज्यपाल महोदय ने अध्यादेश जारी करके यह व्यवस्था लागू कर दी है और इसको लगातार लागू करने के लिए यह संशोधन विधेयक आज प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, बहुत से ऐसे विषय पड़े हुए हैं जैसे आयुर्वेदिक

---

†दिनांक 6 फरवरी, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री अशोक बाजपेयी]

विद्यालयों में विद्यार्थियों के चयन का प्रश्न है, स्वायत्त सेवी संस्थाओं का प्रश्न है, कुलपतियों से सम्बन्धित मामले आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिनके सम्बन्ध में यह संशोधन किया जाना आवश्यक था। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से सदन से गुजारिश करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का कष्ट करें जिससे कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षा में एक नयी कड़ी जुड़ सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जो यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है अगर मैं एक वाक्य में इसके बारे में कहूंगा कि यह संशोधन विधेयक प्रशासनिक अक्षमता, विश्वविद्यालय स्वायत्तता को नष्ट करने के लिए एक गम्भीर कदम है। आप इसके प्राविधान को देखने की कृपा करें। मान्यवर, स्थिति यह है कि यह अधिनियम 1973 में बना था उसमें सरकार ने यह अधिकार लिया था कि हम उसके परिनियमों में संशोधन कर सकेंगे। आज तक उसका क्या रूप बनाया गया, नहीं देखा जा सकता और उसके बारे में तारीखें बढ़ाई गयीं। विधायक होने के बाद विधान मण्डल में मैंने देखा कि आये दिन इस तरह के संशोधन विधेयक पेश होते हैं जिनमें तारीख बढ़ाई जाती है। जब प्रशासन ने एक जिम्मेदारी ली कि एक निर्धारित समय में यह कार्य कर देंगे तो वह उस समय के अन्दर क्यों नहीं होता है? कभी इसको देखने का प्रयास किया गया? यदि नहीं, तो स्वाभाविक शंका होती है कि सरकार अपने पास यह अधिकार बराबर रखना चाहती है कि जब आवश्यकता पड़े संशोधन चला जाय जिससे विश्वविद्यालयों की लगाम और नकेल प्रशासन के हाथ में बनी रहे और विश्वविद्यालयों का राजनीतिक दृष्टि से उपयोग कर सकें। यह शंका पैदा होती है इसलिए आवश्यकता है कि इस पर विस्तार के साथ विचार कर लें। दूसरी यह व्यवस्था की गयी थी कि विश्वविद्यालयों में अन्तरिम प्राधिकारी 31 दिसम्बर, 1978 तक या अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियमित प्राधिकारियों के गठन तक पद धारण करेंगे। लेकिन उसका समय बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर हमने कोई नियम बना दिया, कोई व्यवस्था बना दिया, तो हमने अपने मन के अनुसार चूंकि प्राधिकारी को नियुक्त कर रखा है इसलिए उसके माध्यम से राजनतिक हितों का संरक्षण करते रहेंगे। इसलिए तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव चला आ रहा है। इस समय विश्वविद्यालयों की शिक्षा की क्या व्यवस्था हो रही है? विश्वविद्यालयों की जो स्वायत्तता है, जितने कमीशन बने हैं सब में इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि इसकी आटोनामी कायम रखनी चाहिए। जिस समय अंग्रेजी शासन काल में और उसके तुरन्त बाद परम्परायें बनी रहीं। उस समय कितने विद्वान और शिक्षाविद, मालवीय जी, राधा कृष्णन ऐसे लोग वाइस चान्सलर के पद पर नियुक्त किए गये। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे राजनैतिक हितों का कौन सरक्षण कर सकता है।

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा, इस अधिनियम में यह भी प्राविधान करना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रणाली से सम्बन्धित शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रदेश भी शासकीय आदेशों के अनुसार विनियमित करना आशयित था। क्या आवश्यकता है ऐसा करने की? विश्वविद्यालय के लोग खुद इस बात को समझते हैं कि हमारे साधन क्या हैं? अध्यापक कौन हैं, उसी के अनुसार कितने विद्यार्थियों के एडमिशन्स होंगे इस पर स्वयं विचार करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि सरकार की ओर से कुछ निर्देश भेज दिये जाय, कुछ मानक भेज दिए जाय। वहाँ पर विद्वजन बैठे हैं उसको देखकर व्यवस्था करेंगे।

मैंने यह विचार उस वक्त भी प्रकट किए थे जब शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव आया था। जो मेरी शंका है, उसकी पुष्टि के लिए फिर संशोधन होने जा रहा है। मान लीजिए किसी एक कुलपति की नियुक्ति कर दी। नियुक्त करने के बाद वह कुलपति हमारी भावना के अनुसार आचरण नहीं कर रहा, राजनीतिक हितों की पूर्ति नहीं कर रहा है तो उसको निकाल दिया जाय। निकालने के लिए बहाना चाहिए। इसके लिए इसमें व्यवस्था की जा रही है। आप कृपा करके देखें---यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जान बूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करते हैं या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है, या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।"

मान्यवर, यह बात तो मैं मान सकता हूं कि कोई आदमी आ जाने पर नियमों के अनुसार काम करेगा, यह उससे अपेक्षा की जाती है, लेकिन कल ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि वह आदमी अपने स्तर से गिर जाय और नियमानुसार कार्य करना, आचरण करना छोड़ कर उसके विपरीत काम करने लगे, तो उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही होना आवश्यक हो जाता है। लेकिन हम सरकार को इसके लिए यह अधिकार नहीं दे सकते कि कुलाधिपति जिस तरह से चाहें और जिससे चाहें जाँच करा लें। एक और विचाराधीन संशोधन है जिसमें यह व्यवस्था है कि सरकार के किसी भी विचारों, संस्तुतियों को मानने के लिए, कुलाधिपति को बाध्य होना पड़ेगा। अब कुलपति की नियुक्ति होगी, तो उसके लिए ए0 डी0 एम0 या जिलाधिकारी से सरकार जाँच करा लेगी और उसको हटा देगी। तो इस चीज को आपको देखना होगा कि जाँच उस पद की गरिमा के अनुकूल किसी वरिष्ठ अधिकारी ने किया है या नहीं। जाँच करने वाला उसके स्तर और उसके स्तर के ऊपर का कोई निष्पक्ष व्यक्ति ही होना चाहिए। अगर किसी कुलपति को निकालना है तो किसी न्यायिक या जुडीशियल अधिकारी के द्वारा ही मान्य ढंग से उसके विरुद्ध जाँच होनी चाहिए और जब तक जाँच का परिणाम न आ जाय, उसको आप निकाल देंगे तो उससे हमारे सन्देह की ही पुष्टि होती है। लखनऊ विश्वविद्यालय का एक मामला है। बहुत सी तदर्थ नियुक्तियाँ हुई थीं स्थान खाली पड़े थे और यह तय किया गया कि एक जनवरी, 1980 के आगे उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जायगा। फिर भी कुछ शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब समझ में नहीं आता कि शेष का क्यों नहीं बढ़ाया गया। तो कुछ नियम होने चाहिए कि कितने दिन बाद कोई स्थायी होगा और किन-किन शर्तों पर स्थायी होगा। मनमाने तौर पर कोई काम नहीं होना चाहिए। अनेक-अनेक वर्षों से ये तदर्थ नियुक्त अध्यापक काम कर रहे हैं, लेकिन नौकरी से निकाल दिया गया या फिर ले लिया गया। तो विश्वविद्यालय में कितना अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है और उसकी परिधि बढ़ाने की बात कही है। आज वहाँ परीक्षाएं समय पर नहीं होती हैं, सत्र समय पर नहीं चल रहे हैं, विद्यार्थियों व अध्यापकों में तमाम असन्तोष व्याप्त है, मैं समझता हूं कि इन सबके लिए सबसे प्रमाणी कारण यह है कि हम सरकार का हस्तक्षेप उनमें जितना बढ़ाते चले जा रहे हैं, अध्यापकगण अपनी जिम्मेदारी से पीछे होते जा रहे हैं। इसलिए, जैसी विद्वजनों और विभिन्न आयोगों ने समय-समय पर सिफारिशें की हैं विश्वविद्यालय शिक्षा को स्वायत्त होना चाहिए, उनकी स्वायत्तता पूर्णतया बनी रहनी चाहिए। इसलिए यह जो विधेयक आया है उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। हमें देखना है कि उस स्वायत्तता में हम कोई दखल तो नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई अटैक तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने प्रवर समिति का प्रस्ताव किया है, उसमें सभी सदस्य ठण्डे दिल से, गम्भीरता के साथ विचार करेंगे

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

और उसकी रिपोर्ट आ जाय। तो फिर इस सदन में हम फिर विचार करें तो बहुत अच्छा होगा और जिस पृष्ठभूमि में यह लाया गया है, वह हमारा उद्देश्य पूरा होगा और यह लाभकारी होगा।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)--

श्रीमन्, आदमियत और शय है, इल्म है कुछ और चीज,
लाख तोते को पढ़ाया पर वह हैवाँ ही रहा।

श्रीमन्, यह तालीम, विद्या या एजूकेशन का मामला ऐसा है, कि इसे राजनीति से, सियासत से अलग रखना जरूरी है। अगर आप यूनिवर्सिटी में दाखिल हों तो यह मालूम होगा कि किसी पुलिस लाइन में हैं यह विद्या मन्दिर नहीं है। श्रीमन्, जब मैं 1971 और 72 में ईरान में था, वहां की यूनिवर्सिटी की जो हालत थी और जिस तरह से पुलिस तैनात रहती थी और जिस तरह से तलाशी ली जाती थी, तो मुझे अहसास होता था कि हमारी यूनिवर्सिटी आजाद है और इस तरह का इन्तजाम और व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि इन्हीं यूनिवर्सिटियों से निकलने वाले लोग जब एम0एल0ए0 और मिनिस्टर होते हैं तो वह उस माहौल को भूल जाते हैं जब वह यूनिवर्सिटी में थे और जब पुलिस का अत्याचार होता था और सरकार की इस तरह की कार्यवाही होती थी और वह उस पर अपनी नाराजगी का इजहार करते थे और जब वह यहां आ जाते हैं तो वही हरकतें करने लगते हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को वाइस चान्सलर बनाया जाना चाहिए जो सीनियर हो, लेकिन होता यह है कि बाहर के लोग जिनका ताल्लुक एजूकेशन से नहीं होता है, तालीम से नहीं होता है और न इल्म से होता है, वह वाइस चान्सलर बनाकर बैठाए जाते हैं। इससे अशान्ति फैलती है। टीचर एक दूसरे की साजिश में लग जाते हैं। और उन्हें वह सम्मान नहीं मिल पाता है जो एक एकाडेमिक वातावरण में मिलना चाहिए। यह चीज लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद है वहां पर अशान्ति है, लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं। उसकी यह वजह है कि उनकी कुछ मांगें हैं। टीचर्स की भी मांगें हैं। ऐसे तमाम टीचर्स हैं जो 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं लेकिन वह आज भी मुस्तकिल नहीं हुए हैं। कुछ को आपने रख लिया है और कुछ को नहीं रखा है और निकाल दिया है। आपको कोई नियम तो बनाना चाहिए कि इतने दिन तक जो काम करेगा तो उसको मुस्तकिल कर दिया जायगा। 19-20 टीचर्स को निकाल दिया गया है और उनकी सर्विस 10-10 और 15-15 साल की हो गयी है। अगर वह दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनसे यह पूछा जायगा कि इतने दिन बाद क्यों निकाला गया तो श्रीमन्, जो उनकी जो योग्यता थी वह अयोग्यता में तब्दील हो गयी। यूनिवर्सिटी में किसको रखा जाय और कौन वाइस चान्सलर हो। ये मामले यूनिवर्सिटी को ही तय करने हैं। यह मामले सरकार तय करने के नहीं हैं। सरकार को अपने राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बाहर के लोगों को यूनिवर्सिटी में नहीं भेजना चाहिए। इससे यूनिवर्सिटी का माहौल गन्दा होता है और उसके लिए राजनैतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। राजनैतिक पार्टियां और सरकार यूनिवर्सिटी के मामलों में हस्तक्षेप न करें और मुखालफत न करें और लड़कों को आप अपनी सियासत के लिए प्रयोग न करें। पहले लड़कों को उकसाते हैं और जब वह नारे लगाते हैं तो उन पर गोली चलवा दी जाती है। निहायत शर्म की यह बातें हैं। हुकूमत के लोग अपने लड़कों को पहलवनवा कर कहते हैं कि इनको कसकर पीटा जाना चाहिए और कसकर लड़ाई होनी चाहिए। आज ऐसा माहौल है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह बिल प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मैं इस प्रस्ताव, जिसको कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने रखा है, के समर्थन में निवेदन करना चाहता हूं। जो विधेयक आज प्रस्तुत किया गया है उसके पिछले इतिहास को आप देखें, तो आपको अफसोस होगा कि हमारे शासन का शिक्षा के प्रति कितना दुखद कार्य-कलाप रहा है।

पिछली बार मैंने निवेदन किया था कि हमारी आजादी के बाद अगर हमारे प्रदेशीय शासन का दुखद कार्य-कलाप किसी क्षेत्र में रहा है तो वह शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। शिक्षा मनुष्य को बनाने वाली है। एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है जिसको हमारे देश में सर्व-प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए था लेकिन द्वितीय तृतीय तो क्या चतुर्थ स्थान भी नहीं मिला है। आज जिस प्रकार से यह विधेयक हमारे सामने आया है इसके इतिहास में थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि अध्यादेश के रूप में इसी मंशा के 5 अध्यादेश पहले लिए जा चुके हैं। पहला अध्यादेश 7 जुलाई 1978 को किया गया था, उसे बिना विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए लैप्स करा दिया गया। फिर एक ऐसा ही अध्यादेश अक्तूबर, 1978 में आया उसे भी लैप्स करा दिया गया। फिर जनवरी 1979 में एक अध्यादेश आया, उसे भी लैप्स करा दिया गया। फिर अप्रैल, 1979 में एक अध्यादेश आया, उसे भी लैप्स करा दिया गया। फिर सितम्बर 26 को आया और उसे लैप्स करा दिया गया। ऐसी दुखद कहानी विधान मण्डल के प्रति शासन के व्यवहार की कभी इस देश के इतिहास नहीं मिलेगी जैसी कि विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्यादेशों को लाकर हमारे प्रदेश में इस शासन द्वारा बरती गयी।

श्रीमन्, पहले जो अध्यादेश प्रख्यापित किए गये थे वे सब मेरे पास हैं, मैं उनका मुकाबला कर रहा था। उनमें बहुत से प्राविधान हैं जिनका इस विधेयक में कोई जिक्र नहीं है, जिसको सरकार द्वारा पारित कराया जा रहा है। मेरे पास अध्यादेश संख्या 12 सन् 1978 का है, उसको देख लिया जाय। उसके बाद के भी अध्यादेश मेरे पास हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है। या तो ये समझते हैं कि इनके अतिरिक्त और कोई समझने वाला नहीं है या कोई इनके ऊपर ऊंगली उठाने वाला नहीं है। अंग्रेजी को इन्होंने स्वीकारा है लेकिन संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र से निकाल दिया है। आप इस विधेयक के प्राविधानों को देखें कि कुलपतियों के प्रति ये क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में पूज्य मालवीय, डाक्टर राधा कृष्णन और आचार्य नरेन्द्र देव जैसे चोटी के विद्वान इन विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं। उनके नाम के सामने हमारा सर झुक जाता है। आपने उन कुलपतियों को विभाग के डिप्टी सेक्रेट्री के समान बना दिया है। आज देखने में यह आता है कि विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे एजूकेशन विभाग में चक्कर काटते फिरते हैं, छोटे-छोटे मामलों में, आर्थिक प्राविधानों के मामलों में, नियुक्तियों के मामलों में। कितने शर्म हमें आती है जब हम देखते हैं कि छोटे-छोटे मामलों में इतने गरिमामय पद धारक इस सचिवालय में चक्कर लगाते रहते हैं। हमारी सरकार इन बातों की ओर क्यों नहीं देखती है? इस विधेयक की जो तीसरी धारा है उसे देखने की कृपा करें। इसकी धारा 3 में लिखा है--"(12) यदि कुलाधिपति को राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने से इनकार करता है या अपने जनहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझें, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं" ।

अब इस जांच की शर्तें क्या होंगी ? क्या सरकार द्वारा ही जांच की जायेगी ? मैं इस बात का मन्त्री जी द्वारा आश्वासन चाहता हूं कि यह जांच जो की जायगी वह कुलाधिपति द्वारा ही की जायेगी, शासन का उसमें कतई हस्तक्षेप नहीं होगा। मेरी मान्यवर, यह निश्चित जानकारी है कि जो कुछ कुलाधिपति के नाम से लिखा जाता है उसका मतलब शासन होता है और शासन से मतलब शिक्षा मन्त्री या उनके विभाग के सचिव। इस सरकार ने कुलपति की स्थिति वह बना दी है जो एक चपरासी की भी नहीं है। एक चपरासी को भी अगर हटाना होता है तो उससे उसका स्पष्टीकरण मांगा जाता है, यहां उस से स्पष्टीकरण तक नहीं मांगा जायेगा। मैंने बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया है चपरासी की तुलना करके, लेकिन जो सही है उसे कहा है। इसके रहते शासन जब चाहता है कुलपति को बदल देता है। उससे स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा जाता। कुलपति के सम्मान के प्रति ऐसी चीज रखकर और उसके सम्मान को धक्का पहुंचाया है। राधाकृष्णन कमीशन ने जिसने कि विश्वविद्यालय शिक्षा के ऊपर अपना एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया उन्होंने कहा है कि अगर विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को नष्ट किया जाता है या शासन उसमें अनुचित हस्ताक्षेप करता है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। अगर यह हस्तक्षेप होता है तो यह निश्चित रूप से इस देश की सस्कृति और चरित्र उत्थान के लिए वह समीचीन नहीं होगा। इसलिए माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जो प्रवर समिति वाला प्रस्ताव रखा है, वह नितान्त आवश्यक है। यह विधेयक विश्वविद्यालयों को स्कूलों से भी बदतर हालत में पहुंचा देगा। उनकी भी नजरों में विधान सभा का आदर होना चाहिए।

मान्यवर, यहाँ पर उच्च शिक्षा में सेवा आयोग गठित किया जाय इसके लिए एक विधेयक आया था। हमने यह सुझाव रखा था कि उसे प्रवर समिति में भेजा जाये। सरकार ने यहाँ पर उस प्रस्ताव को नहीं माना। जब वह विधेयक विधान परिषद् में गया और वहां पर लोगों ने मांग की कि उसे प्रवर समितिमें भेजा जाय तो सरकार ने उसे मान लिया वहाँ प्रवर समिति ने उसमें आमूल चूल परिवर्तन किया। माननीय अशोक बाजपेयी जी उस समिति के सभापति थे, उन्होंने स्वयं बहुत से सुझावों को स्वीकार किया।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस समय सदन में कोई कैबिनेट का कोई मन्त्री नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

श्री अशोक बाजपेयी जी हैं। वैसे इसके लिए चेतावनी दे दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल गुप्त—

इस बात के अनेकों सबूत इस सरकार ने दिये हैं कि इस सरकार का कोई आदर शिक्षा के प्रति नहीं है, यह सरकार उसे कोई महत्व नहीं देना चाहती। और इस सरकार की शिक्षा के क्षेत्र की सबसे ज्यादा हानि है। तो मैं आपकी इजाजत से यह कह रहा था कि उच्च शिक्षा आयोग की स्वीकृति जब विधान परिषद् से हो चुकी है कि उस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, तो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह विधेयक है और इसमें अधिक धारायें भी हैं। तो श्रीमन्, परिधि को बढ़ाने की बात इसी से साबित हो जाती है। आश्चर्य इस बात का है कि माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में इस बात का संकेत भी नहीं

किया कि अनेकों धाराओं को माननीय मन्त्री जी ने क्यों हटा दिया। क्या वे धारायें अनावश्यक थीं ? और अनावश्यक थीं, तो क्यों पहले रखी गयी थीं । इन शब्दों के साथ मैं इस राजेन्द्र कुमार जी के संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पर ध्यान दें जिससे शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को हानि न हो।

*ठाकुर मूल चन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 का समर्थन करता हूं और माननीय राजेन्द्र कुमार जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। मान्यवर, शिक्षा के अन्दर जो समस्यायें हैं उसी को हल करने के लिए इस विधेयक को पेश किया गया है। आज जो यूनिवर्सिटी में शिक्षा की हालत हो रही है, वह किसी से छिपी नहीं है। कहीं पर परीक्षायें जो हैं वह समय पर नहीं होती हैं। अगर परीक्षाएं हो जाती हैं, तो उसके परीक्षा परिणाम नहीं आते हैं और जो कोआर्डिनेशन टीचर्स, वी0 सीज0 और स्टूडेन्ट्स में है, वह भी छिपा नहीं है। तो आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी बन्द रही और आज भी यूनिवर्सिटी की जो हालत चल रही है, वह भी किसी से छिपी नहीं है। इसका कारण यही है कि जो अधिकारियों की बात है, उसमें कोआर्डिनेशन नहीं है और आप देखते हैं कि वी0सी0 अपने मनमानी करते हैं। मेरठ यूनिवर्सिटी का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जो वहाँ पर अनियमितताएं हो रही हैं वह किसी से छिपी नहीं हैं और जो कुछ वी0सी0 मनमानी करते हैं, सरकार का उन पर कोई अंकुश नहीं है। इसी वजह से सारे शिक्षा जगत के अन्दर बुराइयाँ आ रही हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्रदेश के अन्दर शिक्षा का स्तर उठाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ आप यह भी चाहते हैं कि इसमें जो अधिकारी हैं, उन पर कोई अंकुश न हो और वह अपनी मनमानी करें, उनके ऊपर कोई अधिकारी न हो, जो उनके कार्यों पर हस्तक्षेप करे। आपने देखा होगा कि पन्तनगर में जो हल्ला मचा, वह किसी से छिपा नहीं है।

आज भी बहुत से विश्वविद्यालय का यह हाल है कि उन पर कोई अंकुश नहीं है। आज करेक्टर की बात नहीं है जैसी कि शिक्षा शास्त्री का करेक्ट होना चाहिए वह बात नहीं हो रही है और इसी वजह से इस विधेयक का पारित होना बहुत जरूरी है।

मैं समझता हूं कि टीचर्स, स्टूडेन्ट और वी0सी0जी0 के अन्दर कोआरडीनेशन नहीं है जबकि इनके अन्दर कोआरडीनेशन बहुत जरूरी है, एक दूसरे के खिलाफ कार्यवाही कर सके। वी0सी0 को पावर नहीं की वह टीचर्स के खिलाफ कार्यवाही कर सके, टीचर्स को पावर नहीं कि वह स्टूडेन्ट के खिलाफ ऐक्शन ले सके। इस बात को देखने के लिए आपको सोचना होगा कि कोआरडीनेशन करना है और अधिकार देना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रदेश और देश की शिक्षा ठीक तरीके से चलाना चाहते हैं और आप अध्यापन-कार्य ठीक तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपको यह विधेयक पारित करना होगा। वी0सी0 के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस बात के ऊपर विचार करना है। यदि अंकुश नहीं होगा तो शिक्षा सुचारु रूप से नहीं चलेगी, इसके लिए बहुत से फाइनेंशियल मैटर हैं जो आपको देना जरूरी है। अगर फाइनेंशियल मैटर नहीं दिया जायेगा तो शिक्षा संस्थाये ठीक से नहीं चल सकती हैं। मैं तो यह कहूंगा कि इस विधेयक में ऐसी चीजें दी गयी हैं कि इसको बहुत डिले करना बुद्धिमानी नहीं होगी और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी पारित करें ।

*श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मन्त्री ने जो प्रस्ताव रखा है और उस पर जो माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने संशोधन प्रस्ताव रखा है इससे कोई सुधार होने वाला नहीं है, प्रस्ताव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मित्रसेन]

पारित हो जाय, संशोधित हो जाय, प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, किन्तु इससे शिक्षा जगत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आखिर शिक्षा जगत में यह उपद्रव क्यों, शिक्षा उद्देश्य-युक्त है या उद्देश्य विहीन है, शिक्षा रोजगार युक्त है या रोजगार विहीन है, शिक्षा कैसी है। शिक्षा जगत में आन्दोलन क्यों फैल रहा है। कहा यह जाता है कि शिक्षा में राजनीति चली गयी है, यह नई बात नहीं है, हमारे सारे राष्ट्रीय आन्दोलन शिक्षा संस्थाओं से शुरु हुए। यहाँ बैठे हुए नेता, कुर्सियों पर बैठे हुए अफसर इन्हीं संस्थाओं से निकल कर आये हैं। यह ठीक है कि जब मन्त्री बन जाते हैं, तो यह चीज भूल जाते हैं। लेकिन जैसा हमारा देश है जो हमारे देश की व्यवस्था है जो हमारे देश की शिक्षा नीति है इससे ऐसा लगता है कि शिक्षा संस्थाएं पुरजे ढाल रही हैं और ऐसे पुरजे जो बेकार हैं। शिक्षा संस्थाएं आज एक मशीन हो गयी हैं जब पुरजे बनेंगे वह इकट्ठा होंगे किसी स्टोर में तो खड़खड़ायेंगे अवश्य। मान्यवर, आज छात्र अभी परीक्षा में छुरा लेकर बैठता है, छात्र विश्वविद्यालय में उसके परिसर से निकल कर नकल करता है, उनको कापियाँ दूसरे लोग लिखते हैं, तो यह छूरेबाजी से पास होने वाले लड़के मैजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठेंगे तो क्या छूरे से फैसला लिखेंगे ?

मान्यवर, आज जिस तरह से हमारे देश में विश्वविद्यालय चल रहे हैं जिन परिस्थिति में हमारे देश में वे चल रहे हैं उनमें जो राजनीति व्याप्त है, उसके बुनियादी कारण जो हैं सरकार को उस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। इसके आमूल परिवर्तन के बारे में कुछ सोचें आखिर इन समस्याओं की जड़ें क्या हैं। क्या इस संशोधन से विश्वविद्यालय परिसर स्वच्छ हो सकेगा वहाँ पुलिस की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनके प्रति उनकी पूरी स्वच्छता प्रदान कर दी जाये। इन विश्वविद्यालयों में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, जिनके बारे में हम सब को गहराई से सोचना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र फैजाबाद में एक विश्वविद्यालय है, जहाँ पर वर्तमान कुलपति श्री सिंह हैं। भूतपूर्व माननीय शिक्षा मन्त्री जी यहाँ बैठे हैं, उनको सारी उनकी गतिविधियों, उनके सारे भ्रष्टाचार और उनकी सारी शिकायतों की जानकारी है। आज उनके भ्रष्टाचार के कारण वहाँ के विद्यार्थियों की हालत सोचनीय है। मैं समझता हूं कि सारे उत्तर प्रदेश में एक निराला विश्वविद्यालय बनकर रह गया है और मान्यवर, इन सब बातों के होते हुए भी उनका कार्य-काल बढ़ाया जा रहा है। जिनसे फैजाबाद 'अयोध्या नगरी' का अवध विश्वविद्यालय इतना दूषित हो गया है, शायद ही कोई विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में इतना दूषित हो। वहाँ क्या नहीं किया जाता है। वह कुछ वहाँ होता है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है वह वहाँ देखने को मिलेगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहे जितने इस प्रकार के संशोधन लाएं या प्रस्ताव लाएं, उससे इन विश्वविद्यालयों का वातावरण स्वच्छ होने वाला नहीं है, समस्याएं हल होने वाली नहीं हैं और न उससे कोई प्रगति होने वाली है और न ही उससे जन जीवन सुधरने वाला है।

जब हमारे गुरू ही इन भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होंगे और हमारे अभिभावकगण ही आन्दोलन करेंगे तो छात्र कहाँ से चुप रहेगा। वह भी इन्हीं मार्गों पर आसानी से चल उठेगा। तो हमको इन सब चीजों को देखना पड़ेगा कि यह चीजें कैसे उठ रही हैं और इनके दमन का क्या रास्ता है। जब हम इन छात्रों के सामने नैतिकता का वातावरण बनायेंगे, स्वच्छता का वातावरण रखेंगे तो यह भी सही रास्ते पर चल निकलेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव के विपक्ष में अपना मत प्रकट करता हूं।

श्री कालीचरण (जिला गाजीपुर)—

मैं केवल एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो माननीय मित्रसेन जी ने अपनी बात में अवध विश्वविद्यालय के प्रसंग पर कहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है आपसे। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि वहां की स्थिति के बारे में आप सब जानते हैं।

*श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायें।

*श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)--

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े हस्तक्षेप हैं। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में कुलपति का बहुत ऊंचा स्थान है और एक सम्मानजनक स्थान है। लेकिन जिस प्रकार से कुलपति को निकालने की शासन ने इस विश्वविद्यालय विधेयक में की है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ी छूट है और जो कुलपति की नियुक्ति के संबंध में जो विशेष व्यवस्था की गयी है, यहां तक की कुलाधिपति का भी बन्धन में रक्खा गया है और उन्हें निकालने के लिए मात्र यदि शासन का कोई एक अधिकारी उनके विरुद्ध कोई गलत रिपोर्ट दे दें तो कुलपति को निकाला जा सकता है। मान्यवर, इसलिए यह उचित होगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए और इस बात की व्यवस्था उसमें हो कि जिस तारीख से इस सम्मानजनक और ऊंचे स्थान पर बैठने वाले कुलपति की नियुक्ति के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति होती है, उसी प्रकार से उनके निष्कासन के संबंध में भी व्यवस्था होनी चाहिए। उस पेनल से कुलपति का चयन होगा जहां कुलपति की नियुक्ति के संबंध में इतनी विशेष व्यवस्था की गयी है वहां इस विधेयक द्वारा कुलपति को निकाल देने के लिए मात्र किसी भी अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर्याप्त होगी। विधेयक इस दिशा में बहुत ही कमजोर है और इस दिशा में अगर शासन चाहे कि इस क्षेत्र में योग्य व्यक्ति आयें, इस क्षेत्र में सुधार हो, विद्वान व्यक्ति आयें तो आवश्यक है कि इस पर विचार किया जाय। इसके लिए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि इस प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, यह शिक्षा विधेयक जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और राजेन्द्र कुमार जी ने संशोधन भी दिया है, इस विषय पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे मित्र, मित्रसेन जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, शिक्षा जगत में आज उसकी क्यों अधोगति हो रही है, इस विषय पर बहुत मन्थन की आवश्यकता है। न तो इस अधूरे विधेयक को पास करने से और संशोधन पेश करने से इसका किसी प्रकार हल निकल सकता है। इसकी जड़ में जाना होगा और यह सोचना होगा कि आखिरकार वे कौन सी गड़बड़ियाँ है शिक्षा जगत में जिनके कारण आज इस प्रकार शिक्षा आन्दोलित हो रही है। आप देखें माध्यमिक शिक्षाओं से विश्वविद्यालय शिक्षा तक केवल शिक्षा आज प्राइमरी दर्जा 8 तक उचित ढंग से चल रही है और माध्यमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में गड़बड़ियाँ है उनका क्या कारण है। कुलपतियों के चुनाव में या अध्यापकों के चयन में गड़बड़िया होती हैं। हमारे राजेन्द्र जी ने कहा है जो विधेयक आ रहे हैं वह स्वयत्तता पर अंकुश लगाने के लिए आ रहा है। इस विषय पर मैं अपनी विचार धारा प्रकट करना चाहता हूं।

कुलपति की ऐसी परिभाषा हमारे यहां चली आ रही है कि 10 हजार विद्यार्थियों को छात्रों को जो भोजन व वस्त्र और पढ़ाई की व्यवस्था करे वह कुलपति हो सकता है। आज हमारे जो कुलपति हैं वे केवल वेतनमात्र के लिये बनते हैं और उनमें जो गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं, शिक्षा विभाग का हिन्दी का, संस्कृत का, हर विभाग के विभागाध्यक्ष, चाहते हैं, कुलपति हो जाये। और उनमें आपस में घोर दलबन्दी है। जैसे यहां सदन में है उसी प्रकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुरु प्रसाद]
शिक्षा जगत में हैं। एक दल का व्यक्ति अगर कुलपति हो गया, नियुक्त हो गया, निर्वाचित हो गया तो दूसरे दल वाले उसमें कुछ न कुछ छिद्रान्वेषण करते हैं, छात्रों से आन्दोलन करवाते हैं। यह सब से बड़ी जो असंगति या विसंगति है। विश्वविद्यालय में देखें, जितने हैं उत्तर प्रदेश में, किसी में भी समय से परीक्षा नहीं हो सकी। इसका कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है हमारे अध्यापकों में असंतोष, छात्रों में असंतोष।

मान्यवर, छात्रों में असंतोष क्यों हो रहा है? आज देख रहे हैं विश्वविद्यालय में हर माध्यमिक विद्यालयों में यूनियन्स, संघ मौजूद हैं।

(इस समय 3 बजकर 36 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

और वह संघ से ही निश्चित करते हैं कि यहां से हम नेता बनेंगे और नेता बनकर पूरा-पूरा विधान सभा और लोक सभा को कैप्चर करेंगे। यह उनकी समझ रहती है। अगर यह समाप्त हो जाये तो विश्वविद्यालयों शिक्षा की उचित व्यवस्था हो जाये। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है यह जरूर एक अच्छा विधेयक है और विश्वविद्यालय में कुछ न कुछ सरकार का अंकुश होना चाहिये। यद्यपि स्वायत्तता को हानि होगी, स्वायत्तता की रक्षा करने के लिये जब तक विश्वविद्यालय में सरकार का अंकुश नहीं होगा तब तक विश्वविद्यालय ठीक ढंग से नहीं चल पायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

राजेन्द्र कुमार गुप्त जी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे द्वारा जो प्रस्तुत संशोधन था उस पर जिन सभी सदस्यों ने अपने जो विचार व्यक्त किये हैं, मा० मित्रसेन जी, मा० मूल चन्द्र जी, मा० गुरुप्रसाद जी, मा० हरिश्चन्द्र जी, इन सभी का मैं बहुत आभारी हूं। मान्यवर, अधिकांश सदस्यों ने मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो, का समर्थन किया है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गुप्ता जी, जरा रुक जाइये। कोई और माननीय सदस्य बोलेंगे?

(सब लोग बोल चुके-की आवाजें)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मूल चन्द्र जी ने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि कुलपति के अधिकार और क्षेत्रों को संतुलित किया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकार बढ़ाये जायें। क्या इस बात का कोई प्राविधान प्रस्तुत विधेयक में किया गया है, स्पष्ट ही नहीं किया गया है। मूल चन्द्र जी ने समर्थन किया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाय। मित्रसेन जी ने भी कहा कि विश्वविद्यालयों में छुराबाजी होती है। गुरू प्रसाद जी भी मानते हैं कि विश्वविद्यालयों में नेतागिरी होती है। इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि उसमें यह बात कही थी कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। जितने भी सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं उनकी यह राय है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाय जिसमें सभी बातों पर युक्ति युक्त विचार कर लिया जाये। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेन्द्र सिंह जी का नाम लिया गया। यह बात सही है कि जिन व्यक्तियों को नियुक्त कर देंगे उनमें विकार आ सकता है लेकिन विकार आने के बाद उसको निकालने का उचित तरीका होना चाहिये। विकार युक्त होने पर भी अगर वह आपकी राजनैतिक पूर्ति करता

रहेगा तो आपको उसको निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई निर्भीक होकर अपने विचारों पर अडिग रहगा, अगर वह आपके अनुचित आदेशों का मानने वाला नहीं होगा, उसको निकालने की आवश्यकता आपको होगी। जांच रहते कुलपति को सस्पेन्ड कर दिया जायेगा। जांच प्रक्रिया क्या होगी ? इस बात की आवश्यकता है कि जांच प्रक्रिया के बारे में प्रवर समिति में विचार कर लिया जाय। किसी योग्य व्यक्ति को जांच करने के लिये आरोप पत्र दे दिये जायं उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उसको निकालने की कार्यवाही की जानी चाहिये। इन सब बातों पर सम्यक् विचार की आवश्यकता है इसलिये इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

श्री अशोक बाजपेयी--

मेरे बड़े भाई तथा सदन के विद्वान सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। मान्यवर, जो शंकाएं माननीय राजेन्द्र कुमार जी क मस्तिष्क में आयी हैं, स्वाभाविक है उन शंकाओं का आना लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जो इस विधेयक की मंशा व्यक्त की गयी है उसके पीछे कहीं कोई ऐसी भावना नहीं है कि विश्वविद्यालयों की ओटोनामी, स्वायत्तता का शासन अतिक्रमण करना चाहता है। शासन का मत रहा ह, विशेषकर इस लोकप्रिय शासन का मत रहा ह कि विश्वविद्यालय स्वायत्त बनें और शिक्षा का स्तर उठे। पिछले वर्ष इसके लिये काफी प्रयास किया गया है। पिछले एक डेढ़ वर्ष से जो इस दिशा में प्रयास किया गया ह उससे विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा है।

मान्यवर, जो कुलपति के हटाने के बारे में यहां पर बात की गयी है तो मान्यवर, कुलपति समाज का सम्मानित, योग्य व्यक्ति होता है उसको किसी विद्वेष या पूर्वाग्रह से हटाने की बात नहीं है। इसका पूरा अधिकार कुलाधिपति को सौंपा गया है कि वह असाधारण परिस्थितियों में कुलपति को हटा सकते हैं। कई बार ऐसी घटनायें आयीं, सदन के सामने ऐसे मसले उपस्थित हुये हैं कि ऐसे कुलपति जिनके रहने से विश्वविद्यालय का वातावरण और प्रदेश का शैक्षणिक वातावरण और अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता एसे मामलों में, एसे ही पंत नगर विश्वविद्यालय का एक बार मामला उठा था और सदन में काफी बहस हुयी थी लेकिन उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि किसी कुलपति को इस प्रकार से हटाया जाय।

मान्यवर, इन उच्च पदों में बैठे हुये कुलपति के सम्मान को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। विश्वविद्यालय जिसमें हजारों छात्र शिक्षा पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के रहते विश्वविद्यालय का चरित्र गिर रहा है, समाप्त हो रहा है तो उन असाधारण परिस्थितियों में इन धाराओं में जो प्राविधान किया गया है, उनका इस्तेमाल किया जायगा। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं भी साधारण परिस्थितियों में शासन की ऐसी मंशा नहीं है। दूसरी शंका जो शासन के प्रति व्यक्त की गयी है तो शासन कहीं भी किसी विश्वविद्यालय की परिधि के अतिक्रमण की बात नहीं सोचता है। यह अधिकार कुलाधिपति को दिया गया है। उसको अधिकार है कि वह कुलपति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करे। इस संबंध में मैं गुप्ता जी को यह बताना चाहूंगा कि इसमें कहीं पर शासन की मंशा अतिक्रमण की नहीं है। दूसरी बात जो कही गयी इस अधिनियम में कि हम आयुर्वेदिक कालेजों में प्रवेश की प्रक्रिया को नियमित करना चाहते हैं। कई बार यह शिकायतें आयीं कि आयुर्वेदिक कालेजों में योग्य छात्रों को प्रवेश नहीं मिलता। पहले मेडिकल कालेजों में इस तरह की गड़बड़ियाँ थीं, लेकिन शासन ने विश्वविद्यालय अधिनियम बनाकर, परीक्षा द्वारा चयन की व्यवस्था कर दी। इंजीनियरिंग कालेजों और मेडिकल कालेजों में जो प्रक्रिया अपनायी गयी उससे यह बात सामने आयी कि जो प्रखर विद्यार्थी हैं उन्हें इन शैक्षणिक

[श्री अशोक बाजपेयी]

संस्थाओं में जाने का मौका मिलता है। तो सदन की भावना का स्वागत करते हुये इस उपबन्ध को जोड़ा गया है कि इनमें विद्यार्थियों के प्रवेश को विनियमित किया जाय जिससे सही प्रक्रिया से विद्यार्थियों का प्रवेश हो सके।

मान्यवर, तीसरा उपबन्ध स्टेट्यूट्स बनाने का है। उसमें ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि 31 दिसम्बर, 1978 तक यह स्टेट्यूट्स बना लिये जायेंगे लेकिन मैं चाहूंगा कि इधर यू0 जी0 सी0 के संशोधन और सुझाव आये हैं उनको ध्यान में रखते हुये जो कमियाँ रह गयी हैं उनको दूर करने के लिये अच्छी नीतियां और नियम बन सकें, जिससे जो मंशा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री कन्हैया लाल की है वह पूरी हो सके, इसलिये इसको बढ़ाने की बात इसमें की गयी है।

चौथी बात यह जोड़ी गयी है कि स्वायत्त सेवी संस्थायें जैसे जिला परिषदें, ग्राम सभायें जो हैं यदि वह अपने साधनों को जोड़कर महाविद्यालय चलाती हैं तो उनको हम वेतन समुदाय की श्रेणी में रखेंगे जिससे वहाँ पढ़ाई और वेतन की समुचित व्यवस्था हो सके।

मान्यवर, पाँचवा उपबन्ध जो जोड़ा गया है उसके पीछे मंशा है कि शिक्षा का स्तर बढ़े और विश्वविद्यालयों का वातावरण ठीक हो सके। इसलिये निवेदन करूंगा कि कहीं भी ऐसी मंशा नहीं है जिससे कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का अतिक्रमण किया जाय या इस अधिनियम द्वारा शासन को पूरे अधिकार दे दिये जांय। इसलिये श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो इस विधेयक को प्रवर समिति को देने की बात कही है, उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम पर पहले से ही इस सदन की प्रवर समिति बैठी है जो तमाम बातों पर विचार कर रही है, इसलिये यदि वह न बैठी होती तो श्री गुप्त जी की बात पर विचार किया जा सकता था। इसलिये जबकि प्रवर समिति एक-एक विषय पर विचार कर रही है तो दूसरी प्रवर समिति बनाने का कोई औचित्य नहीं है। उस प्रवर समिति की परिधि बढ़ा दी गयी है और उसमें तमाम विद्वान सदस्य मेम्बर हैं, उनके जो सुझाव आ रहे हैं उसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम में जो कमियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जायेगा। इसके अलावा तमाम जो आवश्यक चीजें समझी गयीं उनकी इस अधिनियम में चर्चा की गयी है।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शासन महाविद्यालयों में किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहती है। शासन का स्पष्ट मत है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ऊंची उठे और शिक्षा में राजनीति न घुसे, विद्वता के आधार पर वहाँ चयन हो और नियुक्तियाँ उचित प्रकार से की जायं और योग्यता के आधार पर हों, राजनीतिक आधार पर न हों इसीलिये शासन ने एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया है जिससे महाविद्यालयों में ईमानदारी से लोगों का चयन किया जाय। आयोग जो समय समय पर बनाये गये हैं उसमें योग्य व्यक्ति रखे गये हैं, इसलिये माननीय सदस्यों को शंका करना उचित नहीं है क्योंकि आयोग में योग्य व्यक्ति रखे गये हैं।

मान्यवर, इसके साथ ही श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से निवेदन करूंगा कि इस अधिनियम का जो औचित्य है उसको ध्यान में रखते हुये अपने संशोधन को वापस लेने का वह प्रस्ताव करेंगे। श्री कन्हैयालाल जी से कहूंगा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उनके दिमाग में कोई शंका पैदा हो, शंका करने की बात नहीं है। इसलिये इस अधिनियम की अनिवार्यता को देखते हुये अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें क्योंकि प्रवर समिति तमाम बातों पर पहले से ही विचार कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से आग्रह करूंगा कि जो संशोधित अधिनियम है, उसको पास करने की कृपा करें।

श्री हरिशचन्द्र—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कुलपति के चयन के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्था की गई है जिससे योग्य और विद्वान लोगों का चयन हो सके....

श्री अशोक बाजपेयी —

अध्यापकों के लिए है, कुलपति के लिए . . . (व्यवधान) ऐसा नहीं.....

श्री हरिशचन्द्र—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कुलपति की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। जैसी कि मेरी जानकारी है कुलपति के लिए यदि एक उच्च स्तरीय व्यवस्था है तो कुलपति के निष्कासन के लिए किसी भी प्रकार की जाँच जो कि उपयुक्त समझी जाय और उसके द्वारा उसे निकाल दिया जायगा। मैं समझता हूं इसी पर ज्यादा लोगों को असंतोष है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस मुद्दे को स्पष्ट करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, हरीश जी की शंका के बारे में यह कहना है कि कुलपति को हटाने का विषय असाधारण होगा। जल्दीबाजी में, विवेकहीन आधार पर तिकड़मबाजी करके हटाने की बात नहीं की जायगी। किसी अपरिहार्य दशा में ही इन अधिकारों का प्रयोग होगा, किसी दुर्भावना से नहीं। इसका निराकरण मैं करना चाहूंगा। कुलपति के सम्मान और गरिमा की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है, इस सदन का कर्त्तव्य हो जाता है, शासन का दायित्व हो जाता है। कुलपति की गरिमा में किसी भी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचाई जायगी यह आश्वासन मैं देना चाहता हूं।

श्री कन्हैयालाल गुप्त—

धारा 3 के संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि कुलपति को हटाने के संबंध में कुलाधिपति इस प्रकार कार्यवाही करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता था कि शासन इस बात का आश्वासन दे कि कुलाधिपति को जो अधिकार दिये गये हैं उन्हें पूर्णतया कुलाधिपति ही व्यवहार में लायेंगे, शासन उन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया है। यह बहुत गंभीर मामला है। कुलाधिपति ऐज चांसलर वर्क करेगा, ऐज गवर्नर वर्क नहीं करेगा, शासन उस पर हस्तक्षप नहीं करेगा। शासन जो चाहे कर सकता है। गवर्नर को पूर्णतया एक चांसलर की तरह व्यवहार करने दिया जायगा इस बात का आश्वासन माननीय मन्त्री जी देंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, हमारे विद्वान सदस्य स्वयं जानते हैं कि राज्यपाल दो अधिकारों का प्रयोग करते हैं एक राज्यपाल का और दूसरा कुलाधिपति का। कुलाधिपति के रूप में ही वह इन अधिकारों का पालन करेंगे इस में शासन के हस्तक्षेप की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, क्या आप अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में जो बातें कही उनसे मेरी आशा निराशा में बदल गयी। आपने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से निर्देश आ रहे हैं और इनकी वजह से विलम्ब हो रहा है। निर्देश आते जायेंगे और कोई अंतिम तिथि नहीं आयेगी। क्या मंत्री जी किसी तिथि का आश्वासन देंगे ?

दूसरी बात विश्वविद्यालयों में, डिग्री कालेजों में भ्रष्टाचार चयन में देखने को मिला है.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ? जब आप को जवाब देने का मौका दिया था वह आप को उस समय कहना चाहिए था, अब इसको आप और बढ़ाये जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं वापस नहीं लेता हूं, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 12, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) धारा 10 पहली जनवरी, 1978 को प्रवृत्त समझी जायेगी, धारा 3 सात जुलाई, 1978 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 2, 4, 5, 7, 8 और 9 पहली जनवरी, 1979 को प्रवृत्त समझी जायेंगी और शेष उपबन्ध 26 सितम्बर, 1979 से प्रवृत्त समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1—ख) में, खण्ड (ख) में, शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे।

3—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:— धारा 12 का संशोधन

"(12) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(13) कुलाधिपति को उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जाँच को अनुध्यात करते हुए, कुलपति को निलम्बित करने की शक्ति होगी।"

4—मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:— धारा 28 का संशोधन

"(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में, और शिक्षा या आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में उपाधियों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) ऐसे आदेशों द्वारा विनियमित होगा जैसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस निमित्त बनाये।"

5—मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(एक) उपधारा (1—क) में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे; धारा 50 का संशोधन

(दो) उपधारा (2) में अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे।

6—मूल अधिनियम की धारा 60—क में, खण्ड (1) में शब्द 'स्थानीय प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "नगरमहापालिका" रख दिया जायेगा। धारा 60-क का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (2) में, परन्तुक में, शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे। धारा 72 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 72—क में, खण्ड (ग) में शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे। धारा 72-क का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 73 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे। धारा 73 का संशोधन

10—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 28 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 की धारा 28 का संशोधन

वैधीकरण

11—मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय द्वारा 31 दिसम्बर, 1978 (जिसे आगे उक्त दिनाँक कहा गया है) और इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनाँक के बीच, मूल अधिनियम (जैसा कि वह उक्त दिनाँक पर था) के अनुसार कृत या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य या कार्यवाही वैध समझी जायगी और सदा से वैध रही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद

12—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 1979

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अननुमोदन के संकल्प को वापस लेने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 9 पर यह प्रस्ताव था कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 का अननुमोदन करता है। मंत्री जी ने विधेयक वापस ले लिया था, लेकिन यह अध्यादेश के अननुमोदन के संकल्प का निस्तारण उस समय नहीं लिया गया था। तो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त क्या इसे वापस ले रहे हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं अपने अननुमोदन के संकल्प को वापस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अननुमोदन सम्बन्धी संकल्प को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

पांच कांग्रेसियों की तथाकथित हत्या के सम्बन्ध में सूचना देने का प्रयास

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)—

मान्यवर, आज बड़ा गम्भीर मामला हो गया है। आज 9 बजे सबेरे 5 कांग्रेसियों की हत्या × × × कर दी।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। किस नियम के अन्तर्गत माननीय सदस्य यह मामला उठा रहे हैं। मैं इसका खण्डन करता हूं कि जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई ऐसी हत्यायें की हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 में आप इसे ले आयेंगे तो इसे स्वीकार कर लूंगा लेकिन आज जब तक नियमों को सदन शिथिल न कर दे, तब तक मैं इसे उठाने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

आज श्रीमती गांधी वहां आई हुई हैं।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, लाशें पड़ी हुई हैं और शासन के लोग बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसकी सूचना मुख्य मन्त्री जी को दे दें। और वे इसके लिए तैयारी कर लें। कल आप इसे ले आयें, तब मैं इसे स्वीकार कर लूंगा. . . .

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर।)

आप लोग नियमों का पालन किया करें। सात-सात सदस्य एक साथ बोलेंगे तो कैसे कार्यवाही चलेगी? यह बड़ा अनुचित है। जब तक नियम शिथिल न किये जायं तब तक कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता है. . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वे किस नियम के तहत बोलने लगे. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

किसी की जबान मैं कैसे रोक लूं।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर।)

आप कैसे खड़े हो गए?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय। मैं बैठ जाता हूं।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं निकाला जायेगा। जब कोई सदस्य कहेगा तो मैं उसको कैसे कार्यवाही से निकाल दूंगा। आप बैठिए, यह कार्यवाही से नहीं निकाला जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

श्रीमन्, मैं नम्रतापूर्वक आपका ध्यान आपकी ही व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोई माननीय सदस्य खड़ा हो गया और बोलने लगा लेकिन वह बोलने की चेष्टा तभी तो करेगा जब आप उसकी ग्राह्यता को देखेंगे और उसे इजाजत देंगे। मैं मान्यवर, आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं देता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई सदस्य आक्षेप लगाता है, अनर्गल बात कहकर आरोप लगाता है कि पांच लोगों की हत्या की है, क्या यह उचित है। हम भी खड़े होकर कोई ऐसी सूचना दे सकते हैं। तो इस सम्बन्ध में आप अपनी व्यवस्था दें कि आप हमें भी इसके लिए अनुमति दे सकते हैं। यहां पर अनेकों बार 301 की सूचनायें आती है और आप अनुमति नहीं देते हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने बता दिया कि अगर उसमें कोई ऐसी बात होगी तो मैं उसे देख लूंगा। मैंने यह सुना कि 5 आदमियों की हत्या कर दी गयी है। अगर जैसा आपने कहा वैसा उन्होंने कहा होगा तो मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980†

*वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

यह विधेयक जो सन् 1979–80 का बजट पेश किया था उसमें प्राविधान था और उसके अनुरूप यह आवश्यक था। उसी के तहत यह विधेयक लाया गया है। इसमें बिक्री-कर की दरों में बढ़ोत्तरी और कमी की इसमें व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इसम जो ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जा रही है उसम किस तरह की अर्हताएं हों, इसकी इसमें व्यवस्था की जा रही है। इसमें कुछ व्यापारियों की कठिनाइयों को दूर करना आवश्यक समझा है। साल भर में दिन भी बढ़ जाता था तो पूरे वर्ष भर का ब्याज लग जाता था। बार-बार इस मामले में शिकायतें आती थीं। हमने यह व्यवस्था कर दिया है कि जितने दिन उसके हुए हैं, उतने दिन का ब्याज लिया जाय एक दिन का है तो एक दिन, वर्ष भर का नहीं। इसी प्रकार सरलीकरण समिति और व्यापारियों की तरफ से विभिन्न सुझाव आये ह। कांच की चूड़ियां और कांच के दूसरे प्रकार के सामान फिरोजाबाद में बनते ह। उसमें प्रथम स्थान पर कर लगाने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त जो सूत का काम ह, इसके व्यापारियों की तरफ से और बुनकरों की तरफ से भी बिक्री-कर लगाये जाने के सम्बन्ध में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती थीं। उसमें प्रथम स्थान पर बिक्री-कर की व्यवस्था की गयी है। इसमें कई बार ऐसा होता था कि व्यापारी कर वसूल नहीं करते थे। उसके कारण

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*दिनांक 5 फरवरी, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

पुरानी व्यवस्था के अनुसार उन पर जो कर लग जाता था उसकी वसूली होती थी या शासन को जब आवश्यकता पड़ती थी, कर तो लग जाता था लेकिन किसी कानूनी व्यवस्था के कारण उसमें कर लगाना आवश्यक समझा या वसूली में सरलीकरण का प्रश्न आता था, उसमें कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसमें व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 8 की व्यवस्था के अनुसार,चार वर्ष में कर की जांच करने के बाद कर लगाने की जो व्यवस्था थी उसमें जो कठिनाइयां उत्पन्न हुयीं, उन का निराकरण करने की दृष्टि से इस विधेयक को लाया गया है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें माननीय सदस्यों को विरोध हो। मुख्यतः वही व्यवस्था है जो व्यवस्था सरलीकरण समिति और व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने जो कठिनाइयां बतायीं, शासन को जो कठिनाइयां थीं, उनका निराकरण करने की दृष्टि से व्यवस्था की गयी है।

जो ट्रीब्युनल बना रहे हैं, उसमें किस प्रकार की अर्हतायें हों, जो प्रशासनिक कामों में लगे हुए लोग हैं, वह भी रखे जायेंगे। जैसे व्यवस्था है कि डिप्टी कमिश्नर के रैंक का ट्राइब्युनल का चेयरमन हो सकता है। रिटायर्ड जज और जो जजों की नियुक्ति होगी वह किस प्रकार होगी इसकी व्यवस्था है। जो सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की रेकमेंडशन थीं, उनकी संस्तुति को आधार मान कर उनकी अर्हताओं के सम्बन्ध में इसमें व्यवस्था की गयी है, इनकम टैक्स बार को दस साल की प्रेक्टिस हो, इन सारी चीजों की विधेयक में व्यवस्था है। इसमें विरोध का कोई कारण नहीं है। सभी चीजें ऐसी हैं, जिनका विभिन्न व्यापारियों, सरलीकरण समिति के द्वारा और सरकार की अपने अनुभव के आधार पर जो कठिनाइयां मालूम हुयीं, उन्हीं को ध्यान में रख कर विधेयक लाया गया है।

*श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, वित्त मन्त्री जी को मैंने सुना। जैसी उनकी मंशा है और जैसी उनकी शुभ कामना है, उसके अनुरूप काम भी होने लग जाय तो बड़ी प्रसन्नता की बात हो जाय। आपने इसके उद्देश्य में कह तो यह दिया कि जो सरलीकरण समिति के भिन्न-भिन्न प्रतिवेदन थे, जो व्यापारियों के प्रतिवेदन या प्रार्थना-पत्र आये थे, उनके अनुसार यह व्यवस्था की गयी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्यापारियों को एक ओर तो आप पुचकारते हैं और तुरन्त उसके साथ ही तमाचा मारते हैं और जो विधयक यह पेश किया है, उसमें तो यह उपभोक्ताओं के ऊपर तमाचा मारने से नहीं चूके हैं। जो अध्यादेश प्रसारित किया गया था, क्योंकि अध्यादेश प्रसारित किया, इसके बारे में जो पत्रक वितरित हुआ था उसकी प्रथम पंक्ति में इस प्रकार उल्लेख किया गया था—"वर्ष 1979–80 के बजट भाषण में सभी व्यापारियों पर 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगाने की घोषणा की गयी थी। किन्तु आज जो आप विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके उद्देश्य और कारणों में आपने लिखा है कि वर्ष 1979–80 के बजट भाषण में सभी व्यापारियों पर एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त बिक्री-कर लगाने की घोषणा की गयी थी। मालूम पड़ता है कि यह वित्त मन्त्री जी को भी पता नहीं है कि अतिरिक्त बिक्री-कर और अतिरिक्त कर में बड़ा भारी अन्तर है। वह अन्तर क्या है, ये शब्दावली ले आते समय उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है और यह इस तरह से दे दिया है। तो वह बिल में बहुत बड़ा आघात व्यापारियों और उद्योगों पर, इस प्राविधान के द्वारा करने जा रहे हैं। पहली बात का मैं विरोध करता हूं कि ऐसी कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त]

घोषणा वर्ष 1979–80 का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मन्त्री द्वारा नहीं की गयी थी कि सभी व्यापारियों पर एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगाया जायगा और जो प्राविधान है वह सरचार्ज है, एडिशनल सेल्स टैक्स आरोपित करने का कोई जिक्र नहीं है। जो आपने सरचार्ज का प्राविधान किया था, तो केवल 4 आना प्रति सैकड़ा का सरचार्ज लगाया था और वह उन व्यापारियों पर लगाया था, जिनका टर्न-ओवर 2 लाख से ऊपर है। जो इसमें यह प्राविधान किया है कि सभी व्यापारियों से एक प्रतिशत लेगें और वह भी एडिशनल सेल्स टैक्स लेंगे, सर्वथा गलत है।

मैं आपसे निवेदन कर दूं, 2 लाख के ऊपर व्यापारियों पर जो अतिरिक्त था उसका असर तो उन्ही व्यापारियों पर पड़ता था जो बड़े व्यापारी थे। लेकिन इस प्राविधान से सभी पर 1 प्रतिशत से आपने टैक्स लगा दिया और यह सब टैक्स डढ़ लाख व्यापारी उपभोक्ताओं से ले सकते है। एक वस्तु पर आपने 4 परसेंट टैक्स लगाया था, अब एक परसेंट एडिशनल लगा दिया और उस सीमा को घटा दिया। आप कहते हैं कि हमने संस्तुतियों के आधार पर किया है। पहले यह एडिशनल सरचार्ज उन पर लगेगा जिनका बिक्री-कर का टर्न-ओवर 2 लाख से ऊपर है, अब आपने उसको हटाकर कर और बिक्री-कर दोनों कर दिया है। अब इन दोनों को मिलाकर जिनका टर्न-ओवर दो लाख से ऊपर बनता होगा, उनसे आप सरचार्ज लेंगे। जो आपने संशोधन रखा उसमें दो लाख की सीमा भी हटा दी। मेरा वित्त मन्त्री जी से निवेदन यह है कि यदि आप वास्तव में बिक्री-कर ऐक्ट को सरल बनाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि राजस्व और ज्यादा उपलब्ध हो जाय, तो मेरी बात मानने की कृपा करें कि इस सम्पूर्ण बिक्री-कर अधिनियम का पुनर्लेखन आवश्यक है। मैं वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इसी सदन की एक विशेषज्ञ समिति बना दें जो इसके पुनर्लेखन का काम कर डाले। जो इसकी रिड्राफ्ट का काम अच्छी तरह से कर डाले। इसका बार-बार संशोधन करना पड़ता है, यह कष्ट आपको नहीं करना पड़ेगा और जो जटिलतायें बढ़ती जा रही है उनसे व्यापारियों को और जनता को मुक्ति मिल जायगी। आप विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की घोषणा कर दें तो प्रदेश के हित में बहुत बड़ी बात होगी।

मान्यवर, आपने एक शब्द का प्रयोग किया है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपने एक शब्द का प्रयोग किया है भूतलक्षी जिसके अन्तर्गत आप भूतलक्षी दिनांक से विज्ञप्तियां जारी करने का अधिकार चाहते हैं। पुरानी डेट्स से विज्ञप्तियाँ जारी करना है, उनका अधिकार आप प्राप्त कर रहे हैं। यह भूतलक्षी दिनांक से जो अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, यह शब्द कितने व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए नरभक्षी न बन जाये। मान्यवर, एक बात बार-बार कही गयी है कि पूर्व निर्धारित तिथियों से जो अधिकार प्राप्त करते हैं वे सभी उच्च न्यायालय और सुप्रीमकोर्ट के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए, उनको निष्प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। इसलिए जो यह अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, आप मेहरबानी करके इसका दुरुपयोग न करें। एक निवेदन और करना चाहता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कुछ अच्छे प्राविधान भी किए हैं। उच्च न्यायालय को स्थगन का अधिकार दे दिया, यह तो स्वागत योग्य है, लेकिन एक बात समझ में आने वाली नहीं है कि जब सरलीकरण समिति ने अपनी सर्व सम्मति से राय दी थी कि अन्य प्रदेशों और इस प्रदेश में बिक्री-कर की दरों में सामञ्जस्य न होने के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूटिंग बाजारें हैं वह उठकर दिल्ली और दूसरे प्रान्तों में जा रहे हैं यह आपकी अव्यवस्था के कारण हो रहा है। आप बिक्री-कर की दरों में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। सरलीकरण समिति ने इस सम्बन्ध में अपनी सर्व सम्मति से राय दी थी, उस पर आप विचार करें और सामंजस्य बैठाकर एक जैसी दरों को लागू करें। जो

विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं इसका जिक्र उसमें नहीं है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी को कोई दिलचस्पी नहीं है। सरलीकरण समिति ने सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया था और मैंने भी सुझाव दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य समय का भी ध्यान रखें।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मान्यवर, 2–3 बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मान्यवर, इस पर बोलने वाले लोग कम ही हैं। इस पर लोगों की दिलचस्पी कम है। सरलीकरण कमेटी द्वारा एक प्रस्ताव यह आया कि गल्ला व्यापार से आपको लगभग 32–33 करोड़ प्राप्त होता है और यह बढ़कर 48–50 और 60 करोड़ तक पहुंच सकता है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मान्यवर, मण्डी शुल्क है और उसके द्वारा मण्डी कमेटी को जो राजस्व प्राप्त होता है वह 12 करोड़ है जबकि मण्डी शुल्क एक प्रतिशत है और बिक्री-कर 4 प्रतिशत है और उससे 32–33 करोड़ रुपया प्राप्त होता है। 17–18 करोड़ रुपये की चोरी हो रही है, यह निश्चित मानकर आपको जिस पर मण्डी शुल्क मिलता है लेकिन आपको बिक्री कर नहीं मिलता है। तो स्पष्ट है कि मण्डियों में आज भयंकर चोरी हो रही है। अगर आप अपने अधिकारियों को यह ताईद कर दें कि वे गल्ले के व्यवसाय पर और तिलहन के व्यवसाय पर मण्डी शुल्क के साथ-साथ बिक्री-कर भी वसूल कर लें तो आपकी आमदनी भी 25 से 60 करोड़ रुपया हो सकती है और उन व्यापारियों को जो कष्ट उठाना पड़ता है उससे भी वे बच जायं। इस समय सदन में हमारे उप मुख्य मन्त्री जी मौजूद हैं। जब वे मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने एक सरक्यूलर प्रसारित किया था कि उन्हें बताया जाय कि किस प्रकार से राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस प्रकार का सुझाव हमने दिया था। यह हम जानते हैं कि आप प्रदेश से बिक्री-कर समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रदेश को 42 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन संशोधन इस प्रकार से किये जा सकते हैं जिनसे व्यापारियों को भी राहत मिल सके और राजस्व भी अधिकतम प्राप्त हो जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, तो वह इसके सभी प्राविधानों को विस्तार के साथ बैठ कर अध्ययन करे सके और 1 महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे सके और तब एक संशोधित बिल के रूप में सदन में लाया जाय और जो इसमें कमियाँ रह गयी हैं, उन पर विचार किया जा सके तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा करके आप प्रदेश के बहुत से व्यापारियों का भी भला कर सकेंगे।

एक और सुझाव मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को देना चाहता हूं। उन्होंने अध्ययन हेतु महाराष्ट्र में एक समिति भेजी थी और उसके अनुरूप आज एक संशोधन इसमें भी लाये हैं। जिसमें ड्राफ्ट और चेक्स को स्वीकार करने जा रहे हैं। उससे आप कठिनाई दूर करने जा रहे हैं और यह कदम आपका स्वागत योग्य है। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि महाराष्ट्र की तरह जितने भी आपके राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जहाँ पर चालान जमा करते हैं, उनके साथ-साथ एक-एक तिमाही पत्र भी दे दिया जाय। इस सम्बन्ध में उस समिति की सर्व सम्मत राय भी थी। यदि आपके राष्ट्रीयकृत बैंक तिमाही नक्शों को स्वीकार करने लगेंगे तो व्यापारियों को बिक्री-कर के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें बहुत सुविधा हो जायगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो विस्तार से इस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दे सके।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं अधिक समय न लेकर इस विधेयक के सम्बन्ध में केवल 2–3 बातों की ओर ही माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। एक तो यह है कि कल ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसेन]

इस सदन में तेंदू पत्ता (संशोधन) विधेयक आया था जिसमें सिर्फ एक लफ्ज की वजह से आपने "फीस" को "कर" की शक्ल में किया। तो जैसा कि माननीय श्याम सुन्दर गुप्त जी ने कहा कि उसमें "एडिशनल सेल्स टैक्स" और सरचार्ज का जिक्र किया गया है। कहीं इस 'एडिशनल सेल्स टैक्स' और सरचार्ज के झगड़े में फिर दुबारा आपको कोई एमेंडमेंट बिल न लाना पड़े। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस पर गहराई से विचार कर लिया जाय।

मैं तो समझता हूं कि प्रदेश की सबसे बड़ी आमदनी की मद बिक्री-कर ही है। मैं यह भी जानता हूं कि यह कन्ज्यूमर की जेब से ही आता है, इसे व्यापारी नहीं देता है। कुछ दिन पूर्व यह भी देखने में आया है कि बड़े-बड़े संघर्ष व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच में हुए हैं। तो मैं यह उम्मीद करता था कि जिस तरह से आपने रेवेन्यू कोड के 16–17 तरह के एक्टों को एक में मर्ज कर दिया उसी तरह से बिक्री-कर के सम्बन्ध में भी जो कई संशोधन ऐक्ट हैं उनको एक करके आप कोई काम्प्रीहेंसिव बिल इस सदन में लायेंगे। अकसर आपने समय-समय पर कभी किसी चीज पर टैक्स लगा दिया, कभी किसी पर से हटा लिया, कई ऐक्ट बनाए हैं, उन सबको एक में करके अगर आप कोई बिल लाते तो वह अच्छा होता और उससे व्यापारियों से लेकर अधिकारियों तक की दिक्कतें दूर होतीं।

एक चीज की ओर मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुरादाबाद में करीब 32 लाख रुपया सेल्स टैक्स का सन 54 से ऐसे लोगों पर बकाया पड़ा है जिनका या तो पता नहीं है, या वे मर गये हैं, और जो मर गये हैं उनके लड़के पोतों से, जो किसी प्रकार रिक्शा चलाते हैं, उनसे उसकी वसूली की जा रही है। आपके सेल्स टैक्स कमिश्नर ने भी यह रिपोर्ट दी है कि यह अमाउन्ट रिकवरेबिल नहीं है। इसलिए जो नान-रिकवरेबिल एमाउन्ट यह इतने सालों से पड़ा हुआ है इसे आप माफ कर दीजिए। यह रकम उन लोगों के नाम पड़ी हुई है जो मर गये हैं और उसके बाद दो-दो पुश्तें बदल गई हैं। पिछले संस्थागत वित्त मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि वे इसे कबिनेट में रखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं श्री श्याम सुन्दर गुप्त जी के प्रस्ताव का कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाये समर्थन करता हूं।

श्री देव बहादुर (जिला नैनीताल)

म मान्यवर, अधिक समय नहीं लूंगा। जब जनता पार्टी की सरकार आयीं तो अपने घोषणा-पत्र में यह कहा था कि हम बिक्री-कर को माफ कर देंग, मगर आपने वह नहीं किया और आपने एक सरलीकरण समिति बना दी जिसने अपनी कुछ संस्तुतियां सरकार को दीं। सरकार को या तो उस समिति को बनाना नहीं चाहिए था, या जब बनायी तो उसकी सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिए था। आखिर वह बनाई क्यों गयी थीं? अगर सरकार ईमानदारी के साथ उन संस्तुतियों को लागू करना चाहती है तो उसको यह बता देना चाहिए कि वह कब तक उन सिफारिशों को लागू करेगी। यह भी सरकार को स्पष्ट घोषणा कर देना चाहिए कि क्या उसने अब बिक्री-कर को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त न करने का निर्णय ले लिया है या अब भी उस पर विचार खुला हुआ है, वह चैप्टर बन्द नहीं हुआ है। आप स्पष्ट यह बतायें कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था कोई हो सकती है उसकी या नहीं और आप की क्या विचारधारा है इस सम्बन्ध में। मैं समझता हूं कि भविष्य में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं आयेगी जो गलत वायदा करके वोट ले ले और वोट लेकर सदन में आये और वायदा पूरा न करे। इसलिए इस प्रश्न पर माननीय वित्त मंत्री जी जरा विचार कर लें।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मान्यवर, माननीय रियासत जी और माननीय देव बहादुर सिंह जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, वह मेरे संशोधन पर ही व्यक्त किए हैं, इसमें कोई सन्देह ही नहीं। माननीय

रियासत साहब ने कहा कि इसकी रिड्राफ्ट्स की आवश्यकता है और ऐसी विशेष समिति अनिवार्य रूप से बन ही जानी चाहिए, जो इस बिक्री-कर अधिनियम के सभी पहलुओं पर अध्ययन करने के बाद एक सम्यक विवेचना करके अपनी रिपोर्ट दें, और जिससे उचित न्याय इस प्रदेश को मिल सके। मान्यवर, बिक्री-कर समाप्त करने की घोषणा माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा की गयी थी, लेकिन अब ऐसी धारणा मालूम होती है कि बिक्री-कर समाप्त नहीं किया जायगा, जबकि हम इस बात को बार-बार आग्रहपूर्वक कहते रहे हैं। अगर आप की बात में ईमानदारी होती, तो जो वैकल्पिक व्यवस्था होनी थी, वह हो गयी होती। मान्यवर, बिक्री-कर के स्थान पर कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत कर दिया जाय जोकि सभी को मान्य होता और बिक्री-कर को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूं कि बिक्री-कर समाप्त करने की आवश्यकता है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसमें जो कई प्रकार के प्राविधान हैं, उसके बारे में मैंने अलग-अलग विस्तार से जब विधेयक प्रस्तुत कर रहा था, बता दिया था। इसमें हमने प्रदेश के विकास का ध्यान में रखते हुए उसमें कम से कम बोझ पड़े, केवल 1 परसेंट कर लगाने की बात कही है और जो अतिरिक्त बिक्री-कर 3(च) धारा का उल्लेख किया है, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक प्रश्न आपने उठाया उसमें मूलधन की बात आपने कही। आपने उसके प्रतिबन्ध को पढ़ा होता तो ऐसा न कहते। उसमें लिखा है कि—"इस धारा के अधीन मूलधन दिनांक से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जायगी जिससे व्यापारी के कर दायित्व में वृद्धि होने की सम्भावना हो।" इसको मैंने पहले ही देख लिया है कि व्यापारियों पर बोझ पड़े बगैर उनको क्या सुविधा दी जा सकती है और सरलीकरण के द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं और फिर चूंकि नियमों में और कानूनों में कोई व्यवस्था न होने के कारण, जो चाहते हुए भी सुविधा नहीं दे पाते थे, वह सुविधा देने के लिए हमने इसमें रखा है तथा और भी कई चीजें इसमें हमने रखी हैं। एक दिन भी बढ़ने पर भी, जो वर्ष भर के लिए कर लग जाते थे, तो ये सब सारी अच्छी सुविधाएं जल्दी से जल्दी लोगों को हमें देना चाहते हैं। स्वयं माननीय श्याम सुन्दर गुप्त जी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे सुझाव दिया, उसी को ध्यान में रख कर, उस पर हम विचार कर रहे हैं।

मण्डी समिति के सिलसिले में अभी हमें तय करना है, उस पर पूर्ण रूप से विचार नहीं हो पाया है, विचार हो रहा है, लेकिन वह तो इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। हमको अभी जिसकी आवश्यकता है और जरूरी थी, उन्हीं बातों को इसमें समावेश किया है। अन्य बहुत सी बातें, जैसा देव बहादुर सिंह जी ने कहा सरलीकरण के सम्बन्ध में, इसके अतिरिक्त और भी जितने सुझाव मिले हैं, तथा पिछले साल भी जितने सुझाव आये थे, उसमें बहुत सी हमने सुविधाएं कर दी हैं। बहुत सी बातें हैं जिन पर कानूनी व्यवस्था करनी है। एक बात मैंने शुरू में कही इस विधेयक में कुछ बातों को सरलीकरण समिति की संस्तुति को ध्यान में रखकर उनका समावेश करना है, यह विधेयक को संशोधित करने पर ही हो सकता है। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है जो देव बहादुर सिंह की है, श्री श्याम सुन्दर गुप्ता जी की है। जहां तक मुरादाबाद का प्रश्न जो रियासत हुसेन साहब ने उठाया है मैं उनको आज की सूचना देना चाहता हूं कि आज मेरी उनके प्रतिनिधियों से मेरे कक्ष में विचार विमर्श हुआ है, उनके साथ विचार विमर्श करके जो भी कानून में बदलाव करना होगा बकाए कर के सिलसिले में किया जायगा मैं अन्तिम निर्णय क्या होगा यह तो नहीं बता सकता हूं।

आज मेरे कक्ष में 11 बजे थोड़ी देर तक मीटिंग हुई थी चूंकि मुझे यहां आना था इसलिए अधिकारियों और प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है और मुझे उम्मीद है मान्यवर, छोटे उद्योग वाले लोगों को जो असुविधा है उनका निवारण में जल्दी कर दूंगा। सरलीकरण कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रख कर मैं श्री श्याम सुन्दर गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि अधिकतर बातें वह हैं जो सुविधा

[श्री मधुकर दिघे]

की दृष्टि से रखी गयी है केवल छोटी सी बात है जो बजट में स्वीकृत कर चुके हैं। केन्द्रीय सरकार की तरह हमारे यहां प्राविधान नहीं ह कि जिस दिन से बजट में आ जाय उसी दिन से कर देय हो जायेगा, हमको तो इसके लिए बिल लाना पड़ता है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करूंगा कि.....

श्री देव बहादुर सिंह—

बिक्री कर के सम्बन्ध में.....

श्री मधुकर दिघे—

बिक्री कर को समाप्त करना या कम करना अकेले इस राज्य के लिये सम्भव नहीं है। हमको सभी राज्यों से इस मामले पर विचार विमर्श करना पड़ता है। केन्द्रीय सरकार जब तक कोई निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं लेती, यह सम्भव नहीं है। अब दूसरा श्री श्याम सुन्दर गुप्ता जी ने प्रश्न उठाया कि और प्रदेशों से हमारे प्रदेश में बिक्री कर की दरें अधिक हैं। नार्दन जोन, सदर्न जोन की बैठकें हुआ करती हैं उसमें विचार विमर्श कर के राज्यों का कर निर्धारण किया जाता है और प्रत्येक राज्य अपने संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से उसमें प्रयास करते हैं आपको याद होगा मैंने और मेरे पूर्ववर्ती श्री केशरीनाथ त्रिपाठी ने विभिन्न आधारों पर, दिल्ली की कर निर्धारण व्यवस्था को देखकर अपने यहाँ बिक्री कर घटाया, दिल्ली के बराबर किया तो उन्होंने अपने यहाँ और घटा दिया, तो विभिन्न राज्य अपनी स्थिति के अनुसार इसका बदलाव करते हैं इसमें मेरा कोई जोर नहीं है। यह तो दोनों राज्यों के बीच में समझौते से सम्भव है, एक राज्य किसी प्रकार की कोई कार्यवाही इसमें नहीं कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि श्री गुप्ता जी इसे वापस ले लेंगे।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

आपकी बात से उत्पन्न एक बात है। मंत्री जी ने बताया कि दिल्ली के रेट से अपने रेट्स निर्धारित करते हैं, यह बात जान कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने स्वीकार किया कि जब आपने दिल्ली के बराबर रेट किया तो उन्होंने और घटा दिया। इसका अर्थ यह है कि वह अपने प्रान्त से उद्योग को नहीं जाने देना चाहते हैं, जिन चीजों की वह डिस्ट्रीब्यूटिंग मार्केट है। क्या इस बात को स्वीकार करने के लिये मंत्री जी तैयार हैं कि उन वस्तुओं की जो इस प्रदेश में होती है, उनका रेट दिल्ली के रेट के समकक्ष करेंगे?

श्री मधुकर दिघे—

केवल दिल्ली की बात नहीं है, हमारे बीच में और भी प्रदेश आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार है और अन्य प्रदेश हैं, इन सबके रेट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, केवल दिल्ली से ही होड़ नहीं करते। इसलिए दिल्ली से अपने रेट्स को मिलाते रहना हमारे लिए कठिन होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री श्याम सुन्दर गुप्तजी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं?

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में आश्वासन देने से इंकार किया है इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 27, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय कार्यों और कार्यवाहियों को विधिमान्य करने और उससे आनुषंगिक और सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1980 कहा जायगा ।

(2) यह 4 दिसम्बर, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा, सिवाय

(क) धारा 10 के खण्ड (क) से (ङ) के, जो 7 दिसम्बर, 1979 को प्रवृत्त समझ जायेंगे ; और

(ख) धारा 10 के खण्ड (च) के, जो ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढा दिया जायगा और 15 अप्रैल, 1974 को बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(ठ) किसी जांच चौकी या नाका के 'प्रभारी अधिकारी' के अंतर्गत सहायक बिक्री-कर अधिकारी से अनिम्न पद का कोई एसा अधिकारी भी है जो ऐसी जांच चौकी या नाका पर तैनात हो ।"

धारा 3—कक का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3—कक में, शब्द "व्यापारी द्वारा उपभोक्ता को बिक्री के स्थल को छोड़कर" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित बिक्री के एकल स्थल को छोड़कर" रख दिये जायेंगे ।

धारा 3—घ का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3—घ में, अन्त में, वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण—1 संख्यांकित किया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—2—पहली अक्तूबर, 1964 को प्रारम्भ होने वाली और 14 नवम्बर, 1971 को समाप्त होने वाली किसी अवधि के सम्बन्ध में कर-निर्धारण के प्रयोजनों के लिए दले हुए या प्रसंस्कृत खाद्यान्न, अनाज या दाल को बिना दले हुए या अप्रसंस्कृत खाद्यान्न, अनाज या दाल से भिन्न समझा जायगा और, तदनुसार, इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह दले हुये या प्रसंस्कृत खाद्यान्न, अनाज या दाल के, ऐसी अवधि के सम्बन्ध में, प्रथम क्रय के सम्बन्ध में कर आरोपित

किये जाने, लगाये जाने या वसूल किये जाने को केवल इस कारण प्रतिषिद्ध करती है कि ऐसे खाद्यान्न, अनाज या दाल पर उनके बिना दले हुए या अप्रसंस्कृत रूप में कर आरोपित किया, लगाया या वसूल किया जा चुका है।"

धारा 3—च का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 3—च में,—

(क) शब्द "और जिसका किसी कर-निर्धारण वर्ष में धारा 3—घ की, उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1978 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (2) में निर्दिष्ट क्रय-धन और विक्रय-धन का योग दो लाख रुपये से अधिक हो" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द "कर योग्य विक्रय धन" के स्थान पर शब्द "कर योग्य क्रय-धन और विक्रय-धन" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये" के स्थान पर शब्द "प्रतिमास" रखे दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1—ख) में, खण्ड (2) में शब्द "प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये" के स्थान पर शब्द "प्रतिमास" रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(7) यदि इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन हो तो उच्च न्यायालय उस निमित्त प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर पुनरीक्षण के लिये आशयित आदेश के अधीन देय कर, शुल्क या अर्थ दण्ड की किसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को, या किसी देय धनराशि की वापसी को स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली के स्थगन के लिये कोई आदेश तीस दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि आवेदक सम्बद्ध कर निर्धारक अधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त प्रतिभूति न दे दे।"

धारा 21 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 21 में, निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे और 1 नवम्बर, 1978 को किये गये समझे जायेंगे, अर्थात्—

(क) उपधारा (2) में, अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष 1974—75 और 1975—76 के लिये कर-निर्धारण 31 मार्च, 1981 तक किया जा सकता है।"

(ख) उपधारा (5) में, शब्द "छः मास के भीतर" के पश्चात शब्द "या 31 मार्च, 1980 तक, जो भी पश्चातवर्ती हो," रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी ; जायगी, अर्थात्—

"(7) यदि किसी कर-निर्धारक अधिकारी ने किसी व्यापारी के लिए किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिये कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण में—

(क) किसी विक्रय-धन को सम्मिलित कर लिया है और किसी वरिष्ठ अधिकारी या न्यायालय ने, अपने में विधिपूर्वक निहित अधिकारों का प्रयोग करके, ऐसे विक्रय-धन को—

(1) किसी अन्य कर-निर्धारण वर्ष के लिये उस व्यापारी के, या

(2) केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 के अधीन उस व्यापारी के, या

(3) इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन किसी अन्य व्यापारी के,

कर-निर्धारण से सम्बन्धित ठहराया हो,

(ख) किसी विक्रय-धन को इस आधार पर सम्मिलित नहीं किया है कि उसका सम्बन्ध केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर-निर्धारण से है और किसी वरिष्ठ अधिकारी या न्यायालय ने, अपने में निहित विधिपूर्वक अधिकारों का प्रयोग करके, ऐसे विक्रय-धन को इस अधिनियम के अधीन उस व्यापारी के कर-निर्धारण से सम्बन्धित ठहराया हो, चाहे वह एसे कर निर्धारण वर्ष के लिये हो या किसी अन्य कर-निर्धारण वर्ष के लिये।

तो इस धारा की, समय को सीमित करने वाली कोई बात, यथास्थिति, ऐसे कर-निर्धारण वर्ष के या ऐसे अन्य कर-निर्धारण वर्ष के लिये उस व्यापारी के या ऐसे अन्य व्यापारी के, चाहे इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर-निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के सम्बन्ध में लागू न होगी।"

नई धारा 25 का बढ़ाया जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, और 1 जनवरी, 1979 को बढ़ायी गया समझी जायगी, अर्थात्—

भूतलक्षी दिनाँक से विज्ञप्तियां जारी करने का अधिकार

"25—यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह धारा 3—क, या धारा 3—कक, या धारा 3—घ, या धारा 4, या धारा 4—ख के अधीन इस प्रकार विज्ञप्ति जारी कर सकती है जिससे कि वह ऐसे दिनाँक से प्रभावी हो सके जो ऐसी विज्ञप्ति जारी किये जाने के दिनांक से छः मास से पूर्व का न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन भूतलक्षी दिनांक से कोई ऐसी विज्ञप्ति जारी नहीं की जायगी जिससे व्यापारी के कर-दायित्व में वृद्धि होने की सम्भावना हो।"

प्रथम अनुसूची का संशोधन

10—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

(क) क्रम-संख्या 7, 8, 26, 35, 67—क, 79, 95, 98 और 102 की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां यथा इंगित स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्—

1	2	3
"7	भांग, गांजा और चरस	उपभोक्ता के हाथ बिक्री"
"8 (क)	बाइसिकिल, ट्राइसिकिल और रिक्शा और टायर और टयूब से भिन्न उनके भाग और संबद्ध सामान।	नि० अथवा आ०

1	2	3
	(ख) पेराम्बुलेटर, जिसके अन्तर्गत बच्चों की कुर्सी-गाड़ी (पुशचयर) भी है, और उनके भाग और सम्बद्ध सामान ।	नि0 अथवा आ0"
"26	(क) चेहरा, त्वचा, बाल, नाखून, नेत्र या भौंह की शोभा या देखभाल के लिये सभी प्रकार की सौन्दर्य वर्धक एवं प्रसाधन सामग्री, किन्तु इसके अन्तर्गत साबुन, सेफ्टी-रजर, ब्लेड, कंघी/कंघा, टूथ पेस्ट, टूथ-पाउडर और अन्य मंजन, टूथ-ब्रश और कुमकुम नहीं है ।	नि0 अथवा आ0
	(ख) कंघी/कंघा	नि0 अथवा आ0"
"35	आतिशबाजी जिसके अन्तर्गत रंगीन दियासलाई भी है	नि0 अथवा आ0"
"67-क	पाम आयल जिसके अन्तर्गत पामोलीन भी है	नि0 अथवा आ0"
"79	फोम, रबड़, प्लास्टिक फोम, अन्य कृत्रिम फोम या रबड़युक्त कायर से बनी चादर (शीट), कुशन, तकिया, गद्दा और अन्य वस्तुएं।	नि0 अथवा आ0"
"95	सभी प्रकार के वैकुअम फ्लास्क, जिसके अन्तर्गत खाद्य या किसी अन्य पदार्थ को गर्म या ठंडा रखने के लिये थरमस, थरमिक जग, आइस बकट या बांक्स, कलश (अर्न) और अन्य घरेलू पात्र भी हैं, और उनके रिफिल।	नि0 अथवा आ0"
"98	कार्यालय में उपयोग की मशीनें और उपकरण, जिसके अन्तर्गत टेबुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, डुप्लीकटिंग, कैश-रजिस्ट्रिंग, चैक-राइटिंग, एकाउन्टिंग, सांख्यिकीय, इंडेक्सिंग, कार्ड-पंचिंग, फकिंग और ऐड्रेसिंग मशीन भी हैं, और टाइपराइटर, कम्प्यूटर (जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाइयाँ और परिधीय यन्त्र भी हैं), टेलीप्रिंटर और सहायक मशीनें, इन्टरकाम यन्त्र और ऐसी कार्यालय मशीनों और उपकरणों के संघटक भाग, पुर्जे और सम्बद्ध सामान ।	नि0 अथवा आ0"
"102	पूर्णतः या मुख्यतः स्टेनलेस स्टील से निर्मित वस्तुएं, सिवाय शल्योपकरण के ।	नि0 अथवा आ0"

(ख) क्रम संख्या 10, 38 और 96 की वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ यथाइंगित स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्——

1	2	3
"10–क	ब्लाक ग्लास	.. नि0 अथवा आ0"
"38–क	काँच की चूड़ियाँ	.. नि0 अथवा आ0"
"96–क	सभी प्रकार के ट्रलर	.. नि0 अथवा आ0"

(ग) क्रम-संख्या 32 की प्रविष्टि में, स्तम्भ–2 में, शब्द "टार्चसेल" और शब्द "ड्राइसेल बैट्री" निकाल दिये जायेंगे और सदैव से निकाले समझे जायेंगे ;

(घ) क्रम-संख्या 34 की प्रविष्टि में, स्तम्भ 3 में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायगा और सदैव से निकाला गया समझा जायेगा ;

(ङ) क्रम-संख्या 97 की प्रविष्टि में, स्तम्भ 3 में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायगा और सदव स निकाला गया समझा जायगा ;

(च) क्रम-संख्या 119 की वर्तमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि यथाइंगित स्तम्भवार बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

1	2	3
"120	फर और फर से निर्मित वैयक्तिक या घरेलू उपयोग की वस्तुएं	नि0 अथवा आ0"

द्वितीय अनुसूची का संशोधन

11—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) क्रम-संख्या 16–क और 16–ख की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ यथा इंगित स्तम्भवार रख दी जायेंगी और सदैव स रखी गयी समझी जायेंगी, अर्थात्—

1	2	3
"16–क	एस0टी0 2933/10–902 (7)-56	1 अगस्त, 1958"
"16–ख	एस0टी0 2934/10–902 (7)-56	1 अगस्त, 1958"

(ख) क्रम-संख्या 121, 139 और 143 की प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी और सदैव स निकाली गयी समझी जायेंगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1979 का संशोधन

12—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1978 में धारा 18 में, प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात—

"(1) एक बिक्री-कर अधिकरण होगा जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार, समय-समय पर, निम्नलिखित में से नियुक्त करना आवश्यक समझ—

(क) ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं या होने के लिये अर्ह है; और

(ख) ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश बिक्री कर सेवा के हों और बिक्री कर उप-कमिश्नर से अनिम्न पद पर हों या रहे हों :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) यदि अधिकरण में एक या अधिक ऐसे व्यक्ति हों जो उच्च न्यायालय क न्यायाधीश रहे हों तो उसे या उनमें से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा ;

(2) कोई व्यक्ति न तो नियुक्त किया जायगा और न पद पर बना रहेगा यदि, उच्च न्यायालय क सवा-निवृत्त न्यायाधीश की स्थिति में, उसन पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और, किसी अन्य स्थिति में, उसने साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ;

(3) अधिवक्ताओं में से कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसने ऐसी नियुक्ति के पूर्ववर्ती लगातार पाँच वर्षों में ऐसी वृत्ति स होन वाली आय (सभी अन्य आय को छोड़कर) पर आय कर न दिया हो ;

(4) राज्य सरकार नियुक्ति के लिए ऐसी अन्य अर्हताएं या शर्तें निर्धारित कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे।"

(ख) उपधारा (7) निकाल दी जायगी।

नियम 3 का संशोधन

13—उत्तर प्रदेश बिक्री कर नियम, 1948 के, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 3 में, स्पष्टीकरण में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायेंगे और 3 जनवरी, 1976 को बढ़ाये गये समझे जायेंगे, अर्थात्—

"और जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाय, ऐसे अधिकारी का पदोत्तराधिकारी उसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा और मामलों में उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही कर सकेगा जिस पर वे ऐसे अधिकारी द्वारा छोड़े गये हों।"

नियम 5 का संशोधन

14—उक्त नियमावली के नियम 5 में, उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम बढ़ा दिया जायगा और 3 जनवरी, 1976 को बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(4) इस नियमावली के प्रयोजनों के लिये, धारा 8 की उपधारा (8), या धारा 13, या धारा 13—क के अधीन अधिकृत या प्राधिकृत, या धारा 28 के अधीन स्थापित किसी जाँच चौकी या नाके पर तैनात, किसी बिक्री-कर अधिकारी को उस सर्किल में जिसमें उसका कार्यालय स्थित हो, कर निर्धारक अधिकारी समझा जायेगा।"

नियम 25-क संशोधन

15—उक्त नियमावली के नियम 25—क में, उप नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(6) रूप-पत्र 19 में मान्यता के प्रत्येक प्रमाण-पत्र पर एक क्रम संख्या होगी जो किसी सर्किल या उप-सर्किल में सभी व्यापारियों के लिए जिनके पक्ष में इस नियम के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी किया जाय, व्यापारियों के रजिस्टर की प्रविष्टि के अनुसार, क्रमागत होगी। प्रत्येक क्रम-संख्या से पहिले एक निर्देशन चिन्ह होगा जो उस सर्किल या उप-सर्किल के लिए बिक्री-कर कमिश्नर या राज्य सरकार द्वारा नियत किया जायगा।"

नियम 49-का संशोधन

16—उक्त नियमावली के नियम 49 में, उप नियम (2) और उसमें निर्दिष्ट अनुलग्नक निकाल दिये जायेंगे और सदैव से निकाले गये समझे जायेंगे और, अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 1—यदि चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा धनराशि जमा की जाय और उसे भुना लिया जाय तो, बिक्री-कर अधिकारी या किसी प्राधिकृत व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत उसकी ओर से धारा 8 के अधीन कार्य करने वाले संग्रह प्राधिकारी भी हैं) ऐसा चेक या ड्राफ्ट प्रस्तुत करने का दिनांक, धनराशि जमा करने का दिनांक समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण 2—इस नियम और नियम 48 के प्रयोजनों के लिये पद "बिक्री कर अधिकारी" के अन्तर्गत धारा 9 वा 10 के अधीन कोई प्राधिकारी भी है।"

17—उक्त नियमावली के नियम 56 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा और सदैव से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात्— नियम 56 का प्रतिस्थापन

"56—प्रमाण-पत्र की संख्या—रूप-पत्र 15 में रजिस्ट्री के प्रत्येक प्रमाण-पत्र पर एक क्रम-संख्या होगी जो किसी सर्किल या उप-सर्किल में सभी व्यापारियों के लिये, रजिस्टर्ड व्यापारियों के रजिस्टर की प्रविष्टि के अनुसार क्रमागत होगी। प्रत्यक क्रम-संख्या के पहिले एक निर्देशन चिन्ह होगा जो उस सर्किल या उप-सर्किल के लिये बिक्री-कर कमिश्नर या राज्य सरकार द्वारा नियत किया जायेगा।"

18—उक्त नियमावली के अध्याय 10 के अन्त में आयी हुई अनुसूची-क निकाल दी जायगी और सदैव से निकाली गयी समझी जायगी। अनुसूची-क का निकाला जाना

19—उक्त नियमावली के नियम 77 में, उप नियम (1) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा और 1 अप्रैल, 1975 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्— नियम 77 का संशोधन

"स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिये, किसी बन्द किये गये व्यापार के सम्बन्ध में पद "ऐसे स्थान जहाँ के बारे में यह विदित हो कि वहाँ व्यापारी ने अन्तिम बार व्यापार किया था" के अन्तर्गत ऐसा स्थान भी है जहाँ के बारे में यह विदित हो कि वहाँ व्यापारी ने व्यापार बन्द करने के पूर्व अन्तिम बार व्यापार किया था।"

20—उक्त नियमावली के नियम 77-क में, शब्द "और ऐसे वकील, एकाउन्टेन्ट या मान्यता प्राप्त एजेन्ट पर कोई नोटिस या अन्य आज्ञा तामील करना उतना ही कार्यकारी होगा मानों वह स्वयं उस व्यापारी पर तामील किये गये हों, और किसी व्यापारी पर नोटिस और अन्य आज्ञाओं की तामील से संबंधित इस ऐक्ट अथवा नियमों क सब आदेश ऐसे वकील, एकाउन्टेन्ट या मान्यता प्राप्त एजेन्ट पर तामील करने में लागू होंगे" निकाल दिये जायेंगे। नियम 77-क का संशोधन

21—उक्त नियमावली के नियम 81 में,— नियम 81 का संशोधन

(क) उप-नियम (1) में, शब्द "किसी ऐसे अधिकारी को जिसे उसी सर्किल में अथवा उत्तर प्रदेश के किसी अन्य सर्किल में कर निर्धारण प्राधिकारी के अधिकार प्राप्त हों" के स्थान पर शब्द "किसी अधिकारी को" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे;

(ख) अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायेगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—जब तक कि अन्यथा निदेश न दिया जाय, जिस प्राधिकारी को उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन मुकदमा संक्रमित किया जाय, उसे ऐसे सभी अधिकार होंगे जो ऐसे प्राधिकारी को थे जिसे मुकदमा संक्रमित किया गया था, और वह उस प्रक्रम से, जिससे मुकदमा इस प्रकार संक्रमित किया गया हो, आगे कार्यवाही कर सकता है।"

22—उक्त नियमावली के नियम 83 में, उप नियम (3) निकाल दिया जायगा और 15 अप्रैल, 1974 को निकाला गया समझा जायगा। नियम 83 का संशोधन

23—उक्त नियमावली से संलग्न रूप-पत्र 31 के स्थान पर निम्नलिखित रूप-पत्र रख दिया जायगा और 1 अगस्त, 1978 को रखा गया समझा जायगा, परन्तु रूप-पत्र 31, जैसा कि वह ऐसे प्रतिस्थापना के पूर्व था, भी तब तक प्रयुक्त रूप-पत्र 31 का प्रतिस्थापन

किया जा सकता है, जब तक कि बिक्री कर कमिश्नर उसे अचप्रलित घोषित न कर दें :—

रूप-पत्र 31

[उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम,1948 के नियम 83 (4) और नियम 87–क देखिए]

प्रतिपर्ण

क्रम संख्या————————जारी करने का दिनाँक————————
रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र की संख्या————————
दिनाँक————————से विधिमान्य————————
उस व्यापारी का नाम और पूरा पता जिसे जारी किया गया। हस्ताक्षर————————
सर्किल/उप सर्किल
(जारी करने वाले अधिकारी की मुहर)

(उपर्युक्त प्रविष्टियाँ जारी करने वाले अधिकारी द्वारा भरी जानी चाहिए)

मैं, उपर्युक्त व्यापारी की ओर से, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे उल्लिखित माल उपर्युक्त व्यापारी/मेरे* द्वारा आयात किया जा रहा है/प्राप्त किया गया है/लाया गया है*

(1) माल का विवरण
(2) परिमाण
(3) तौल
(4) मूल्य अकों में
(5) मूल्य शब्दों में

रूप-पत्र 31

[उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, 1948 के नियम 83 (4) और नियम 87–क देखिए]

द्वितीय प्रति

क्रम संख्या————————जारी करने का दिनाँक————————
रजिस्ट्री प्रमाण पत्र की संख्या————————
दिनाँक————————से विधिमान्य————————
उस व्यापारी का नाम और पूरा पता जिसे जारी किया गया। हस्ताक्षर————————
सर्किल उप/सर्किल
(जारी करने वाले अधिकारी की मुहर)

(उपर्युक्त प्रविष्टियाँ जारी करने वाले अधिकारी द्वारा भरी जानी चाहिए)

मैं, उपर्युक्त व्यापारी की ओर से एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे उल्लिखित माल उपर्युक्त व्यापारी/मेरे* द्वारा आयात किया जा रहा है/प्राप्त किया गया है/लाया गया है*

(1) माल का विवरण
(2) परिमाण
(3) तौल
(4) मूल्य अंकों में
(5) मूल्य शब्दों में

रूप-पत्र 31

[उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, 1948 के नियम 83 (4) और नियम 87-क देखिए]

मूलप्रति

क्रम संख्या————————जारी करने का दिनाँक————————
रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र की संख्या————————
दिनाँक————————से विधिमान्य————————
उस व्यापारी का नाम और पूरा पता जिसे जारी किया गया हस्ताक्षर————————
सर्किल/उप सर्किल
(जारी करने वाले अधिकारी की मुहर)

(उपर्युक्त प्रविष्टियाँ जारी करने वाले अधिकारी द्वारा भरी जानी चाहिए)

मैं उपर्युक्त व्यापारी की ओर से एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे उल्लिखित माल उपर्युक्त व्यापारी/मेरे* द्वारा आयात किया जा रहा है/प्राप्त किया गया है/लाया गया है*

(1) माल का विवरण
(2) परिमाण
(3) तौल
(4) मूल्य अंकों में
(5) मूल्य शब्दों में

(6) बिल/कैशमेमों/चालान* संख्या———— और दिनाँक————

(7) सर्वश्री————से क्रय किया गया/प्राप्त हुआ*

(8) रूप-पत्र ग/च* की संख्या, यदि जारी किया गया हो।

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी जानकारी और विश्वास में सही एवं पूर्ण है।

हस्ताक्षर (नाम और प्रास्थिति)†

हस्ताक्षर (नाम और प्रास्थिति)†

*जो लागू न हो, उसे काट दिया जाय।

†रूप-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का फर्म से सम्बन्ध (अर्थात् स्वामी/भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक इत्यादि) निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)

*मूल प्रति प्राप्त हुई/रखी गई/जाँच चौकी/जाँच चौकी/सर्किल सेक्टर।

(6) बिल/कैशमेमो/चालान* संख्या———— और दिनाँक————

(7) सर्वश्री————से क्रय किया गया/प्राप्त हुआ*

(8) रूप-पत्र ग/च* की संख्या यदि जारी किया गया हो।

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी जानकारी और विश्वास में सही एवं पूर्ण है।

हस्ताक्षर (नाम और प्रास्थिति)†

हस्ताक्षर (नाम और प्रास्थिति)†

*जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

†रूप-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का फर्म से सम्बन्ध (अर्थात् स्वामी/भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक इत्यादि) निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

चौकी के प्रभारी अधिकारी/बिक्रीकर

(6) बिल/कैश मेमो/चालान* संख्या———— और दिनाँक————

(7) सर्वश्री————से क्रय किया गया/प्राप्त हुआ *

(8) रूप-पत्र ग/च* की संख्या, यदि जारी किया गया हो।

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी जानकारी और विश्वास में सही एवं पूर्ण है।

हस्ताक्षर (नाम और प्रास्थिति)†

हस्ताक्षर (नाम और प्रास्थिति)†

*जो लागू न हो, उसे काट दिया जाय।

†रूप-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले श्यक्ति का फर्म से सम्बन्ध (अर्थात् स्वामी/भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक इत्यादि) निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

अधिकारी के दिनाँक सहित हस्ताक्षर।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

विक्रेता व्यापारी/ माल भेजने वाले का नाम और पता	क्रेता/पारेषिती का नाम और पता	विक्रेता व्यापारी/माल भेजने वाले का नाम और पता	क्रेता/पारेषिती का नाम और पता	विक्रेता व्यापारी/माल भेजने वाले का नाम और पता	क्रेता/पारेषिती का नाम और पता
(1) माल वाहक गाड़ी की रजिस्ट्री संख्या		(1) माल वाहक गाड़ी की रजिस्ट्री संख्या		(1) माल वाहक गाड़ी की रजिस्ट्री संख्या	
(2) माल वाहक गाड़ी के स्वामी का नाम और पता		(2) माल वाहक गाड़ी के स्वामी का नाम और पता		(2) माल वाहक गाड़ी के स्वामी का नाम और पता	
गाड़ी के ड्राइवर के हस्ताक्षर		गाड़ी के ड्राइवर के हस्ताक्षर		गाड़ी के ड्राइवर के हस्ताक्षर	
पूरा नाम		पूरा नाम		पूरा नाम	
पितृ नाम		पितृ नाम		पितृ नाम	
ाइविंग लाइसेंस की संख्या		ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या		ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विज्ञप्तियों का संशोधन

24— (1) समय-समय पर यथासंशोधित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 –2–332/दस–1012–71, दिनाँक 15 नवम्बर, 1971 की अनुसूची में, क्रम-संख्या 116 के सामने स्तम्भ–3 में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर शब्द और अक्षर "नि0 अथवा आ0" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

(2) समय-समय पर यथासंशोधित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2–4949/दस–10 (2)–74, दिनाँक 30 मई, 1975 की अनुसूची में, निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे और सदैव से किये गये समझे जायेंगे, अर्थात्—

(क) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तम्भ 2 में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेंगी:—

"सभी प्रकार के खनिज, कच्ची धातु, धातु, स्क्रैप और मिश्रित धातु, जिसके अन्तर्गत पीतल के बर्तन बनाने में प्रयुक्त चादरें (शीट्स) और चक्र (सर्किल) भी हैं, सिवाय उनके जिन्हें किसी अन्य प्रविष्टि में या अधिनियम के अधीन जारी की गयी किसी अन्य विज्ञप्ति में सम्मिलित किया गया हो।" ;

(ख) क्रम-संख्या 8 के सामने स्तम्भ 2 की प्रविष्टि में, शब्द "मेवे तथा गर्म मसाले जिसके अन्तर्गत" के पश्चात् शब्द "जीरा, अजवाइन तेजपत्ता, हल्दी, धनिया, कालीमिर्च, मिर्च, खसखस, जाफरान, सूखा-सोया" रख दिये जायेंगे ;

(ग) क्रम संख्या 29 के सामने, स्तम्भ 2 में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्—

"पीतल, ताँबा, जर्मन सिल्वर या उनकी किसी मिश्रित धातु के बने हुए तार या तार की जाली, किन्तु इसके अन्तर्गत विद्युत् शक्ति के वितरण या पारेषण के लिए अपेक्षित तार नहीं हैं।"

(3) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–1–5277 (II)/दस–901(26)–74–यू0 पी0 ऐक्ट, 15–48–आदेश–78, दिनाँक 13 सितम्बर, 1978 में शब्द और अंक "दिनाँक 13 सितम्बर, 1878" के स्थान पर शब्द और अंक "दिनाँक 1 सितम्बर, 1978" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

(4) निम्नलिखित विज्ञप्तियाँ उनके जारी होने के दिनाँक से विखंडित हो जायेंगी, अर्थात्—

(क) एस0 टी0–3608/दस–900 (21)–69, दिनाँक 1 जुलाई, 1969;

(ख) एस0 टी0–3616/दस–900 (21)–69, दिनाँक 1 जुलाई, 1969;

(ग) एस0 टी0–3617/दस–900 (21)–69, दिनाँक 1 जुलाई, 1969;

(घ) एस0 टी0–7058/10–900(21)–69 दिनाँक 1 सितम्बर, 1969;

(ङ) एस0 टी0–7059/10–900(21)–69 दिनाँक 1 सितम्बर, 1969;

(च) एस0 टी0–7060/10–900(21)–69, दिनाँक 1 सितम्बर 1969;

(छ) एस0टी0–7061/10–900 (21)–69, दिनाँक 1 सितम्बर, 1969;

(ज) एस0टी0–4718/दस–900 (21) 69, दिनाँक 30 जून, 1970;

(झ) एस0टी0–4719/दस–900 (21)–69, दिनाँक 30 जून, 1970;

(ञ) एस0 टी0–8204/दस–900 (21)–69, दिनाँक 24 सितम्बर, 1970;

(ट) एस0 टी0–8204–ए/दस–900 (21)–69, दिनाँक 24 सितम्बर, 1970;

(ठ) एस0 टी0–2–8426/दस–6 (19)–78–उ0 प्र0 अधि0–15–48–आदेश–78, दिनाँक 13 नवम्बर, 1978;

(ड) एस0टी0–2–5998/दस–6 (27)–77–उ0 प्र0 अधि0–15–48–आदेश–78, दिनाँक 15 नवम्बर, 1978;

(ढ) एस0 टी0–2–6890/दस–6(27)–77–उ0 प्र0 अधि0–15–48–आदेश–78, दिनाँक 15 नवम्बर, 1978;

(ण) एस0 टी0–2–9377/दस–6 (27)–77–उ0 प्र0 अधि0–15–48–आदेश–78, दिनाँक 23 नवम्बर, 1978;

(त) एस0 टी0–2–9378/दस–6 (27)–77–उ0 प्र0 अधि0 15–48–आदेश–78, दिनाँक 23 नवम्बर, 1978;

(5) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 3609/दस––900 (21) 69 दिनाँक 1 जुलाई, 1969 की अनुसूची में, क्रम- संख्या 10 की प्रविष्टि निकाल दी जायगी और सदव से निकाली गयी समझी जायगी।

(6) विज्ञप्ति संख्या एस0टी0–2–4355/दस–9 (20)–74 यू0पी0 ऐक्ट–15–48–आदेश–79, दिनाँक 18 जुलाई, 1979 में, शब्द "तात्कालिक प्रभाव से" के स्थान पर शब्द "1 मार्च, 1979 से" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझ जायेंगे।

एतद् द्वारा संशोधित नियमों और विज्ञप्तियों की विधिमान्यता

25––इस अधिनियम द्वारा संशोधित नियम और विज्ञप्तियाँ तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि व राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित मूल अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके संशोधित या विखंडित न कर दी जायें।

वैधीकरण

26––(1) किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व कृत कोई कार्य या कार्यवाही, जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो, विधिमान्य और विधिपूर्ण होगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण रही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

(2) जहाँ इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायलय या अधिकारी ने किसी कार्यवाही में मूल अधिनियम के अधीन किसी कर का निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह किया हो या अर्थ-दण्ड लगाने या कोई अन्य माँग का कोई आदेश दिया हो, या ऐसे कर-निर्धारण, उद्ग्रहण, संग्रह, अर्थ-दण्ड या माँग को (पूर्णतः या अंशतः) परिष्कृत, अपास्त या अभिखंडित करने का कोई आदेश दिया हो और

ऐसा कर निर्धारण या अन्य आदेश, इस अधिनियम के उपबन्धों के परिणाम स्वरूप, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो जाय, वहाँ उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यवाही का कोई पक्ष या बिक्री-कर कमिश्नर, ऐसे प्रारम्भ के दिनाँक से छः मास के भीतर कर-निर्धारण या आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिये एस अधिकारी या न्यायालय को प्रार्थना-पत्र दे सकता है और तदुपरान्त ऐसा अधिकारी या न्यायालय कार्यवाही का पुनर्विलोकन कर सकता है और पहले दिये गये आदेश में परिवर्तन या उसका पुनरीक्षण करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जैसा इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो।

(3) यथास्थिति, कर-निर्धारक, अपील सुनने वाला, पुनरीक्षण या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश में, इस धारा के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर या मूल अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो भी बाद में समाप्त हो, सुधार कर सकता है, जहाँ ऐसा सुधार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, जिसका प्रभाव निर्धारित कर, अर्थ-दण्ड या अन्य देयों को बढ़ाना होगा, तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि सम्बद्ध अधिकारी ने ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना सम्बद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 27 सन् 1979

निरसन और अपवाद

27—(1)—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम या उत्तर प्रदेश बिक्री कर नियम, 1948 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम या नियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 27, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980 पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (संशोधन) विधेयक, 1980†

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

श्रीमन, इस विधेयक में कोई खास बात नहीं है । मैंने इसीलिए इस बिल को प्रवर समिति के लिए कहा है कि शायद श्री देव बहादुर सिंह जी जो काफी परेशान मालूम होते हैं कि इस बिल पर चर्चा के दौरान कोई चीज निकाल लें । प्रदेश के अन्दर डेरी का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है और सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत उसको विस्तृत भी बड़े पैमान पर किया जा रहा है । एस0एफ0डी0ए0 में तथा अन्त्योदय स्कीम के अन्तर्गत बहुत से लोगों को भैंसे आदि खरीद कर दी जा रही हैं । लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मन्त्री जी ने दूध ले जाने के खाली बर्तनों के ऊपर से कर हटाने की बात की है । क्योंकि दूध और उसके पाउडर पर पहले से ही कर लिया जाता था । इसलिए हम लोग यह जरूर चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी डेरी के विकास के लिए और सारी चीजों पर विचार करने के लिए इस बिल को आधार बनाकर कुछ सोचें ताकि इस प्रदेश की गरीब जनता का भला हो सके यह दूध का मामला है और दूध पीने का शौक सभी सदस्यों को है इसलिए इस पर विचार कर लिया जाय तो अच्छा है । इसीलिए मैंने इसे रखा है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मिठाई वाली बात करते तो ठीक होता ।

श्री रियासत हुसैन—

दूध से ही मिठाई बनती है ।

(हंसी)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, इसमें दूध और दूध पाउडर पर कर नहीं लगता है । यह है कि जो दूध ले जाते थे और खाली बर्तन लाते थे उस पर लगता था इस विधेयक में वह सुविधा देने के लिए इसे लाया गया है । जो इच्छा व्यक्त की थी उसी के परिपालन में इसे लाया गया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके लिए बधाई है । डीजल की जो कीमत है 1.59 और 1.75 हो गयी । यह एक डी0आई0आर0 का केस है, म आश्वासन चाहूंगा कि अगर ऐसा हुआ है तो 1.75 जो चार्ज कर रहे हैं, मैं गोरखपुर में जानता हूं तो क्या जो पहले रेट रहा है 1.65, 1.62 या 59, जो भी रहा हो तो जो ज्यादा चार्ज किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

---

†दिनांक 19 फरवरी, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

(वित्त मन्त्री से) कुछ जवाब देंगे ?

श्री मधुकर दिघे--

यह इस विधेयक में आया ही नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

खाली बर्तनों पर भी पैसा वसूल कर रहे थे, इसकी अक्ल आई है। भले देर में आई है, इसलिए इसे वापस ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री रियासत हुसैन--

जी हां, क्योंकि मन्त्री जी को अक्ल आ गई है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री रियासत हुसैन को अपने इस संशोधन के प्रस्ताव को कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे, वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (संशोधन) विधेयक, 1980

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 की धारा 2 में खण्ड (ख) में, उपखण्ड (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायगा, अर्थात :--

"(7) दूध, दूध पाउडर और दूध ले जाने के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित बरतन;"।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, म प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों को संशोधित किये जाने तक चुनाव स्थगित रखे जाने संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति

श्री उपाध्यक्ष--

अब श्री शतरुद्र प्रकाश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय ।

*श्री सोहन बीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

औचित्य का प्रश्न प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पहले सुन लें क्योंकि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद औचित्य के प्रश्न का कोई महत्व नहीं रहेगा ।

मान्यवर, मैं बड़ी पेनफुल ड्यूटी का परफारमेन्स कर रहा हूं, दुखपूर्ण कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं । यह कर्तव्य संसदीय कार्य मन्त्री का था । नियमों का उल्लंघन हो रहा है, न होने पाये, इस कर्तव्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । पैरा 18 में प्रस्ताव ह कि यह सदन चुनाव आयोग से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों को पूर्णतया संशोधित किए जाने तक किसी भी प्रकार का चुनाव स्थगित रखें ।

मान्यवर, नियम 103 के अन्तर्गत आपने आज्ञा दी है । नियम 103 देखें । नियम 103 में ह कि संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किए गय प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी । मान्यवर, आप देखें कि इस सम्बन्ध में जो भारत का संविधान ह उसके अनुच्छेद 324 में यह व्यवस्था है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल के लिए निर्वाचन के लिए निर्वाचक-नामावली तयार करान का तथा उन समस्त निर्वाचनों के संचालन का तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण जिसके अन्तर्गत संसद के तथा राज्यों के विधान मण्डलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त सन्देहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी है,एक आयोग में निहित होगा, जो इस संविधान में निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जायेगा । जो मेरे पास है इसका पृष्ठ 172 है । अब मान्यवर, इसको देखें । इसी के साथ ही साथ आपका ध्यान महेश्वरनाथ कौल और शकधर की पुस्तक संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार की ओर दिलाऊंगा । मेज के बाद इसकी बड़ी मान्यता है । पेज 647 अगर आपके पास है, आप देखें । 647 में ग्राह्यता पर कहा गया है । पीठासीन अधिकारी किस बात पर ग्राह्य करेंगे । प्रस्ताव अग्राह्य होगा अगर किसी सदन में किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने की कोशिश की गयी हो जिसके सम्बन्ध में संविधान या नियमों के अन्तर्गत विशिष्ट उपबन्ध किए गये हों । चर्चा ही नहीं हो सकती मान्यवर । इसके अतिरिक्त 1960 का आपकी पीठ से निर्णय है, राजनारायण जी ने प्रस्तुत किया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

उद्धरण कौल और शकधर की किताब से है ।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

जी हाँ । एडीशन बता दूं । मान्यवर, 1972 का एडीशन है। मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से 1960 में एक निर्णय हुआ जिसमें राज नारायण जी ने प्रश्न उठाया था। यह पेज 112 पर दिया गया है। इसमें है कि "क्या कर्तव्य है या नहीं, इलेक्शन कमीशन उसमें हमें जाना नहीं; हमें अधिकार नहीं न अध्यक्ष को, न विधान सभा को है।" एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं। अभी इस विषय को हाई कोर्ट में जनता पार्टी के सेक्रटरी श्री हेगड़े ने उठाया। उन्होंने कहा था कि जब तक लिस्ट रिवाइज नहीं हो जाती है, चुनाव न हों। हाई कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया कि लिस्टों के रिवाइज करने के आधार पर इलेक्शन नहीं रोका जा सकता। तो मान्यवर, जुडीशियल डिसीजन भी हो गया। इलेक्शन कमीशन ने आज अपने बयान में कहा है कि लिस्ट रिवाइज करने पर चुनाव नहीं टलेंगे। इसके अलावा एक निवेदन मैं आपके द्वारा और करना चाहता हूं। यह संघीय शासन है। यह कहा जाता है कि यह उपनिवेश इन्दिरा गाँधी का नहीं है। जो अधिकार केन्द्र को है वह प्रयोग करे और जो अधिकार हमारे हैं, हम प्रयोग करें। हम कहते हैं कि केन्द्र सरकार को असेम्बली भंग नहीं करनी चाहिए। जबकि उन्हें विधान में अधिकार है। मान्यवर, लेकिन हमको तो अधिकार नहीं है। तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, आपसे और सभी माननीय सदस्यों से और संसदीय कार्य मन्त्री जी से यह उनका कर्तव्य था कि वह इसको देखते। इस पर विचार करने से पहले चाहें आप रूलिंग रिजर्व कर लें, समझ लें। आप अगर इस पर विचार करेंगे तो दूसरे दोस्त लोगों को कहने का मौका मिलेगा कि जो सदन के अधिकार हैं उससे ज्यादा चर्चा करते हैं। वैसा व्यवहार वह हमारे साथ करेंगे। इसलिए इस पर मान्यवर, विचार करें।

*श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय तोमर जी ने जो कहा है उसको स्वीकार करते हुए मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 327 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें विधान मण्डलों के लिए निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाने की संसद की शक्ति के बारे में है। इसमें कहा गया है कि "इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संसद, समय-समय पर, विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों के सम्बन्ध या संसक्त सब विषयों के सम्बन्ध में, जिनके अन्तर्गत निर्वाचक नामावलियों का तैयार कराना तथा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन कराने के लिए अन्य सब आवश्यक विषय भी है, उपबन्ध कर सकेगी।"

अब सवाल इसमें यह आता है कि क्या राज्य सरकार विधान सभा का चुनाव कराने की घोषणा कर सकती है अगर कर सकती है तो इलेक्टोरल रोल भी दुरुस्त कर सकती है। अगर नहीं कर सकती है तो यह पावर सीधे संसद को दी गयी है कि वह समय-समय पर निर्वाचक नामावलियाँ तैयार कराए। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा दिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन 1952 से लेकर 1967 में है। इसके पेज 294, निर्णय सं0 177 में लिखा है और 25 अप्रैल, 1962 का हवाला दिया है। निर्वाचन आयोग के कर्तव्य का निर्णय करना विधान सभा के अधिकार में नहीं है। इसको मैं आपकी इजाजत से पढ़े देता हूं।

"इस सम्बन्ध में जब प्रश्न प्रस्तुत किया गया 1960 में तो माननीय अध्यक्ष श्री खेर ने अपना निर्णय दिया जोकि मैं समझता हूं सही है कि एलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बाडी होने के नाते उसके आदेशों पर विचार न लोक सभा में किया जा सकता है और न विधान सभा में।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भू नाथ]

अगर किसी माननीय सदस्य या किसी इण्टरेस्टेड पार्टी की दृष्टि में ऐसा आदेश गलत हो तो उनके लिए जो तरीका है वह यह है कि न्यायालय में अपनी आपत्तियों को प्रस्तुत करे और वहाँ से निर्णय प्राप्त करे ।

इसलिए उनका जब निर्णय हो चुका है तो दो वर्ष बाद यह कहना कि कॉस्टीट्यूशन के विरुद्ध एलेक्शन कमीशन अपना आदेश जारी कर रहा है, यह सदन कॉस्टीट्यूशन के विरुद्ध जा रहा है और एलेक्शन कमीशन के आदेश को नहीं मानना चाहिए। उस पर अपना यह आदेश देना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी वोट न दे यह सब बात उस समय निश्चित हो चुकी है । अत: इन सब बातों को देखते हुए मैं इसको प्रिविलेज मोशन नहीं मानता और इसको अस्वीकार करता हूं ।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 24 सितम्बर, 1954 का भी है जिस में संसद के अधिकार पर विधान सभा को कोई अधिकार नहीं है कि वह उसको ओवर राइट कर सके। हमारे माननीय सदस्य मिश्र जी कह सकते हैं कि यह प्रस्ताव नहीं संस्तुति है। तो संस्तुति पर भी अध्यक्ष की तरफ से रूलिंग हो चुकी है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जो औचित्य पर आपत्ति उठी है उसकी कोई सीमाएं है कि नहीं। इसलिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने यह लिखकर भेजा था इसलिए मैंने उनको इजाजत दिया है।

(श्री शम्भू नाथ से)—

लेकिन आप इलेक्शन कमीशन के अधिकार पर, चुनौती न करें, केवल संस्तुति के सम्बन्ध में कहें ।

श्री शम्भूनाथ—

मान्यवर, किन कारणों से संस्तुति देना अनावश्यक है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस हाउस को कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने अधिकार का दुरुपयोग करे और ऐसी इन्डेपेंडेन्ट बाडी जिसकी आपके यहाँ संस्तुति का कोई महत्व नहीं है। इसलिए ऐसे समय में इस प्रस्ताव को हाउस में लाना उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

संस्तुति के बारे में आप कहें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश —

मान्यवर, भूतपूर्व संसद सदस्य को समझाइए. . . . .

(व्यवधान)

श्री शम्भू नाथ—

श्री नारायण दत्त जी ने इस आक्षेप के जवाब में यह कहा कि प्रस्ताव . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं ?

श्री शम्भू नाथ—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही खण्ड 141 (18 सितम्बर 1954 से 24 सितम्बर, 1954. . . पृष्ठ 498) इसमें है यानी प्रस्ताव की शक्ल केवल अपनी राय की घोषणा करना मात्र है। पुराने गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार सदन की राय लेने का अर्थ केवल सिफारिश मात्र हुआ करती थी जिससे सरकार बाध्य हो जाती है. . .

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

व्यवस्था का प्रश्न है. . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था पर बोल रहें हैं ? आपको मौका दूंगा। आप सुनें। अभी शुरूआत में अगर माननीय सदस्य हमारे संज्ञान में लाते हैं कि अनियमित है तो उनको लाने दीजिए।

श्री शम्भू नाथ--

लेकिन अब सदन की राय की जो घोषणा होगी । उससे सरकार बाध्य हो जाती है क्योंकि सरकार इस सदन के लिए अब. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

यह अध्यक्ष का निर्णय सुना रहे हैं ?

श्री शम्भू नाथ--

जी हां। 24 सितम्बर, 1954 का निर्णय है। श्री वीरेन्द्र पति यादव जी का एतराज था। माननीय उपाध्यक्ष जी इस को देखें। आगे लिखा है "इसलिए यह कहना कि चूंकि यह राय जाहिर कर दी है इसलिए केन्द्रीय" नहीं यह यहां से है "इस सदन की राय के ऊपर उसका चलना आवश्यक हो जाता है तो अगर कोई निश्चित राय सदन दे तो सरकार केवल सिफारिश समझ कर उस को ठुकरा नहीं सकती है।" सरकार संस्तुति समझ कर इस राय को ठुकरा नहीं सकती। राय और संस्तुति वही है। आगे और देखें "चूंकि यह राय जाहिर कर दी है इसलिए केन्द्रीय सरकार को भी कोई कार्यक्रम चलाने की सदन राय दे दे ऐसी बात प्रस्ताव में नहीं आनी चाहिए अगर इस प्रस्ताव या संकल्प से केन्द्रीय सरकार पर इस प्रकार का कोई कार्यक्रम स्वीकार करने का असर पड़ता होता तो मैं इसको अवधानिक करार दे देता।" मैं आप से अर्ज कर रहा था कि. . . . .

(व्यवधान)

यह संसद का प्रस्ताव है। संसद अपने ऐक्ट के तहत कमीशन जो इन्डिपेंडेन्ट बाडी है उसको निर्देशित करती है अपने अधिकारो का अनुपालन करे। ऐसी दशा में इस हाउस को इस पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है. ।

एक बात और कहना चाहूंगा, अभी कल परसों दिवे जी ने यह कहा था। सदन में इस तरफ से और उस तरफ से चारों तरफ से सदस्यों ने कहा मतदाता सूची में चूंकि गड़बड़ी की गयी है इस लिए, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि देश के इतने बड़े हाइयेस्ट फोरम के जरिए चुनाव कराए गये और वर्तमान सरकार के होते हुए यह गड़बड़ी हुई तो या तो सरकार ने जानबूझ कर अपने फायदे के लिए मतदाता सूची में गड़बड़ी कराई और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। इस पर सरकार अपनी गलती को दूसरे पर थोप कर [× × ×] जिसका कोई महत्त्व नहीं है. . . .

एक सदस्य--

यह कहना अनुचित है। इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो आपत्ति जनक शब्द होंगे उनको निकाल दिया जायगा ।

नोट--(×××) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शम्भू नाथ—

मैंने कौन सी असंसदीय बात कह दी है जिसे आप निकालना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष —

समय नष्ट करने की बात आपने कही। सदन कार्य करता है।

अब देव बहादुर सिंह जी इस प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार रख सकते हैं कि सदन संस्तुति कर सकता है या नहीं ?

श्री देव बहादुर सिंह—

मैं नियमावली के नियम 314 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं "अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायगी—किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी।" आपने इस प्रस्ताव को ग्राह्य करके अपनी अनुमति दे दी है कि आज इस पर विचार किया जाय। आपकी अनुमति मिलने के बाद उस पर किसी तरह की आपत्ति करने का अधिकार इस माननीय सदन के किसी सदस्य को प्राप्त ही नहीं है। जहां तक इसकी ग्राह्यता की बात है 103 में आप देखें जिसमें साफ लिखा हुआ है—'संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किए गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।" आपकी अनुमति के बिना कोई प्रश्न इस सदन में नहीं उठाया जा सकता। आपने अनुमति दे दी तो देखना यह होगा कि इसमें क्या उपबन्धित अवस्थायें है ? 107 में कोई भी नहीं है। 107 में न्यायाधिकरण आयोग के समक्ष विचारणीय कोई प्रश्न हो। एक बात है जो मतदाता सूचियां है उनमें कोई त्रुटि हो उसे दूर करने के लिए संस्तुति की बात है। संविधान में हम संशोधन नहीं कर सकते लेकिन संविधान में संशोधन करने की संस्तुति हम कर सकते हैं यह अधिकार हमको प्राप्त है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे केन्द्रीय सरकार हो, चाहे संसद हो हम संस्तुति कहीं भी भेज सकते हैं। यह अधिकार हमको प्राप्त है। संस्तुति भेजने में कहीं कोई बाधक नहीं है। आपने जो इसे ग्राह्य किया है, ठीक किया है और जनता की आकांक्षाओं का आदर किया है। ग्राह्य करने के बाद यह कहना कि ग्राह्य हो अथवा नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र का हनन है। इसलिए जो आपने इसको ग्राह्य कर लिया है इस पर विचार कर लिया जाय।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जो आपत्ति आई है उसमें दो बातें है। एक तो यह है कि आपने अगर किसी विषय को ग्राह्य कर लिया गया है तो उसके बावजूद भी कोई आपत्ति आ सकती है या नहीं. .

श्री उपाध्यक्ष—

पुनर्विचार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आप काफी बुद्धिमान हैं। विद्वान हैं। आप में हमारी पूरी निष्ठा है। आपने संवैधानिक रूप से सम्बन्धित धारा को देख लिया होगा कि इसको ग्राह्य किया जाय अथवा नहीं और उसी के अनुसार इसको ग्राह्य भी आपने किया होगा। जो आपने कहा कि पुनर्विचार किया जा सकता है. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इसको उन्होंने माना है. . . . . .

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

(श्री शम्भ नाथ के खड़े होकर कुछ कहने पर)

मैं समझता हूं कि भूतपूर्व लोक सभा सदस्य काफी उत्तेजित हैं और मैं यह भी समझता हूं कि आज ही शायद वे कांग्रेस (आई) में गये हैं। माननीय तोमर जी और माननीय शम्भू नाथ जी को मान्यवर, आपने ध्यान से सुना कि यहां पर विधान सभा को क्या-क्या अधिकार हैं इस पर बहस नहीं है और न ही इस पर दावा किया जा रहा है कि राज्य विधान सभाओं और संसद को जो अधिकार हैं उन पर कहां-कहां लक्ष्मण रेखा खींचनी है। किसी भी प्रस्ताव के लिए यह सदन सक्षम है और वह किसी भी प्रस्ताव पर अपना मत व्यक्त कर सकता है।

मान्यवर, प्रस्ताव कोई बिल नहीं होता है, सरकारी पक्ष के कानून का रंग नहीं होता है। मान्यवर, आपने देखा होगा सन् 76 में जब बहुगुणा जी मुख्य मन्त्री थे और हमारी हाकी की टीम जीती थी, मुख्य मन्त्री बधाई का प्रस्ताव यहां पर लाये थ। सन् 65 में और सन् 62 में जब चीन ने हमला किया तो इसी सदन में प्रस्ताव पारित किया गया था। सन् 69 में और 62 में हालांकि यह विषय सुरक्षा का विषय था और राज्य का और राज्य की विधान सभाओं का विषय नहीं था नियम 103 के तहत, शाह आयोग की रिपोर्ट, श्रीमती इन्दिरा गांधी को सजा देने का मामला, इस तरह के प्रस्ताव यहां पर आए। मान्यवर, कल ही इस सदन ने इस तरह का एक प्रस्ताव पारित किया जो कि इसकी परिसीमा के बाहर है। विधान सभाओं का भंग करना या न करना, चुनाव कराना या न कराना, 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है और यह सदन इसके लिए सक्षम है कि ऐसा प्रस्ताव यहां पर पारित किया जाय। तो मान्यवर, जो यह प्रस्ताव आया है यह अपने आप में कोई आदेश नहीं ह, निर्देश नहीं है बल्कि यह ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की भावना है जोकि इस प्रस्ताव के जरिए अभिव्यक्त होगी जो केन्द्रीय सरकार और चुनाव आयोग के समक्ष जायेगी। इसलिए इसमें किसी भी तरह की आपत्ति की गुन्जाइश नहीं ह।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, दो पहलू हैं—एक तो मारेल व फैक्चुअल आस्पेक्ट्स हैं और जहां तक इसका सवाल है स्वयं कांग्रेस (आई) पार्टी का रिजोल्यूशन है कि वोटर्स लिस्ट में बड़े पैमाने में गड़बड़ी हुई है। सेंटर की सरकार ने स्वयं निश्चित किया है कि किस वजह से गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच हेतु इस पर वे आयोग भी बिठायेंगे। यहां के मुख्य मन्त्री का भी इस पर बयान है। इन्होंने भी स्वीकार किया है और केन्द्र की सरकार ने भी स्वीकार किया है। वह एक मारल आस्पेक्ट है, फैक्चुवल आस्पेक्ट है जिसे कांग्रेस (आई) वाले भी डिनाई नहीं कर सकते। इसका दूसरा आस्पेक्ट कांस्टीट्यूशनल आस्पेक्ट है जिसके बारे में मेरा निवेदन है कि संविधान की आर्टिकिल 327 का जिक्र शम्भूनाथ जी ने किया फिर आर्टिकिल 328 है जिसके तहत कुछ परिस्थितियों में राज्य विधान मण्डलों को भी मतदाता सूचियों के बारे में निर्णय का अधिकार है लेकिन वह तभी होगा जब 327 के तहत हमारी संसद ने उसकी व्यवस्था नहीं की हो। चूंकि संसद ने उसकी व्यवस्था की है इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि 328 इस परिस्थिति में लागू नहीं होगा। इसलिए विधान सभा को इस पर विचार नहीं करना चाहिए। हमारी नियमावली के नियम 314 का माननीय देव बहादुर सिंह जी ने हवाला दिया। उसमें यह है कि आपके विनिश्चिय को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन यह कोई चुनौती नहीं है। इसमें नियम 103 में प्रतिबन्ध लगा दिया है कि संविधान में उपबन्धित व्यवस्था को छोड़कर बाकी विषयों पर आपकी सम्मति से चर्चा होगी लेकिन संविधान उपबन्ध है। किसी वजह से उसमें एक विनिश्चय दिया हुआ है। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो हवाला दिया हाकी टीम को कांग्रेचुलेट करने का हमने रिजोल्यूशन पास किया। उसके लिए वह नियमावली का नियम 110 पढ लें उसमें इस तरह की व्यवस्था है उसमें एसे प्रस्ताव सदन में आ सकते हैं। मेरा एक ही निवेदन है भावनाओं के तहत बह कर, एक

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

आशंका जो इन्दिरा गांधी और उनकी सरकार से हमको है उसमें ऐसा प्रस्ताव न करें। इसके दो कारण हैं—एक तो यह कि जो भी प्रस्ताव हो उसके साथ सदन की गरिमा जुड़ी होती है अगर उसकी अवहेलना होती है और ऐसा प्रस्ताव करते हैं जो मीनिंगलेस है तो उससे हमारा मखौल उड़ेगा, सदन की मर्यादा को ठेस लगेगी। हम कोई ऐसा प्रस्ताव पास न करें जिससे कन्फ्रेन्टेशन की स्थिति पैदा हो; दूसरा यह कि हम ऐसा प्रस्ताव न करें जिससे हमारी एसेम्बली की मर्यादा को धक्का लगे। अगर आज कांग्रेस (आई) के लोग नैतिकता को तिलांजलि देकर तथ्यों के विपरीत गड़बड़ी कराते हैं तो उनको जनता के कटघरे में खड़ा होने दें लेकिन इस प्रस्ताव को न करायें। मैं प्रस्ताव करता हूं की भावना से पूरी तरह सहमत होते हुए भी चाहता हूं अगर हिम्मत हो, हमारे मित्रों को ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए जिसमें सिफारिश करनी चाहिए कि मतदाता सूची में जो गड़बड़ी कराई गयी है उसके लिए जो भी अपराधी है उनको दंडित किया जाय, इस तरह का प्रस्ताव लाया जाय। लेकिन [× × ×] संविधान की भावना के विपरीत प्रस्ताव न लायें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब को खुश करने के लिए जो कहा है यह कार्यवाही में नहीं आयेगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 327, 328 का हवाला यहां आ गया। 314 के निर्णय की बात आ गयी। मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि जो पिछले लोक सभा चुनाव हुए उसमें उन्होंने किसी न किसी तरह से हिस्सा लिया है। कोई उससे बचा नहीं है। चाहे उनका कैन्डीडेट जीता या हारा हो। स्पष्ट है कि दिल्ली से लेकर ग्राम सभा तक सब लोगों ने माना है कि लिस्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ी रह गयी। लेकिन उस पर किसी की जिम्मेदारी शायद नहीं हो पाई है। न इलेक्शन आफिस उसे लेता है और न सूबे की सरकार ले रही है। इस प्रस्ताव के जरिए एक रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन से की जा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें कौन बाधा पड़ रही है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

इसके पहले कि आप निर्णय दें ग्राह्यता के संबंध में आप सुन लें। श्रीमन्, मैं स्वागत करता हूं उन बातों का जिसे माननीय तोमर जी ने उठायी। मैं सहमत हूं या न हूं। ऐसी बातें उठने से कम से कम दिमाँगों में सफाई आती है, बुद्धि का विकास भी होता है। बुद्धि के विकास और दिमाग के सफाई की जरूरत भी होती है, जैसे चौधरी साहब के दिमाग की सफाई करने की जरूरत होगी तो की जायगी। आपने बिलकुल सही कहा कि आक्षेप है या नहीं। आप यह देखें न्यायालय का प्रश्न है या नहीं, आया यह निवदन है क्या इसमें ऐसी गंध आती है, हस्तक्षेप है या व्यंगात्मक है। दूर जाना नहीं होगा केवल 103 से 107 पढ़े 103 नहीं पढ़ता हूं। उसके देव बहादुर जी पढ़ चुके हैं। 107 को पढ़ता है "न्यायाधिकरण, आयोग आदि के समक्ष विषयों पर चर्चा उठाने के लिये प्रस्ताव—ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के किसी विषय की जाँच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जाँच न्यायालय के सामने लम्बित हो: "मेरा कहना है कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है जो न्यायिक मामला हो,

---

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो जाँच आयोग के सामने हो या कोई ऐसा पेटीशन का मामला हो या कोई केस का मामला हो जो न्यायालय के सुपुर्द हो, जिसमें आपका, मेरा हस्तक्षेप होगा। उसके आगे पढ़े कि आपको क्या अधिकार है। उस अधिकार का आपने उपयोग किया है। परन्तु यदि अध्यक्ष को समाधान हो जाय कि इससे न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जाँच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशका नहीं है तो अध्यक्ष, स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे जो जाँच की प्रक्रिया या व्यप्ति या प्रक्रम से संबंधित हो। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी ने इसको स्वीकार किया है। मतदाता सूची के संबंध में हमारी संस्तुति सुनी जाय तो वह आक्षेप नहीं है और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए उन्होंने मान लिया वह ऐसी स्थिति में कोई कारण नहीं है कि इसको हस्तक्षेप समझा जाय। केवल यह संस्तुति है जैसी संस्तुति जैसा कि शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा बार बार होती रही। संस्तुति मर्यादा के विरुद्ध जा रही है ऐसा भी नहीं है हम अपनी आवश्यकतानुसार या जिसको हम विचार के समय बतायेंगे, यह प्रस्ताव लाये हैं। आपने कृपा करके स्वीकार किया। जब आपने स्वीकार किया है तो नियमतः किया है। इन्हीं नियमों पर वह आधारित है और पुरी तरह से वह बैध है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने प्रस्ताव के विरोध और पक्ष में माननीय सदस्यों को सुना। जैसा मैंने कल कहा था कि यह संस्तुति मात्र है और निर्वाचन आयोग के किसी कृत्य के ऊपर कोई आलोचना या कोई क्रिटिसिज्म की बात इसमें नहीं आती है। यह करोड़ों मतदाताओं का सवाल है। जैसा कि सभी इसको महसूस करते हैं कि मतदाता सूची के आधार पर विधान सभाओं और लोकसभा का चुनाव होता है और यहाँ पर केवल संस्तुति मात्र हम करेंगे और निर्वाचन आयोग के किसी कृत्य के ऊपर कोई आलोचना नहीं होगी और न मैं यहाँ पर कोई इसकी इजाजत दूंगा। साथ ही में एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार कल चर्चा हुई उस प्रस्ताव के ऊपर, तो उसी प्रकार से इसमें भी आपको अपनी चर्चा में सीमित दायरे में कायम रहना होगा। आपको केवल संस्तुति करना है और चुनाव आयोग के किसी कृत्य के ऊपर कोई आलोचना नहीं करनी है। तो यह सदन का बहुत स्पष्ट प्रस्ताव है और साधारण प्रस्ताव है और मैं समझता हूं कि इसमें संविधान के किसी अनुच्छेद या निर्वाचन आयोग के किसी नियम का कोई उल्लंघन नहीं होता और यह सदन इसके बारे में अपनी संस्तुति करने में सक्षम है। इसलिए मैं इसकी अनुमति देता हूं।

उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों को संशोधित किये जाने तक चुनाव स्थगित रखे जाने की चुनाव आयोग को संस्तुति के सम्बन्ध में प्रस्ताव

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन चुनाव आयोग से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों को पूर्णतया सशोधित किये जाने तक किसी भी प्रकार का चुनाव स्थगित रखे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वह समय कम लें और दूसरी यह कि जैसा पहले कहा अपने को सीमित दायरे में ही रखे।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, भारत के संविधान द्वारा प्रत्येक स्त्री और पुरूष को जो कि 21 वर्ष का है, उनको मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है और बालिग मताधिकार के आधार पर ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

केन्द्र की लोक सभा का चुनाव और राज्यों की विधान सभाओं का चुनाव हुआ करता है और प्रत्येक नौजवान जो 21 साल की देहलीज को पार कर चुका है, बाद में व्यस्क अवस्था तक प्राप्त हो चुका है, उनको बालिग मताधिकार के आधार पर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। और इस राय के आधार पर इस विधान सभा का चुनाव हुआ है और हाल ही में लोक सभा का चुनाव हुआ है। इस बार के चुनाव में प्रदेश ही नहीं, देश के कोने-कोने से यह शिकायत आयी है कि मतदाता सूचियों में जिनके नाम थे उनको इस बार वोट देने का अधिकार नहीं मिला और 71 व 77 के चुनाव में जिन्होंने अपने वोट दिये थे उनको भी 1980 के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं मिला। मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हू कि यह बात स्वीकार कर ली गयी है कि आसाम में जब तक मतदाता सूची में सुधार नहीं कर लिया जाता है तब तक आसाम में चुनाव नहीं कराये जायेंगे, ऐसा आश्वासन आसाम के विद्यार्थियों को केन्द्र ने दिया है। मैं चाहूगा कि आसाम के निवासियों को जैसा आश्वासन मिला है वैसा ही आश्वासन उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के मतदाताओं को मिलना चाहिए। जो सन् 1980 में मतदान हुआ है, उस पर गौर किया जाय तो कुल 5 करोड़ 78 लाख मतदाता रहे हैं, जिसमें महिला 3 करोड़ 13 लाख 12 हजार 636 हैं और जो वोट पड़े हैं, वह 49.92 प्रतिशत वोट पड़े है। पूरे के पूरे मतदाताओं में से जो मतदान हुआ हैं वह 49.92 प्रतिशत हुआ है और 1975 में तो 5 करोड़ 19 लाख, 18 हजार मतदाताओं ने अपना वोट दिया था। 1975 में जितनी जनसंख्या थी, जितने बालिग लोग थे और उसके बाद 1980 तक वयस्क मताधिकार में जितनी वृद्धि हुई है उसको देखते हुए 1980 में कहीं ज्यादा वोट मिलना चाहिए सबसे ज्यादा वोट 1962 में पड़े। उत्तर प्रदेश में लोक सभा के चुनाव में 57 प्रतिशत वोट पड़े थे, और 1977 में 56.4 प्रतिशत वोट पड़े थे और 1972 में 47.85 प्रतिशत वोट पड़े थे। इसके हिसाब से देखें तो 1980 में वोट बढ़ा है और वोट मिला है वह ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मान्यवर, वह कम है। काँग्रेस (आई) को 5,78,73,000 में से 1,01,76,272 वोट मिले हैं और जो लोक दल को वोट मिला है, वह 80,05,704 है। मान्यवर, आप देखे बहुत कम फर्क है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बार जो शिकायत मिली है उस शिकायत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस बात की इजाजत नहीं देगा कि इस देश में जिसको वोट देने का अधिकार है उसको वोट देने से वंचित किया जाये। लोगों को वोट देने से वंचित किया गया, ऐसे कई समाचार हैं। मेरी जानकारी में आया है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को वोट देने से वंचित किया गया है।

मान्यवर, लोक सभा के चुनाव में महिपाल शास्त्री रायबरेली से लड़े थे। उनके नाम का जिसने प्रस्ताव किया था, उसका नाम शेखावत हुसेन था, उसको वोट डालने से वंचित किया गया। यह जानकारी मिली है। मान्यवर, 2-2 मतदाता सूचियाँ रही हैं 1977 में, जिनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, उनको 1980 में वोट डालने से वंचित कर दिया गया। क्योंकि जो मतदाता सूची थी, वह 1975 की मतदाता सूची थी और यह आश्चर्य की बात है कि महिपाल शास्त्री के प्रस्तावक को वोट देने से वंचित किया गया। रायबरेली के लोकदल के कैन्डीडेट जब पर्चा दाखिल करने गये तो ऐसे व्यक्ति को पाया गया कि उसने पहले 1980 में तो वोट दिया, परन्तु अब उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। उसको पता लगा कि उसका नाम कट गया है। बहुत से जिन्दा लोग पहुचे तो मत केन्द्र अधिकारी ने बताया कि आप तो सूची में मर गये हैं। अब इससे आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है, इससे गड़बड़ चीज और क्या हो सकती है। मेरी जानकारी में कि पूरे देश में 5 करोड़ मतदाताओं को मतदान करने से वंचित किया गया और उत्तर प्रदेश में करीब एक करोड़ के आस-पास ऐसे बालिग व्यक्ति मौजूद थे जो 21 साल पूरे कर चुके थे, जिनको वोट देने का

अधिकार था उनको वोट देने से वंचित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में शिकायतें की गयी हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस बात का वाद भी प्रस्तुत किया गया और शकधर साहब ने इस गड़बड़ी को स्वीकार भी किया है। तो एक गड़बड़ी हो गयी। मैं तो चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार या चुनाव आयोग इसकी पूरी जांच कराये कि आखिर कौन-से ऐसे कारण हैं, क्या बात है पर्दे के पीछे, जो सामने ऊभर कर नहीं आ रही है। संविधान के द्वारा जो अधिकार दिय गये हैं, उसका प्रयोग करोड़ों-करोड़ों व्यक्ति नहीं कर पाये, इस 1980 के चुनाव में। हमारे संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई लोक सभा का चुनाव नहीं आया है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स को चुनाव से वंचित किया गया हो। इस देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया में एक प्रश्न चिह्न उत्पन्न हो गया कि इस मध्यावधि चुनाव में इतने लोगों को वंचित कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि यह सदन संस्तुति के रूप में यह प्रस्ताव पास करे कि जो आने वाले चुनाव हों, या मध्यावधि चुनाव हों लोकसभा के जिनकी घोषणा भी हो चुकी है, या विधायकों के चुनाव कराने के लिए हमारा चुनाव आयोग मतदाता सूची को फिर से देखें और जांच कराये और उसके बाद ही चुनाव कराये जायं। मुझे खुशी है कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि 15 फरवरी से चुनाव सूची में संशोधन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाय।

*श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में यह अधिकार दे रखा है कि जो भी बालिग होगा उसकी राय लेकर ही लोक सभा और विधान सभा के चुनाव होंगे। इसी अधिकार की रक्षा के लिए चुनाव आयोग बना और मतदाता सूची तैयार की जाती है। चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया तय की है, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यवहारिक जो गल्ती हुई है, उसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत तादाद में जिन लोगों को मत देने का अधिकार था उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पायी। कहा गया कि गांवों में लेखपाल और टाउन्स में अध्यापक जायेंगे और वे एक-एक घर पर जायेंगे और सदस्यों की सूचियों की दो प्रतियां तयार करेंगे। एक कापी पर व घर के गृह-स्वामी या मुखिया के हस्ताक्षर करायेंगे। एक कापी वे उस घर के आदमी को देंगे और एक कापी कार्यालय में सबमिट करेंगे। यह प्रक्रिया तो बहुत अच्छी थी लेकिन इन कर्मचारियों न क्या किया। वे गांव में घर-घर गये या नहीं गये, किसी के घर पर बठ गये, किसी से पूछ लिया और मन माने ढंग से एक फार्म भर दिया और जाली दस्तखत कर दिय या झूठे अंगूठे के निशान लगा दिये। उसकी एक प्रतिलिपि फाड़ कर फेंक दी और एक को निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दी। घर वालों को पता ही नहीं चला कि उनके नाम कहां पर लिखे गये हैं। नतीजा यह हुआ कि वोटर्स लिस्ट ठीक नहीं बन पायी। यह गल्ती हुई है।

मान्यवर, मैं अपने जिले बस्ती की तहसील डुमरियागंज की मिसाल देता हूं कि मैं वहां के एक पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गया। वहां पर देखा कि एक आदमी जिन्दा है, लेकिन वोटर्स लिस्ट में उसका नाम वोटर्स लिस्ट से कटा हुआ था। जो क्लर्क पर्ची इश्यू करता था उसम देखा तो पाया कि वह जिन्दा था। इत्तिफाक से जिलाधीश, बस्ती मिल गय, मौके पर मैंने उन्हें उस गड़बड़ी के बारे में बताया कि जो नामों के फार्म्स थे उनको कुछ लोगों ने जमा किया कुछ ने नहीं किया। जो नाम आये उससे लिस्ट को ठीक नहीं किया गया। बाबूओं ने जसा ठीक समझा, कर दिया। यह बड़ा ही अहम मसला है। जांच आयोग बिठाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिश्चन्द्र]

की जो बात चुनाव आयोग ने कही है उसके लिये मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन वह शीघ्र बिठाया जा ताकि व्यवहारिक कठिनाइयों को ठीक किया जा सके।

मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं। इस काम में कोआपरेशन क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टियों का लिया जाना चाहिय। जो भी ग्राम समाज का प्रधान या मंत्री हो उससे सहयोग लिया जाना चाहिये। जब आप का कर्मचारी गांव में जाये तो उसको यह निदश होना चाहिये कि वह अपने साथ वहां की किसी पार्टी के कार्यकर्त्ता को भी अपने साथ ले। इस के अतिरिक्त जब वह जाये तो अपना टाइम टेबुल पार्टी कार्यालय में पहले बता दें ताकि कार्यकर्त्ता उसके साथ जाने के लिये तैयार रहें। इस प्रकार पार्टी का कार्यकर्त्ता तथा कर्मचारी दोनों साथ-साथ उस काम को करें। घर-घर एक कापी दी जाये ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि सारा काम ठीक हो गया है। यह बहुत ही आवश्यक है।

मान्यवर, 1975 की जो वोटर लिस्ट थी किसी को वह दे दी गयी, कहीं पर नयी वोटर लिस्ट रखी गयी। सन् 1975 के बाद सन 1977 में वोटर लिस्ट में कुछ नाम घटायें-बढ़ाये गय। जब वह चुनाव हो गया तो उसक बाद फिर सन् 1979 में कुछ नाम घटे-बढ़े। कुछ नाम छोड़ दिये गये, कुछ काट दिये गये कुछ बढ़ा दिये गये। पार्टियों को सन् 1975 वाली लिस्ट दे दी गयी, पोलिंग स्टेशनों पर सन् 1979 वाली लिस्ट रखी गयी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं बांसी में नरकटहा का, जहां पर 16 लोग एक ग्राम के ऐसे थे जो जिन्दा थे मगर पोलिंग स्टेशन पर रखी हुई वोटर लिस्ट में उनके नाम लाल सियाही से कटे हुये थे। इसलिये यह प्रस्ताव बड़ा ही आवश्यक ह। वोटर लिस्ट नये सिरे से बनायी जानी चाहिये। तभी जनता में विश्वास पदा होगा। तभी सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री देवकुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, लोकतंत्र में मतदाता मतदान के जरिये ही शासन में हिस्सा लेता है। इस सदन में जो राय व्यक्त की गयी है, यह सही है कि आज जनता में बड़ा असंतोष है। मतदाता सूची सही न होने के कारण करोड़ों व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नहीं पाये गये जिसके कारण वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके। हमारशहर में उस समय एक विचित्र स्थिति दखने में आयी जब कि एक 50 वर्ष की महिला जब वोट डालने के लिये गयी तब उसे बताया गया कि वह तो मर चुकी है। इस तरह से उसे बाहर कर दिया गया और उसे वोट डालने को नहीं मिला। इस तरह के कई मामले देखने में आये हैं। लगभग यही स्थिति हर जगह देखने में आयी। हजारों मतदाताओं को मत डालने को नहीं मिला, क्योंकि उनके नाम या तो उसमें थे ही नहीं। या कटे हुये थे। इसलिये मान्यवर, यह बहुत आवश्यक है कि गांव-गांव में से फिर वोटर लिस्ट तयार करवायी जाय और जब तक मतदाता सूची नयी तैयार न हो जाये तब तक चुनाव न कराये जायें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, प्रजातंत्र में जो जनता सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा और इस सब चीज को कार्यान्वियन करने के लिए कंस्टीट्युशन में चेप्टर 14 के अन्दर सारी प्रक्रिया एलक्शन से संबंधित रखी हुई है, परन्तु इस समय जो यह चुनाव हुआ सन् 1975 की जो लिस्ट मिली, उसमें 75 भी लिखा, 77 भी लिखा, कहीं पर पन्ना पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा और यह भी व्यवस्था हुई कि हमारी पार्टी के कंडोडेट विन्धवासिनी ने जौनपुर में नामिनेशन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फाइल किया और जब वह स्वयं वोट डालने गये, तो पता चला कि वह स्वयं वोटर लिस्ट से कटे हुए हैं। हमारे गांव का एक वशीर है, वह बैठा था, उसने कहा कि बाबू जी मैं तो मर गया, मैंने कहा कि क्यों, तो उसने कहा कि मुझे पर्चा मिला वोट डालने का, लेकिन जब मैं वोट डालने गया, तो वहां पर लिस्ट से देखकर कहा गया कि तुम तो मर चुके हो, फिक्र यह है कि मेरे बाप जिन्दा हैं और उनके नाम जमीन है, मुझको तो मार डाला गया, मेरे बाप के नाम जमीन ह, म तो मर गया, लेकिन बाप के मरने के बाद जो जमीन है, अब तो वह मेरे नाम से दाखिल खारिज भी नहीं होगी,। मान्यवर, ये सारी जिम्मेदारी अभी तक मानने के लिए कोई तयार नहीं हुआ। करोड़ों वोटर्स वोटों से वंचित कर दिये गये। मान्यवर, पाकिस्तान के अन्दर जब रिजीम हुई और उसके बाद क्या हश्र हुआ कि वहां पर जो वोटर नहीं थे, वे भी वोट डाल दिये। लेकिन यहां पर जो वोटर थे, वे भी वोट नहीं डाल सके। इसलिए मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो प्रस्ताव रखा है, इसको पारित किया जाय और इलेक्शन कमिश्नर से सिफारिश किया जाय कि उत्तर प्रदेश मतदाता सूचियों को पूर्णतया संशोधित किये जाने तक किसी भी प्रकार का चुनाव स्थगित रखें।

*श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)--

मान्यवर, जो 1980 में एलेक्शन हुआ है, उसमें चुनाव आयुक्त श्री शकधर जी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि इस मतदाता सूची के गलत होने की बहुधा शिकायतें मिली हैं। इसमें गल्ती नहीं, खामियां हुई हैं। सदन के अन्दर यह प्रस्ताव लाया जाता कि यह सदन चुनाव आयोग से मांग करता है कि जब तक उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची सही न हो जाय, तब तक चुनाव स्थगित कर दिया जाय, कोई चुनाव न कराया जाय और साथ ही साथ दूसरी चीज की भी यह सदन मांग करता है कि यह भी प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया जाय.....

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं कोई संशोधन का प्रस्ताव तो अब नहीं आ सकता।

श्री राज ब्रजराज सिंह--

मान्यवर, यह जोड़ दिया जाय कि जो जानबूझकर गलती की गयी थी, प्रदेश की सरकारी मशीनरी द्वारा की गयी या केन्द्र की मशीनरी द्वारा की गयी, इसकी जांच होना जरूरी है कि गल्ती कैसे हुई और उसको सुधारने की आवश्यकता है। मान्यवर, आज का स्वतंत्र भारत है इसमें छपा है "विपक्ष को आश्वासन नहीं, चुनाव आयोग ने आज स्पष्ट किया कि उसने विपक्ष के नेताओं को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है कि मतदाता सूचियों में संशोधन के पूर्व कोई चुनाव नहीं करायें जायेंगे। तो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह भी जोड़ दिया जाय कि जब तक संशोधन नहीं हो जाय, सही मतदाता सूचियां न बन जायं तब तक कोई चुनाव न कराय।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, लोकतंत्र में मतदान का मतदाता का अधिकार एक सबसे प्रमुख अधिकार है और मतदाता सूची को बनाना सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार तो प्रजातंत्र में आती और जाती है। इसलिये संविधान के अन्दर व्यवस्था है कि एक चुनाव आयोग होगा वह सारे देश के मतदाता जिनकी उम्र 21 साल है उसकी मतदाता सूची तैयार करेगा तो मान्यवर, मतदाता का यह अधिकार है कि आयोग उसके नाम को मतदाता सूची में अंकित करे और उसे मतदान के अधिकार से वंचित न करे यह तो अधिकार और कर्त्तव्य चुनाव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

आयोग के हैं और मतदाता का अधिकार है कि मतदान का प्रयोग करेगा देश और प्रदेश की सरकार बनाने के लिये। मान्यवर, हमारे प्रदेश के करोड़ों मतदाता को यह संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों से रोका गया और उसको वंचित किया तो मान्यवर, जनतंत्रीय व्यवस्था में वयस्क व्यक्ति को, जिसको प्रदेश की सरकार बनाने का अपने मत द्वारा अधिकार है उस अधिकार से रोका गया। उसके अधिकार की अवहेलना की गई है। यह प्रमुख और गम्भीर मुद्दा हमारे प्रदश की जनता के सामने है। तो मान्यवर, इस सदन के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मतदान से जो वयस्क लोगों को रोका गया है उनके प्रति हमारी तरफ से यह संस्तुति भेजी जाय कि मतदाता सूची को शीघ्रातिशीघ्र संशोधित करके वयस्क व्यक्तियों का नाम उसमें जोड़ा जाय। सन् 75 की व्यवस्था जो मतदाता सूची बनाने की थी उसमें व्यवस्था की एक प्रति प्रकाशित हो जाती थी और जो सूची कन्डीडेट को दी जाती थी उसमें संशोधित सूची में कोई नाम कटता नहीं था। मान्यवर, इस बार क्या हुआ, जो सूची कन्डीडेट को दी गई उसमें मतदाता का नाम मौजूद है किन्तु जो सूची मतदान केन्द्र पर है उसमें लाल स्याही से उसका नाम कटा हुआ मिलता है तो यह जो गड़बड़ियां हुई हैं इससे मतदाता के ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ है। इसलिय मेरा निवदन है कि कोई वयस्क व्यक्ति मतदान से वंचित न रह जायं सूची में गड़बड़ी के कारण इसकी जिम्मेदारी शासन की और आयोग की है।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री शतरुद्र प्रकाश, आप संक्षेप में अपनी बात कह दें।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मुझे भी दो मिनट का समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मिश्रा जी, आप कृपया बैठ जाएं, आपको समय दूंगा तो दूसरे भी नहीं मानेंगे। मै चाहता हूं कि इसके ऊपर ज्यादा चर्चा न हो। (श्री श्याम धर मिश्र के कुछ बोलने पर) मिश्रो जी, आप कभी तो मान जाया करिये।

श्री श्याम धर मिश्र--

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और आप मुझे बोलने से कैसे रोक सकते हैं? यह तो मेरा अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मुझे भी थोड़ा सा समय दे दें बोलने के लिए। मैं इस सिलसिले में एक दम नया सुझाव देना चाहता हूं।

श्री श्याम धर मिश्र--

श्रीमन्, मैं तो आशा करता हूं। श्रीमन्, मैं अपनी बात 2-3 मिनट में खत्म कर देता हूं। और बात यह है कि जो प्रस्ताव हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, बहुत सोच समझकर किया है चुनाव आयोग का ताल्लुक है। कुछ विधान सभाओं और माननीय सदस्यों के चुनाव से ताल्लुक है और उसकी सूची यानी मतदाता सूची में संशोधन करने के लिए हम लोगों ने जो प्रस्ताव रखा है। इन सुझावों को चुनाव आयोग तक पहुंचाया जाए। श्रीमन् इस संबंध में जितने भी भाषण हुए हैं आपने देख लिया कि सभी दल के सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करते हैं जो सूची, दी गयी, वह त्रुटिपूर्ण है। चाह कांग्रसी जीती हो या हारी हो यह प्रश्न नहीं है, चाहे जनता या लोकदल हारी हो या जीती हो, प्रश्न इस बात का नहीं

है। सबने एक मत होकर इन मतदाता सूचियों की गड़बड़ियों के प्रति आप का ध्यान आकर्षित किया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि चुनाव आयोग से इस बात की संस्तुति की जाए कि वे इस दशा में कुछ करें कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति न हो और मेरा भरोसा है कि चुनाव आयोग इस दृष्टि से कि यह बड़ी अच्छी संस्तुति है, मेरा निवेदन स्वीकार करेगी।

श्री बाबू राम शुक्ल--

माननीय सर्वश्री श्याम धर मिश्रा जी, शतरुद्र प्रकाश जी, राजेन्द्र जी तथा हरीश जी ने जो सुझाव दिये हैं। उन्होंने बड़ महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये हैं। मान्यवर, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, इन्हीं बातों को दोहराना भी नहीं चाहता। यद्यपि मेरे ही क्षेत्र में डिफेन्स कालोनी है। जिसमें लगभग 10 हजार मतदाता होंगे। उनमें से एक भी मतदाता का नाम उस मतदाता सूची में नहीं था। अतः यह अब भी रहस्य बना हुआ है कि मुहल्ले का मुहल्ला कैसे कट गया मतदाता सूची में से। मेरा सुझाव है, मान्यवर, कि सदन चुनाव आयोग से यह मांग कर कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में इस बड़े पैमाने पर नाम कैसे कट गये और इस रहस्य की पूरी जांच कराई जाए।

दूसरा सुझाव मेरा यह है मान्यवर, जो माननीय हरीश जी ने कहा कि व्यवस्था यह थी कि मतदाता सूची बनाने के बाद जो कर्मचारी गांव आदि में बठकर स्लिप तयार करता है। उसी स्लिप की डुप्लीकेट एक कापी एक परिवार को देकर आना चाहिए। बहुत सी जगहों पर दी भी गई है। मेरे सामने ऐसे उदाहरण आये हैं जो मतदाता स्लिप दी थी वही स्लिप लेकर पोलिंग बूथ पर गये, वहां उनका नाम कटा था। उसने स्लिप दिखाई लेकिन उसका मत नहीं पड़ा। हम चुनाव आयोग को यह संस्तुति करें और चुनाव आयोग से यह मांग करें कि वह प्रत्येक मतदाता को परिचय पत्र इशू करे, प्रत्यक मतदाता के पास उसका परिचय पत्र हो उसको लेकर जाये और अपना मत दें। इन दो सुझावों के साथ जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, जो शतरुद्र जी ने प्रस्ताव रखा है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी ने यह माना है कि गड़बड़ी हुई है। मान्यवर, अपन क्षेत्र की बात बतायें चुनाव के दिन हमारे क्षेत्र में जलालपुर कस्बा है, बुनकरों का बड़ा भारी उद्योग है वहाँ पर। पर्दानशीन, नकाबपोश औरतें है। बुरका पहन कर जाती थीं और घण्टों लाइन में लग कर मेरे पास उनके गार्जियन आते थे। इतनी मेहनत से जो लिस्ट बनायी गयी चुनाव कार्यालय में, मान्यवर, वहां आते के चेयरमन थे, इजहार साहब, उन्होंने पूरी लिस्ट अपने भविष्य के चुनाव के लिए बुनकरों वोटों की कटवा दी। उन बुनकरों की लिस्ट काट दी गयी जलालपुर में जो बाहर दिखा दिये गये। सैकड़ों की तादाद में थे। मैं सहमत हूं कि जब तक चुनाव आयोग ऐसा न कर, हम लोगों के अधिकार, हर बालिग को अधिकार न मिल जाये तब तक आप समझिये चुनाव करवाना लोकतंत्र पर हमला है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जब तक भारी संशोधन न हो जाये तब तक इस प्रकार चुनाव चाहे हिन्दुस्तान के पैमाने पर हो चाहें उत्तर प्रदेश के पैमाने पर, न कराये जायें।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

अध्यक्ष महोदय, इत्तफाक से यह देश भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मतदाता लोकतंत्र की एक आधार भूत इकाई होता है। यह मामला इतना साधारण नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामदत्त जोशी]
है कि वोटर लिस्टों में से नाम काटे गये। इसका अर्थ है जो आधारशिला है और जिस मतदान के अधिकार के लिए दुनिया के अनेक देशों की जनता ने खून बहाया, सत्याग्रह करके त्याग करके हासिल किया उसको छीन लिया जाना कलम की एक नोक से, एक बहुत बड़ी घटना है। करोड़ों नागरिकों के मत के अधिकार को छीन लिया गया। यह बड़ी गम्भीर घटना है। एक ओर तो लोक नायक जय प्रकाश के नेतृत्व में 18 साल से मताधिकार की सुविधा की मांग की गई दूसरी ओर जो बालिग है उनका मताधिकार भी छीन लिया गया है। जो अधिकारी थे उनको भी मतदान का अधिकार नहीं मिला। अतएव जब तक मतदाता सूचियां ठीक न कर ली जायं, चुनाव नहीं कराये जाने चाहिय इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, मेरे नैनीताल क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। रिपब्लिकन पार्टी के एक कंडीडेट ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कंडीडेंट हो गया, चुनाव लड़ा, लेकिन जब वह अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट देने गया तो पोलिंग आफीसर ने कहा आपको हमारी सूची में मरा दिखाया गया है, आप मतदान नहीं कर सकते। मरे हुये आदमी ने कंडीडेट बन कर चुनाव लड़ लिया लेकिन वोट नहीं दे सकता। केस न्यायालय में जाने वाला ह। मेरा निवेदन है कि जो गड़बड़ियां ह जब तक इनका शुद्धीकरण नहीं हो जाता, चुनाव नहीं होना चाहिये।

खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

आपकी नजरे इनायत का शुक्रिया।
अभी तो फिक्र है मेरे नसेमन को जलाने की,
मगर रोयेगा मेरे बाद बरसों बागवां मेरा।

सियासी और कौमी जिन्दगी को हम नींद से ताबीर कर सकते हैं। कुछ लोगों की नींद ऐसी होती है मामूली सी खुटकार से आंख खुल जाती ह कुछ उससे गाफिल सोते है जिससे उन्हें पुकारने की जरूरत पड़ती ह। कुछ उससे भी गाफिल सोत ह जिन्हें झिझोड़ा जाता है, ढोल और ताश बजाये जाते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आतिश फिसा पहाड़ों के फटने से कानो के पर्दे रेजारजा हो जायें और सोने वाले की नींद न टूटे। उस वक्त हम सो रह थे अब जागे हैं। जागे है तो वोटों को गिन रह ह। इसलिये कि हम हार चुके है। इसलिये मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके माध्यम से, सरकार द्वारा इस बात की जांच की जाये कि जिन लोगों ने इस तरह की साजिश करके लाखों वोटरों को खत्म किया है, इनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। जो गैर जमहूरी ढंग से यह अपने मक्सद को हल करना चाहते है। किस तरह से लाखों लोगों को खतम किया गया, वोट नहीं डालने दिया गया, इसकी जांच की जाय कि वह कौन सी ताकतें हैं जो जमहूरियत को नष्ट करना चाहती हैं और उन्हें सजा दी जाय। धन्यवाद।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने समय दिया। जो मसला आपके सामने पेश हुआ है कोई विशेष मसला नहीं हैं। जिस समय लिस्ट बन रही थी उस समय चुनाव आयोग को प्रार्थना पत्र दिया था, मुख्य मंत्री जी को भी लिख कर दिया था कि हरिजन और पिछड़ वग के लोग जब अपने काम पर चले जाते हैं तब वह उनके घर आते हैं। कृपया उनके घरों पर टाइम से जायें। यही नहीं ऐसा लगता है कि जनतंत्र समाप्त हो गया है। अपने मकसद के लिये राजे और महाराजाओं को मिलाकर ही अंग्रेजों ने राज्य कायम करने का सेहरा पहना था। आपके माध्यम से विधान सभा के सदस्यों से कहूंगा, हिन्दुस्तान की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता से कहूंगा कि वह ब्लड जो उनमें है, उस ब्लड को साफ करने का काम इन नौजवानों का है। यही नहीं आजादी जो मिली, जिससे हम यहाँ बैठे हैं, उसकी हत्या हो गयी है। जैसी हत्या 26 जनवरी की हुई थी ऐसी ही हत्या यहाँ जनतंत्र की 26 जनवरी को हुई है। जब लोकतंत्र और आजादी बचाओ का जय प्रकाश ने नारा दिया था, लोकतंत्र के लिये था वह। माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर कहूंगा कि हिन्दुस्तान की आजादी और प्रजातंत्र की रक्षा करें। आजादी की रक्षा के लिये भगतसिंह फांसी पर चढ़े थे। चन्द लोग जो बचे हैं फांसी से हम सब लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। आपके माध्यम से चुनाव आयोग से एक निवेदन करना चाहता हूं। आपकी जनतंत्र की रक्षा करने के लिये बनाया गया है। मैं राष्ट्रपति से भी कहूंगा कि जिन्होंने लोक सभा भंग की थी। सारे नौजवानों से प्रदेश वालों से, सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इस विधान सभा में इंकलाब का नारा लगाकर कहूंगा कि सही लिस्ट बनावें नहीं तो जनतंत्र की हत्या होगी।

*श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

मान्यवर, मतदाता सूचियों में गड़बड़ी पहले से होती रही है लेकिन इस बार इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो गयी कि इस बार मामला प्रकाश में आ गया। जो गड़बड़ियाँ होती रही हैं उनका आज तक निराकरण नहीं हुआ है और आज भी कोई ठीक तरीके से उसके निराकरण का उपाय नहीं दिखायी पड़ रहा है। क्योंकि त्रुटियों के लिये जो जिम्मेदार है जब तक उसकी जिम्मेदारी जिला स्तर के कर्मचारियों पर नहीं निश्चित की जायगी तब तक उनको भय नहीं होगा। यदि गड़बड़ी होंगी और उसके लिये सजा मिलेगी तो गड़बड़ी नहीं होगी। बहुत दिनों से गड़बड़ियाँ होती आयी हैं। बाँदा जिले में पिछले चुनाव में भी, सन् 74 के चुनाव मे भी गड़बड़ियाँ हुयीं। इस संबंध में मैंने मुख्य मंत्री और इलेक्शन कमीशन को लिखा था। मेरे यहाँ एक गांव जिसकी आबादी डेढ़ हजार है उसमें वहाँ ढाई सौ नाम जोड़े गये लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। चुनाव आयोग जिम्मेदारी इस तरह की नहीं ले पाया कि किसी को सजा दिया हो। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है, हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री बिल्कुल बरी हो जाते हैं। इससे प्रदेश और जिले का प्रशासन ढीला हो जाता है। यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे बढ़ी और आज इस स्थिति में आ गयी है कि लाखों करोड़ों लोग अपने मत के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। इसलिये इसमें राज्य सरकार को भी जिम्मेदारी उठानी चाहिये और चुनाव आयोग को यह हम जो संस्तुतियाँ भेज रहे हैं यह बिल्कुल सही हैं और मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों को सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुयी है। विभिन्न आशंकायें और कारण यहाँ पर बताये गये हैं। मुझे तो यह जानकारी मिली है कि चूंकि मतपत्रों की कमी पड़ गयी थी इसलिये कई लोग वोट देने से वंचित कर दिये गये। मैं चाहूंगा कि सदन में माननीय सदस्यों ने जो राय व्यक्त की है, इस सारे के सारे मामले की जाँच होनी चाहिये। क्योंकि यह संविधान के प्रति अपराध है जिसे संसदीय लोकतंत्र को चाहने वाले कभी माफ नहीं कर पायेंगे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है। पौने 6 करोड़ मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश के लिये एक अलग जाँच आयोग का गठन किया जाय जो उत्तर प्रदेश में जो मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की गयी है, उसकी जाँच करे।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

इसके अलावा मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि मतदाता सूची बनाने की जो प्रणाली है, इस प्रणाली में आमूल परिवर्तन होना चाहिये। मतदाता सूची

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों, समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिये तब जाकर मतदाता सूचियों के बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिय। इसमें बुनियानी परिवर्तन होना चाहिये। जिस प्रकार से चुनाव कार्यालय जिला स्तर पर होता है जिसका अफसर जिलाधिकारी हुआ करता है, मैं चाहूंगा कि छोटे कर्मचारी से लकर दिल्ली तक चुनाव आयुक्त के दफ्तर के जो भी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनके तहत मतदाता सूची बनान से लेकर निर्वाचन कराने का काम होता है वे सब अलग होन चाहिये। एक पूरी की पूरी बहुधंधी संस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक स्वतंत्र स्वायत्तशासी और पूरे के पूरे समय काम देखने वाले जिला स्तर पर अधिकारी/कर्मचारी होने चाहिये जो चुनाव का काम देखें और प्रशासकीय काम न देखें। इसके लिये कोई और ढांचा चुनाव आयोग की तरफ से होना चाहिये। इन सब चीजों के बावजूद एक बार फिर मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिये है और आशा करता हूं कि सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को सदन पारित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन चुनाव आयोग से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों को पूर्णतया संशोधित किये जाने तक किसी भी प्रकार का चुनाव स्थगित रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक सूचना श्री नाथूराम शिक्षक, श्री मन्ना लाल तथा श्री सुन्दर लाल की है जो जी0ई0सी0 कंपनी नैनी, इलाहाबाद में तालाबन्दी के संबंध में है। इसको मैंने स्वीकार किया और इस पर वक्तव्य 11 फरवरी को, यदि उस दिन सदन बठा, होगा।

दूसरी सूचना श्री ऊदल, श्री श्रीनारायण की है जो वर्ष 1979 को सब-रजिस्ट्रार की परीक्षा में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटे के अनुसार चयन न किये जाने के संबंध में है, इसको और तीसरी सूचना जो डाक्टर कृष्णवीर सिह कौशल की है लक्ष्मीपति सिहानिया रोग संस्थान, कानपुर में गबन के संबंध में, को मैंने अस्वीकार किया। वैसे आज तीसरी सूचना के विषय के संबंध में प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री से कहा था कि इस को वह स्वयं देख लें।

विधान सभा अध्यक्ष के निर्वाचन तिथि को श्री राज्यपाल द्वारा निरस्त किये जाने की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उपनियम (i) के परन्तुक के खंड (ख) के अनुसरण में उ0प्र0 विधान सभा के माननीय अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये निर्धारित दिनांक 8 फरवरी, 1980 की तिथि को निरस्त कर दिया है।

जनपद मुरादाबाद में अमरोहा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अकबरपुर पट्टी में मतदान के समय हुए गोली काण्ड के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत अग्रेतर वक्तव्य

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

मान्यवर, अमरोहा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर पट्टी स्थित मतदान केन्द्र पर दिनांक 3 जनवरी, 1980 को हुए गोली कांड के सम्बन्ध में मैंने दिनांक 29 जनवरी 1980

को इस सदन में एक वक्तव्य दिया था। माननीय सदन ने कुछ बिन्दुओं पर सूचना एकत्र कर पूरक वक्तव्य दने के लिए निर्देश दिया था। वाँछित सूचना प्राप्त हो गई है जो निम्नवत् ह :—

(क) अकबरपुर पट्टी स्थित चुनाव केन्द्र पर दो कान्सटेबिल बिना असलहा के दो होमगार्ड और दो ग्राम चौकीदार तैनात थे जिन्होंने राम स्वरूप तथा दयाराम के मध्य हुए झगड़े को पहले शान्त कर दिया। किन्तु राम स्वरूप के पक्ष के लोग गाँव जाकर अचानक शस्त्र निकाल लाये और फायर करने लगे। इनकी इस अचानक कार्यवाही को बिना असलहे के चुवाव केन्द्र पर तैनात कान्सटेबिल तथा होमगार्ड रोक न सके।

(ख) अकबरपुर पट्टी चुनाव केन्द्र पर किसी प्रकार की हिंसक घटना होने की सम्भावना के संबंध में कोई विशेष प्रार्थना-पत्र अथवा पूर्व सूचना जिला अधिकारी को नहीं दी गयी थी। दिनाँक 27 दिसम्बर, 1979 को जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री इशरत अली ने जिला निर्वाचन अधिकारी को एक सामान्य पत्र भेजकर अकबरपुर पट्टी सहित 104 मतदान केन्द्रों पर विशेष पुलिस व्यवस्था की माँग की थी। जनपद के तीन अन्य लोक सभा चुनाव क्षेत्रों के अन्य उम्मीदवारों ने भी अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर ऐसी ही व्यवस्था की माँग की थी। जिले में उपलब्ध पुलिस फोर्स को ध्यान में रखते हुए सभी मतदात केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार समुचित व्यवस्था की गई थी। अकबरपुर पट्टी मतदान केन्द्र पर किसी प्रकार की विशेष व्यवस्था का प्रश्न नहीं था।

(ग) प्रत्येक मृतक के आश्रितों को शासन द्वारा 5,000 रु0 की धनराशि सहायतार्थ स्वीकृत की गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, उस दिन आपने जो विवेकपूर्ण फैसला किया था उससे आज तथ्य सामने आ गये हैं। यह संतोष की बात है कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 हजार रुपये शासन ने दे दिये हैं। लेकिन एक गम्भीर बात रह गयी है। जब जनता पार्टी के प्रत्याशी ने लिखित रूप में दे दिया था कि इस निर्वाचन स्थल पर दुर्घटना होने की सम्भावना है तो विशेष व्यवस्था क्यों नहीं पुलिस की की गयी ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

जनता पार्टी के उम्मीदवार ने 104 मतदान केन्द्रों पर व्यवस्था करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखा था कि वहाँ पर विशेष पुलिस व्यवस्था की जाय। जिन-जिन जगहों को महत्वपूर्ण समझा गया वहाँ पुलिस फोर्स भेज दी गयी। अकबरपुर पट्टी पर यह व्यवस्था करना वहाँ के अधिकारियों ने आवश्यक नहीं समझा कि विशेष व्यवस्था की जाय।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मंत्री जी ने बतलाया कि सरकारी 6 आदमी घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने य तो यह बहादुरी की कि अपनी जान बचा ली जिसके लिये सरकार उनको ईनाम दे या फिर उनकी नेगलिजेंस की वजह से 3 आदमी मारे गये और 16 जख्मी हुए इसके लिये उनको दंडित किया जाय ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मैंने निवेदन किया कि जब बिना असलाह के पहले झगड़ा हुआ तो इन लोगों ने बीस बचाव कर दिया, लेकिन जब दूसरी पार्टी रामस्वरूप की असलाह ले कर चढ़ गई तो उनके पास असलाह न होने के कारण वह बचा नहीं सके।

श्री रियासत हुसैन—

मैंने कहा कि 6 आदमी वहाँ मौजूद थे अगर उन्होंने इंटर फियर किया होता तो शायद वह भाग गये होते। लेकिन ऐसा नहीं किया तो या तो इन 6 आदमियों को अपनी जान बचाने के लिये इनाम दिया जाय या फिर नेगलिजेंस के कारण उनको दंडित किया जाय ?

(उत्तर के लिये मन्त्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

अकबरपुर पट्टी में जो घटना हुई है उसके लिये एक मात्र कारण यह बतलाया गया है कि तैनात कान्स्टेबिल के पास अगर असलाह होते तो इस प्रकार की घटना न होती, लेकिन जो बयान दिया है वह सेल्फ कंट्राडिक्टरी है क्योंकि आपने यह भी कहा है कि जिलाधिकारी को कोई सूचना नहीं दी गयी थी जबकि जिलाधिकारी तथा निर्वाचन अधिकारी एक ही होते हैं और उनको सूचना पहले दी जा चुकी थी। तो क्या आपने इस बात की जानकारी की कि जो कांस्टेबिल ड्यूटी पर तैनात किये गये थे उनको असलाह क्यों नहीं दिये गये ?

श्री उपाध्यक्ष—

असलाह तो केवल पुलिस के पास होते हैं। होमगार्ड्स के पास नहीं होते।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

दो पुलिस कांस्टेबिल भी थे, उनको असलाह क्यों नहीं दिये गये ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

माननीय सदस्य कृपा करके पिछले और इस वक्तव्य को दोनों को पढ़ने की कृपा करें तो उनको यह प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसमें स्पष्ट लिखा है कि अकबरपुर पट्टी चुनाव केन्द्र पर किसी प्रकार की हिंसक घटना होने की सम्भावना के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रार्थना-पत्र अथवा पूर्व सूचना जिलाधिकारी को नहीं दी गई थी। दिनाँक 27 दिसम्बर, 1979 को जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री इशरत अली न जिला निर्वाचन अधिकारी को एक सामान्य पत्र भेजकर अकबरपुर पट्टी सहित 104 मतदान केन्द्रों पर विशेष पुलिस व्यवस्था की माँग की थी। इसलिये जहां-जहाँ जरूरत समझी गई वहां-वहां पुलिस फोर्स अधिकारियों ने दिया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं दूसरा आइटम लेता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसमें प्रश्न पूछने दीजिये। बिना प्रश्न पूछे ही आप समझ गये। हम बेकार सवाल कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो पहले आ चुका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अग्रेतर वक्तव्य के बारे में मैं पूछ रहा हूं। उन्होंने बताया कि जनता पार्टी के प्रत्याशी ने लिखित सूचना दी थी कि 850 मतदान केन्द्रों में, जिसको ये केवल 104 मतदान कन्द्र

बता रहे हैं, वहाँ के जिलाधिकारी ने यह फैसला ले लिया था कि वहाँ पर अब कोई संकट नहीं है। हमने यह पूछा था कि जिलाधिकारी से यह पूछा जाय कि उनके पास ऐसा कहने का क्या आधार था ? यह सूचना हमने माँगी थी। इसी के लिये अग्रेतर वक्तव्य पूछा गया था। उस आधार से क्या सरकार सन्तुष्ट है और वह यह समझती है कि वहाँ पर इसके अलावा और कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है तब तो ठीक है लेकिन फिर भी यदि सरकार यह समझती है कि आवश्यकता थी तो उन अधिकारियों को जिन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, उनके प्रति आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, जनपद के 3 अन्य लोक सभा चुनाव के उम्मीदवारों ने अलग-अलग यह लिख कर दिया था कि उनके यहाँ भी यह प्रबन्ध किया जाय। जिले में उपलब्ध पुलिस फोर्स को ध्यान में रखते हुये सभी मतदान केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार समुचित व्यवस्था कर दी गयी थी। अब आधार की सूचना हमारे पास इस समय नहीं है। यह तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसी मुद्दे पर तो अग्रेतर वक्तव्य की माँग की गई थी कि कौन से वे कारण थे जिनकी वजह से मांग होने के बाद भी वहां पर व्यवस्था नही की जा सकी। अगर उपलब्ध नहीं था तो पी0ए0सी0 या मिलिटरी को बुला लिया जाय। कौन से ऐसे तथ्य थे जिनसे यह समझ लिया कि वहाँ पर ऐसी जरूरत नहीं है ? जिलाधिकारी ने जनहित में क्या किया ? मान्यवर, अगर ऐसा ही है तो हम जन प्रतिनिधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है कि इसका जबाव सदन में ही दिया जाय। मैं चाहता हूं कि त्रिपाठी जी ही जिलाधिकारी से यह पूछ लें कि क्या जिलाधिकारी ने अपने कर्त्तव्य में ढिलाई की है या नहीं की है ? इसका वे स्वयं समाधान कर लें। यदि वे इस से सन्तुष्ट हो जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

जिलाधिकारी से पूछने पर क्या वह यह बतायेगा कि मैंने ढिलाई की है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, वरना सरकार का क्या काम है ? अगर सरकार इसी पर सन्तुष्ट हो जाती है। किसी से पूछवा लें।

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मैं जिलाधिकारी से जाँच करवा लूंगा। अगर उनकी कोई नेग्लिजेंस होगी तो उन्हें दन्डित किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, ये समझते थे कि वहाँ पर विशेष व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के लोग उस बूथ को कैप्चर करेंगे।

फैजाबाद जिले में सोहज कस्बे के निकट नाव डूब जाने से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार श्री खुशीराम गड़रिया पुत्र श्री विशेषर गड़रिया, निवासी अमीना, थाना पूराकलन्दर, जनपद फैजाबाद ने दिनांक 30-1-80, समय 15-30 बजे थाना रौनाही में जबानी सूचना दी कि वह उक्त तारीख को ग्राम रागी, जनपद गोण्डा से मंगलसी घाट होकर नाव से आ रहा था, नाव पर 18-20 आदमी सवार थे तथा 7-8

[श्री सत्य देव त्रिपाठी]
साइकिलें थीं, करीब एक बजे दिन नाव जब बीच नदी में पहुंची तो नाविक बब्बू तथा राजा सिंह की लापरवाही से तथा अधिक बोझ से नाव बैठ गयी और सब लोग डूबने लगे, हल्ला-गोहार पर ग्रामीणों ने डूबते हुए लोगों को निकाला तथा उसके साथ आ रहे भगौती प्रसाद व उसकी नातिन ऊषा सहित कुछ अन्य व्यक्ति डूब गये। इस सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 30, धारा 280/282/304 भा0 दं0 वि0, थाना रौनाही, जिला फैजाबाद पर दिनांक 30-1-80 को समय 15-30 बजे कायम हुआ।

सूचना मिलने पर तत्काल थानाध्यक्ष मय कर्मचारीगण के तथा बाद में जिलाधिकारी तथा अन्य उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गये। मृतक एवं उनके सामान को निकालने के लिए गोताखोरों एवं नाविकों की सहायता से नदी में जाल डालकर मृतक (1) भगौती प्रसाद, साकिन अमौना, थाना पूराकलन्दर, जिला फैजाबाद, (2) कु0 ऊषा, पोती भगौती प्रसाद, (3) श्री मिठाई लाल, पथरकट, निवासी सोहावल, थाना रौनाही, जनपद फजाबाद, (4) श्री बनवारी पासी, निवासी सुखारी, थाना रौनाही, जनपद फैजाबाद, की लाशें तथा 6 अदद साइकिलें अथक परिश्रम के बाद निकाली गयीं। प्राप्त सूचना के अनुसार केवल एक व्यक्ति श्री नजीर निवासी दत्तनगर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा की लाश का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। शेष व्यक्ति बच गये हैं।

पोस्टमार्टम के उपरान्त उक्त सभी लाशें उनके अभिभावकों को वापस की जा चुकी हैं। मृतकों के परिवार की क्रमशः एक-एक हजार रुपये नकद आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जा चुका है।

उक्त घाट का ठेका ढपवा घाट के नाम से श्री हरिनारायण सिंह, निवासी दत्त नगर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा व श्री राजा सिंह, निवासी ग्राम साखीपुर थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा के नाम से है। दोनों नाविक भाग हुए हैं। नाव को पुलिस ने कब्ज में ले लिया है। विवेचनोपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय मंत्री जी नें अपन वक्तव्य म स्वीकार किया है कि 18-20 आदमी उस नाव पर बैठे होने की सूचना थी। चार लाशें मिली और एक लाश का अनुमान है नदी में है। मेरी सूचना यह ह कि इससे ज्यादा लोग मरे ह। जिनकी लाशें नहीं निकाली जा सकी। तो बाकी सब लोग कहां चले गये इस बारे में उनको जानकारी का क्या आधार है कि बाकी लोग नहीं डूबें।

दूसरा यह कि आज प्रातः ही माननीय विद्युत मंत्री जी ने घोषणा की थी कि बिजली के करेंट से मरने पर 5 हजार रुपया दिया। इसी तरह परिवहन विभाग में भी है। जहां सरकार की जिम्मेदारी होती ह उसमें 10 हजार देते हैं। यह ठका भी फेरीज ऐक्ट के अन्तर्गत दिया गया है जिसमें सरकार की जिम्मेदारी आती है। जो गरीब इसमें मर गये हैं जिनके परिवार के लोग अनाथ हो गये हैं उनको केवल एक-एक हजार रुपया दिया गया है। तो इसको 5 हजार रु0 न करन का क्या कारण है?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, जो रुपया दिया गया वह देवी विपदा कोष से दिया गया। इस पर विचार कर लिया जायगा। दूसरी जो बात है उसमें थानाध्यक्ष तथा दूसरे कर्मचारी जो वहां पहुंचे थे तथा और लोग भी मौजूद थे उन्होंने भी यह सूचना दी है। इसमें लिखा है कि डूबत हुए लोगों को निकाला। इन के अलावा शेष व्यक्ति बच गये हैं। यह सूचना अधिकारियी ने दी है अगर अधिक लोगों के डूबने की आशंका ह तो उसकी सूचना माननीय सदस्य दें, हम जांच करा लेंगे।

श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (जिला गोरखपुर)—

मंत्री जी के वक्तव्य से संबंधित मंत्री जी ने बताया है कि नाव के ठेकेदार और नाविक बब्बू की लापरवाही से लोग डूबे गये तो क्या इस ठेकेदार का ठेका निरस्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, इन दोनों पर मुकदमा कायम है वह लोग भागे हैं। इस ठेकेदार की गलती पाई गई तो इसका ठेका निरस्त करने में एक सेकेन्ड की भी देर नहीं होगी।

श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव—

ठेकेदार वही है, राजा सिंह।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

तो कर देंगे।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

माननीय मंत्री जी स जानना चाहूंगा, वक्तव्य में इस बात का उल्लेख नहीं है, वह जो नाव डूब गयी वह कितनी लम्बी चौड़ी थी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, मुझे इसकी सूचना है कि नाव छोटी थी।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

यह घटना मेर जिले की है कोई एक दर्जन आदमी मिसिंग हैं जिनकी खोजबीन की जा रही है और कहा गया ह कि 10-20 आदमी नाव में थे। मैं जानना चाहता हूं, जिलाधिकारी से इस बात की जानकारी करवा लें कि उनके कार्यालय में कितने नाम ऐसे हैं जिनकी खोजबीन जारी है, क्या यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

एसी कोई जानकारी नहीं है। मैंने निवेदन किया अगर माननीय सदस्य किसी के डूबने की आशंका बतायेंगे तो जांच करवा लेंगे।

वाराणसी जिले में बसों की नीलामी में अनियमितता के सम्बन्ध में 28 जनवरी, 1980 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 3 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—

आइटम नं0 22 स्थगित कर दिया है। अब कोरम नहीं है। आज हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 43 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
7 फरवरी, 1980।

मत्थी 'क'

[देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत पूछे गये तारांकित प्रश्न 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 895 पर]

डाक्टरों के नाम		चिकित्सालय का नाम
1—डा0 एस0 के0 गिरी	..	लेप्रोसी कन्ट्रोल यूनिट, बस्ती।
2—डा0 उमाशंकर मिश्रा	..	टी0 बी0 आइसोलेशन चिकित्सालय, बस्ती।
3—डा0 एच0 सी0 पाण्डे	..	पी0 एच0 सी0, बांसी (बस्ती)
4—डा0 वी0 एच0 पी0 राव	..	पी0 एच0 सी0 मेंहदावल
5—डा0 अमरिक सिंह	..	पी0 एच0 सी0 नगरा (बस्ती)
6—डा0 वीन0 एन0 सिंह	..	पी0 एच0 सी0 हैंसर बाजार (बस्ती)
7—डा0 ओ0 पी0 अग्रवाल	..	पी0 एच0 सी0 नौगढ़ (बस्ती)
8—डा0 जे0 पी0 गुप्ता	..	रा0 चि0 सोहरतगढ़ (बस्ती)
9—डा0 आर0 सी0 जानी	..	पी0 एच0सी0 गौर (बस्ती)
10—डा0 के0 एल0 शर्मा	..	डेन्टल सर्जन, जिला चिकित्सालय, बस्ती।

फार्मेसिस्ट

फार्मेसिस्टों के नाम		चिकित्सालय का नाम
1—श्री रमा शंकर सिंह	..	जिला चिकित्सालय, बस्ती
2—श्रीमती सावित्री पान्डे	..	महिला चिकित्सालय, बस्ती।
3—श्रीमती जे0 बनर्जी	..	महिला चिकित्सालय, बस्ती।
4—श्रीमती एम0 एम0 बग	..	क्षय चिकित्सालय, बस्ती।
5—श्री मुक्ति नाथ मिश्रा	..	पी0 एच0 सी0, हरैया।
6—श्री सुरेश चन्द्र पान्डे	..	पी0 एच0 सी0, परशुरामपुर।
7—श्री रंगू प्रसाद	..	पी0 एच0 सी0, डुमरियागंज।
8—श्री आर0 पी0 पान्डे	..	राजकीय चिकित्सालय, विशेश्वरगंज।
9—श्री काजी अब्दुल मुहइज	..	राजकीय चिकित्सालय, देईपार।
10—श्री कुन्ज बिहारी मिश्रा	..	महिला अस्पताल, डुमरियागंज।

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 907 पर

सेवा में,

पुलिस अध्यक्ष, सहारनपुर ।

प्रतिलिपि—जिलाधीश महोदय, सहारनपुर ।

श्रीमन्,

दिनांक 4-7-77 को 4 बजे करीब समय था। मैं अपने पति के ट्रांसफर के सम्बन्ध में पूछतांछ करने सी0 एम0 ओ0 के दफ्तर गयी। श्रीमती सुशीला वार्ड ब्वाय भी मेरे साथ अपनी दरख्वास्त लेकर वहां दफ्तर गयी। श्रीमती सुशीला ने अपनी दरख्वास्त सी0 एम0 ओ0 श्री सुधीर गुप्ता को दी और उससे कहा आप जाओ हम इस दरख्वास्त को देखेंगे। तथा मुझे कहा तुम अभी ठहरो। श्रीमती सुशीला दफ्तर से बाहर आकर खड़ी हो गयी। मैंने सी0 एम0 ओ0 साहब श्री सुधीर गुप्ता से कहा कि जी मेरे पति का स्थानान्तरण हो गया है आप हमारे छोटे-छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुये हमदर्दी के लिये उनका तबादला रुकवा दे। हम तबादला होने स परेशान हो गये हैं इस पर श्री सुधीर गुप्ता, सी0 एम0 ओ0, ने कहा कि यदि तुम तबादला होने से पहले ही मेरे पास आती जाती तो तबादला ही क्यों होता और अब भी मेरे पास आया जाया करो। मैं तुम्हारे पति का तबादला रोकने के लिये देखूंगा। इस पर मैंने कहा कि जी आप के दिल में कुछ फरक है इस पर वे अपनी कुर्सी से खड़े हुए और मेरा हाथ पकड़कर कहा तुम इस बात से नाराज हो गयी। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिय ही कह रहा हूं इस पर मैंने अपना हाथ सी0 एम0 ओ0, श्री सुधीर गुप्ता से झटका मार कर छुड़ाया और दफ्तर के बाहर झपटने की कोशिश की इस पर भी उसन मेरे ऊपर वहीं पर झपटा रोकने के लिये मारा, यह कहते हुये झपटा मारा कि या तो मान जाओ नहीं तो तुम्हें इस अस्पताल में नहीं रहने दूंगा तुम्हें तथा तुम्हारे पति को किसी संगीन झूठे केश में फंसा दूंगा तुम्हें तबाह व बरबाद करके ही छोड़ूंगा। यहां की पुलिस मेरे हाथ में है। इन्हीं बातों में मैं दफ्तर से बाहर आ गयी, बाहर बहुत से आदमी भी मेरे कहने-सुनने पर दफ्तर के सामने आ गये।

अब मुझे यह खतरा हो गया है कि सी0 एम0 ओ0 श्री सुधीर गुप्ता मुझे या मेरे पति बच्चों को वाकई ही तबाह न कर द। या किसी झूठे केस में न फंसा दे। इन सब बातों की जांच की जावे और सी0 एम0 ओ0 श्री सुधीर गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

प्रार्थिनी

(ह0) श्रीमती बचन देई पत्नी
श्री दयाराम वार्ड ब्आय, एस0 बी0 डी0
अस्पताल,
सहारनपुर,

सुशीला देवी मौके की गवाह है।
तारीख 5 (ह0) सुशीला देवी

सत्यी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 908 पर)

मांगें	कृत कार्यवाही
1—(क) प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ का वेतनमान 230–385 से 280–460 किया जाय।	मांग वेतन आयोग के विचार क्षेत्र में है स्वास्थ्य सेवा निदेशक को लिखा गया है कि इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति वेतन आयोग को भेजे।
(ख) सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान 300–500 में 20 प्रतिशत स्वीकृत किया जाय।	10 प्रतिशत पदों पर वेतनमान 280–460 में सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत कर दिया गया है।
(ग) सीनियर प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ का वेतनमान 230–385 से 300–550 किया जाय।	मांग वेतन आयोग के विचार क्षेत्र में है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक को लिख दिया गया है कि वह इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति वेतन आयोग को भेजे।
(घ) सीनियर प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के पदों का सृजन वेतनमान 300–550 में किया जाय।	मांग वेतन आयोग के विचार क्षेत्र में है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक को लिख दिया गया है कि वह इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति वेतन आयोग को भेजे।
(ङ) मुख्य प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के पदों का सृजन वेतनमान 350–700 किया जाय।	मांग वेतन आयोग विचार क्षेत्र में है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक को लिख दिया गया है कि वे इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति वेतन आयोग को भेजें।
2—निःशुल्क आवास या आवासीय भत्ता दिया जाय।	इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 4 जुलाई, 1979 को जारी किये जा चुके हैं।
3—अप्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को सवेतन प्रशिक्षण दिया जाय।	इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 15-10-79 को जारी कर दिये गये हैं।
4—3 वर्ष से अधिक कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों का स्थायीकरण किया जाय।	निदेशक को इस विषय में यथाशीघ्र कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।
5—दिनांक 1–4–1965 से शैक्षिक योग्यता में छूट देते हुए प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाय।	इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 19–9–79 को जारी कर दिये गये हैं।
6—उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों का पंजीकरण किया जाय।	इस सम्बन्ध में आल इंडिया मेडिकल कौंसिल, नई दिल्ली को लिखा गया है।
7—10 प्रतिशत लीव रिजर्व के पद सृजित किये जायं।	मांग अस्वीकृत कर दी गयी है।
8—प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की सेवा नियमावली बनायी जाय।	सेवा नियमावली का आलेख्य तैयार कर लिया गया है तथा इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जायेगा।
9—झांसी जनपद में 1978 में चलाये गये आन्दोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्त्ताओं का उत्पीड़न समाप्त किया जाय।	प्राप्त सूचना के अनुसार कोई उत्पीड़न नहीं किया गया।

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 921 पर)

माह सितम्बर तथा अक्तूबर, 1979 के प्रथम सप्ताह में प्रतिदिन हिन्डालको, मिर्जापुर, को राज्य विद्युत् परिषद द्वारा की गयी विद्युत् आपूर्ति का विवरण

दिनांक	औसत आपूर्ति (मेगावाट में)	दिनांक	औसत आपूर्ति (मेगावाट में)
1-9-79	55.0	20-9-79	93.4
2-9-79	61.4	21-9-79	93.0
3-9-79	55.6	22-9-79	83.0
4-9-79	56.1	23-9-79	77.8
5-9-79	55.0	24-9-79	32.8
6-9-79	55.7	25-9-79	32.5
7-9-79	53.0	26-9-79	31.6
8-9-79	43.0	27-9-79	53.0
9-9-79	53.3	28-9-79	30.9
10-9-79	55.0	29-9-79	36.5
11-9-79	54.1	30-9-79	42.3
12-9-79	54.6	1-10-79	34.5
13-9-79	51.6	2-10-79	32.3
14-9-79	44.1	3-10-79	33.5
15-9-79	45.4	4-10-79	31.9
16-9-79	48.0	5-10-79	30.7
17-9-79	39.9	6-10-79	29.9
18-9-79	38.3	7-10-79	28.7
19-9-79	93.7		

उपरोक्त विद्युत् आपूर्ति हिन्डालको को उनके साथ किये गयें अनुबन्ध के अन्तर्गत की गयी है ।

दिनांक 19 सितम्बर, 1979 से 23 सितम्बर, 1979 तक हिन्डालको की मशीन नं0 1 की खराबी के कारण 60 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् संकटकालीन सहायता के रूप में की गयी है ।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 936 पर)

संक्षिप्त

मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर के कार्यालय लेखों की वर्ष 1977–78 से क्रय संबंधी अभिलेखों को विशेष सम्प्रक्षा माह जुलाई, अगस्त, 1978 में की गयी। सम्प्रेक्षों में निम्न वित्तीय अनियमितताएं पायी गयीं :—

(1) सक्षम अधिकारी से वस्तुओं के सीधे क्रय की अनुमति प्राप्त किये बिना क्रय किया जाना (रु0 2,25690.46)।

(2) सम्बन्धित फर्मों को बिक्रीकर के रूप में अनियमित भुगतान (रु0 2808.66) के फलस्वरूप हुई क्षति।

(3) औषधियों के स्थानीय क्रय एवं स्टोव का अनुमोदित दर पर क्रय न करने के फलस्वरूप हुई हानि (रु0 984.34)।

(4) ट्रंककाल बिलों का अनियमित भुगतान बिना ट्रंक काल रजिस्टर के रख-रखाव एवं व्यक्तिगत कालों का उल्लेख किये बिना किया जाना (रु0 3637.30)।

(5) सक्षम अधिकारी से क्रय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना लोहे की आलमारियों का क्रय किया जाना (रु0 6817.98)।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर को सम्प्रेक्षा रिपोर्ट की एक प्रति अनुपालन हेतु भेजी गयी है। अनुपालन आख्या प्राप्त होने पर पाय गये दोनों कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही तथा हानि की वसूली की कार्यवाही की जायगी।

उत्तर प्रदेश संसदीय

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 940 पर)

प्रदेश के उन राजकीय महिला चिकित्सालयों की सूची जिनमें इस समय प्रभारी महिला चिकित्साधिकारी नहीं हैं :

(1)	नाग	(सहारनपुर)
(2)	फतेहपुर	(सहारनपुर)
(3)	भन्द्री	(प्रतापगढ़)
(4)	गौरीगंज	(सुल्तानपुर)
(5)	कादीपुर	(सुल्तानपुर)
(6)	चुनार	(मिर्जापुर)
(7)	अहिरोरा	(मिर्जापुर)
(8)	सैदपुर	(गाजीपुर)
(9)	सादात	(गाजीपुर)
(10)	बारही	(गाजीपुर)
(11)	अमिला	(आजमगढ़)
(12)	लालगंज	(आजमगढ़)
(13)	सगड़ी	(आजमगढ़)
(14)	बमनान	(बस्ती)
(15)	हर्रैया	(बस्ती)
(16)	सेवरही	(देवरिया)
(17)	छितौनी	(देवरिया)
(18)	करहल	(मैनपुरी)
(19)	जसराना	(मैनपुरी)
(20)	बीकापुर	(फैजाबाद)
(21)	उतरौला	(गोंडा)
(22)	तरबगंज	(गोंडा)
(23)	इकोना	(बहराइच)
(24)	फतेहपुर	(बाराबंकी)
(25)	जैदपुर	(बाराबंकी)
(26)	मछलीशहर	(जौनपुर)
(27)	बेरिया	(बलिया)
(28)	गरोठा	(झांसी)
(29)	जालौन	(जालौन)
(30)	बबेरु	(बाँदा)
(31)	मऊ	(बाँदा)
(32)	मोहम्मदाबाद	(सीतापुर)
(33)	धरोरा	(खीरी)
(34)	भगवन्तनगर	(हरदोई)
(35)	पुरवा	(उन्नाव)
(36)	रहुआ	(रायबरेली)

पी०एस०यू०पी०—एल० 503 वि० स० (943)—1980—835।